VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

Classroom Study Material 2018

(September 2017 to June 2018)

www.visionias.in
+91 8468022022

DELHI | JAIPUR | PUNE | HYDERABAD | AHMEDABAD | LUCKNOW

विषय सूची

1. भारत और उसके पड़ोसी देश 4

1.1 भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंध 4

1.2. भारत के पड़ोसी देशों के साथ नदी जल संबंध 8

1.3 चीन(China) 12

1.3.1. भारत-चीन संबंध 12

1.3.2 भारत-चीन जल सम्बन्ध 16

1.4. पाकिस्तान (Pakistan) 18

1.4.1. सिंधु जल संधि 18

1.4.2. पाकिस्तान के गिलगित-बाल्टिस्तान आदेश पर भारत की आपत्ति 20

1.4.3. ट्रैक-II कूटनीति 21

1.4.4. पाकिस्तान के खिलाफ आतंकवाद पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध 22

1.5 बांग्लादेश (Bangladesh) 24

1.6. श्रीलंका 26

1.7. भारत-नेपाल संबंध 28

1.7.1. भारत-नेपाल मैत्री संधि 30

1.7.2. भारत-चीन-नेपाल त्रिकोणीय संबंध 30

1.8. अफगानिस्तान 32

1.8.1 अफगानिस्तान शांति प्रस्ताव 34

2. हिन्द महासागरीय क्षेत्र 37

2.1. भारत और हिन्द महासागर 37

2.2. भारत-मालदीव (India-Maldives) 40

2.3. भारत-सेशेल्स (India- Seychelles) 42

2.4. इंडो-पैसिफिक (Indo-Pacific) 43

2.5. क्रा नहर (Kra Canal) 45

3. दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशिया 47

3.1. पूर्वी एशिया और आसियान 47

3.2 भारत-आसियान 48

3.3. भारत-जापान 52

3.4. भारत-इंडोनेशिया 53

VISION IAS

3.5. भारत-सिंगापुर 55
3.6. भारत-वियतनाम 56
3.7. भारत-म्यांमार 57
3.7.1 रोहिंग्या मुद्दा 60
3.8. भारत-मंगोलिया 62
3.9. उत्तर कोरिया 63

4. मध्य एशिया (Central Asia) 66

4.1. भारत और मध्य एशिया (India Central Asia) 66
4.2. तापी गैस पाइपलाइन 70

5. पश्चिमी एशिया/मध्य-पूर्व 72

5.1 भारत-पश्चिम एशिया 72
5.2. भारत और ईरान 74
5.3 इजराइल फिलिस्तीन 78
5.3.1 भारत-इजराइल सम्बन्ध 78
5.4. भारत-संयुक्त अरब अमीरात (India-UAE) 82
5.5. भारत-ओमान 83
5.6. भारत-जॉर्डन (India-Jordan) 85
5.7. अन्य क्षेत्रीय समाचार 86
5.7.1. कुर्दिश स्वतंत्रता हेतु जनमत संग्रह 86
5.7.2. आतंकवाद से संघर्ष हेतु इस्लामी गठबंधन 87
5.7.3. एशियन प्रीमियम (Asian Premium) 87

6. अफ्रीका (Africa) 89

6.1. भारत -अफ्रीका (India-Africa) 89
6.2. भारत अफ्रीका विकास पहलें 92

7. यूरोप (Europe) 94

7.1 भारत-यूरोपीय संघ (India-EU) 94
7.2. भारत-फ्रांस संबंध 97
7.3. भारत-जर्मनी संबंध 98
7.4. भारत-इटली 99
7.5. जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन 99

VISION IAS

7.6. भारत-नॉर्डिक सम्मेलन 102

8. रूस (Russia) 103

8.1. भारत-रूस (India-Russia) 103

9. संयुक्त राष्ट्र अमेरिका (USA) 105

9.1. अमेरिका की नई सुरक्षा रणनीति 105

9.2 भारत-अमेरिका समझौते 106

9.3. भारत अमेरिका सौर विवाद 107

9.4. स्टील एवं एल्युमिनियम पर अमेरिकी आयात ड्यूटी में वृद्धि 107

9.5. संयुक्त राज्य अमेरिका के राज्यक्षेत्रातीत प्रतिबंध 108

9.6. अमेरिका का अंतर्राष्ट्रीय समझौतों और संगठनों से बाहर होना 110

10. महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय/क्षेत्रीय समूह एवं सम्मेलन 112

10.1. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधार 112

10.2. राष्ट्रमंडल (Commonwealth) 114

10.3 शंघाई सहयोग संगठन 115

10.4. अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन 117

11. विविध (Miscellaneous) 119

11.1. चतुर्पक्षीय बैठक 119

11.2. दक्षिण-दक्षिण सहयोग पर इब्सा घोषणा 120

11.3. निर्धनों के लिए विदेशी सहायता 123

11.4. भारत की सॉफ्ट पावर 124

11.5 भारत की परमाणु नीति 126

11.6. स्थानिक कूटनीति (पैराडिप्लोमेसी: Paradiplomacy) 129

VISION IAS

1. भारत और उसके पड़ोसी देश

(India and its Neighbours)

1.1 भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंध

(India's Neighbourhood Relations)

भारत क्षेत्रफल, जनसंख्या तथा आर्थिक एवं सैन्य क्षमताओं के संदर्भ में अपने पड़ोसी देशों की तुलना में अत्यधिक विशाल देश है, यहाँ तक कि यह उनकी कुल क्षमता से भी विशाल है। प्रत्येक पड़ोसी देश, भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित अन्य देशों की अपेक्षा भारत के साथ अधिक महत्वपूर्ण नैतिक, भाषाई या सांस्कृतिक विशेषतायें साझा करता है। यह असंतुलन ही पड़ोसी देशों के प्रति भारत की और भारत के प्रति पड़ोसी देशों की 'पड़ोस (neighbourhood)' की अवधारणा को आकार प्रदान करता है। परन्तु भारत को यह भी अवश्य स्वीकार करना चाहिए कि इस असंतुलन का स्तर इतना अधिक भी नहीं है कि उसके पड़ोसी देशों को अपने हितों को भारत के साथ संरेखित करने हेतु विवश करे। यह भारत के लिए **निकट क्षेत्रों से सम्बद्ध चुनौती** है।

स्वतंत्रता के पश्चात से, उपमहाद्वीप में कई प्रमुख पुनर्विन्यास हुए हैं, जिनके परिणामस्वरूप भारत को अपने पड़ोसी देशों से मैत्री संबंध स्थापित करने हेतु अन्य देशों के साथ निरंतर प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी है। इसके कारण या तो अतिशय या प्राय: गलत दिशा में उदारता एवं सामंजस्य अथवा कठोर अनावश्यक प्रतिक्रिया की स्थिति उत्पन्न हुई है।

यद्यपि विगत दशकों के दौरान अपने पड़ोसी देशों और सार्क (SAARC) के प्रति भारत के दृष्टिकोण में स्पष्ट परिवर्तन परिलक्षित हुआ है। यह इस बढ़ती स्वीकृति का परिणाम है कि वैश्वीकृत होती भारतीय अर्थव्यवस्था हेतु दक्षिण एशिया में आर्थिक एकीकरण अपरिहार्य है। 2014 में सभी सार्क (South Asian Association for Regional Cooperation: SAARC) देशों के नेताओं को नई सरकार के शपथ-ग्रहण समारोह में आमंत्रित कर भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति की शुरुआत की गई थी। परन्तु वर्तमान में यह नीति दिशाहीन प्रतीत हो रही है।

दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (South Asia Association for Regional Cooperation: SAARC)

- यह एक क्षेत्रीय संगठन है जिसकी स्थापना वर्ष 1985 में की गई थी।
- सार्क की स्थापना का मुख्य उद्देश्य दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण को प्रोत्साहित करना, जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना तथा क्षेत्र में आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति एवं सांस्कृतिक विकास को त्वरित करना था।
- सदस्य देश- भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान तथा भूटान।

पृष्ठभूमि

अपने पड़ोसी देशों के प्रति भारत की विदेश नीति से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु निम्नलिखित हैं:

- शीतयुद्ध के दौरान भारत को **अनिच्छुक शक्ति (Reluctant Power)** के रूप संदर्भित किया गया था। इसका यह तात्पर्य है कि समझा जाता था कि भारत के पास संसाधन उपलब्ध हैं परन्तु इनके उपयोग हेतु इसने कोई कार्यवाही नहीं की या कार्यवाही का प्रबंध नहीं किया।
- प्रारम्भ में भारत ने चीन के साथ **पंचशील समझौते** पर हस्ताक्षर किए थे तथा गुटनिरपेक्ष (NAM) सिद्धांत के साथ आगे बढ़ा था। हाल के वर्षों में भारत ने लुक ईस्ट पॉलिसी (वर्तमान में एक्ट ईस्ट) तथा सार्क, बिम्सटेक (BIMSTEC) इत्यादि जैसे क्षेत्रीय मंचों के माध्यम से अपने पड़ोसियों के साथ संबंधों को आगे बढ़ाया है।
- भारत ने **1998 की गुजराल डॉक्ट्रिन (सिद्धांतों)** के भाग के रूप में **"गैर-पारस्परिकता की नीति (Policy of Non-Reciprocity)"** का अनुसरण किया है। इस नीति के अनुसार भारत के अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंध भारत की क्षेत्रीय स्थिति के आधार पर होने चाहिए न कि पारस्परिकता के सिद्धांत पर।
- भारत ने वैश्वीकरण के इस युग में दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय एकीकरण की आवश्यकता को संबोधित करने हेतु **न्यू नेबरहुड पॉलिसी, 2005** भी प्रारम्भ की है। यह नीति सीमा क्षेत्रों के विकास, क्षेत्र में बेहतर कनेक्टिविटी तथा सांस्कृतिक एवं लोगों के आपसी सम्पर्क को प्रोत्साहित करने पर केन्द्रित है।
- वर्ष 2014 में भारत ने सभी सार्क देशों के नेताओं को नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित किया था तथा अपनी **'नेबरहुड फर्स्ट'** नीति का प्रतिपादन किया था। इस नीति के महत्वपूर्ण बिंदु निम्न हैं:

VISION IAS

- भारत अपने निकट पड़ोसी देशों तथा हिन्द महासागर के द्वीपीय देशों को राजनीतिक एवं कूटनीतिक प्राथमिकता प्रदान करने का इच्छुक है।
- यह पड़ोसी देशों को संसाधनों, सामग्रियों तथा प्रशिक्षण के रूप में सहायता कर समर्थन प्रदान करेगा।
- वस्तुओं, लोगों, ऊर्जा, पूँजी तथा सूचना के मुक्त प्रवाह में सुधार हेतु व्यापक कनेक्टिविटी और एकीकरण।
- भारत के नेतृत्व में क्षेत्रवाद के ऐसे मॉडल को प्रोत्साहित करना जो पड़ोसी देशों के भी अनुकूल हो।
- सांस्कृतिक विरासत के माध्यम से पड़ोसी देशों के साथ सम्पर्क स्थापित करना।

गुजराल डॉक्ट्रिन (Gujral Doctrine)

गुजराल डॉक्ट्रिन में निम्नलिखित पांच सिद्धांत हैं:

- भारत, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल तथा श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों से पारस्परिकता की अपेक्षा नहीं करता है बल्कि यह अच्छी भावना और विश्वास के तहत जो कुछ भी दे सकता है या जो सहूलियतें प्रदान कर सकता है, उन्हें उपलब्ध कराएगा।
- किसी भी दक्षिण एशियाई देश को क्षेत्र के एक अन्य देश के हितों के विरुद्ध अपने क्षेत्र के प्रयोग की अनुमति प्रदान नहीं करनी चाहिए।
- किसी भी देश को किसी अन्य देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।
- सभी दक्षिण एशियाई देशों को एक-दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता तथा संप्रुभता का अनिवार्य रूप से सम्मान करना चाहिए।
- इन देशों को अपने सभी मुद्दों का समाधान शांतिपूर्ण द्विपक्षीय वार्ताओं के माध्यम से करना चाहिए।

पड़ोसी देशों के साथ संबंधों में दूरी के कारण

- **प्रतिकूल संरचनात्मक चुनौतियाँ:** भारत के समक्ष सीमा संघर्षों की ऐतिहासिक विरासत तथा नैतिक एवं सामाजिक चिंताएं मौजूद हैं। ये भारत की दक्षिण एशियाई नीति की सफलता के विरुद्ध कार्य कर रही प्रमुख संरचनात्मक अक्षमताएं हैं। उदाहरणार्थ नेपाल में मधेशियों, श्रीलंका में तमिलों, बांग्लादेश के साथ सीमा एवं नदी जल विवाद से संबंधित मुद्दों को भारत की विभिन्न संरचनात्मक अक्षमताओं के रूप स्वीकार किया जाता है।
- **सुरक्षा और विकास के प्रमुख मुद्दों पर सर्वसम्मति का अभाव:** दक्षिण एशिया एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जिसकी स्वयं की कोई क्षेत्रीय सुरक्षा संरचना नहीं है और सर्वसम्मति के अभाव के कारण ऐसी किसी संरचना के विकास के प्रयास भी नहीं किए गए हैं। भारत की बिग ब्रदर की छवि को क्षेत्र के अन्य देशों द्वारा क्षेत्र की सुरक्षा और विकास हेतु सहयोग देने के लिए एक सक्षम कारक के स्थान पर एक खतरे के रूप में देखा जाता है।
- **चीन का प्रभाव:**
  - चीन ने वर्ष 2015 के भारत-नेपाल सीमा अवरोध के पश्चात् भारत के पड़ोस के **वैकल्पिक व्यापार तथा कनेक्टिविटी विकल्पों** (अर्थात् ल्हासा तक राजमार्ग, शुष्क बंदरगाहों के विकास हेतु सीमा पार रेलमार्ग) में अपनी स्थिति मजबूत करने हेतु सशक्त प्रयास किए हैं।
  - श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव तथा पाकिस्तान में चीन की **रणनीतिक स्थावर संपदा** विद्यमान है तथा साथ ही इन देशों की घरेलू नीतियों में चीन की सहभागिता है।
  - चीन पहले से ही अवसंरचना तथा कनेक्टिविटी परियोजनाओं में अपनी उपस्थिति का विस्तार कर रहा था और अब उसने **राजनीतिक मध्यस्थता** आरम्भ कर दी है। उदाहरणार्थ म्यांमार और बांग्लादेश के मध्य एक रोहिंग्या शरणार्थी वापसी समझौता तय करने हेतु कदम बढ़ाना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के विदेश मंत्रियों की बैठकों का आयोजन करना ताकि दोनों को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) के साथ एक मंच पर लाया जा सके तथा मालदीव सरकार और विपक्ष के मध्य मध्यस्थता करना।

अन्य संबंधित तथ्य

चाइना-साउथ एशिया कोऑपरेशन फोरम

- हाल ही में युन्नान प्रान्त में 'प्रथम चाइना-साउथ एशिया कोऑपरेशन फोरम (CSACF) लॉन्च किया गया। इसमें 'फुक्सियान लेक इनिशिएटिव' के नाम से एक परिणाम दस्तावेज जारी किया गया।
- CSACF का सचिवालय **युन्नान** प्रान्त में स्थापित किया जाएगा, जहाँ इसके वार्षिक सम्मेलनों का भी आयोजन किया जाएगा।
- सार्क देशों (भूटान को छोड़कर), दक्षिण-पूर्वी एशिया से म्यांमार और वियतनाम तथा कुछ अन्य देशों के अधिकारियों ने इस फोरम में भाग लिया था।

VISION IAS

- इस फोरम के उद्देश्य निर्दिष्ट करते हैं कि, "चीन और दक्षिण एशियाई देशों को सहयोग को मजबूत करने, सहयोग में विस्तार करने, सहयोग परियोजनाओं को क्रियान्वित करने तथा सहयोग गुणवत्ता में सुधार करने हेतु अंतःक्रिया को अपेक्षाकृत अधिक सुदृढ़ करना चाहिए।"
- यह **BRI का एक भाग है** तथा इसकी स्थापना एशिया में क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने हेतु की गई है।

विश्लेषण

- CSACF में भारत की भागीदारी भारत के BRI के बहिष्कार के कदम से भिन्नता दर्शाती है। इस प्रकार यह व्यापार और संप्रभुता के मुद्दों के मध्य एक स्पष्ट अंतर किये जाने को इंगित करती है।
- इसे कुछ विद्वानों द्वारा सार्क के विकल्प के रूप में भी देखा जा रहा है। सार्क में चीन पर्यवेक्षक के दर्जे से आगे दर्जा प्राप्त करने में असमर्थ रहा है तथा अंशत: सार्क की अपनी कमजोरियों के कारण भी इस फोरम को सार्क के विकल्प के रूप में देखा जा रहा है।
- अब चीन अपने व्यापार और आर्थिक लाभों हेतु नए फोरम का उपयोग कर सकता है। यह अपने हितों की पूर्ति हेतु भारत का उपयोग कर सकता है अथवा किसी विशिष्ट देश या देशों के समूह के साथ अपनी शर्तों पर समझौता कर सकता है।
- यह अन्य भागीदार देशों को यह अनुभव करवा सकता है कि भारत उनमें से ही एक है न तो विशाल और न ही शक्तिशाली (सार्क के विपरीत) तथा स्वयं को उनके स्थायी मित्र के रूप में प्रस्तुत कर सकता है।

यद्यपि भारत उभरती परिस्थितियों तथा दक्षिण एशिया में चीन के अतिक्रमण से अनभिज्ञ नहीं है, परन्तु भारत को CSACF के साथ और इसके परे जाकर सार्क को पुनर्जीवित करने हेतु अपने दृष्टिकोण की समीक्षा करने की आवश्यकता है।

- **भारत की हार्ड पॉवर कार्यनीति:** भारत की दक्षिण एशिया में केन्द्रीय अवस्थिति है तथा भौगोलिक और आर्थिक रूप से यह सबसे विशाल देश है। अत: यह अपेक्षा की जा सकती है कि भारत का उसके प्रत्येक पड़ोसी देश पर अधिक प्रभाव होगा। परन्तु अनेक अवसरों पर भारत की हार्ड पॉवर कार्यनीति अप्रभावी सिद्ध हुई है:
  - वर्ष 2015 में नेपाल सीमा पर अवरोध तथा भारतीय सहायता में एक अनुवर्ती कटौती ने नेपाली सरकार को उनके संविधान में संशोधन हेतु बाध्य नहीं किया जबकि भारत अपेक्षा कर रहा था कि उपर्युक्त कदम उठाकर नेपाल को संविधान संशोधन हेतु बाध्य किया जा सकता है। संभवतः इन कदमों ने वहां भारत की स्थिति को विपरीत रूप से प्रभावित किया।
  - वर्ष 2015 में भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा माले यात्रा को रद्द करना तथा मालदीव में आपातकाल की आलोचना भी मालदीव सरकार में भारत की इच्छानुरूप परिवर्तन करने में असफल सिद्ध हुई। इसका विपरीत प्रभाव पड़ा तथा मालदीव ने भारतीय नौसेना के "मिलन" अभ्यास में भाग लेने से इंकार कर दिया।
- **राजनीतिक विवाद:** विभिन्न कारणों से सार्क के सदस्यों के साथ भारत के सम्बन्ध आदर्श नहीं है या राजनीतिक रूप से विपरीत परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं।
  - मालदीव के राष्ट्रपति यामीन अब्दुल गयूम ने विपक्ष के विरुद्ध दमनात्मक कार्रवाई कर, चीन को आमंत्रित करके तथा पाकिस्तान को सार्क से पृथक करने के भारत के प्रयासों में भारत का साथ नहीं देकर भारत को चुनौती दी है।
  - नेपाल में के.पी.शर्मा ओली सरकार भारत की प्रथम पंसद नहीं है; तथा दोनों देशों की नेपाली संविधान, 1950 की शांति एवं मित्रता संधि इत्यादि पर असहमति है।
  - श्रीलंका और अफगानिस्तान से भारत के संबंध विगत कुछ वर्षों से तुलनात्मक रूप से बेहतर हैं परन्तु इन देशों में होने वाले आगामी चुनाव भारत के समक्ष चुनौती प्रस्तुत कर सकते हैं।

संबंधित जानकारी

दीर्घकालिक संघर्ष

इससे आशय दो या दो से अधिक देशों के मध्य गंभीर विवाद या सैन्य संकट और युद्ध विराम की दीर्घावधि से है। इस प्रकार, भारत-पाकिस्तान और भारत-चीन दीर्घकालिक संघर्ष के मामलें हैं। भारत के दीर्घकालिक संघर्ष को पांच व्याख्यात्मक धारणाओं के माध्यम से समझा गया है:

- संप्रभुता,
- गठबंधन,
- शक्ति असंतुलन,
- राजनीतिक मूल्य तथा
- घरेलू नीतियाँ।

जिनमें से संप्रभुता की धारणा संभवतः सर्वाधिक महत्वपूर्ण है।

VISION IAS

संबंधित सुझाव

इन उल्लिखित कारकों में से कई कारकों को पूर्णतः परिवर्तित करना अत्यंत कठिन है, परन्तु दक्षिण एशिया में भूगोल के मौलिक तथ्यों और साझी संस्कृति को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। अत: भारत को नेबरहुड फर्स्ट को पुनः मज़बूत बनाने हेतु अपने प्रयासों पर अवश्य ध्यान केन्द्रित करना चाहिए।

- **सॉफ्ट पॉवर:** हार्ड पॉवर और व्यावहारिक राजनीति के प्रत्यक्ष लाभों के बावजूद भारत का अत्यंत प्रबल साधन उसकी सॉफ्ट पॉवर है। उदाहरणार्थ भारत को भूटान और अफगानिस्तान में इसके द्वारा प्रदत्त रक्षा सहायता की तुलना में मुख्य रूप से विकास सहायता के कारण सफलता प्राप्त हुई है। इसे देखते हुए दो वर्षों की गिरावट के पश्चात् 2018 में भारत द्वारा दक्षिण एशिया हेतु किये गए आवंटन में 6% की वृद्धि की गयी है।
- **चीन के प्रति दृष्टिकोण में परिवर्तन:** क्षेत्र में चीन की प्रत्येक परियोजना का विरोध करने के स्थान पर भारत को त्रिआयामी दृष्टिकोण को अपनाना होगा:
  - पहला, जहाँ तक संभव हो भारत को चीन के साथ बांग्लादेश-चीन-भारत-म्यांमार (BCIM) आर्थिक गलियारे पर सहयोग करना चाहिए।
  - दूसरा, जब भारत को यह अनुभव हो कि कोई परियोजना उसके हितों के प्रतिकूल है तो भारत को परियोजना का विकल्प प्रस्तुत करना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो उसे अपने चतुर्भुजीय भागीदारों (जापान, अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया) के सहयोग से ऐसा करना चाहिए।
  - तीसरा, भारत को उन परियोजनाओं के सन्दर्भ में तटस्थ रहना चाहिए जिनमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। साथ ही साथ उसे सतत विकास सहायता हेतु ऐसे दक्षिण एशियाई सिद्धांतों का विकास करते रहना चाहिए जिनका सम्पूर्ण क्षेत्र में उपयोग किया जा सके।
- **आसियान देशों से सीख:** आसियान (ASEAN) की भांति सार्क देशों को भी प्राय: अनौपचारिक रूप से बैठक करनी चाहिए, एक दूसरे की सरकार के आंतरिक कार्यों में नाममात्र का हस्तक्षेप करना चाहिए तथा सरकार के प्रत्येक स्तर पर अधिक अन्तः क्रिया करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त कुछ विशेषज्ञ यह तर्क देते हैं कि इंडोनेशिया की भांति भारत को भी सार्क प्रक्रिया को अधिक सामंजस्यपूर्ण बनाने हेतु निर्णय निर्माण में गौण भूमिका निभानी चाहिए।
- **'नेबरहुड फर्स्ट की सीमाओं को समझना:** वैश्विक शासन में अपनी अधिकारपूर्ण प्रतिष्ठा प्राप्त करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय और राजनीतिक संगठनों में सुधार के प्रयास करने के अतिरिक्त भारत को निवेश, प्रौद्योगिकी तक पहुँच, अपनी रक्षा एवं ऊर्जा आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वार्ताओं में अपने हितों की सुरक्षा करने की आवश्यकता है। ज्ञातव्य है कि इन आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति उसके पड़ोसी देशों द्वारा नहीं हो सकती है।

हाल ही में आरंभ कुछ पहलें

विदेश आया प्रदेश के द्वार

- यह हाल ही में विदेश मंत्रालय द्वारा हैदराबाद से प्रारम्भ की गयी एक पहल है।
- यह जन सामान्य तक विदेश नीति के उद्देश्यों को ले जाने हेतु **वर्धित सार्वजनिक कूटनीतिक पहुँच** का एक भाग है।
- मंत्रालय, विदेश नीति की प्राथमिकताओं को **साधारण शब्दों में** व्यक्त करने हेतु **स्थानीय मीडिया के साथ प्रत्यक्ष अंत:क्रिया** करेगा। इसके साथ ही राजनयिक प्रयासों के माध्यम से जन सामान्य को प्राप्त लाभों को स्पष्ट करेगा तथा विदेश नीति के क्षेत्र को जन सामान्य के समीप लाएगा।
- इस पहल का उद्देश्य **विदेश नीति में रुचि रखने वाले मीडिया पेशेवरों का एक पूल बनाना** और विदेश मंत्रालय से जुड़ने हेतु उनका मार्गदर्शन करना है।

ई-विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय योजना (E-Foreigners Regional Office Scheme: E-FRRO)

हाल ही में गृह मंत्रालय ने देश में E-FRRO योजना प्रारम्भ की।

- यह एक वेब-आधारित एप्लीकेशन है। इसका निर्माण **इंडियन ब्यूरो ऑफ़ इमीग्रेशन** द्वारा किया गया है। इसका उद्देश्य **भारत यात्रा पर आए विदेशियों को त्वरित और पर्याप्त सेवाएं प्रदान करना है।**
- नए सिस्टम पर E-FRRO का प्रयोग करते हुए विदेशी नागरिक वीज़ा तथा प्रवास संबंधी 27 सेवाएं प्राप्त कर सकेंगे तथा अपवादात्मक मामलों को छोड़कर शारीरिक रूप से उपस्थित हुए बिना सेवाओं को ई-मेल या डाक के माध्यम से प्राप्त कर सकेंगे।

स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम

इसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया है। इसका प्राथमिक उद्देश्य भारत की एक आकर्षक शिक्षण स्थल के रूप में ब्रांडिंग कर विदेशी छात्रों को लक्षित करना है।

VISION IAS

कार्यक्रम संबंधी विवरण

- प्रतिभाशाली विदेशी छात्रों को शुल्क में छूट प्रदान की जाएगी।
- संस्थाओं द्वारा पात्र छात्रों का उनकी मेरिट के आधार पर चयन किया जाएगा। उदाहरणार्थ शीर्ष 25% छात्र ट्यूशन फीस में 100% छूट प्राप्त करेंगे।
- शुल्क पर व्यय **संबंधित संस्थान द्वारा वहन किया जाएगा,** जो क्रॉस-सब्सिडी पर आधारित होगा या उसके मौजूदा निधियन द्वारा किया जाएगा।

समान उद्देश्य हेतु सरकार द्वारा कोई अतिरिक्त नकद प्रवाह प्रस्तावित नहीं किया गया है।

1.2. भारत के पड़ोसी देशों के साथ नदी जल संबंध

(India's Water Relations with Neighbours)

- भारत, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश जैसे देशों के साथ कई सीमापारीय नदियों को साझा करता है। भारत ने अपने संबंधित पड़ोसी देशों के साथ सफलतापूर्वक द्विपक्षीय नदी जल-साझाकरण संधियाँ प्रतिपादित की है किन्तु विभिन्न कारणों से अभी भी विवादों का समाधान नहीं हुआ है।
- इन संधियों में मुख्यतः गंगा (बांग्लादेश-भारत), सिंधु (भारत-पाकिस्तान), और गंडक, महाकाली (भारत-नेपाल) नदियों के संधि आधारित साझाकरण प्रबंधन सम्मिलित हैं। गंडक और महाकाली बेसिन के प्रबंधन में साझा नदी के जल को विभाजित करने के लिए कोई फार्मूला तय नहीं किया गया है बल्कि यह जल की विशेष मात्रा की निकासी, स्थानान्तरण या उपयोग के अधिकारों पर केंद्रित है।

साउथ-नॉर्थ वाटर ट्रांसफर प्रोजेक्ट

साउथ-नॉर्थ वाटर ट्रांसफर प्रोजेक्ट तिब्बती जल को स्थानांतरित करने की चीन की एक परियोजना है।

- इस परियोजना के प्रथम चरण के तहत तिब्बती पठार के पूर्वी छोर पर जिन्शा, यालॉन्ग और दादू नदियों से जल निकासी हेतु 300 किलोमीटर लम्बी सुरंगों और चैनलों के निर्माण की योजना है।
- द्वितीय चरण में, ब्रह्मपुत्र नदी के जल की दिशा को पुनः उत्तर की ओर परिवर्तित किया जा सकता है, जो कि निचले अपवाह क्षेत्रों में भारत और बांग्लादेश के लिए जल युद्ध की घोषणा के समान होगा।
- बीजिंग ने उस स्थान (मोड़) को चिन्हित किया है जहां ब्रह्मपुत्र भारत में प्रवेश करने से पूर्व विश्व के सबसे लंबे और गहरे कैनियन का निर्माण करती है, जो कि जल और ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु सबसे बड़ा अप्रयुक्त भंडार है।

इस क्षेत्र में भारत के लिए महत्वपूर्ण कुछ नदी जल प्रबंधन व्यवस्थाओं की स्थिति इस प्रकार हैं-

ब्रह्मपुत्र नदी और भारत-चीन-बांग्लादेश संबंध

ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत से होता है। इसका अधिकांश भाग चीन (ऊपरी अपवाह) द्वारा नियंत्रित होता है तत्पश्चात यह भारत (मध्य अपवाह) और बांग्लादेश (निचले अपवाह) से अपवाहित होते हुए हिन्द महासागर में गिरती है। सभी तीनों देशों की जल सुरक्षा के लिए यह नदी अत्यधिक महत्वपूर्ण है, किन्तु उनमें से प्रत्येक के लिए इसके निहितार्थ भिन्न हैं।

- **चीन के लिए:**
  - ब्रह्मपुत्र, चीन के लिए जलविद्युत विकास योजनाओं और घरेलू जल की कमी का समाधान करने हेतु महत्वपूर्ण है। चीन द्वारा अपनी दक्षिण-उत्तर जल परिवहन परियोजना के माध्यम से ब्रह्मपुत्र पर बांध बनाने और नदी जल की दिशा परिवर्तित करने की योजना बनाई गयी है।
  - भारत-चीन के मध्य संचार और सामरिक विश्वास को सुदृढ़ता प्रदान करने हेतु कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जाने के बावजूद यह दोनों पड़ोसी देशों के मध्य तनाव का स्रोत है।
  - इसके अतिरिक्त चीन, भारत और बांग्लादेश के साथ विस्तृत-बेसिन सहयोग में शामिल होने के लिए अनिच्छुक है, परन्तु सम्भवतः सूचना साझा करने और तकनीकी चुनौतियों के आधार पर बहुपक्षीय सहयोग हेतु तैयार है।
- **भारत के लिए**
  - ब्रह्मपुत्र, भारत में केवल तीन प्रतिशत क्षेत्र से होकर ही अपवाहित होती है लेकिन इसका जल पूर्वोत्तर में निवास करने वाली आबादी के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है।
  - मध्यवर्ती अपवाह के रूप में भारत की नीतियां चीन और बांग्लादेश की तुलना में भिन्न हैं। ये नीतियां चीन की बांध बनाने और संभवतः नदी के मार्ग को परिवर्तित करने की योजना, भारत द्वारा अपने नदी संबंधी अधिकारों की प्राप्ति की इच्छा तथा विद्युत् उत्पादन और बांध बनाकर पूर्वोत्तर राज्यों में बाढ़ एवं मृदा के कटाव को नियंत्रित करने की इसकी आवश्यकता पर निर्भर करती हैं।

- भारत द्वारा अपने क्षेत्र में, शुष्क ऋतु के दौरान ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी तीस्ता के अपवाह का उपयोग करने के उद्देश्य से इस पर बांध बनाए गए हैं। यह बांग्लादेश की सिंचाई संबंधी आवश्यकताओं हेतु आवश्यक जल आपूर्ति को बाधित कर सकते हैं। ध्यातव्य है कि बांग्लादेश, बंगाल की खाड़ी में गिरने से पूर्व ब्रह्मपुत्र नदी का अंतिम पड़ाव है।
- भारत की बांग्लादेश के साथ ब्रह्मपुत्र से संबंधित चिंताएं उसके अन्य देशों के साथ व्यापक संबंधों का ही भाग हैं जिन्हें **संयुक्त नदी आयोगों (JRC)** तथा तीस्ता एवं गंगा नदी पर विशिष्ट समझौतों के माध्यम से संचालित किये जा रहे हैं।

- **बांग्लादेश के लिए**
  - ब्रह्मपुत्र और इसकी सहायक नदियों के ऊपरी अपवाह पर स्थित पड़ोसी देशों द्वारा की जाने वाली कार्यवाहियों से अधिकतम संभावित खतरे का सामना बांग्लादेश को करना पड़ता है क्योंकि इसकी आबादी देश की सीमा के बाहर से उद्गमित नदियों के जल पर अत्यधिक निर्भर है।
  - बांग्लादेश चीन की बांध-निर्माण योजनाओं और पारदर्शिता की कमी की तुलना में भारत की नदियों से संबंधित विभिन्न गतिविधियों को अधिक सतर्कतापूर्वक देखता है। इन गतिविधियों में मुख्यतः नदी जोड़ो परियोजना, असफल तीस्ता समझौता, वर्तमान नदी-जल मार्ग परिवर्तन योजना, गंगा नदी के संसाधनों का उपभोग आदि शामिल हैं। इन गतिविधियों के कारण शुष्क मौसम में अपवाह में कमी एवं लवणता में वृद्धि की समस्याएं उत्पन्न होती हैं।
  - इस नदी से संबंधित तीनों देशों में से बांग्लादेश ब्रह्मपुत्र बेसिन के विकास और प्रबंधन हेतु बहुपक्षीय सहयोग का सर्वाधिक सुदृढ़ता से समर्थन करता है।
  - हाल ही में, भारत और बांग्लादेश के संबंधों में सुधार हुआ है। इस मैत्रीपूर्ण स्थिति में तीस्ता नदी समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने की आशा व्यक्त की जा रही है। इसके माध्यम से दोनों देशों के मध्य अन्य सकारात्मक वार्ताओं हेतु उपयुक्त परिवेश के निर्माण की भी आशा है।
  - हाल ही में, संयुक्त नदी आयोग (JRC) द्वारा दोनों देशों को मिलकर कार्य करने और प्रबन्धन करने में सक्षम बनाने की योजना के निर्माण के साथ ही भारत और बांग्लादेश के मध्य 10 अन्य सीमापारीय नदियों की औपचारिक पहचान की गयी है।

भारत-बांग्लादेश जल सहयोग

- भारत और बांग्लादेश के मध्य 54 नदियां साझा होती हैं लेकिन दोनों देशों द्वारा केवल एक द्विपक्षीय नदी जल साझाकरण संधि (गंगा नदी के लिए) संपन्न की गयी है।
- गंगा नदी के जल के साझाकरण हेतु 1996 में संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसके तहत पारस्परिक सहमति से तीस वर्ष की अवधि के पश्चात संधि का पुनः नवीकरण करने का प्रावधान शामिल किया गया था। संधि के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक संयुक्त समिति की स्थापना की गई है।
- किन्तु बांग्लादेश का आरोप है कि फरक्का बैराज (भारत) के बनने के बाद हार्डिंग ब्रिज (बांग्लादेश) में शुष्क मौसम के समय जल प्रवाह में उल्लेखनीय गिरावट हो जाती है जिससे बांग्लादेश के कृषि और संबद्ध क्षेत्रों पर गंभीर प्रभाव पड़ता है।
- दोनों देशों के मध्य नदी जल विभाजन संबंधी चुनौतियों के समाधान हेतु 1972 से ही एक **भारत-बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग (JRC)** कार्यरत है। इसकी स्थापना साझी नदी प्रणालियों से अधिकतम लाभ प्राप्त करने हेतु प्रभावी संयुक्त प्रयास सुनिश्चित करने के लिए संपर्क बनाए रखने के उद्देश्य से की गयी थी।
- JRC की अध्यक्षता दोनों देशों के जल संसाधन मंत्रियों द्वारा की जाती है।
- छह अन्य नदियों अर्थात् मानू, मुहरी, कोवई, गुमती, जलढ़ाका और तोरसा के अतिरिक्त तीस्ता और फेनी नदियों के जल के बंटवारे को लेकर बांग्लादेश के साथ चर्चा चल रही है।
- मानसून के मौसम के दौरान भारत से बांग्लादेश की ओर गंगा, तीस्ता, ब्रह्मपुत्र और बराक जैसी प्रमुख नदियों के संबंध में बाढ़ पूर्वानुमान आंकड़ों के प्रेषण हेतु एक प्रणाली की स्थापना भी की गयी है।

भारत और नेपाल जल संबंध

- भारत और नेपाल के मध्य कोसी समझौते पर 1954 में हस्ताक्षर किए गए थे, लेकिन बाद में दोनों सरकारों के मध्य वार्ता रोक दी गई और जल अधिकार संबंधी मुद्दों का उचित रूप से समाधान नहीं किया गया। 2008 और 2014 में बिहार में आयी भीषण बाढ़ का प्रमुख कारण कोसी नदी ही थी।

नेपाल भारत मैत्री परियोजना

- भारत ने हाल ही में नेपाल को 9.9 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की है।
- यह अनुदान 2017 में प्रारंभ नेपाल-भारत मैत्री सिंचाई परियोजना का एक भाग है।

VISION IAS

- मैत्री परियोजना का लक्ष्य देश के दक्षिणी तराई क्षेत्र के 12 जिलों में 2,700 कम गहराई वाली ट्यूबवेल सिंचाई प्रणालियों का निर्माण करना है।
- यह परियोजना लगभग 8,115 हेक्टेयर कृषि भूमि के लिए सभी मौसमों में सिंचाई की सुविधा को सुनिश्चित करेगी तथा गेहूं, चावल, मौसमी फलों, सब्जियों और अन्य फसलों की उत्पादकता बढ़ाने एवं परिवारों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान में सहायता करेगी।

- भारत और नेपाल ने 1996 में, महाकाली संधि पर भी हस्ताक्षर किए। पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना का कार्यान्वयन **महाकाली संधि** का केंद्र बिंदु है। परियोजना स्थल का पर्यवेक्षण (field investigations) पूर्ण कर लिया गया है लेकिन पंचेश्वर परियोजना के परस्पर स्वीकार्य DPR को अभी तक अंतिम रूप दिया जाना शेष है। वर्तमान में इसके लिए पर्यावरणीय मंजूरी प्रगति पर है।
- इसकी संरचना की निगरानी से संबंधित संधि के संदिग्ध प्रावधानों के कारण पंचेश्वर बांध परियोजना को अभी तक कार्यान्वित नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, नेपाल में इस बांध के निर्माण के संबंध में व्यापक जन असंतोष व्याप्त है।
- **सप्त-कोसी उच्च बांध परियोजना और *सन कोसी स्टोरेज कम डाइवर्जन स्कीम*, कमला और बागमती बहुउद्देशीय परियोजनाएं और करनाली बहुउद्देशीय परियोजना** आदि दोनों देशों के मध्य विचार-विमर्श के विभिन्न चरणों में हैं।

भारत भूटान संबंध

- दोनों देशों द्वारा "कोम्प्रीहेंसिव स्कीम फॉर इस्टैब्लिशमेंट ऑफ़ हाइड्रो मीटिअरोलॉजिकल एंड फ्लड फोरकास्टिंग नेटवर्क ऑन रिवर्स कॉमन टू इंडिया एंड भूटान" (Comprehensive Scheme for Establishment of Hydro-meteorological and Flood Forecasting Network on rivers Common to India and Bhutan) योजना को संचालित किया जा रहा है। इस नेटवर्क के अंतर्गत भूटान में अवस्थित 32 हाइड्रो मीटिअरोलॉजिकल स्टेशन शामिल हैं तथा भारत से प्राप्त वित्तीय सहायता के माध्यम से भूटान की शाही सरकार द्वारा इनका रख-रखाव किया जा रहा है। इन स्टेशनों से प्राप्त आंकड़ों का भारत में बाढ़ के पूर्वानुमान हेतु उपयोग किया जाता है।
- भारत और भूटान के मध्य **बाढ़ प्रबंधन पर विशेषज्ञों का एक संयुक्त समूह (Joint Group of Experts: JGE)** गठित किया गया है। इसका उद्देश्य भूटान के दक्षिणी तलहटी वाले क्षेत्रों और इससे संलग्न भारत के मैदानी क्षेत्रों में बाढ़ की पुनरावृति और अपरदन के संभावित कारणों एवं प्रभावों के संबंध में विमर्श एवं आंकलन करना है। यह दोनों सरकारों को उचित और परस्पर स्वीकार्य उपचारात्मक उपायों की अनुशंसा करता है।

भारत पाकिस्तान संबंध

- भारत और पाकिस्तान के मध्य पश्चिमी नदियों (सिंधु, झेलम और चेनाब) पर जलविद्युत परियोजनाओं के निर्माण से संबंधित कई विवाद के मुद्दे विद्यमान हैं। इन नदियों के जल के उपयोग संबंधी अधिकार 1960 में, सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर करने के पश्चात पाकिस्तान को सौंप दिए गए।
- यद्यपि यह संधि भारत को सीमापारीय प्रवाह को वास्तविक रूप से परिवर्तित करने से प्रतिबंधित करती है तथापि यह पाकिस्तान के प्रयोग हेतु निर्धारित नदियों पर भारतीय सीमा में मध्यम आकार की रन-ऑफ़-रीवर परियोजनाओं के संचालन की अनुमति प्रदान करती है। इसके बावजूद, भारत द्वारा इस प्रकार के जलविद्युत संयंत्रों के निर्माण के विलंबित प्रयासों के कारण पाकिस्तान में जलीय राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई है।
- दोनों देशों के बीच के बगलिहार बांध विवाद को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ़ आर्बिट्रेशन तक ले जाया गया। इसके अतिरिक्त किशनगंगा, रातले परियोजना आदि दोनों देशों के मध्य विवाद के अन्य प्रमुख मुद्दे हैं।

जल से संबंधित प्रमुख मुद्दे

- **पुरानी संधि:** भारत और अन्य देशों के मध्य लगभग सभी द्विपक्षीय जल संधियाँ 1960 और 70 के दशक में हस्ताक्षरित की गयी हैं। इनमें जलवायु परिवर्तन के प्रभाव में जल अभाव की चुनौतियों के सामने आने और वर्षा प्रतिरूप में अत्यधिक भिन्नता के कारण जल सम्बन्धी दबाव में वृद्धि की अपेक्षा नहीं की गयी थी।
- **क्षेत्रीय भू-राजनीति**: दक्षिण एशियाई सीमापारीय मुद्दों को क्षेत्रीय भू-राजनीति से अविभक्त रूप से जुड़े हुए हैं क्योंकि सभी मुख्य अंतर-देशीय नदी प्रणाली हिमालय की परिधि में ही स्थित हैं। साथ ही यह उन देशों को सम्मिलित करती हैं जो आकार एवं शक्ति में असमान हैं और पिछले छह दशकों से विभिन्न मुद्दों पर परस्पर संघर्षरत हैं।
- **भारत के घरेलू जल विवाद**: 2016 में दिल्ली में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय नदी संगोष्ठी के दौरान कई जल विशेषज्ञों द्वारा न्यायसंगत नदी जल साझाकरण प्रबंधन पर चर्चा की प्रभावशीलता पर चिंता व्यक्त की गयी। साथ ही उन्होंने इस मुद्दे को भी उठाया कि केंद्र के प्रयासों के बावजूद भारत का संघीय ढांचा तीस्ता समझौते सहित महत्वपूर्ण द्विपक्षीय संधियों को अवरोधित कर रहा है।

VISION IAS

- **बहुपक्षीय नदी जल साझाकरण प्रबंधन का अभाव**: बांध निर्माण और नदी मार्ग में परिवर्तन संबंधी गतिविधियों के कारण उत्पन्न क्षेत्रीय सुरक्षा से संबंधित चिंताओं के बावजूद, कुछ अपवादों को छोड़कर दक्षिण एशियाई क्षेत्र में कोई द्विपक्षीय या बहुपक्षीय जल प्रबंधन समझौता विद्यमान नहीं है।
- **पारस्परिक अविश्वास**: भारत-पाकिस्तान और भारत-चीन के मध्य विद्यमान सीमा विवाद और इनके मध्य हुए युद्धों के कारण परस्पर अविश्वास और संदेह की परम्परा विकसित हो गयी है।
- **उभरती चुनौतियां:** दक्षिण एशियाई क्षेत्र में जल के अभाव और कृषि संबंधी कठिनाइयां विद्यमान हैं। इसके अतिरिक्त भविष्य में इस क्षेत्र को तीव्र औद्योगीकरण के कारण ऊर्जा एवं जल की मांगों में वृद्धि से सम्बंधित चुनौतियों का भी सामना करना होगा। भूजल का अत्यधिक दोहन, लवणता और आर्सेनिक प्रदूषण आदि सिंधु-गंगा के मैदान में 60 प्रतिशत भूजल को प्रभावित करता है।
- **जलवायु परिवर्तन**: जलवायु परिवर्तन के कारण विभिन्न सीमापारीय नदी बेसिनों की जल की मात्रा में कमी होने और जल के अपवाह प्रतिरूप के परिवर्तित होने की संभावना है।
- **सूचना साझाकरण का अभाव** : एशिया फाउंडेशन की रिपोर्ट, **स्ट्रेंथनिंग ट्रांसपरेंसी एंड ऐक्सेस टू इन्फॉर्मेशन ऑन ट्रांसबाउण्ड्री रिवर्स'** के तहत वर्णित किया गया है:
  - दक्षिण एशिया में सीमापारीय जल प्रबंधन और सहयोग का अत्यधिक राष्ट्रवादी, तकनीकी और उत्साहपूर्ण ढंग से प्रतिभूतिकरण किया जाता है जिसमें जल सम्बन्धी आंकड़ों और सूचनाओं को सरकारी विभागों द्वारा एकत्रित किया जाता है और खंडित तरीके से रखा जाता है। यहाँ सूचनाओं को 'नदी बेसिन' स्तर पर व्यवस्थित रूप से एकत्र नहीं किया जाता है ।
  - इसके अतिरिक्त, जिन देशों के साथ बेहतर संबंध हैं उनके साथ जल संबंधी सूचनाएं अनौपचारिक रूप से साझा की जाती हैं ।
- **अन्य मुद्दे:** नदी जल-साझाकरण विवाद, भोजन, जल और ऊर्जा के मध्य जटिल संबंध के कारण उत्पन्न होते हैं तथा वर्तमान समय में 'जल' राष्ट्रीय सुरक्षा, राजनीतिकरण, अक्षमता और अविकसित जल प्रशासन संस्थानों का विषय बन गया है।

सुझाव

वर्तमान में जल को भारत में और भारत के बाहर एक 'जीरो-सम रिसोर्स' (zero-sum resource) के रूप में देखा जाता है। जब तक जल का बंटवारा पारस्परिक साझाकरण, पारदर्शिता और प्रभावी शासन के माध्यम से नहीं किया जाएगा, नदी जल साझाकरण विवाद के समाधान के सन्दर्भ में घरेलू और सीमापारीय स्तर पर कोई विशेष प्रगति नहीं की जा सकती।

- **घरेलू स्तर पर:**
  - उपर्युक्त विशिष्ट मुद्दों का समाधान करने की आवश्यकता है। स्थायी विवाद प्राधिकरण की स्थापना कुछ हद तक इन मुद्दों का समाधान कर सकती है।
  - चूंकि अंतर-राज्यीय विवाद मुख्य रूप से अंतरराज्यीय नदियों पर बांध निर्माण के कारण उत्पन्न होते हैं, अतः जहाँ तक संभव हो उचित नियंत्रण और संतुलन के माध्यम से इन मुद्दों की समीक्षा एवं समाधान किये जाने की आवश्यकता है।
- **सीमापारीय स्तर पर:**
  - डेटा और सूचना के स्पष्ट विनिमय के लिए तंत्र और प्रक्रियाओं के साथ एक **क्षेत्रीय जल प्रशासन संस्थान** का निर्माण किया जाना चाहिए। इस संबंध में एक क्षेत्रीय सीमापारीय नदी जल साझाकरण नीति का प्रारूप तैयार किया जाना चाहिए और इसे कार्यान्वित किया जाना चाहिए।
  - भारत में जल राज्य सूची का विषय है तथापि सीमापारीय नदी जल साझाकरण के मामले में राज्यों को केवल सीमित शक्तियां दी जानी चाहिए। इससे अन्य राष्ट्रीय सरकारें केंद्र सरकार के साथ वार्ता करने के लिए प्रेरित होंगी।
  - जल संरक्षण और जल से संबंधित डेटा तक सार्वजनिक और संस्थागत पहुंच बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए।
  - अंत में, सीमापारीय समझौतों के सफल कार्यान्वयन के लिए - प्रत्येक देश की नीतियों, कानूनों, संसाधनों और प्रबंधन प्रचलनों को एक-दूसरे के साथ सुसंगत बनाया जाना चाहिए तथा आंतरिक जल प्रबंधन के स्थायीकरण हेतु प्रयास किए जाने चाहिए। इसके अतिरिक्त, सीमापारीय नदी जल प्रबंधन को बिल्डिंग ब्लॉक अप्रोच (building block approach) के माध्यम से बढ़ाया जाना चाहिए।
- विद्युत् और स्थिर जल स्तर की बढ़ती आवश्यकता के तहत भविष्य में **द्विपक्षीय नदी जल-साझाकरण संधि पर पुनर्विचार** होना चाहिए।
- पड़ोसी देशों को भारत के साथ **सहयोग के संभावित क्षेत्र के रूप में जल विद्युत** पर विचार करने और जलविद्युत डेटा साझा करने की उचित विधियों का पता लगाने हेतु कार्य करना चाहिए। साथ ही इन्हें भारत के साथ विभिन्न नदियों पर मानवीय और पारिस्थितिकीय सहयोग का विस्तार करने की आवश्यकता है।
- BCIM जैसे व्यापक बेसिन तंत्र आधारित समूहों का निर्माण (चीन, बांग्लादेश, भारत और म्यांमार के बीच संबंध) क्षेत्र की सामान्य विरासत के भाग के रूप में हिमालयी हिमनदों के संरक्षण और निगरानी से संबंधित अनुसंधान और कार्यवाही करने में सहायक हो सकता है। ताजा जल एक बहुमूल्य संसाधन और एक सामरिक संपत्ति है और भूराजनीति में इसके महत्व को कम नहीं आंका जा सकता है।

VISION IAS

नोट 1: सिंधु जल संधि के विस्तृत विवरण हेतु कृपया भारत पाकिस्तान द्विपक्षीय संबंधों का संदर्भ लें।

नोट 2: भारत-चीन नदी जल संबंधो के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए कृपया भारत चीन द्विपक्षीय संबंध खंड देखें।

1.3 चीन(China)

1.3.1. भारत-चीन संबंध

(India China Relations)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में भारत और चीन के नेताओं द्वारा चीन के वुहान शहर में एक अनौपचारिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया।

भारत और चीन के मध्य विद्यमान मुद्दे

बैठक दोनों देशों के मध्य वर्तमान मुद्दों और कई पारंपरिक समस्याओं की पृष्ठभूमि में हुई थी। दोनों देशों के मध्य विद्यमान मुद्दे निम्नलिखित हैं:

- **सीमा विवाद:** भारत और चीन के मध्य लगभग 3,488 किलोमीटर लंबी सीमा है। इस सीमा के अभी तक स्पष्ट रूप से निर्धारित न होने के कारण दोनों देशों को सीमा पार घुसपैठ/अतिक्रमण जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दोनों देशों के मध्य अरुणाचल प्रदेश जैसे कई विवादित क्षेत्र हैं।
  - **अरुणाचल प्रदेश और स्टेपल वीज़ा:** चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश के निवासियों को स्टेपल वीज़ा जारी किया जाता है। इसके अतिरिक्त चीन ने अरुणाचल प्रदेश में छह स्थानों के लिए "मानकीकृत" आधिकारिक नामों की भी घोषणा की है क्योंकि चीन अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत का एक भाग मानता है।
- **दलाई लामा और तिब्बत:** दलाई लामा ने अपने निर्वासन के दौरान एक तिब्बती सरकार का गठन किया था जो वर्तमान में भी बिना किसी वास्तविक अधिकार के जनता के लिए कार्यरत है। हाल ही में भारत ने चीन की चिंताओं पर विचार करते हुए "थैंक यू इंडिया" कार्यक्रमों का आयोजन स्थल भी परिवर्तित कर दिया है।
- **आतंकवाद:** भारत, पाकिस्तान को आतंकवाद का सबसे बड़ा स्रोत मानता है जबकि चीन ने संयुक्त राष्ट्र में जैश-ए-मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर पर प्रतिबंध लगाने के लिए भारत द्वारा किये गए प्रयासों को बाधित किया है।
- **चीन की पहलें**: चीन द्वारा प्रारम्भ की गयी विभिन्न पहलों पर भारत द्वारा संदेह व्यक्त किया गया है-
  - **बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव:** भारत द्वारा 2017 में बीजिंग में आयोजित बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) शिखर सम्मेलन का बहिष्कार किया गया जबकि इसमें जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे चीन के प्रतिद्वंदी देशों ने भी भाग लिया था।
  - **स्ट्रिंग ऑफ़ पर्ल्स:** यह कोकोस द्वीप (म्यांमार), चटगांव (बांग्लादेश), हंबनटोटा (श्रीलंका), मारो एटॉल (मालदीव) और ग्वादर (पाकिस्तान) जैसे भारत की समुद्री पहुंच के निकट स्थित बंदरगाहों और नौसैनिक अड्डों के निर्माण के माध्यम से भारत को घेरने की नीति है। दूसरी ओर भारत जापान, दक्षिण कोरिया और वियतनाम के साथ ही नहीं बल्कि चीन के निकटवर्ती अन्य मध्य-एशियाई पड़ोसी देशों के साथ भी घनिष्ठ संबंध विकसित करने का प्रयत्न कर रहा है।
  - **चीन-पाकिस्तान-इकोनॉमिक-कॉरिडोर (CPEC):** भारत CPEC परियोजना को भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता में चीन के हस्तक्षेप के रूप में देखता है। इस आपत्ति के बावजूद चीन निरंतर इस परियोजना की दिशा में आगे बढ़ रहा है।
- **क्वाड्रीलैटरल डायलॉग:** भारत ने नए सिरे से आरम्भ क्वाड्रीलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग (Quad) [संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य रणनीतिक वार्ता जिसमे नौसेना भी एक घटक है] में शामिल होने का निर्णय लिया है। चीन इसे स्वयं के विरुद्ध लोकतांत्रिक देशों के एक भावी गठबंधन के रूप में देखता है जिसका उद्देश्य चीन की बढती शक्ति को रोकना तथा हिन्द-प्रशांत में चीन के उदय को नियंत्रित करना है।
- **नदी जल विवाद:** चीन द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी (तिब्बत में सांगपो) के ऊपरी क्षेत्रों में बांधों (जिक्सू, झांगमू और जियाचा) का निर्माण किया जा रहा है। हालांकि भारत ने इस संबंध में आपत्ति दर्ज की है परन्तु ब्रह्मपुत्र के जल बँटवारे को लेकर कोई औपचारिक संधि नहीं हुई है (जैसा कि आगे के खंड में चर्चा की गई है)।
- **परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (Nuclear Suppliers Group:NSG):** चीन द्वारा पाकिस्तान के दावे को भी मज़बूत करने के लिए NSG में प्रवेश करने के भारत के प्रयास को अवरुद्ध किया जा रहा है।
- **भूटान और नेपाल:** चीन द्वारा भूटान और नेपाल के साथ भारत के संबंधों एवं इन देशों में भारत की भूमिका की आलोचना की जाती रही है जबकि भारत के नेपाल और भूटान दोनों देशों के साथ सांस्कृतिक और व्यापारिक आदान-प्रदान लम्बे समय से जारी हैं। इसके अतिरिक्त भूटान ने अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए भारत के साथ सुरक्षा प्रबंध भी कर रखे हैं। वर्ष 2016 में डोकलाम में भारत द्वारा किये गए प्रतिरोध ने दोनों देशों को युद्ध के कगार पर खड़ा कर दिया था।

VISION IAS

- **व्यापार असंतुलन:** दोनों देशों के मध्य व्यापार असंतुलन चीन के पक्ष में है। 2017 में द्विपक्षीय व्यापार $ 84.44 बिलियन तक पहुंच चुका है परन्तु अभी भी व्यापार घाटा 51.75 अरब डॉलर के उच्चतम स्तर पर बना हुआ है। 2017 में इसमें वर्ष वार 8.55 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

वुहान अनौपचारिक शिखर सम्मेलन के मुख्य परिणाम

- **सीमा विवाद-** द्विपक्षीय मोर्चे पर दोनों पक्षों द्वारा सीमा संबंधी मामलों के प्रबंधन में संचार को सुदृढ़ करने और पूर्वानुमान संबंधी प्रभावशीलता बढ़ाने हेतु अपनी सेनाओं को सामरिक निर्देश जारी करने का निर्णय लिया गया।
- **व्यापार घाटा-** दोनों देशों ने लगभग 52 बिलियन डॉलर (लगभग $ 84 बिलियन द्विपक्षीय व्यापार) के बढ़े हुए व्यापार घाटे को संतुलित करने के उपायों पर भी चर्चा की। इस घाटे को प्रतिसंतुलित करने के लिए भारत से चीन को कृषि और फार्मास्यूटिकल उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित करने पर भी चर्चा की गयी।
- **आतंकवाद-** दोनों देशों ने आतंकवाद के साझा खतरे की पहचान की है और आतंकवाद के सभी प्रकारों एवं सभी रूपों के प्रति अपने प्रबल प्रतिरोध और दृढ़ भर्त्सना को पुनः दोहराया है।
- **अफगानिस्तान-** दोनों देशों के नेताओं ने अफगानिस्तान में एक संयुक्त आर्थिक परियोजना पर चर्चा की है। अफगानिस्तान में प्रस्तावित संयुक्त आर्थिक परियोजना दोनों देशों के मध्य विश्वास में कमी को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
- **वैश्विक चुनौतियों के सन्दर्भ में -** दोनों देशों ने जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, खाद्य सुरक्षा इत्यादि सहित अन्य वैश्विक चुनौतियों के लिए **स्थायी समाधानों** हेतु संयुक्त रूप से योगदान करने पर सहमति व्यक्त की है। इसके अतिरिक्त दोनों देशों ने **बहुपक्षीय वित्तीय एवं राजनीतिक संस्थाओं के सुधार** के महत्व पर भी बल दिया है ताकि इन संस्थाओं को और अधिक प्रतिनिधित्वकारी एवं विकासशील देशों की आवश्यकताओं के प्रति और अधिक संवेदनशील बनाया जा सके।
- **अनिर्णीत मुद्दे-** अंततः दोनों देशों द्वारा संबंधों में अनिर्णीत मुद्दों के कारण उत्पन्न तनाव और तथाकथित "तनाव को बढाने वाले मुद्दों" जैसे - **भारत की NSG सदस्यता अथवा पाकिस्तान आधारित समूहों के लिए संयुक्त राष्ट्र के आतंकवादी संबंधी प्रस्ताव (terror designation) पर चीन का विरोध तथा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर भारत का विरोध अथवा तिब्बत संबंधी मुद्दे इत्यादि** की समस्या को कम करने का प्रयास किया गया। इसके लिए वार्ता के मौजूदा तंत्र को सुदृढ़ किया जाना चाहिए ताकि व्यापक द्विपक्षीय हितों को क्षति न पहुंचे।
- भारत ने अगले वर्ष श्री शी जिनपिंग के साथ भारत में अनौपचारिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने का प्रस्ताव रखा है।

महत्व

- "भारत-चीन सीमा क्षेत्र" के स्थान पर "भारत-चीन सीमा के सभी क्षेत्र" वाक्यांश में परिवर्तन का तात्पर्य यह है कि चीन भी इस बात पर सहमत है कि डोकलाम भारत के लिए चिंता का विषय है।
- सीमा विवाद के **"त्वरित समाधान"** को मई 2015 में चीन द्वारा **"सामरिक उद्देश्य"** के रूप में वर्गीकृत किया गया था। इसमें सीमा विवाद का समाधान करने की अपेक्षा सीमा प्रबंधन के दृष्टिकोण पर अधिक बल दिया गया था।
- सभी रूपों में आतंकवाद का विरोध अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि चीन वैश्विक आतंकवादी के रूप में JeM के प्रमुख मसूद अजहर पर संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का पहले विरोध कर चुका है।
- वैश्वीकरण का संरक्षण करने, WTO का बचाव करने, एक बहुपक्षीय विश्व को प्रोत्साहन देने एवं 'सामरिक स्वायत्तता' पर बल देने के सम्बन्ध में भारत और चीन के मध्य परस्पर सहयोग तथा चीन द्वारा एशियाई पड़ोसियों के साथ संबंधों को पुनः स्थापित करने के पीछे व्यापार एवं सुरक्षा पर संयुक्त राज्य अमेरिका की नीतियों में परिवर्तन भी एक उत्तरदायी कारण है।
- अनौपचारिक शिखर सम्मेलन दोनों देशों के मध्य **व्यापार घाटे** को कम करने, प्रमुख गैर-प्रशुल्क अवरोधों में कमी लाने के साथ ही भारत के फार्मास्यूटिकल्स और कृषि उत्पादों के चीन के बाजारों में प्रवेश के सम्बन्ध में दोनों देशों के मध्य समझौता संपन्न करने में सहायता कर सकता है।
- भारत और चीन भविष्य में पहली बार अफगानिस्तान में "संयुक्त आर्थिक परियोजना" पर कार्य करने पर सहमत हुए हैं जो सभी समझौतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है:
    - पाकिस्तान अफगानिस्तान में भारत की परियोजनाओं को लेकर पहले से ही चिंतित है और चीन को "घनिष्ठ सहयोगी" मानता है परन्तु चीन अफगानिस्तान के परिप्रेक्ष्य में पाकिस्तान के भारत विरोधी दृष्टिकोण को प्रश्रय देने का इच्छुक नहीं है।
    - भारत तालिबान के प्रभाव को बढ़ने से रोकने हेतु अफगानिस्तान में एक क्षेत्रीय दृष्टिकोण और निरंतर अंतर्राष्ट्रीय सहायता प्राप्ति का समर्थन कर रहा है। यह इस क्षेत्र के सम्बन्ध में चीन के दृष्टिकोण के समान है।

आगे की राह

- भारत की तिब्बत के संबंध में स्पष्ट राय नहीं है। एक ओर कुछ विशेषज्ञों का सुझाव है कि भारत को समय के साथ तिब्बत पर अपने प्रभाव का पुनः दावा करना चाहिए वहीं दूसरी ओर कुछ विशेषज्ञों का सुझाव है कि 1959 से तिब्बत में काफी परिवर्तन हुए हैं और भारत को उसके अवसंरचनात्मक विकास (बीजिंग-ल्हासा रेलवे लाइन), बीजिंग की तेज़ी से बढती जनसंख्या वाले क्षेत्रों से तिब्बत की ओर बहुसंख्यक हान चीनी श्रमिकों के स्थानान्तरण के कारण स्थानीय जनांकिकी में परिवर्तन, तिब्बती शरणार्थियों की संख्या में गिरावट इत्यादि कारकों को देखते हुए तिब्बत के संबंध में अपनी रणनीति में सक्रियता से परिवर्तन करना चाहिए।

VISION IAS

तिब्बत संबंधी मुद्दा

तिब्बत, उत्तर में चीनी तुर्किस्तान और मंगोलिया; पूर्व में चीन; दक्षिण में बर्मा, भारत (सिक्किम), भूटान और नेपाल; और पश्चिम में भारत (पंजाब और कश्मीर) से घिरा हुआ है।

भारत और चीन के मध्य विवाद के मुख्य कारक के रूप में तिब्बत

- 1951 में तिब्बत पर चीन के आधिपत्य ने दो एशियाई शक्तियों के मध्य स्थित बफर क्षेत्र को समाप्त कर दिया और सीमा विवाद को शत्रुता के रूप में परिवर्तित कर दिया। इसके अतिरिक्त, 1956 के अंत में तिब्बत में चीनी सैनिकों के प्रवेश ने इस समस्या को और अधिक गंभीर बना दिया।
- हाल ही में, तिब्बत में चीन के सैन्य और अवसंरचना संबंधी विकास के साथ-साथ तिब्बत में उद्गमित और भारत में प्रवाहित नदियों के मार्ग परिवर्तन या बांध निर्माण के संबंध में उसकी परियोजनाओं ने भारत की चिंताओं में वृद्धि की है।
- इसके विपरीत भारत दलाई लामा की भारत में उपस्थिति के संभावित निहितार्थ और भारत में बड़ी संख्या में निवास करने वाले तिब्बती शरणार्थियों द्वारा तिब्बत में चीन के समक्ष उत्पन्न समस्याओं के संबंध में चीन की असुरक्षा की भावना को दूर करने में असमर्थ रहा है।

तिब्बत पर भारत की नीति

तिब्बत पर भारत की नीति निम्नलिखित अलग-अलग चरणों के साथ निरंतर और सिद्धांतबद्ध रही है:

- **1947-51 तक:** भारत ने तिब्बती सरकार की अंतर्राष्ट्रीय प्रस्थिति का समर्थन किया और बीजिंग पर दबाव डाला कि वह तिब्बत में सेना न भेजे।
- **1954-59 तक:** भारत ने तिब्बत को स्वायत्तता के पर्याप्त अधिकार प्रदान करने और तिब्बत में अपनी सैन्य उपस्थिति को कम करने के लिए बीजिंग को सहमत करने का प्रयास किया।
- **1962-77 तक:** भारत-चीन युद्ध के दौरान भारत ने तिब्बती विरोध का समर्थन किया और तिब्बत में उपस्थित चीन पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ाया। भारत ने 1963 में तिब्बत के लिए नए संविधान की घोषणा करने से दलाई लामा को नहीं रोका।
- **1986-1999 तक:** 1988 में भारत ने चीन के क्षेत्र के भाग के रूप में तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र को मान्यता प्रदान की और दोहराया कि वह तिब्बतियों को भारत में चीन विरोधी राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने की अनुमति प्रदान नहीं करता है।
- **वर्ष 2003 में** भारतीय प्रधानमंत्री चीन की यात्रा पर गए और वहां अनजाने में ही यह वक्तव्य दे दिया कि 1950 में चीन ने तिब्बत पर हमला नहीं किया था। भारत का यह कथन दलाई लामा की वास्तविक स्थिति के विरुद्ध था। मैकमोहन लाइन पर भारत की स्थिति और अरुणाचल प्रदेश पर चीन के दावों के सन्दर्भ में इस कथन के गंभीर निहितार्थ स्वाभाविक थे। तत्कालीन भारतीय नेतृत्व ने यह तथ्य भुला दिया था कि तिब्बत ने 1914 के शिमला समझौते में स्वतंत्र रूप से भाग लिया था। इन सबके बावजूद चीन भारत के प्रति कभी उदार नहीं हुआ और वह आज भी सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत का एक भाग मानता है।

भारत BRI के संबंध में चिंतित क्यों है?

- **चीन-पाकिस्तान-आर्थिक गलियारा (CPEC):** यह कश्मीर से होकर गुजरता है और इस प्रकार यह POK में पाकिस्तान के दावों को वैधता प्रदान कर सकता है। यह भारत की "संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता" का उल्लंघन करता है।
- **रणनीतिक अविश्वास:** भारत के पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं और इनकी भारत के साथ युद्ध और सीमा विवाद की विरासत चली आ रही है।
- **सुरक्षा प्रभाव:** चीन, बांग्लादेश-चीन-भारत-म्यांमार देशों में रोड इनिशिएटिव के माध्यम से और हिंद महासागर में अपने बेल्ट इनिशिएटिव के माध्यम से उत्तर-पूर्वी भारत में अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति को बढ़ावा दे रहा है जो एक प्रकार का छद्म "स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स" है।
- **सैन्य शक्ति का प्रदर्शन:** ग्वादर जैसे बंदरगाह पनडुब्बियों और विमान वाहक पोतों को समायोजित करने के लिए पर्याप्त गहरे हैं जो भविष्य में सैन्य बंदरगाह के रूप में उपयोग किए जा सकते हैं।
- **न्यू ग्रेट गेम:** इस क्षेत्र में चीन के विस्तार को एक नए "ग्रेट गेम" के रूप में देखा जाता है। यह ठीक उसी प्रकार है जैसे मध्य एवं दक्षिण एशिया में 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान रूस और ब्रिटेन अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते थे।
- **पारदर्शिता का अभाव:** BRI चीन की एकपक्षीय पहल है और इसकी कार्यप्रणाली में पारदर्शिता का अभाव है।

BRI में शामिल होने के पक्ष में तर्क

- **आर्थिक सहयोग:** चीन की स्थिति के अनुसार यह CPEC गलियारा आर्थिक सहयोग का भाग है। यह किसी भी तीसरे देश को लक्षित नहीं करता है और इसमें क्षेत्रीय विवाद शामिल नहीं होते हैं। इसमें शामिल होने से उन देशों के मध्य आर्थिक सहयोग में सुधार होगा जो संबंधों में सुधार करने के लिए भविष्य में महत्वपूर्ण हो सकते हैं।
- **व्यापार लाभ:** OBOR न केवल समुद्री मार्ग बल्कि सड़क अवसंरचना के माध्यम से भी भारत के लिए व्यापार के मार्ग प्रशस्त कर सकता है।
- **अवसंरचना:** यह भारत के लिए लाभदायक स्थिति हो सकती है जिसमें भौगोलिक एकीकरण के प्रोत्साहन के माध्यम से उसे क्षेत्रीय परिवहन, ऊर्जा सुरक्षा और ब्लू इकोनॉमी (जो BRI के प्रमुख घटक हैं) के क्षेत्र में लाभ मिलेगा।
- **'महाद्वीपीयता' का पुनरोद्भव**: चीन का सुझाव है कि सम्पूर्ण यूरेशिया में पारस्परिक जुड़ाव को मज़बूत बनाकर, एशिया को एक आर्थिक महाद्वीप और विश्व के नए आर्थिक विकास इंजन के रूप में उभारा जा सकता है।
- **पारस्परिक लाभ:** चीन के पास अन्य देशों के विकास में तीव्रता लाने के लिए वित्तीय पूंजी तथा प्रौद्योगिकी है और भारत को भी अपने विकास के लिए संसाधनों एवं धन की आवश्यकता है।

चीन के साथ संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए प्रधानमंत्री के नए पंचशील सिद्धांत

ये निम्नलिखित पर आधारित हैं-

- साझा दृष्टिकोण,
- बेहतर संचार,
- घनिष्ठ संबंध,
- साझा विचार प्रक्रिया और
- साझा संकल्प

इसके अतिरिक्त **STRENGTH रणनीति** अर्थात आध्यात्मिकता; परंपरा, व्यापार और प्रौद्योगिकी;संबंध; मनोरंजन; प्रकृति संरक्षण; खेल; पर्यटन तथा स्वास्थ्य एवं उपचार के माध्यम से भारत और चीन के मध्य लोगों के पारस्परिक संपर्क की आवश्यकता पर बल दिया जाएगा।

VISION IAS

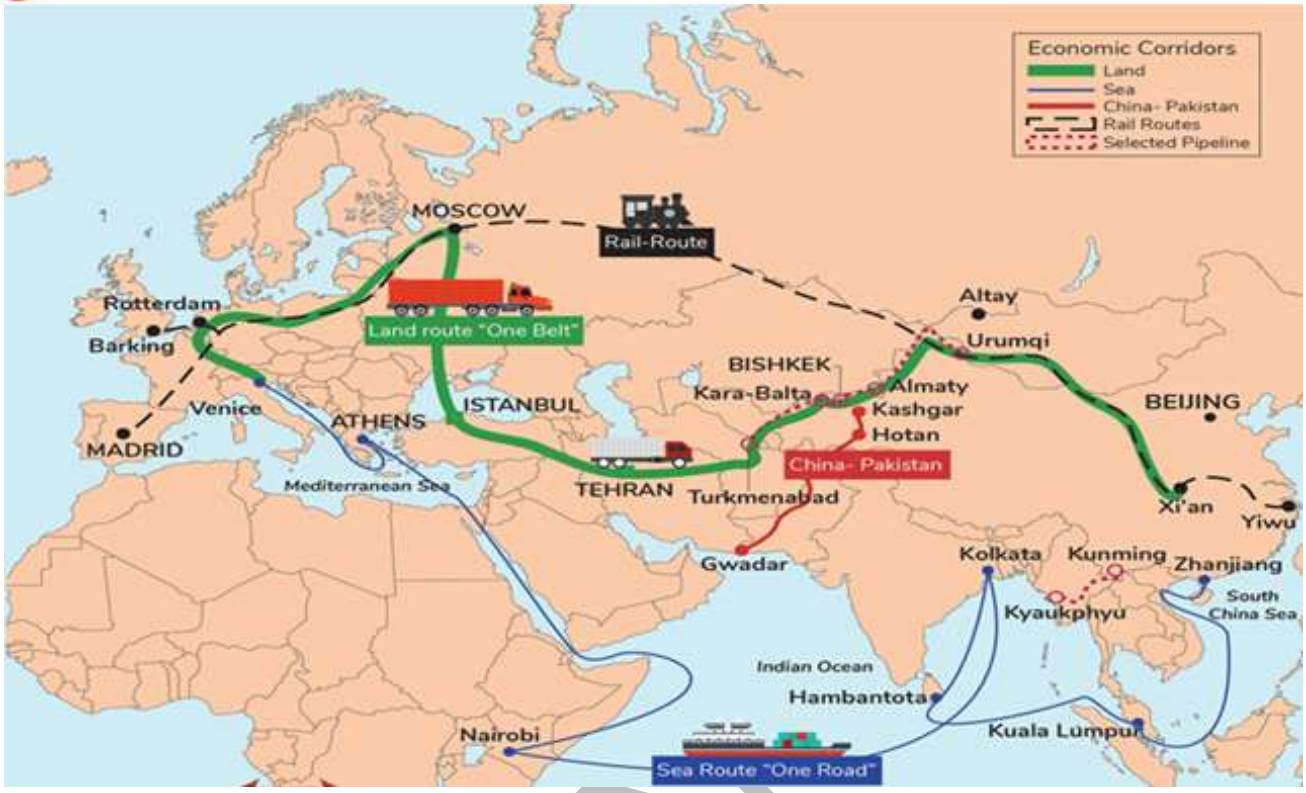

1.3.2 भारत-चीन जल सम्बन्ध

(India China Water Relations)

सुर्खियों में क्यों?

चीन ने सीमा पार विभिन्न परियोजनाएं आरम्भ की हैं जबकि भारत दोनों देशों के मध्य व्यापक जल सहयोग पर बल दे रहा है।

भारत-चीन के मध्य नदी जल सहयोग की स्थिति

भारत में चीन से प्रवाहित होने वाली नदियां दो मुख्य समूहों में विभाजित होती है: पूर्वी अपवाह और पश्चिमी अपवाह। पूर्वी अपवाह में ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली, जिसमें सिआंग नदी (ब्रह्मपुत्र नदी की मुख्य धारा) और इसकी सहायक नदियाँ, अर्थात् सुबनसिरी एवं लोहित आदि सम्मिलित हैं। पश्चिम अपवाह में सिंधु नदी प्रणाली में सिंधु नदी और सतलज नदी सम्मिलित हैं। इनके सम्बन्ध में दोनों देशों ने विभिन्न समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं-

- 2002 में ब्रह्मपुत्र/यालुजांगबू नदी की जल-विज्ञान संबंधी (हाइड्रोलॉजिकल) सूचना उपलब्ध कराने पर समझौता ज्ञापन
- 2010 में सतलज / लांग्केन जांग्बो नदी पर जल-विज्ञान संबंधी आंकड़ों के साझाकरण पर समझौता ज्ञापन (2015 में इसे नवीनीकृत किया गया)।
- 2006 में सीमा पार नदियों के संबंध में बाढ़ के मौसम में जल-विज्ञान संबंधी आँकड़ों का आदान-प्रदान तथा आपातकालीन प्रबंधन और अन्य मुद्दों के सम्बन्ध में अंतः क्रिया एवं सहयोग पर चर्चा करने के लिए **विशेषज्ञ स्तरीय तंत्र** (Expert Level Mechanism: ELM) सम्बन्धी समझौता।

भारत-चीन संबंधों में नदी जल सहयोग संबंधी मुद्दे

- **सीमित सहयोग:** वर्तमान में चीन मानसून के दौरान केवल यारलुंग सांगपो/ब्रह्मपुत्र (YTB) और सतलज पर जल-विज्ञान संबंधी आंकड़े साझा करता है।
- **विभेदकारी दृष्टिकोण:** दक्षिण एशिया में चीन, भारत के बजाय बांग्लादेश के साथ बाढ़ पूर्वानुमान, जल प्रौद्योगिकियों और जल प्रबंधन पर व्यापक संबंध स्थापित करने का प्रयास कर रहा है।

- **सीमा विवाद:** YTB पर वार्ताओं को प्रायः सीमा विवाद के कारण उपेक्षित कर दिया जाता है और अधिक महत्त्वपूर्ण मुद्दों यथा किसका कितने जल पर अधिकार है एवं ऊपरी प्रवाह पर बांध तथा उसके दिशा-परिवर्तन के प्रभाव पर चर्चा में कोई प्रगति नहीं हुई है।
- **बहुपक्षीय दृष्टिकोण:** सीमा पार जल साझा करने के लिए चीन का दृष्टिकोण भारत के विपरीत बहुपक्षीय व्यवस्थाओं की ओर स्थानांतरित हो रहा है। भारत, द्विपक्षीय संबंधों को प्राथमिकता देता है जो पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के साथ इसके संबंधों में देखा जा सकता है।
    - 2015 में, चीन ने एशियन डेवलपमेंट बैंक के नेतृत्व वाले मेकांग नदी आयोग के विकल्प के रूप में पांच अन्य देशों के साथ लसांग-मेकांग सहयोग (LMC) फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किये।
    - LMC, चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के साथ संरेखित है और नदी प्रबंधन के अतिरिक्त भूमि और जल कनेक्टिविटी पर केंद्रित है।
- बिना किसी पारदर्शिता या सूचना साझाकरण संरचना के तिब्बत में **चीन द्वारा आरम्भ की गई परियोजनाएं (बॉक्स देखें)**।

तिब्बत में चीनी परियोजनाएं

तिब्बत प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध क्षेत्र है और चीनी में इसे जिजांग (Xizang) या "पश्चिमी समृद्ध भूमि" कहा जाता है। चीन द्वारा सीमा पर निम्नलिखित गतिविधियां संचालित की गयी हैं:

- **जल संचय:** चीन, तिब्बत के पठार पर नदियों (जिएक्सू, ज़ांगमु और ज़ियाचा) के ऊपर बांधों का निर्माण कर ऐतिहासिक रूप से विशालतम जल संचयन कर रहा है।
- **चीन का 'गोल्ड रश':** चीन ने तिब्बत के पठार से कीमती धातुओं, दुर्लभ धातुओं और अन्य संसाधनों को निकालने हेतु हिमालय में अपने व्यापक प्रयासों के एक भाग के रूप में खनिज खनन या "गोल्ड रश" आरम्भ कर दिया है।
- **भू-अभियांत्रिकी प्रयोग:** तिब्बत में अधिकांश वर्षा अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के साथ लगे इसके जल समृद्ध दक्षिणी और दक्षिण-पूर्वी क्षेत्रों में होती है; शेष पठार सूखा-ग्रस्त है। हाल ही में आई रिपोर्टों के अनुसार चीन 'युद्ध की स्थिति में शत्रुओं को कमज़ोर करने के लिए बाढ़, सूखे और चक्रवातों जैसी प्राकृतिक आपदाओं को सक्रिय करने' की तकनीक विकसित करने हेतु भू-अभियांत्रिकी प्रयोग कर रहा है।

व्यापक सहयोग की आवश्यकता

चीन अपने हितों को सर्वोपरि रखते समय अपनी गतिविधियों के पर्यावरणीय और सीमा पारीय प्रभावों की चिंता नहीं करता है। यही कारण है कि हाल ही में भारत में प्रवेश करने पर सियांग (ब्रह्मपुत्र की मुख्य सहायक नदी) का जल काले-भूरे रंग का हो गया था। चीन की गतिविधियों के कारण उत्पन्न अन्य पर्यावरणीय मुद्दे निम्नलिखित हैं-

- **भारतीय मानसून का कमजोर होना:** जलवायु प्रणाली के वैश्विक अंतःसंबंधों को ध्यान में रखते हुए, तिब्बत में भू-अभियांत्रिकी प्रयोग अन्य क्षेत्रों से नमी को अवशोषित कर अधिक वर्षा करा सकते हैं। इसके फलस्वरूप भारत सहित एशिया में अन्य स्थानों पर मानसून कमजोर पड़ जाएगा। इस प्रकार यह अन्य देशों में चीन के हस्तक्षेप के लिए नए आयाम खोल सकता है ।
- **जैव विविधता को संकट**: चीन की ओर तिब्बत और भारत की ओर हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र विश्व के सर्वाधिक जैव विविधता युक्त क्षेत्रों में से है। यहां खनिज एवं जल संसाधनों के निरंतर दोहन ने इन संवेदनशील पारिस्थितिक तंत्रों के समक्ष संकट उत्पन्न कर दिया है।
- **पठार का तापन:** तिब्बत को पृथ्वी पर आर्कटिक एवं अंटार्कटिका के पश्चात वर्ष पर्यन्त बनी रहने वाली हिम की सर्वाधिक मात्रा धारण करने वाला क्षेत्र होने के कारण "तीसरा ध्रुव" कहा जाता है, किन्तु वर्तमान समय में तिब्बत का तापन वैश्विक औसत का लगभग तीन गुना है। एशिया के मुख्य स्वच्छ जल के भंडार, सबसे बड़े जल आपूर्तिकर्ता और मुख्य वर्षा कारक के रूप में तीन प्रमुख भूमिकाएं निभाने वाले तिब्बत पर इस तापन का व्यापक व दीर्घकालिक प्रभाव पड़ेगा।
- **जल प्रवाह की क्षति**: जलवायु मॉडलों के अनुसार वर्ष 2050 तक हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियों के प्रवाह में 10-20% की कमी (ग्लेशियरों के पिघलने से प्रवाह में होने वाली वृद्धि के पश्चात) आ सकती है। इससे न केवल नदियों की विद्युत् उत्पादन करने की क्षमता में कमी आएगी बल्कि क्षेत्रीय राजनीतिक तनाव भी बढ़ेगा।
- **मानवीय प्रभाव:** आकस्मिक बाढ़, भूस्खलन, बांध टूटना इत्यादि सहित कोई भी आपदा न केवल भारत के पूर्वोत्तर में बल्कि बांग्लादेश में भी जीवन, वन्यजीवों, आजीविका और अवसंरचनाओं को व्यापक क्षति पहुंचा सकती है।

भारत को क्या करना चाहिए?

'प्रायर अप्रोप्रियेशन' (prior appropriation) नामक अंतर्राष्ट्रीय क़ानून का अनुसरण करते हुए भारत ने भी चीन की बांध निर्माण गतिविधियों के विरुद्ध ब्रह्मपुत्र नदी पर कई जलविद्युत परियोजनाएं आरम्भ की हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय क़ानून के अनुसार किसी जल निकाय के प्रथम उपयोगकर्ता को जल की उस मात्रा के उपयोग को जारी रखने का अधिकार है जो वह नियमित रूप से प्राप्त करता है।

- भारत को आगामी जल विवादों से निपटने के लिए वांछित अंतिम लक्ष्य और रणनीतिक परिणामों के बारे में स्पष्ट रूप से विचार करने की आवश्यकता है।
- इसे बांग्लादेश सहित जलधारा के उद्गम से दूर अवस्थित देशों के साथ अपने संबंधों को पुनः सुदृढ़ करने के लिए चीन की भूमिका को कम महत्व देना चाहिए और अपनी छवि जलधारा के उद्गम के निकट स्थित एक ज़िम्मेदार देश के रूप में स्थापित करनी चाहिए।
- भारत को वुहान शिखर सम्मेलन जैसी अनौपचारिक बैठकों में सक्रिय रूप से इस मुद्दे को उठाना चाहिए और जल के अधिकारों पर चीन के साथ बातचीत में अपने सामर्थ्य और दृढ़ता को भी प्रदर्शित करना चाहिए; जैसा कि हाल ही में डोकलाम मुद्दे और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के विरोध के मामले में स्वयं को पीड़ित के रूप में प्रस्तुत न करते हुए भारत ने दृढ़ता प्रदर्शित करके किया है।
- इसके अतिरिक्त परस्पर सहयोग के क्षेत्रों में **हिमालयी चार्टर** के निर्माण और हिमालय के भविष्य से संबंधित विशिष्ट मुद्दों पर काम करने के लिए **हिमालयी परिषद्** की स्थापना की आवश्यकता है। ध्यातव्य है कि इन बिन्दुओं पर नेपाल में तीसरे हिमालयी आम सहमति शिखर सम्मेलन में भी चर्चा की गयी थी।
- इसके अतिरिक्त वर्ष-पर्यंत जल-विज्ञान सम्बन्धी आंकड़ों के साझाकरण, क्षेत्र में आधारभूत विकास के संबंध में सूचनाओं के आदान-प्रदान तथा सभी हितधारकों को शामिल करते हुए संसाधन प्रबंधन के प्रभावी एवं अभिनव ढांचे के विकास के माध्यम से अधिक पारदर्शिता लाने व राजनयिक संचार में सुधार करने की आवश्यकता है।
- "तिब्बत के प्राकृतिक संसाधनों में गिरावट" और "पर्यावरणीय ह्रास" का कारण बनने वाली चीनी गतिविधियों को रोकने के लिए इस सन्दर्भ में चीन पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाया जाना चाहिए। जब तक चीन को अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण मानकों का सम्मान करने के लिए विवश नहीं किया जाता, तब तक एशिया के पारिस्थितिकीय हितों की रक्षा नहीं की जा सकती है।

1.4. पाकिस्तान (Pakistan)

दशकों से दुःसाध्य शत्रुता भारत-पाक सम्बन्धों की विशेषता रही है। यह स्थिति 1947 में दोनों देशों के अंग्रेजी शासन से स्वतंत्र होने के बाद से बनी हुई है। एक ओर यह तर्क दिया जा सकता है कि कश्मीर पर भारत द्वारा यथास्थितिवादी दृष्टिकोण अपनाने (जो उनके संघर्ष का केंद्र बिंदु है) और पाकिस्तान के कश्मीर प्राप्त करने के दृढ़ संकल्प के मध्य विद्यमान मूलभूत संघर्ष के बावजूद भी दोनों देशों के मध्य संबंधों को यथोचित ढंग से प्रबंधित किया गया है। जबकि दूसरी ओर ये कहा जा सकता है कि अतीत में किये गए गलत नीतिगत चुनावों के कारण आज भारतीय नीति निर्माता इस समस्या से बाहर निकलने का मार्ग ढूँढने में अक्षम हैं।

संघर्ष के दो प्रमुख कारण:

पहचान : 1947 का विभाजन राष्ट्रीय पहचान की परस्पर विपरीत धारणा से उत्पन्न हुआ है। यह धारणा आज भी दोनों राष्ट्रों में निरंतर बनी हुई है। कश्मीर के संदर्भ में (दोनों के मध्य सर्वाधिक संवेदनशील मुद्दा) दोनों राष्ट्रों ने अपनी पहचान के आधार पर अपने दावे प्रस्तुत किए हैं। पाकिस्तान ने कश्मीर पर इस्लामिक राज्य और कश्मीर में बहुसंख्यक आबादी मुस्लिम होने के आधार पर दावा किया है जबकि भारत ने अपनी धर्मनिरपेक्ष पहचान के आधार पर अपने दावे को उचित ठहराया है ।

राजनीतिक व्यवस्था: कश्मीर को लेकर सुरक्षा संबंधी मुद्दा दो राजनीतिक प्रणालियों की अपेक्षाकृत व्यापक समस्या से घनिष्ट रूप से संबद्ध है। दोनों देशों की आंतरिक दुर्बलताओं ने उन्हें अपनी पहचान को अन्य राज्यों के संदर्भ में मजबूत बनाने हेतु बाध्य किया है। भारत द्वारा स्वयं को पश्चिम (विशेष रूप से अमेरिका) से सुरक्षित करने के लिए प्रयास किया गया है तो वहीं पाकिस्तान ने ऐसे प्रयास भारत के संदर्भ में किए हैं। वस्तुतः, दोनों कभी भी आंतरिक रूप से स्थिर नहीं रहे।

दोनों देशों के मध्य विभिन्न मुद्दे विद्यमान हैं-

1.4.1. सिंधु जल संधि

(Indus Water Treaty)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थायी सिंधु आयोग (PIC) की बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई।

अन्य संबंधित तथ्य

- यह **स्थायी सिंधु आयोग (PIC)** की 114वीं बैठक थी। PIC, 1960 में दोनों देशों के मध्य सिंधु जल संधि (IWT) के हस्ताक्षरित होने के बाद से ही सिंधु नदी के जल बंटवारे के मुद्दे का अवलोकन कर रहा है।
- पाकिस्तान ने चिनाब बेसिन स्थित भारत की पाकलदुल (1000 MW), रातले (850 MW) और लोअर कलनाई (48 MW) परियोजनाओं पर चिंता व्यक्त की है तथा दावा किया है कि ये परियोजनाएं सिंधु जल संधि का उल्लंघन करती हैं।
- भारत के अनुसार इन परियोजनाओं का प्रारूप संधि के अनुसार हैं। ये प्रवाहित हो रहे नदी जल (रन ऑफ़ द रिवर) पर बनाई गई परियोजनाएं हैं। संधि के अंतर्गत ऐसी परियोजनाओं के निर्माण की अनुमति प्रदान की गई है।

सिंधु जल संधि के संबंध में

- इस संधि के अनुसार, तीन पूर्वी नदियों रावी, ब्यास और सतलज का नियंत्रण भारत को दिया गया था। जबकि तीन पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम और चेनाब का नियंत्रण पाकिस्तान को दिया गया था। संधि के अंतर्गत भारत को सिंधु नदी के जल का मात्र 20% भाग ही सिंचाई, विद्युत निर्माण एवं परिवहन हेतु प्रयोग करने की अनुमति है।
- इसे विश्व की **सर्वाधिक सफल संधियों** में गिना जाता है। इसका कारण है कि भारत-पाकिस्तान के मध्य विभिन्न युद्धों एवं अन्य मुद्दों के बावजूद इसका अस्तित्व बना हुआ है। इस संधि द्वारा प्रदान किए गए फ्रेमवर्क के अंतर्गत कानूनी प्रक्रियाओं के माध्यम से अधिकांश मतभेदों और विवादों का समाधान किया गया है।
- **स्थायी सिंधु आयोग (PIC)** की स्थापना एक द्विपक्षीय आयोग के रूप में इस संधि के कार्यान्वयन एवं प्रबंधन हेतु की गई थी। यह आयोग जल बंटवारे से सम्बंधित विवादों का भी समाधान करता है। इसकी पिछली बैठक मार्च 2017 में इस्लामाबाद में हुई थी।
- सिंधु जल संधि से सम्बंधित "विवादों" और "मतभेदों" के संबंध में विश्व बैंक की भूमिका किसी एक देश अथवा दोनों पक्षकारों द्वारा निवेदन किए जाने पर कुछ भूमिकाओं के निर्वहन हेतु प्रतिनिधियों की नियुक्ति (designation) करने तक सीमित है।

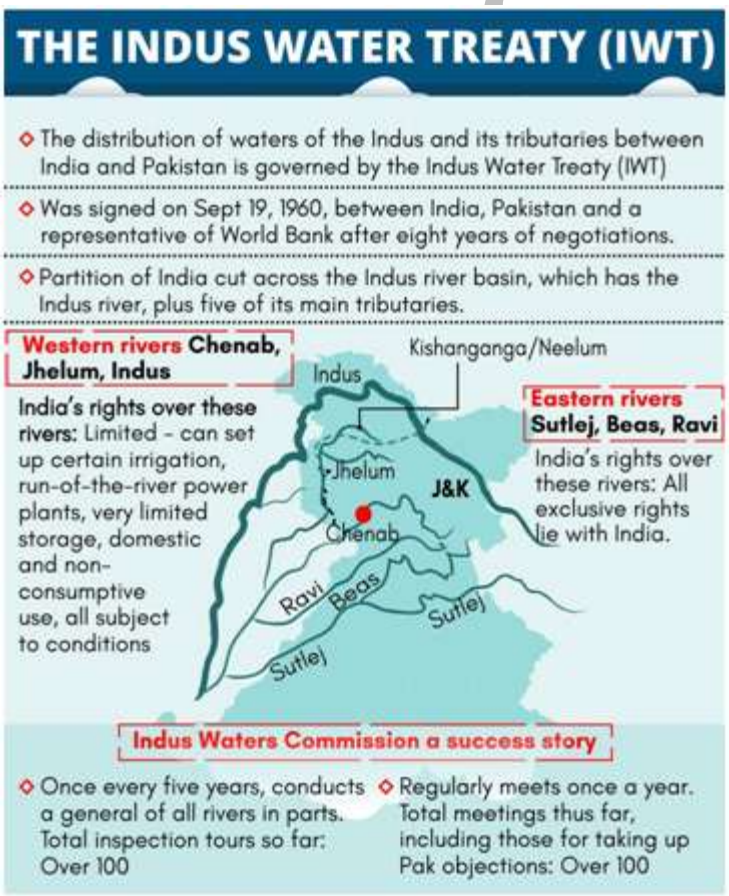

सिंधु जल संधि की कमियां

- UNDP की रिपोर्ट 'डेवलपमेंट ऐडवोकेट पाकिस्तान' के अनुसार संधि निम्न समस्याओं को संबोधित करने में विफल रही है-
  - नदी जल प्रवाह की कमी के दौरान जल का विभाजन
  - पाकिस्तान में चिनाब नदी पर जल के भंडारण का असर
- अत्यधिक तकनीकी होने के कारण भी इस संधि की आलोचना की जाती है। यह अनेक व्याख्याओं और मतभेदों को बढ़ावा देती है।
- भारत और पाकिस्तान के मध्य राजनीतिक स्थिति संधि के कार्यान्वयन को प्रभावित करती है। यथा- भारत जल के भंडारण के लिए हर संभव अवसर का उपयोग करने का प्रयास करता है जबकि भारत के प्रति अपने संदेह के कारण पाकिस्तान सदैव ऐसे प्रयास को अवरुद्ध कर देता है।

हाल ही में यह संधि एक बार पुनः सुर्ख़ियों में रही क्योंकि भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा जम्मू-कश्मीर में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम NHPC लिमिटेड द्वारा निर्मित **किशनगंगा जल विद्युत परियोजना** का उद्घाटन किया गया।

- यह उत्तर कश्मीर के बांदीपोरा जिले की गुरेज घाटी में स्थित 330 मेगावाट की **रन-ऑफ-द रिवर जलविद्युत् परियोजना** है।
- इसके अंतर्गत एक भूमिगत सुरंग के माध्यम से झेलम नदी बेसिन में स्थित विद्युत संयंत्र की ओर किशनगंगा नदी के जल को मोड़े जाने तथा इस जल को वुलर झील में निस्सृत किये जाने की परिकल्पना की गयी है।
- इस परियोजना को 2009 में आरंभ किया गया था परंतु 2010 में पाकिस्तान द्वारा **हेग स्थित स्थाई मध्यस्थता न्यायालय (परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन)** में आपत्ति दर्ज कराई गयी थी कि इस परियोजना ने सिंधु नदी जलसंधि का उल्लंघन किया है और पाकिस्तान को PoK स्थित नीलम घाटी में निर्माणाधीन विद्युत परियोजना के लिए आवश्यक जल के हिस्से से वंचित कर दिया है (क्योंकि किशनगंगा नदी पाकिस्तान में प्रवाहित होती है)।
- पाकिस्तान द्वारा नदी के अपनी तरफ वाले भाग पर चीन की सहायता से 1,000 मेगावाट की **नीलम-झेलम जलविद्युत परियोजना** का निर्माण किया जा रहा है।

- कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन द्वारा भारत को परियोजना से संबंधित **तकनीकी आंकड़ों को प्रस्तुत** करने का आदेश दिया गया और सीमा पार जल के न्यूनतम 9 क्यूबिक मीटर प्रवाह को बनाए रखते हुए बांध के निर्माण के लिए अनुमति प्रदान की गयी।
- जम्मू-कश्मीर को किशनगंगा परियोजना से उत्पन्न विद्युत् का 12 प्रतिशत "रॉयल्टी" के रूप में तथा अतिरिक्त 1 प्रतिशत 'स्थानीय विकास' हेतु प्रदान किया जाएगा, जबकि शेष विद्युत को राष्ट्रीय ग्रिड पर स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

किशनगंगा जलविद्युत परियोजना का महत्व

- इससे क्षेत्र के विकास को बढ़ावा मिलेगा।
- यह जम्मू-कश्मीर के क्षेत्र और इसके संसाधनों पर भारत के अधिकार की पुष्टि करती है।
- सिंधु जल संधि के तहत भारत के अधिकारों की पुष्टि के कारण इस परियोजना का एक बड़ा रणनीतिक महत्व है।

अन्य प्रमुख विवादित परियोजनाएं

परियोजना	नदी/सहायक नदी	अवस्थिति	बाँध का प्रकार
ल दुल बांध	चिनाब की सहायक मरुसदर नदी	जम्मू और कश्मीर का किश्तवाड़ जिला	कंक्रीट-फेस रॉक-फिल डैम
रातले	चिनाब नदी का रातले गाँव का अनुप्रवाह (डाउनस्ट्रीम)	जम्मू और कश्मीर का डोडा जिला	वर्तमान में निर्माणाधीन एक रन-ऑफ-रिवर हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशन
मियार	ाब की सहायक नदी मियार नाला	हिमाचल प्रदेश में लाहौल और स्पीति के निकट	रन-ऑफ-रिवर योजना
लोअर कलनई	चिनाब की सहायक लोअर कलनई नाला पर	जम्मू और कश्मीर का डोडा जिला	गुरुत्वीय बाँध

1.4.2. पाकिस्तान के गिलगित-बाल्टिस्तान आदेश पर भारत की आपत्ति

(India Protests Pakistan's Gilgit-baltistan Order)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

हाल ही में, भारत ने **पाकिस्तान के उस आदेश का विरोध** किया है जिसमें गिलगित-बाल्टिस्तान के क्षेत्र को देश के संघीय ढांचे में एकीकृत करने की घोषणा की गयी है।

गिलगित-बाल्टिस्तान पर विवाद क्या है?

- कश्मीर के मुद्दे पर प्रथम भारत-पाकिस्तान युद्ध के पश्चात् संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों द्वारा राज्य को भारतीय और पाकिस्तानी प्रशासित क्षेत्रों में विभाजित करने हेतु अस्थायी युद्धविराम रेखा (ceasefire line) का निर्माण किया गया। इस सम्पूर्ण क्षेत्र में जनमत संग्रह लंबित है।
- भारत, पाकिस्तान और चीन सभी कश्मीर के आंशिक या पूर्ण स्वामित्व का दावा करते हैं।
  - **भारत-नियंत्रित:** जम्मू और कश्मीर राज्य इस क्षेत्र के दक्षिणी और पूर्वी भागों का निर्माण करता है। इसमें कश्मीर का लगभग 45% हिस्सा शामिल है।
  - **पाकिस्तान-नियंत्रित:** आज़ाद कश्मीर (AJK), गिलगित और बाल्टिस्तान नामक तीन क्षेत्र मिलकर इस क्षेत्र के उत्तरी और पश्चिमी भागों का निर्माण करते हैं। ये कश्मीर का लगभग 35% भाग हैं।
  - **चीन-नियंत्रित:** इस क्षेत्र के उत्तर-पूर्वी हिस्से में स्थित अक्साई-चिन नामक एक क्षेत्र जो कश्मीर का लगभग 20 प्रतिशत भाग है।
- **अभी तक पाकिस्तान के संघीय संस्थानों द्वारा यही स्वीकार किया जाता रहा** कि गिलगित-बाल्टिस्तान संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित एक विवादित क्षेत्र है। साथ ही, इस क्षेत्र के निवासियों को तब तक पाकिस्तान का नागरिक घोषित नहीं किया जा सकता जब तक कि भारत और पाकिस्तान जम्मू-कश्मीर के अधिग्रहण के मुद्दे का समाधान नहीं कर लेते।

VISION IAS

- **पाकिस्तान के विपरीत भारत, गिलगित-बाल्टिस्तान** पर देश के एक संवैधानिक भाग के रूप में दावा करता है और गिलगित-बाल्टिस्तान के लोगों को अपने नागरिकों के रूप में मान्यता प्रदान करता है। 1994 में, भारतीय संसद के दोनों सदनों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया कि AJK का पाकिस्तान नियंत्रित क्षेत्र और गिलगित-बाल्टिस्तान भारत के अभिन्न अंग हैं।

पृष्ठभूमि

- 2009 में पाकिस्तान ने कैबिनेट में **गिलगित-बाल्टिस्तान सशक्तिकरण और स्व-शासन आदेश** पारित किया था। इसके द्वारा एक विधान सभा और परिषद का सृजन करके लोगों को स्व-शासन की गारंटी प्रदान की गई थी, किन्तु आदेश में इस क्षेत्र को पाकिस्तान से जोड़ने का कोई संवैधानिक साधन प्रदान नहीं किया गया था।
- वर्तमान में, पाकिस्तान की कैबिनेट ने उपर्युक्त आदेश को परिवर्तित करने हेतु **गिलगित-बाल्टिस्तान आदेश 2018** नामक एक कार्यकारी आदेश को स्वीकृति प्रदान की है। इसके साथ ही उसने **गिलगित-बाल्टिस्तान को** पाकिस्तान के शेष संघीय ढांचे के साथ **अपने पांचवें प्रांत के रूप में एकीकृत** करने के लिए विधायी, न्यायिक और प्रशासनिक उपायों को लागू किया है।
- यह आदेश अनिवार्य रूप से गिलगित-बाल्टिस्तान क्षेत्र की शक्तियों को अधिग्रहित कर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को उनकी निर्विवाद अधिकारिता प्रदान करता है।
- पूर्व की व्यवस्था के अनुसार, पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, फेडरली एडमिनिस्टर्ड ट्राइबल एरिया (FATA) और खैबर पख्तूनवा नामक पाँच प्रांतों से प्रतिनिधि शामिल किये जाते थे। इस प्रकार गिलगित-बाल्टिस्तान क्षेत्र को छोड़ दिया जाता था जो 1947 के युद्ध के पश्चात् पाकिस्तानी हिस्से में रहा है और इस्लामाबाद से प्रत्यक्ष रूप से शासित किया जाता रहा है।
- गिलगित-बाल्टिस्तान को प्रांत का दर्जा प्रदान करने के विचार को, इस क्षेत्र से होकर गुजरने वाले चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) पर कार्य प्रारम्भ होने के पश्चात् से अधिक बल प्राप्त हुआ। वस्तुतः इस गलियारे के निर्माण हेतु स्थानीय और केंद्रीय स्तर के नेताओं के मध्य अधिक समन्वय की आवश्यकता है।

गिलगित-बाल्टिस्तान आदेश का महत्त्व

- आदेश का उद्देश्य विवादित क्षेत्र से होकर गुजरने वाले चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) के संदर्भ में गिलगित-बाल्टिस्तान की **अशांत स्थिति पर चीन की चिंताओं का शमन करना** है।
- आदेश ने गिलगित-बाल्टिस्तान के **भारत समर्थक** लोगों और कुछ अन्य वर्गों में **असंतोष** उत्पन्न किया है। ये जम्मू-कश्मीर पर संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के अनुसार एक स्वतंत्र गणराज्य की स्थापना करना चाहते हैं। इसके लिए पाकिस्तान का गिलगित-बाल्टिस्तान से वापस जाना तथा नियंत्रण का स्थानीय शक्तियों को हस्तांतरित होना आवश्यक है।
- इसके अतिरिक्त, इस प्रकार के उपायों का उद्देश्य पाक अधिकृत क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के **मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघनों** और उनके **शोषण को छिपाना** तथा उन्हें स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित करना भी है।

ऐसे मुद्दों और अवरोधों से निपटने के लिए क्षेत्रीय स्तर के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई उपाय किए गए हैं। ऐसे दो महत्वपूर्ण उपाय निम्नलिखित हैं-

1.4.3. ट्रैक-II कूटनीति

(Track-II Diplomacy)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत एवं पाकिस्तान द्वारा इस्लामाबाद में ट्रैक-II वार्ता का आयोजन किया गया।

अन्य संबंधित तथ्य

- भारत एवं पाकिस्तान के मध्य सबसे पुरानी **ट्रैक-II पहलों** में से एक और इस प्रकार की पहली वार्ता (नीमराना वार्ता के नाम से भी प्रसिद्ध) का आयोजन 1991-92 में नीमराना के किले (राजस्थान) में किया गया था।
- वर्तमान बैठक का आयोजन 28 से 30 अप्रैल, 2018 के मध्य इस्लामाबाद में किया गया। इस बैठक में **कश्मीर, सियाचिन, आतंकवाद, सीमा पार गोलीबारी, सर क्रीक और अफगानिस्तान** से संबंधित मुद्दों पर चर्चाएं की गईं, परंतु दोनों पक्षों ने कार्यक्रम के विषय में कोई भी आधिकारिक बयान जारी नहीं किया।
- भारत एवं पाकिस्तान के मध्य इस प्रकार की विगत ट्रैक-II वार्ता 3 वर्ष पूर्व 10 जुलाई, 2015 को **उफ़ा (रूस) में शंघाई सहयोग संगठन (SCO)** के शिखर सम्मेलन के दौरान (सम्मेलन से पृथक रूप से) आयोजित की गई थी।

ट्रैक-I कूटनीति

ट्रैक-I कूटनीति एक आधिकारिक सरकारी कूटनीति है जिसके माध्यम से सरकारों के मध्य संचार एवं वार्ता संपन्न होती है।

VISION IAS

ट्रैक-II कूटनीति के विषय में

- इसे बैकचैनल डिप्लोमेसी भी कहा जाता है। इसमें गैर-सरकारी व्यक्ति (जैसे पूर्व राजनयिक, सेवानिवृत्त सैनिक, शिक्षाविद इत्यादि) **अनौपचारिक रूप से** वार्ता का आयोजन कर उन सामान्य मुद्दों का समाधान खोजने का प्रयास करते हैं जिनके समाधान में आधिकारिक वार्ताकार सफल नहीं होते हैं। इसके तहत होने वाली वार्ता को आधिकारिक बयान के रूप में संहिताबद्ध नहीं किया जाता है।
- **ट्रैक-II की क्षमताएँ**
  - ट्रैक-II पक्षकारों को राजनीतिक अथवा संवैधानिक शक्ति से नियंत्रित नहीं किया जाता है। इसलिए वे विभिन्न मुद्दों पर अपना दृष्टिकोण व्यक्त कर सकते हैं।
  - इसके अंतर्गत **जमीनी एवं मध्यम स्तरीय नेतृत्व शामिल होता है,** जिनका विवादों से प्रत्यक्ष संपर्क होता है।
  - यह कूटनीति चुनावी चक्र से प्रभावित नहीं होती है।
- **ट्रैक-II की कमजोरियाँ**
  - राजनीतिक वर्चस्व के अभाव के कारण इसके प्रतिभागियों में विदेश नीति और राजनीतिक शक्ति संरचनाओं को प्रभावित करने की सीमित क्षमता होती है।
  - ट्रैक-II द्वारा किये गए हस्तक्षेपों से मिलने वाले परिणामों में अत्यधिक समय लग जाता है।
  - जब संघर्ष युद्ध में परिवर्तित हो चुका हो तो ऐसी स्थिति में कोई परिवर्तन लाने की इसकी क्षमता सीमित होती है।
  - इसके प्रतिभागियों के पास वार्ताओं और समझौतो के क्रियान्वयन के दौरान सतत लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक संसाधनों का अभाव होता है।

1.4.4. पाकिस्तान के खिलाफ आतंकवाद पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध

(International Sanctions Against Pakistan on Terrorism)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को अपनी आतंक-वित्तपोषण निगरानी सूची (वाच लिस्ट) या "ग्रे सूची" में स्थान दिया है।
- अमेरिका ने हाल ही में पाकिस्तान को 'स्पेशल वॉच लिस्ट' में रखा है तथा उसे दी जाने वाली 1.15 अरब अमेरिकी डॉलर की सैन्य सहायता पर भी रोक लगा दी है। साथ ही इसने अन्य 10 देशों को 'विशेष संवेदनशील देश' (Countries of Particular Concern: CPC) के रूप में पुनः नामित करने की भी घोषणा की है।
- भारत ने पाकिस्तान को उन सार्क सदस्य देशों की सूची से बाहर कर दिया है जिनके साथ भविष्य में यह अपने राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क (NKN) को संयोजित करने वाला है।

FATF (फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स)

- यह 1989 में स्थापित एक अंतर सरकारी निकाय है। इसका सचिवालय **पेरिस** स्थित OECD मुख्यालय में है।
- वर्तमान में इसके **37 सदस्य** हैं और **भारत** भी इसका एक सदस्य है।
- इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय तंत्र के समक्ष उत्पन्न मनी लॉन्डरिंग, आतंकवाद के वित्तपोषण और अन्य खतरों से निपटने के लिए मानक निर्धारित करना तथा कानूनी, नियामक एवं परिचालनात्मक उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन को बढ़ावा देना है।

अन्य संबंधित तथ्य

- किसी देश को "ग्रे सूची" में रखने का अर्थ उसके विरुद्ध प्रत्यक्ष कानूनी या दंडात्मक कार्यवाही करना नहीं है, अपितु इस सूची में रखे जाने के फलस्वरूप वित्तीय प्रहरियों (वाचडॉग्स), नियामकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा उस देश की जांच-पड़ताल में वृद्धि हो जाती है।
- 2010 में एशिया प्रशांत समूह (APG) द्वारा किए गए विस्तृत मूल्यांकन और आतंकवादी वित्तपोषण को रोकने के लिए इस्लामाबाद द्वारा आवश्यक कार्रवाई न किए जाने के कारण पाकिस्तान को 2012 से 2015 तक FATF की 'ग्रे सूची' में रखा गया था।
- पाकिस्तान को मई 2018 तक आतंकवाद के वित्तपोषण और मनी लॉन्डरिंग को रोकने हेतु एक कार्य-योजना FATF को सौंपने के लिए कहा गया था।

VISION IAS

- FATF ने पाकिस्तान द्वारा प्रस्तुत एक्शन प्लान को जून 2018 में अनुमति प्रदान कर दी और एक औपचारिक घोषणा द्वारा पकिस्तान को ग्रे-लिस्ट में डाल दिया। ध्यातव्य है कि यदि इस्लामाबाद इस सम्बन्ध में कोई कार्य-योजना प्रस्तुत करने में असफल रहता या FATF द्वारा उस कार्य-योजना को अस्वीकृत कर दिया गया होता तो पाकिस्तान को उत्तर कोरिया और ईरान के साथ समूह की **ब्लैकलिस्ट** या "गैर सहयोगी देशों या क्षेत्रों" (NCCTs) की सूची में रखा जा सकता था।
- पाकिस्तान द्वारा **सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1267** की सैंक्शन्स कमिटी (यह तालिबान से जुड़े समूहों जैसे कि लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हक्कानी नेटवर्क की निगरानी करती है) द्वारा प्रतिबंधित समूहों पर कड़ी कार्यवाही करने से संबंधित अपने दायित्वों का स्पष्ट उल्लंघन किया गया था। पाकिस्तान द्वारा किये गए उल्लंघन को देखते हुए यह निर्णय काफी समय से लंबित था।

'स्पेशल वाच लिस्ट' के बारे में

- यह उन देशों के लिए है जो धार्मिक स्वतंत्रता के गंभीर उल्लंघन में शामिल हैं या उन्हें रोकने का प्रयास नहीं करते हैं, परन्तु 'कन्ट्रीज ऑफ़ पर्टिकुलर कंसर्न (CPC)' के स्तर तक नहीं पहुंचे हैं।

CPC के बारे में

- धार्मिक स्वतंत्रता के विरुद्ध व्यवस्थित रूप से चल रहे गंभीर उल्लंघन के मामलों में संलग्न होने या उन्हें रोकने का प्रयास न करने वाले देशों को CPC की सूची में शामिल किया जाता है। यह 1998 के अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के अनुरूप है।
- इस सूची में बर्मा, चीन, इरीट्रिया, ईरान, उत्तरी कोरिया, सूडान, सऊदी अरब, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान शामिल हैं।

भारत के लिए निहतार्थ

- इससे भारत के इस दृष्टिकोण को समर्थन मिलता है कि पाकिस्तान अपने क्षेत्र में आतंकवाद को संरक्षण देता है। यह पाकिस्तान द्वारा गैर-पारंपरिक युद्ध के एक तरीके के रूप में आतंकवाद के प्रयोग के सन्दर्भ में भारत द्वारा पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंचों में अलग-थलग किये जाने में सहायता प्रदान करेगा।
- अमेरिका की अनुपस्थिति से उत्पन्न अंतराल को चीन सरलता से भर सकता है। यह अत्यंत चिंता का विषय है, क्योंकि चीन ने ग्वादर बंदरगाह के विकास और POK से होकर जाने वाले चीन-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर (CPEC) जैसी परियोजनाओं में भारी निवेश करना प्रारम्भ कर दिया है।
- हालांकि, भारत को अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को दी जाने वाली सैन्य सहायता रोकने को लेकर अति उत्साहित नहीं होना चाहिए क्योंकि यह सैन्य सहायता को रद्द करना नहीं है अपितु यह आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई हेतु पाकिस्तान को प्रोत्साहित करने के लिए एक अस्थायी विकल्प है। इसके साथ ही यह रोक पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा पर जारी आतंकवाद को लेकर है, पाकिस्तान की पूर्वी सीमा पर संचालित भारत विरोधी समूहों, जैसे- लश्कर-ए तैयबा और जैश -ए- मोहम्मद को लेकर यह अभी भी अस्पष्ट है।

राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क (NKN):

- राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) के साथ 2010 में एक कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में आरम्भ किया गया था।
- इसका उद्देश्य ज्ञान साझाकरण और सहयोग आधारित शोध की सुविधा के लिए उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान के सभी संस्थानों को उच्च गति युक्त डाटा संचार नेटवर्क के माध्यम से एक-दूसरे से जोड़ना है।
- NKN इंजीनियरिंग, विज्ञान, चिकित्सा इत्यादि विशेष क्षेत्रों में उन्नत दूरस्थ शिक्षा की सुविधा प्रदान करेगा और साथ ही अत्यधिक उच्च गति डेटा आधारित ई-गवर्नेंस को मजबूत आधार प्रदान करेगा।
- यह देश में मौजूदा ज्ञान अंतराल को समाप्त करने का कार्य करेगा और देश को ज्ञान आधारित समाज के रूप में विकसित करने में मदद करेगा। इसके साथ ही यह ज्ञान क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देगा।
- यह TEIN4 जैसे अंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक नेटवर्कों और CERN जैसे संगठनों के शोधकर्ताओं के मध्य सहयोग को सक्षम बनाता है।

निष्कर्ष :

पाकिस्तान को नियंत्रित करने के भारतीय प्रयास अत्यंत कम लाभप्रद सिद्ध हुए हैं। इसके साथ ही भारत शक्ति प्राप्त करने के संदर्भ में अमेरिका के साथ एक सुदृढ़ रणनीतिक साझेदारी स्थापित करने और दिल्ली की स्थिति मजबूत करने में भी असफल रहा है। हालाँकि

VISION IAS

9/11 के बाद अमेरिका द्वारा भारत को वाशिंगटन में सैन्य अड्डा बनाने के निमंत्रण दिए एक दशक से अधिक समय बीत चुका है तथापि भारत ने अमेरिका से अभी भी दूरी बनाए रखी है। इस प्रकार आरंभ से ही भारतीय प्रयासों के मिश्रित परिणाम ही प्राप्त हुए हैं।
हालाँकि यह कहा जा सकता है कि अभी भी दोनों पक्षों में बेहतर संबंधों को लेकर आशाएं बनी हुई हैं। पाकिस्तान की तुलना में अधिक सशक्त और स्थिर होने के कारण भारत में इन संबंधों को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाने की क्षमता है। इसके अतिरिक्त, भारत को द्विपक्षीय संबंधों में अपनी कमियों को ध्यान में रखकर किसी भी प्रकार के ऐसे प्रतिक्रियात्मक रुख से बचना चाहिए जो सैन्य कार्यवाही की दिशा में ले जाए क्योंकि विभिन्न कारणों से ऐसी किसी भी कार्यवाही का कार्यान्वयन स्वयं भारत के लिए अत्यधिक कठिन होगा।

1.5 बांग्लादेश (Bangladesh)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री द्वारा विश्व भारती विश्वविद्यालय, शांतिनिकेतन में बांग्लादेश भवन का उद्घाटन किया गया। इस दौरान उन्होंने साझी सांस्कृतिक विरासत पर बल दिया।

भारत के लिए बांग्लादेश का महत्व

भू-राजनीतिक

- **पूर्वोत्तर भारत के साथ जुड़ाव:** भारत की मुख्य भूमि तथा पूर्वोत्तर के सात राज्यों के मध्य बांग्लादेश की अवस्थिति रणनीतिक रूप से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सभी राज्य स्थलरुद्ध हैं तथा इनके लिए समुद्र तक पहुँच का सबसे छोटा मार्ग बांग्लादेश से होकर गुजरता है। बांग्लादेश के साथ पारगमन समझौते से पूर्वोत्तर भारत के सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा तथा उग्रवाद को नियंत्रित करने में भी सहायता मिलेगी।
- **दक्षिण-पूर्व एशिया के लिए सेतु:** भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का बांग्लादेश एक स्वाभाविक स्तंभ है। यह दक्षिण-पूर्व एशिया तथा आस-पास के देशों के साथ आर्थिक तथा राजनीतिक संबंध स्थापित करने हेतु एक "सेतु" के रूप में कार्य कर सकता है। बिम्सटेक और BBIN पहलों में बांग्लादेश द्वारा किया जा रहा समर्थन भारत के दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र में पहुंच का पूरक है।
- **दक्षिण एशिया को क्षेत्रीय शक्ति के रूप में सुदृढ़ बनाना:** आर्थिक विकास तथा सामरिक हितों को सुरक्षित करने हेतु दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (SAARC) जैसे संगठनों का लाभ उठाकर, दक्षिण एशिया के राष्ट्रों के मध्य सहयोग को बढ़ावा देना।
- **समुद्री मार्गों को सुरक्षित बनाना:** बांग्लादेश हिन्द महासागरीय क्षेत्र का एक प्रमुख देश है और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों के समीप अवस्थित है। दक्षिण-पूर्व हिन्द महासागर समुद्री डकैती हेतु एक प्रमुख क्षेत्र बन चुका है। इसे नियंत्रित करने में बांग्लादेश एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
- **आतंकवाद से मुकाबला तथा कट्टरता की रोकथाम**: दोनों ही देश धर्म आधारित कट्टरपंथी संगठनों द्वारा प्रचारित की जाने वाली विचारधारा के प्रति सुभेद्य बने हुए हैं। अतः दोनों देश कट्टरता की रोकथाम करने हेतु प्रयासों, आसूचनाओं के साझाकरण और अन्य आतंकवाद विरोधी गतिविधियों के लिए परस्पर सहयोग कर सकते हैं।
- **पूर्वोत्तर क्षेत्र में उग्रवाद को नियंत्रित करना:** एक मित्र राष्ट्र के रूप में बांग्लादेश यह सुनिश्चित कर सकता है कि वह अपनी भूमि से किसी भी प्रकार की भारत-विरोधी आतंकवादी या उग्रवादी गतिविधियां नहीं संचालित होने देगा।
- **चीन को प्रतिसंतुलित करना:** तटस्थ बांग्लादेश इस क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रमकता को नियंत्रित कर सकेगा और उसकी स्ट्रिंग ऑफ़ पर्ल्स नीति को भी प्रतिसंतुलित करने में सहायक होगा।

व्यापार एवं निवेश

- **द्विपक्षीय व्यापार:** वर्तमान में, भारत एवं बांग्लादेश के मध्य कुल द्विपक्षीय व्यापार लगभग 7 बिलियन अमेरिकी डॉलर है जबकि दोनों देशों के मध्य व्यापार संभावनाएं वर्तमान स्तर से कम से कम चार गुना अधिक हैं।
- **निवेश के अवसर:** रक्षा क्षेत्र (जैसे- मिलिट्री हार्डवेयर), अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अवसंरचनात्मक विकास तथा अन्य क्षेत्रों में निवेश हेतु अनेक अवसर हैं।
    - भारत, BBIN के सदस्य देशों के मध्य उप-क्षेत्रीय सहयोग का विस्तार करने हेतु रेल संबंधी पहलों को बढ़ावा दे सकता है जो स्थलीय बंदरगाहों और स्थलीय कस्टम केन्द्रों तथा हवाई संपर्क के क्षेत्र में नए अवसरों का सृजन करेगा। सड़क, रेल तथा नौपरिवहन मार्गों के माध्यम से क्षेत्र की अर्थव्यवस्थाओं को एकीकृत करने के प्रयास बेहतर लाभांश प्रदान कर सकते हैं।
    - हाल ही में, बांग्लादेश में रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के विकास के लिए भारत, रूस तथा बांग्लादेश के मध्य एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए थे।
- **ब्लू इकोनॉमी में सहयोग:** हाइड्रोकार्बन, समुद्री संसाधन, डीप ओशियन फिशिंग, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण तथा आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग।
- **सामाजिक क्षेत्र का विकास:** बांग्लादेश गरीबी कम करने, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर उपलब्धि हासिल करने और जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु किए गए कार्यों के लिए विकासशील विश्व के लिए वर्तमान में एक रोल मॉडल है।

VISION IAS

रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र

- रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना **रूस के स्टेट एटॉमिक एनर्जी कॉर्पोरेशन रोस्तोम** द्वारा पद्मा नदी पर की जाएगी **तथा न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NPCIL)** इसके निर्माण, संस्थापन तथा अवसंरचनात्मक कार्यों में सहयोग करेगा। यह **भारत-रूस समझौते के अंतर्गत ऐसी पहली पहल है** जिसमें दोनों द्वारा किसी तीसरे देश में परमाणु ऊर्जा संयंत्र परियोजना की स्थापना की जा रही है।
- इसकी **लागत के 90% का** वहन रूस द्वारा किया जाएगा। यह इसके डिज़ाइन, विनिर्माण, उपकरणों की आपूर्ति, निर्माण, स्थापन, स्टार्ट-अप, समन्वय तथा प्रवर्तन को कार्यान्वित करेगा।
- **भारत** कार्मिक प्रशिक्षण, परामर्श सहायता प्रदान करेगा तथा बांग्लादेश में निर्माण स्थल पर निर्माण कार्य एवं स्थापन गतिविधियों तथा नॉन-क्रिटिकल सामग्री की आपूर्ति में सहयोग करेगा।

महत्व

- यह **बांग्लादेश का प्रथम परमाणु रिएक्टर होगा**। इससे बांग्लादेश **दक्षिण एशिया** में भारत तथा पाकिस्तान के बाद असैन्य परमाणु संयंत्र वाला **तीसरा देश** बन जाएगा।
- भारत के NSG का सदस्य न होने के बावजूद रुपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के विकास में रूस तथा भारत की साझेदारी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह भारत को एक **जिम्मेदार परमाणु साझेदार** के रूप में महत्ता प्रदान करेगा।
- यह **पहली बार** है जब भारत विदेश में परमाणु ऊर्जा परियोजना में भाग लेगा। इस प्रकार, इससे भारत में कुछ परमाणु ऊर्जा संयंत्र उपकरणों के विनिर्माण के माध्यम से **मेक इन इंडिया पहल** को बढ़ावा मिलेगा।
- यह भारत के **NSG तथा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य के रूप में प्रवेश** के दावे को भी सुदृढ़ता प्रदान करेगा।

सांस्कृतिक

- भारत और बांग्लादेश के मध्य साझा इतिहास, एक समान विरासत, भाषाई एवं सांस्कृतिक संबंध तथा संगीत, साहित्य और कला के लिए समान अभिरुचि विद्यमान है। लोगों के मध्य पारस्परिक संपर्क में वृद्धि से अन्य क्षेत्रों जैसे कि आर्थिक एवं व्यापारिक संबंधों को (विशेषतः सीमावर्ती क्षेत्रों के समीप) प्रोत्साहित किया जा सकेगा। इससे विशेष रूप से बांग्लादेश के एक छोटे पड़ोसी होने के चलते उत्पन्न हुई वैमनस्यता और विश्वास में कमी को दूर करने में भी सहायता मिलेगी।

गंगा नदी विवाद

- वर्ष 1996 में, दोनों देशों द्वारा गंगा के जल के साझाकरण पर सफलतापूर्वक सहमति व्यक्त की गयी थी। हालांकि, विवाद का प्रमुख क्षेत्र भारत द्वारा **फरक्का बैराज** (हुगली नदी में जल आपूर्ति बढ़ाने हेतु) का निर्माण एवं संचालन रहा है।
- बांग्लादेश द्वारा इस बात पर असंतुष्टता व्यक्त की गयी है कि उसे शुष्क मौसम के दौरान जल का उपयुक्त भाग प्राप्त नहीं होता है, जबकि इसके विपरीत मानसून के दौरान भारत द्वारा अतिरिक्त जल छोड़ने पर बांग्लादेश के कुछ क्षेत्र बाढ़ग्रस्त हो जाते हैं।

तिपाईमुख जल विद्युत परियोजना

- बांग्लादेश द्वारा अपने पूर्वी किनारे पर बराक नदी पर **तिपाईमुख** जल विद्युत परियोजना के निर्माण कार्य को रोकने की मांग की गयी है।
- बांग्लादेश का मत है कि विशालकाय बांध नदी के मौसमी बहाव को बाधित करेगा और निचले क्षेत्रों की कृषि, मत्स्यपालन तथा क्षेत्र की पारिस्थितिकी पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा।
- भारत सरकार ने बांग्लादेश को आश्वासन दिया है कि तिपाईमुख जल विद्युत परियोजना पर उसके द्वारा कोई भी ऐसा एकपक्षीय निर्णय नहीं लिया जायेगा, जो बांग्लादेश को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता हो।

तीस्ता नदी जल साझाकरण से संबंधित मुद्दा

तीस्ता नदी का उद्गम सिक्किम में पौहुनरी (या तिस्ता कंग्से) हिमनद से होता है तथा यह पश्चिम बंगाल के उत्तरी क्षेत्रों में प्रवाहित होती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है। वहां यह ब्रह्मपुत्र नदी (बांग्लादेश में जमुना कहलाती है) में मिल जाती है। यह नदी बांग्लादेश के वृहद रंगपुर क्षेत्र में धान की कृषि हेतु सिंचाई का एक प्रमुख स्रोत है।

- वर्ष 1983 में दोनों देशों के मध्य जल साझाकरण से संबंधित एक अस्थायी समझौता किया गया था, जिसके तहत बांग्लादेश को 36% तथा भारत को 39% जल प्रदान किया गया था, जबकि शेष 25% जल को गैर-आवंटित रखने का निर्णय किया गया था। इस अस्थायी समझौते को कार्यान्वित नहीं किया जा सका।
- बांग्लादेश ने 1996 की गंगा जल संधि की भांति तीस्ता के जल के भी न्यायसंगत वितरण की मांग की है।
- 2011 में भारत तथा बांग्लादेश ने एक समझौते को अंतिम रूप प्रदान किया था। इसके तहत भारत को नदी जल का 42.5% और बांग्लादेश को 37.5% भाग प्राप्त होना था, जबकि शेष 20% नदी के न्यूनतम जल प्रवाह को बनाए रखने हेतु अबाधित

VISION IAS

रूप से प्रवाहित होता रहना था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री द्वारा विरोध किए जाने के कारण इस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए जा सके थे।

नोट- अधिक जानकारी के लिए 'भारत के पड़ोसी देशों के साथ जल संबंध' का संदर्भ लें।

चिंता के प्रमुख विषय

- **असम में NRC का मुद्दा:** 1971 के स्वतंत्रता संघर्ष के पश्चात् जब बांग्लादेश का एक नए देश के रूप में गठन हुआ था, तब लाखों बांग्लादेशी प्रवासियों (जिसमें से अधिकांश अवैध थे) ने भारत में प्रवेश किया था। इसके कारण पूर्वोत्तर राज्यों की जनसांख्यिकी परिवर्तित हो रही है, जो इस क्षेत्र में अशांति का कारण है।
- **रोहिंग्या संकट:** लगभग 11 लाख रोहिंग्या शरणार्थी बांग्लादेश में निवास कर रहे हैं। यद्यपि भारत द्वारा रोहिंग्या संकट के समय 'ऑपरेशन इंसानियत' के तहत मानवीय सहायता प्रदान की गयी थी, परंतु बांग्लादेश भारत से अपेक्षा कर रहा है कि वह रोहिंग्याओं को वापस स्वदेश बुलाने के लिए म्यांमार पर दबाव डाले।
- **सीमा प्रबंधन:** भारत-बांग्लादेश सीमा छिद्रिल प्रकृति की है, जो तस्करी और हथियारों, ड्रग्स तथा लोगों के अवैध व्यापार हेतु मार्ग प्रदान करती है।
- **चीन की भूमिका:** भारत के पड़ोस में चीन की बढ़ती उपस्थिति चिंता का एक प्रमुख कारण बना हुआ है। बांग्लादेश जैसे छोटे देश भारत के विरुद्ध अपनी सौदेबाज़ी क्षमता के पूरक के रूप में *'चाइना कार्ड'* का उपयोग करते हैं।
- **नदी विवाद:** भारत बांग्लादेश के साथ 54 बड़ी और छोटी सीमापारीय नदियों को साझा करता है। इनसे सम्बंधित कुछ विवाद गंगा नदी विवाद - फरक्का बैराज का मुद्दा; तीस्ता नदी विवाद; बराक नदी - तिपाईमुख जल विद्युत परियोजना विवाद आदि हैं।
- **उग्रवादी समूहों की मौजूदगी:** हरकत-उल जिहाद-अल-इस्लामी (HUJI), जमात-ए-इस्लामी और HUJI-B जैसे आतंकवादी समूह बांग्लादेश में भारत-विरोधी भावनाओं को बढ़ावा देते हैं। इनके द्वारा किया जा रहा दुष्प्रचार सीमा-पार भी प्रसारित हो सकता है।

आगे की राह

- भारत तथा बांग्लादेश दीर्घकालिक सांस्कृतिक संबंधों को साझा करते हैं एवं एक-दूसरे के समग्र विकास के लिए पूरक भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं, हालांकि इस संभाव्यता का पूर्ण रूप से लाभ नहीं उठाया जा सका है। यद्यपि हाल के वर्षों में द्विपक्षीय संबंधो में कई सकारात्मक विकास भी हुए हैं, जैसे- ऐतिहासिक **भूमि सीमा समझौता**।
- भारत को विशेष रूप से चीन की उपस्थिति को ध्यान में रखते हुए अपने छोटे पड़ोसी देशों का विश्वास प्राप्त करने हेतु एकपक्षीय समर्थन प्रदान करने संबंधी गुजराल सिद्धांत (Gujral Doctrine) को अपनाना चाहिए। भारत को तीस्ता जल संधि जैसे लंबित मुद्दों का अग्रसक्रिय रूप से समाधान करना चाहिए। भारत को म्यांमार तथा बांग्लादेश से संबंधित रोहिंग्या संकट का समाधान करने हेतु भी सहायता करनी चाहिए।

भारत-बांग्लादेश संबंधों में सुदृढ़ ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक निहितार्थ हैं तथा दोनों देशों को इस सुदृढ़ संबंध के व्यापक लाभों की समझ है। यद्यपि बांग्लादेश को कुछ मुद्दों को लेकर भारत से शिकायतें हैं, परंतु इसने अपनी राष्ट्रीय पहचान को भारत विरोधी होने के संदर्भ में परिभाषित नहीं किया है तथा ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक समानताओं की उपेक्षा नहीं की है। उल्लेखनीय है कि भारत के कुछ अन्य पड़ोसियों के विपरीत बांग्लादेश किसी भी एक देश पर अत्यधिक निर्भर नहीं रहा है (जो यह सुनिश्चित करता कि इसने अपनी विदेश नीति में स्वायत्तता का एक स्तर बनाए रखा है)। यद्यपि, हाल में, चीन के साथ इसकी निकटता में वृद्धि हो रही है।

बांग्लादेश में भी महत्वाकांक्षी मध्यम वर्गीय लोग निवास करते हैं, जो भारत के साथ बेहतर संबंधों के लाभों को प्राप्त करना चाहते हैं। विगत दशक में देश ने लगभग 6 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि के साथ आर्थिक विकास का लाभ प्राप्त किया है।

संबंधों को सुदृढ़ बनाने वाला दूसरा मुद्दा यह है कि दोनों देश न केवल परस्पर, बल्कि दक्षिण

एशिया के अन्य देशों के साथ संपर्क बढ़ाने के इच्छुक हैं, उदाहरण के लिए, BBIN तथा भारत-बांग्लादेश एवं म्यांमार के मध्य एक मजबूत त्रिपक्षीय संबद्धता का प्रस्ताव, जैसे- गैस पाइपलाइन इत्यादि

1.6. श्रीलंका

(Sri Lanka)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने हाल ही में द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारत की यात्रा की।
- बैठक के एजेंडे में अन्य मुद्दों के अतिरिक्त संयुक्त परियोजनाओं पर निर्णय प्रक्रिया में तेजी लाना भी शामिल था।

VISION IAS

श्रीलंका में भारत के संयुक्त उपक्रमों के लिए चुनौतियाँ

- भारत द्वारा श्रीलंका में आरम्भ की गई परियोजनाएं मुख्य रूप से **उनकी पूर्णता तथा कार्यान्वयन में विलम्ब** की चुनौती का सामना कर रही हैं।
- इनमें से अनेक परियोजनाएं भारत के लिए **लाभप्रद नहीं** मानी जा रही हैं जैसे कि- मत्ताला एयरपोर्ट ।
- इस देश में भारत के उपक्रमों को कुल मिलाकर यहाँ **चीन के बढ़ते हुए प्रभाव की प्रतिक्रिया** के रूप में देखा जाता है।
- हालांकि विकास परियोजनाओं को केवल प्रतिक्रिया बताकर ख़ारिज नहीं किया जा सकता। परन्तु भारत द्वारा विकास के लिए दिए जाने वाले धन का अत्यधिक संकेंद्रण तमिल बहुल क्षेत्रों में है। भारत-श्रीलंका के द्विपक्षीय संबंधों पर इसके **राजनीतिक परिणाम** दिखाई देते हैं जो बहुसंख्यक सिंहली जनसंख्या के सामूहिक दृष्टिकोण से सृजित हुए हैं।

भारत और श्रीलंका के आर्थिक संबंध

- **वाणिज्यिक संबंध**- श्रीलंका सार्क में भारत के सबसे बड़े व्यापारिक सहयोगियों में से एक है।
  - **मार्च 2000 में भारत-श्रीलंका मुक्त व्यापार समझौते** के प्रभावी होने के बाद से दोनों देशों के मध्य व्यापार तेजी से बढ़ा है।
  - वर्ष 2015 में द्विपक्षीय व्यापार $ 4.7 बिलियन के स्तर पर रहा। 2015 में भारत से श्रीलंका को हुए निर्यातों का मूल्य 4.1 बिलियन डॉलर (2.1% अधिक) रहा, जबकि श्रीलंका द्वारा भारत को किए गए निर्यात 645 मिलियन डॉलर (3.2% अधिक) मूल्य के रहे।
  - वर्ष 2003 से कुल 1 बिलियन डॉलर के निवेश के साथ भारत श्रीलंका में चार शीर्ष निवेशकों में से एक है।
- **हालिया विकास**- श्रीलंका ने हाल ही में इसके उत्तर-पूर्वी भाग में स्थित **त्रिंकोमाली बंदरगाह** (ऑइल टैंक फार्म) को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए भारत को अनुमति प्रदान की।
  - श्रीलंका ने पेट्रोनेट LNG को अपने देश में **लिक्विड गैस इम्पोर्ट टर्मिनल** स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया है। इससे श्रीलंका को गैस (जो कि भावी आर्थिक वृद्धि के लिए ईंधन है) के क्षेत्र में मजबूत बनने में सहायता मिलेगी।
  - श्रीलंका ने **हम्बनटोटा में 1,200 आवासों** के निर्माण हेतु भारत के साथ समझौता किया है।
  - भारत ने भी हम्बनटोटा में **मत्ताला एअरपोर्ट** को पट्टे पर लेने और उसके प्रबंधन के लिए बोली लगाई है।
  - भारत श्रीलंका में कई सड़क और रेल परियोजनाओं के निर्माण में भी सहयोग कर रहा है।
- इसके साथ ही भारत द्वारा श्रीलंका में जनसंख्या के वंचित वर्गों और आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों (IDPs) के लिए **विकासात्मक सहायता परियोजनाओं** के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण प्रगति की गयी है, जो भारत की "नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी" के अनुरूप है।

भारत और श्रीलंका के मध्य चिंता के विषय

- **मछुआरों से संबंधित मुद्दा:**
  - श्रीलंका के प्रादेशिक जल क्षेत्र में कथित रूप से शिकार करने वाले तमिलनाडु के मछुआरों का मुद्दा निरंतर टकराव का कारण रहा है। श्रीलंका के उत्तरी क्षेत्र के मछुआरों द्वारा भारत से आने वाले ट्रॉलरों के कारण उनके मत्स्यन व्यवसाय में होने वाली कमी और गंभीर पर्यावरणीय क्षति के प्रति निरंतर चिंता व्यक्त की गयी है।
  - दोनों देशों द्वारा विवाद का समाधान करने और भविष्य में सतत मत्स्यन के लिए तंत्र विकसित करने हेतु मत्स्य पालन पर एक **संयुक्त कार्य समूह (JWG)** का गठन किया गया है।
- **शक्ति का हस्तांतरण:** भारत एक "संयुक्त श्रीलंका" का समर्थन करता है, किन्तु साथ ही "13वें संशोधन का शीघ्र और पूर्ण क्रियान्वयन" चाहता है। 13वें संशोधन में तमिल बहुल उत्तरी और पूर्वी प्रांतों को शक्ति के हस्तांतरण का प्रावधान किया गया है।
- **सुलह प्रक्रिया और युद्ध अपराध:**
  - युद्ध अपराधों पर UNHRC प्रस्ताव एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर दोनों देशों को परस्पर समझ विकसित करनी है।
  - भारत द्वारा पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार सहित मित्र देशों में तीव्र पुनर्वास एवं बंदरगाहों तथा अन्य सुविधाओं का समर्थन किया गया है।
  - यह भारत के लिए इसके प्रभाव क्षेत्र में चीन के अतिक्रमण के संबंध में चिंता उत्पन्न करता है और श्रीलंका के साथ इसके वाणिज्यिक और सांस्कृतिक संबंधों में कमी करता है।
  - श्रीलंका में आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों (IDPs) के पुनर्वास का मुद्दा भी भारत के लिए चिंता का विषय है।
- **'चीन फैक्टर'**
  - चीन ने अपनी **"स्ट्रिंग ऑफ़ पर्ल्स" नीति** के अंतर्गत श्रीलंका के बुनियादी ढाँचे में अत्यधिक निवेश किया है। चीन की इस नीति का लक्ष्य पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार जैसे मित्र देशों में बंदरगाह और अन्य सुविधाओं का निर्माण कर दक्षिण एशिया में अपनी नौसैनिक उपस्थिति दर्ज कराना है।

VISION IAS

- पिछली सरकार के दौरान, श्रीलंका ने एक ऐसे समय में आर्थिक और कूटनीतिक समर्थन के लिए चीन का रुख किया जब पश्चिमी देश तमिल अलगाववादियों के साथ इसके संघर्ष के समय किए गए अपराधों के लिए कोलम्बो पर प्रतिबंध लगाने की धमकी दे रहे थे। चीन श्रीलंका में सबसे बड़ा निवेशक है।
- इस प्रकार श्रीलंका में चीन का आर्थिक प्रभुत्व निवेश और ऋण, दोनों ही रूपों में बढ़ा है।
- हाल ही में श्रीलंका ने औपचारिक रूप से अपने दक्षिणी बंदरगाह हंबनटोटा को 99 वर्षों के पट्टे पर चीन को सौंप दिया है। यह बंदरगाह भारत-चीन के मध्य भूराजनीतिक रस्साकशी का एक प्रत्यक्ष उदाहरण बन गया था। श्रीलंका ने पहले भी दोनों देशों को शामिल करने वाली परियोजनाओं के विरुद्ध विरोध का सामना किया है।

लेसंस लर्न्ट एंड रीकन्सिलिएशन कमीशन (LLRC)

यह श्रीलंका द्वारा 2010 में नियुक्त जांच आयोग था। इसे निम्नलिखित मामलों की जाँच का उत्तरदायित्व प्रदान किया गया:

- वे तथ्य और परिस्थितियां जिनके कारण युद्धविराम समझौता विफल रहा,
- उन घटनाओं से लिए जा सकने वाले सबक,
- भविष्य में इस प्रकार की चिंताजनक स्थितियों की किसी भी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए आवश्यक संस्थागत, प्रशासनिक और विधिक उपाय, और
- सभी समुदायों के मध्य राष्ट्रीय एकता और सामंजस्य को बढ़ावा देना।

आगे की राह

- क्वाड (Quad) वार्ताओं की प्रगति को देखते हुए हिन्द महासागर में श्रीलंका की सामरिक अवस्थिति के कारण भारत के लिए इसका महत्त्व और भी बढ़ गया है।
- दूसरी ओर श्रीलंका दोनों देशों के साथ अच्छे संबंधों को बनाए रखने में लाभ देखता है। किंतु श्रीलंका की सरकार के लिए आर्थिक औपनिवेशीकरण की घरेलू चिंताओं को दूर रखने के साथ-साथ चीन और भारत के प्रतिस्पर्द्धी हितों के मध्य संतुलन साधना कठिन हो सकता है।
- हालांकि, चीन की उपस्थिति पर भारत की चिंता को उचित ठहराया जा सकता है किन्तु भारत को श्रीलंका को चीनी परिप्रेक्ष्य से नहीं देखना चाहिए। **किसी भी इच्छुक भागीदार से संबंध स्थापित करते समय उस देश की स्वायत्तता का सम्मान** करना चाहिए। भारत जितना अधिक श्रीलंका को समान भागीदार के रूप में मानेगा, दोनों के मध्य उतने ही अधिक सुदृढ़ संबंध स्थापित होंगे।
- वर्तमान में श्रीलंका भी भारत और चीन के मध्य अपनी नीति को संतुलित करने का प्रयास कर रहा है, जिससे भारत को हम्बनटोटा एयरपोर्ट, कोलंबो बंदरगाह परियोजना और एक प्रमुख एक्सप्रेसवे में हिस्सेदारी प्राप्त हुई है। इसके अतिरिक्त चीन से प्राप्त ऋण (जिसके कारण श्रीलंका ऋण जाल में फंस गया है) की पृष्ठभूमि में श्रीलंका ने अपने समुद्री क्षेत्र में चीनी पनडुब्बियों को प्रतिबंधित कर दिया है।

1.7. भारत-नेपाल संबंध

(India-Nepal Relations)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में नेपाल के प्रधानमन्त्री दिसम्बर 2017 में नेपाल के संसदीय चुनावों के पश्चात् भारत की तीन दिवसीय अधिकारिक यात्रा पर आए।

भारत-नेपाल संबंधों की पृष्ठभूमि

भारत और नेपाल **मित्रता एवं सहयोग** के एक अद्वितीय संबंध को साझा करते हैं जो खुली सीमाओं तथा दोनों देशों के लोगों की परस्पर प्रगाढ़ नातेदारी एवं सांस्कृतिक सम्बन्धों से परिलक्षित होता है। **1950 की भारत-नेपाल शांति और मैत्री संधि** के प्रावधानों के तहत नेपाली नागरिक भारतीय नागरिकों के समान सुविधाओं तथा अवसरों का लाभ उठा सकते हैं। इसके अतिरिक्त भारत-नेपाल संबंध निम्नलिखित पर आधारित हैं:

- **उच्च स्तरीय आदान-प्रदान:** उच्च स्तरीय यात्राओं से भिन्न दोनों देश SAARC, BIMSTEC आदि संगठनों तथा द्विपक्षीय संस्थागत वार्ता तन्त्र जैसे कि भारत-नेपाल संयुक्त आयोग के माध्यम से सहयोग करते हैं।
- **मानवीय सहायता और आपदा राहत:** भारत ने नेपाल में भूकंप पुनर्निर्माण परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF) टीमें एवं बचाव और राहत सामग्री भेजी तथा साथ ही 750 मिलियन अमरीकी डालर के नए लाइन ऑफ़ क्रेडिट समझौते पर हस्ताक्षर किये।

VISION IAS

- **आर्थिक:** वर्ष 1996 के बाद नेपाल से भारत को किये जाने वाले निर्यात में ग्यारह गुना वृद्धि हुई है तथा **द्विपक्षीय व्यापार** बढ़ कर सात गुना से अधिक हो गया है। साथ ही नेपाल में लगभग 150 **भारतीय उपक्रम** विनिर्माण, सेवा (बैंकिंग, बीमा, शुष्क बन्दरगाह, शिक्षा तथा टेलीकॉम), विद्युत् क्षेत्र तथा पर्यटन उद्योग में कार्यरत हैं।
- **जल संसाधन:** लगभग 250 छोटी एवं बड़ी नदियाँ नेपाल से भारत में प्रवाहित होती हैं तथा गंगा नदी बेसिन के एक भाग का निर्माण करती हैं। ये नदियाँ सिंचाई और विद्युत् उर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत बन सकती हैं। जल संसाधन और जल-विद्युत् में सहयोग से संबंधित एक **त्रि-स्तरीय द्विपक्षीय तंत्र** 2008 से कार्य कर रहा है।
- **भारत की नेपाल को विकास सम्बन्धी सहायता:** भारत नेपाल को पर्याप्त वित्तीय और तकनीकी विकास सहायता उपलब्ध कराता है जैसे :
  - **सीमा अवसंरचना** के विकास में तराई क्षेत्र में सड़कों के उन्नयन के माध्यम से नेपाल को सहायता।
  - **सीमा पार रेल संपर्कों** का विकास।
  - **चार एकीकृत चेक पोस्ट्स** की स्थापना।
  - उपक्रम अवसंरचना विकास परियोजनाओं हेतु लाइन ऑफ़ क्रेडिट।
- **रक्षा सहयोग:** भारत ने उपकरणों, प्रशिक्षण एवं आपदा प्रबंधन क्षेत्र में सहयोग प्रदान कर नेपाली सेना (NA) के आधुनिकीकरण में मदद की है। इसके अतिरिक्त भारतीय सेना में गोरखा सिपाहियों की बड़े पैमाने पर भर्ती की गई है तथा दोनों सेनाएं एक-दूसरे के सेना प्रमुखों को जनरल की मानद रैंक प्रदान कर रही हैं।
- **विद्युत:** "इलेक्ट्रिक पॉवर ट्रेड, क्रॉस-बॉर्डर ट्रांसमिशन इंटर-कनेक्शन एंड ग्रिड कनेक्टिविटी" के सम्बन्ध में एक समझौते पर 2014 में हस्ताक्षर किये गए थे। इस समझौते का उद्देश्य भारत और नेपाल के मध्य सीमा पार विद्युत् व्यापार को सुविधाजनक तथा अधिक सुदृढ़ बनाना था।
- **शिक्षा:** भारत सरकार नेपाली नागरिकों को प्रत्येक वर्ष लगभग 3000 छात्रवृतियां/सीट उपलब्ध कराती है।
- **संस्कृति:** भारत सरकार लोगों से लोगों के सम्पर्क को प्रोत्साहित करती है तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों, सम्मेलनों एवं सेमिनारों का आयोजन करती है। भारत और नेपाल काठमांडू-वाराणसी, लुम्बिनी-बोधगया तथा जनकपुर-अयोध्या के युग्म बनाने हेतु **श्री सिस्टर-सिटी समझौतों** पर हस्ताक्षर भी कर चुके हैं।

नेपाली प्रधानमंत्री की हालिया यात्रा का परिणाम और मूल्यांकन

- यह यात्रा अत्यंत महत्वपूर्ण थी क्योंकि भारत-नेपाल संबंध 2015 से तनाव के दौर से गुजर रहे थे।
- यात्रा के दौरान **एक 12-बिंदुओं वाला नियमित संयुक्त वक्तव्य** तथा कृषि, काठमांडू तक रेल सम्पर्क तथा अंतर्देशीय जलमार्गों पर तीन विशेष वक्तव्य जारी किये गए। इनमें शामिल हैं:
  - **रक्सौल-काठमांडू रेलवे लाइन** के निर्माण के संदर्भ में "व्यवहार्यता अध्ययन" हेतु समझौता।
  - वस्तुओं और लोगों के नेपाल से अन्य देशों में परिवहन हेतु **नेपाली स्टीमरों के परिचालन** के लिए समझौता। इस समझौते द्वारा माल की लागत प्रभावी और कुशल आवाजाही के सक्षम होने तथा नेपाल के व्यवसाय और अर्थव्यवस्था की वृद्धि में अत्यधिक योगदान दिए जाने की संभावना है।
  - व्यापार और पारगमन (transit) समझौतों की रूपरेखा के अन्तर्गत माल की आवाजाही हेतु अंतर्देशीय जलमार्गों का विकास तथा इसके माध्यम से नेपाल को समुद्र तक अतिरिक्त पहुंच उपलब्ध कराना।
  - नेपाल में जैविक कृषि और मृदा स्वास्थ्य निगरानी पर एक पायलट परियोजना संचालित करना।
- इसके अतिरिक्त संयुक्त वक्तव्यों में **नेपाल के आंतरिक मुद्दों को शामिल नहीं किया गया** जैसे - नए संविधान का संशोधन अल्पसंख्यकों एवं मधेशियों का समावेशन आदि। इस प्रकार दो देशों के मध्य अविश्वास को समाप्त करने में सहायता प्राप्त हुई।

चुनौतियाँ

- भारत का मानना था कि नये **नेपाली संविधान** ने तराई क्षेत्र के लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं किया। भारत ने नेपाल पर दबाव बनाने हेतु आपूर्तियों को बाधित करने के लिए मधेशियों द्वारा उत्पन्न किये गए अवरोधों को समर्थन प्रदान किया।
- नेपाल **1950 की शांति एवं मित्रता संधि** में संशोधन चाहता है। यह संधि इसे भारत के परामर्श के बिना किसी तीसरे देश के साथ सुरक्षा संबंध स्थापित करने अथवा हथियार खरीदने से निषिद्ध करती है।
- नेपाल में चीन की परियोजनाओं के क्रियान्वयन की तुलना में, भारत द्वारा नेपाल में **विभिन्न परियोजनाओं** के क्रियान्वयन में **अधिक विलंब के कारण** भारत के प्रति नेपाल में अविश्वास का माहौल है।
- भारत का यह भी कहना है कि वह **चीन द्वारा निर्मित बांधों** (हाल ही में चीन के श्री गॉर्जस कॉर्पोरेशन को नेपाल में दूसरे बांध के निर्माण का प्रोजेक्ट दिया गया) से विद्युत नहीं खरीदेगा तथा उसके द्वारा विद्युत की खरीद तभी की जाएगी जब परियोजनाओं में भारतीय कंपनियों को भी सम्मिलित किया जाए।

सहयोग के संभावित क्षेत्र

यद्यपि चीन नेपाल के साथ आर्थिक सहयोग में वृद्धि कर रहा है परन्तु भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापार एवं व्यावसायिक भागीदार बना रहेगा। इसके अतिरिक्त नेपाल के चीन के साथ हस्ताक्षरित पारगमन समझौते के बावजूद किसी तीसरे देश के साथ नेपाल के व्यापार हेतु भारत एकमात्र पारगमन देश है।

VISION IAS

- नेपाल को अवसंरचना विकास हेतु तथा प्रांतीय राजधानियों में अनिवार्य प्रशासनिक अवसंरचना के सृजन के माध्यम से नए संविधान के संघीय प्रावधानों के क्रियान्वयन हेतु व्यापक **विकासात्मक सहायता** की आवश्यकता है।
- **जलविद्युत (hydle) सहयोग:** नेपाल की 700 मेगावाट की स्थापित जलविद्युत क्षमता 80,000 मेगावाट की संभावित क्षमता से काफी कम है। इसके अतिरिक्त गंगा का 60% जल नेपाल की नदियों से आता है और मानसून के महीनों में यह प्रवाह 80% तक हो जाता है। अत: सिंचाई और विद्युत उत्पादन दोनों के लिए प्रभावी जल प्रबंधन को कम महत्त्व नहीं दिया जा सकता।
- भारत को अपूर्ण परियोजनाओं, शेष ICPs, पांच रेलवे कनेक्शनों , तराई में पोस्टल रोड नेटवर्क तथा पेट्रोलियम पाइपलाइन पर प्रभावी रूप से आपूर्ति करने की आवश्यकता है। इससे कनेक्टिविटी में वृद्धि हो सकेगी और 'समावेशी विकास और समृद्धि' यथार्थ में परिणत हो सकेंगे।

1.7.1. भारत-नेपाल मैत्री संधि

(India-Nepal Friendship Treaty)

नेपाल में घरेलू लोकतांत्रिक परिवर्तन के संदर्भ में इस संधि में संशोधन करने की मांग की गई है। नेपाल में विभिन्न पक्षों द्वारा निम्नलिखित शिकायतों को व्यक्त किया गया है:

- **यह संधि बीत चुके युग से संबंधित है:** नेपाल की राजशाही ने भारत को अपने देश में लोकतान्त्रिक आंदोलन का समर्थन करने से रोकने के लिए भारत के साथ मित्रता की पेशकश की थी। इसके अतिरिक्त तिब्बत पर कब्जे के संदर्भ में चीन की ओर से संभावित खतरे ने भारत तक पहुँच को उचित सिद्ध किया। किन्तु, वर्तमान में न तो राजशाही अस्तित्व में है और न ही चीन से कोई खतरा विद्यमान है।
- **समान संबंधों की आवश्यकता:** नेपाल में कुछ वर्गों की शिकायत है कि भारत नेपाल के साथ समान व्यवहार नहीं कर रहा है। यह 2015 में सीमावर्ती क्षेत्रों की नाकाबंदी द्वारा स्पष्टतः व्यक्त होता है। इसके साथ ही यह भी समझा जाता है कि भारत मधेसी जैसे समूहों का समर्थन कर वहां की घरेलू राजनीति में भी हस्तक्षेप कर रहा है।
- **संप्रभुता का तर्क:** अधिकांश लोगों द्वारा तर्क दिया गया है की यह संधि नेपाल को अन्य देशों (विशेषतः चीन) के साथ स्वतंत्रतापूर्वक अपने सामरिक तथा आर्थिक हितों की पूर्ति करने से वंचित करती है।

भारत-नेपाल मैत्री संधि

यह निम्नलिखित प्रावधान करती है-

- दोनों देशों के मध्य एक खुली सीमा,
- नेपाली नागरिकों को बिना वर्क परमिट के भारत में कार्य करने, सरकारी नौकरियों तथा सिविल सेवाओं (IFS, IAS तथा IPS को छोड़कर) के लिए आवेदन की अनुमति प्रदान करती है।
- बैंक खाता खोलने एवं अचल संपत्ति खरीदने की अनुमति प्रदान करती है।

भारत ने सद्भावना के संकेत के रूप में पारस्परिकता के तहत अपने अधिकारों को त्याग दिया था।

नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के भाग के रूप में तथा गुजराल सिद्धांत जैसे विचारों का पालन करते हुए भारत को पडोसी देश की लोकप्रिय आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करने वाले किसी भी विचार के प्रति सजग रहना चाहिए। अतः यदि संधि को संशोधित करना नेपाल में एक लोकप्रिय मांग है तो भारत को निश्चित रूप से इस प्रकार के विचार के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया देनी चाहिए।

फिर भी, यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि मौजूदा संधि के अंतर्गत दोनों देशों के नागरिकों को पारस्परिक राष्ट्रीय व्यवहार जैसे प्रावधान ने नेपाल को लाभ पहुँचाया है। विदेश मंत्रालय (MEA) के आंकड़ों के अनुसार, लगभग 6 मिलियन नेपाली नागरिक भारत में निवास तथा कार्य करते हैं।

भारत नेपाल के लिए सदैव एक मित्र रहा है और ऐसे विचारों को सरकार के उच्चतम स्तर (जैसे प्रधानमंत्री द्वारा हालिया नेपाल यात्रा के दौरान) पर व्यक्त किया जाता है। इस संदर्भ में, एक और हिमालयी पड़ोसी भूटान का उदाहरण लिया जा सकता है। भारत और भूटान ने 1949 की संधि अथवा 2007 में इसके संशोधित संस्करण के तहत अपने सुदृढ़ संबंधों को बनाए रखा है।

1.7.2. भारत-चीन-नेपाल त्रिकोणीय संबंध

(India-China- Nepal Triangle)

सुर्ख़ियों में क्यों?

चीन ने नेपाल के साथ एक नई संवाद व्यवस्था का प्रस्ताव रखा है जिसमें नेपाल के प्रधानमंत्री की चीन की यात्रा के दौरान संवाद में भारत को भी सम्मिलित किया जाएगा।

2+1 संवाद व्यवस्था क्या है?

- संवाद के लिए **टू प्लस वन** प्रारूप को प्रस्तावित किया गया है जो **त्रिपक्षीय व्यवस्था से भिन्न** है। चीनी प्रस्ताव के अंतर्गत, चीन और भारत संयुक्त रूप से किसी भी तीसरे क्षेत्रीय देश के साथ वार्ता आयोजित कर सकते हैं अर्थात् यह केवल नेपाल विशिष्ट न होकर दक्षिण एशिया के किसी भी अन्य देश पर लागू हो सकती है।

VISION IAS

इस व्यवस्था की आवश्यकता

- नेपाल की विकास संबंधी आवश्यकताएं अत्यधिक हैं और यह वैश्विक एवं क्षेत्रीय स्तर पर प्रगति कर रहे अपने दोनों पड़ोसी देशों, भारत और चीन से अर्थपूर्ण और परस्पर लाभकारी आर्थिक साझेदारी का इच्छुक है।
- अमेरिकी प्रशासन ने **वैश्विक व्यापार प्रतिबंध नीतियों** का आरम्भ किया है जो विकासशील तथा उभरती अर्थव्यवस्थाओं को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकती हैं। इस प्रकार का मंच भारत और चीन जैसे देशों पर ऐसी नीतियों के प्रभाव को कम करने में सहायता प्रदान करेगा।
- नेपाल पर्याप्त सीमा पार सम्बद्धता के विकास के माध्यम से स्थलरुद्ध देश (land-locked country) से स्थल-योजित देश (land-linked country) के रूप में परिवर्तित हो सकता है और दोनों चिर प्रतिद्वंदी देशों के मध्य संपर्क बिंदु के रूप में कार्य कर सकता है।
- चीन और नेपाल ने एक **बहुआयामी ट्रांस-हिमालयन कनेक्टिविटी नेटवर्क** विकसित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। क्षेत्रीय कनेक्टिविटी से संबंधित ऐसी परियोजनाओं की सफलता के लिए इनमें भारत को सम्मिलित करना आवश्यक है।

इस प्रकार के मंच के कार्यान्वयन में चुनौतियां:

- नेपाल में सहयोग के नए क्षेत्रों के साथ चीन की तीव्रता से बढ़ती आर्थिक, सैन्य और रणनीतिक भागीदारी ने भारत को असहज बना दिया है। **भारत नेपाल को अपने पारंपरिक प्रभाव क्षेत्र के रूप में मानता है।** इसके अतिरिक्त नेपाल भी भारत पर अपनी अत्यधिक आर्थिक निर्भरता की पुरानी पद्धति में परिवर्तन करने का प्रयास कर रहा है।
- नेपाल ने **चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI)** को अपना समर्थन दिया है, जिसका भारत दृढ़ता के साथ विरोध करता रहा है।
- प्रस्तावित नेपाल-चीन क्रॉस बॉर्डर रेलवे लाइन **कीरोंग से काठमांडू तक और काठमांडू से पोखरा एवं** उसके आगे नेपाल-भारत सीमा के निकट **लुंबिनी से** होकर जाएगी, जो भारत के सुरक्षा हितों को प्रभावित कर सकती है।
- यद्यपि **चीन और नेपाल** व्यापक कनेक्टिविटी के विषय में चर्चा कर रहे हैं, किन्तु वास्तविकता यह है कि इसके लिए चीन ने बहुत कम सीमा बिन्दुओं को खोला है। **दोनों देशों के मध्य सर्वाधिक प्राचीन एवं सबसे बड़े व्यापार केंद्र तातोपानी क्रॉसिंग** को तीन वर्षों के लिए बंद कर दिया गया है।

भारत-चीन-नेपाल त्रिकोण की बदलती गतिकी

भारत के लिए लाभ

- नेपाल भौगोलिक रूप से भारत से तीन ओर से घिरा हुआ है। इसके कारण इसे भारत और चीन के मध्य एक बफर राज्य समझा जाता है।
- नेपाल के वैश्विक व्यापार का दो तिहाई भारत के साथ होता है और इसके कुल निर्यात /आयात का 90 प्रतिशत से अधिक भाग भारत से होकर गुजरता है। लाखों की संख्या में नेपाल के नागरिक भारत में निवास तथा कार्य करते हैं और प्रति दिन बड़ी संख्या में लोग सीमा पार आवागमन करते हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय वस्तुएं चीनी निर्यात की तुलना में काफी सस्ती हैं।

चाइना कार्ड

- 2015 में नेपाल के नए संविधान निर्माण के पश्चात भारत के साथ इसके संबंधों में गिरावट आई है। **नए संविधान में तराई क्षेत्र में निवास करने वाले मधेसी लोगों की मांगों की उपेक्षा की गई।** लगभग छह महीनों तक भारत-नेपाल सीमा अवरुद्ध रही। निरंतर नाकेबंदी ने नेपाल में भारत विरोधी भावना को उत्पन्न किया।
- **चीन** ने उस दौरान नेपाल को ईंधन की आपूर्ति की तथा उसके पश्चात चीन ने नेपाल के समक्ष ऊर्जा और संरचना समझौते, रेल लिंक, मुक्त व्यापार समझौता तथा व्यापार एवं पारगमन संधि का प्रस्ताव रखा।
- **इन समझौतों के माध्यम से नेपाल ने भारत को एक प्रभावशाली संदेश भेजने** का प्रयत्न किया कि उसके पास भारत से उत्पन्न किसी भी दबाव का सामना करने के लिए चीनी समर्थन प्राप्त करने का एक व्यवहार्य विकल्प मौजूद है।
- नेपाल के साथ बढ़ते चीनी निवेश और सहयोग से **भारत पर नेपाल की निर्भरता कम हो जाएगी**। इसके भारत पर गंभीर रणनीतिक प्रभाव हो सकते हैं।
- **नेपाल चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में सक्रिय रूप से भाग लेकर** चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे में भारत की संप्रभुता के विवाद को अनदेखा कर सकता है।
- नेपाल और चीन एक मुक्त व्यापार समझौते की संभावना की खोज में भी संलग्न हैं तथा चीन शांति एवं मैत्री संधि के लिए भी दबाव बना रहा है।
- गत वर्ष अपने प्रथम संयुक्त सैन्य अभ्यास के बाद से नेपाल की सेना तथा चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के मध्य सहयोग में भी वृद्धि हो रही है।

VISION IAS

आगे की राह

- विगत कुछ वर्षों से नेपाल लगातार 'चाइना कार्ड' का प्रयोग कर रहा है। भारत और चीन के सन्दर्भ में इसकी पड़ोसी देशों से संबंधित नीतियां भी परिवर्तित हो रही हैं। इसलिए भारत को अपने निकटतम पड़ोसियों के साथ विवेकपूर्ण और संवेदनशील व्यवहार करना चाहिए और यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि वे स्वयं को पृथक महसूस न करे।
- नेपाल को तेजी से विकास करते हुए आगे बढ़ रहे इन दोनों देशों के मध्य सेतु के रूप में कार्य करना चाहिए तथा इस क्षेत्र में सहयोग, समृद्धि एवं शांति लाने में भी सहायता करनी चाहिए।

1.8. अफगानिस्तान

(India-Afghanistan)

ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक संबंधों के आधार पर भारत तथा अफगानिस्तान के मध्य प्रगाढ़ संबंध रहे हैं। प्राचीन काल से, अफगानिस्तान और भारत के लोगों ने व्यापार एवं वाणिज्य के माध्यम से एक-दूसरे के साथ संपर्क स्थापित किया है तथा अपने साझा सांस्कृतिक मूल्यों एवं समानताओं के आधार पर शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व को बनाए रखा है।

- **1979-89 के सोवियत-अफगान युद्ध** के दौरान, भारत एकमात्र ऐसा दक्षिण एशियाई देश था जिसने सोवियत समर्थित डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ़ अफगानिस्तान को अपना समर्थन प्रदान किया था। इसके साथ ही भारत सरकार ने तत्कालीन अफगान राष्ट्रपति नजीबुल्लाह की सरकार को मानवीय सहायता भी प्रदान की थी। कालांतर में सोवियत सेनाओं की अफगानिस्तान से वापसी के पश्चात् भी भारत ने अपने मानवीय सहायता कार्यक्रमों को नजीबुल्लाह सरकार के लिए जारी रखा था।
- वर्ष 1999 से ही भारत, तालिबान विरोधी गठबंधन के प्रमुख समर्थकों में शामिल रहा है।
- वर्ष 2005 में, भारत ने दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) में अफगानिस्तान की सदस्यता का प्रस्ताव रखा था।
- वर्ष 2016 में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अफगानिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'अमीर अमानुल्लाह खान पुरस्कार' से सम्मानित किया गया।
- हाल ही में भारत ने अफगानिस्तान के शांति प्रस्ताव का भी समर्थन किया है।

भारत द्वारा संस्थानों एवं अवसंरचना के निर्माण में किया गया योगदान

- अवसंरचना, शिक्षा तथा कृषि के क्षेत्र की अनेक विकास परियोजनाओं में भारत अफगानिस्तान के लिए छठा सबसे बड़ा दानकर्ता है।
- भारत सरकार द्वारा अफगानिस्तान में संस्थानों एवं अवसंरचना के विकास के लिए लगभग 2 बिलियन डॉलर का योगदान किया गया है। अफगानिस्तान में भारत की अधिकतर विकास परियोजनाएं मुख्य रूप से वृहद अवसंरचना परियोजनाओं, मानवीय सहायता, क्षमता निर्माण पहलों एवं लघु विकास परियोजनाओं से संबंधित हैं।
- कुछ प्रमुख परियोजनाएं निम्नलिखित हैं:
  - ईरान की सीमा तक माल एवं सेवाओं की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए **जरांज से डेलाराम** तक की 218 किलोमीटर सड़क का निर्माण,
  - पुल-ए-खुमरी से काबुल तक 220 KV DC ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण और चिमतारा में 220/110/20 KV सब-स्टेशन का निर्माण,
  - हेरात प्रांत में **अफगान-भारत मैत्री बांध (सलमा बांध)** का निर्माण,
  - **अफगानिस्तान की संसद** का निर्माण।
- **नवीन विकास भागीदारी:**
  - अफगानिस्तान को भारत द्वारा प्रदत्त 2 अरब अमेरिकी डॉलर की विकास एवं आर्थिक सहायता के तहत निर्मित परियोजनाओं के सकारात्मक प्रभाव के परिणामस्वरूप दोनों देशों ने अगली पीढ़ी की 'नवीन विकास भागीदारी' को प्रारम्भ करने पर सहमति व्यक्त की है।
  - इस संदर्भ में, अफगानिस्तान सरकार की प्राथमिकताओं एवं अनुरोध के आधार पर शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, पेयजल, नवीकरणीय ऊर्जा, बाढ़ नियंत्रण, लघु जलविद्युत परियोजना, खेल और प्रशासनिक अवसंरचना आदि क्षेत्रों में 116 उच्च सामुदायिक प्रभाव वाली विकास परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है।

अफगानिस्तान का रणनीतिक महत्व:

- अफगानिस्तान ऊर्जा समृद्ध मध्य एशिया का प्रवेश द्वार है। इसके अतिरिक्त यह दक्षिण एशिया को मध्य एशिया एवं मध्य पूर्व, दोनों से जोड़ता है।
- अफगानिस्तान में विशाल पुनर्निर्माण परियोजनाएं भारतीय कंपनियों के लिए अनेक अवसर प्रदान करती हैं।

VISION IAS

- अफगानिस्तान में महत्वपूर्ण तेल एवं गैस और दुर्लभ मृदा तत्वों (रेयर अर्थ मैटेरियल्स) के समृद्ध स्रोत विद्यमान हैं।
- काबुल में स्थिर सरकार की स्थापना, दक्षिण एशिया के साथ-साथ जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए भी आवश्यक है। फिर भी, नई दिल्ली के लिए सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य पाकिस्तान को अफगान मामलों में केंद्रीय भूमिका प्राप्त करने से रोकना है।
- अफगानिस्तान द्वारा रणनीतिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए सर्वप्रथम भारत का चयन किया गया, जबकि पाकिस्तान एवं अमेरिका इसके इच्छुक थे। भारत ने "अफगान राष्ट्रीय सुरक्षा बलों को प्रशिक्षण देने, उन्हें समर्थ बनाने एवं उनके क्षमता निर्माण कार्यक्रम" में सहायता करने के लिए वर्ष 2011 में **रणनीतिक साझेदारी समझौते** पर हस्ताक्षर किये हैं।
- भारत द्वारा तालिबान का मुकाबला करने के लिए द्विपक्षीय रणनीतिक समझौते के तहत अफगानिस्तान को तीन Mi-25 अटैक हेलीकॉप्टर प्रदान किए गए हैं।
- अफगानिस्तान ने तापी पाइपलाइन परियोजना पर भी हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान से होते हुए भारत में प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करना है।

भारत-अफगानिस्तान के मध्य सहयोग के प्रमुख क्षेत्र

- **व्यापार**
  - वर्ष 2016-17 के दौरान द्विपक्षीय व्यापार लगभग 800 मिलियन अमरीकी डॉलर था एवं इसमें और अधिक वृद्धि की सम्भावना विद्यमान है। प्रत्यक्ष भूमि संपर्क के अभाव के बावजूद, भारत अफगानिस्तान के निर्यात के लिए दूसरा सबसे बड़ा गंतव्य है।
  - भारत द्वारा अफगानिस्तान में निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुओं में वस्त्र, फार्मास्यूटिकल्स, तंबाकू, लौह एवं इस्पात तथा विद्युत मशीनरी शामिल हैं। वहीं अफगानिस्तान से आयात की जाने वाली वस्तुओं में फल एवं नट्स, गोंद एवं रेजिन, कॉफी, चाय तथा मसाले शामिल हैं।
  - भारत-अफगानिस्तान द्वारा एक व्यापार और निवेश कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाता है जो अफगानिस्तान में व्यापार एवं निवेश के अवसरों को प्रदर्शित करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है। इसके साथ ही यह व्यापार में वृद्धि एवं भारत और अफगानिस्तान के मध्य B2B (बिजनेस-टू-बिजनेस) संपर्कों को प्रोत्साहन प्रदान करता है।

हार्ट ऑफ एशिया के बारे में

- द हार्ट ऑफ एशिया-इस्तांबुल प्रक्रिया का प्रारम्भ वर्ष 2011 में किया गया। इसमें भाग लेने वाले देशों में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अज़रबैजान, चीन, भारत, ईरान, कज़ाखस्तान, किर्गिस्तान, रूस, सऊदी अरब, ताजिकिस्तान, तुर्की, तुर्कमेनिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं।
- इसके 14 सदस्य देशों को, 16 अन्य देशों और 12 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से समर्थन प्राप्त है।
- यह मंच अफगानिस्तान और उसके पड़ोसी देशों के मध्य सुरक्षा एवं राजनीतिक और आर्थिक सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए प्रारम्भ किया गया है।
- इसके तीन प्रमुख आधार स्तम्भ हैं:
  - राजनीतिक परामर्श
  - विश्वास निर्माण उपाय (CBM)
  - क्षेत्रीय संगठनों के साथ सहयोग

- **पाकिस्तान से होकर जाने वाले पारगमन मार्ग तक पहुँच न होना:**
  - पाकिस्तान से होकर जाने वाले पारगमन मार्ग तक पहुँच न होने के कारण भारत को अफगानिस्तान से वस्तुओं के निर्यात के लिए ईरान सहित अन्य देशों पर निर्भर होना पड़ता है। हालांकि इससे भारतीय निर्यातकों को लगने वाले समय तथा लागत में वृद्धि होती है।
  - पाकिस्तान द्वारा अपनी सीमा से स्थल मार्ग प्रदान न करना, व्यापार के समक्ष प्रमुख बाधा है। अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान ने वर्ष 2011 में अफगानिस्तान पाकिस्तान ट्रांजिट एंड ट्रेड एग्रीमेंट (APTTA) पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता दोनों देशों को एक-दूसरे की राष्ट्रीय सीमाओं तक समान पहुंच प्रदान करता है।
    - वर्तमान में, पाकिस्तान द्वारा भारत के लिए सामान ले जाने वाले अफगान ट्रकों को केवल अपने अंतिम चेकपॉइंट वाघा तक जाने की अनुमति प्रदान की गई है, जबकि उन्हें इससे 1 किलोमीटर से भी कम दूरी पर अटारी में स्थित भारतीय चौकियों तक जाने की अनुमति नहीं है।

VISION IAS

- भारत APTTA में शामिल होने का इच्छुक है तथा अफगानिस्तान ने भी APTTA में भारत की सदस्यता का समर्थन किया है,परन्तु पाकिस्तान द्वारा अभी तक इस तरह के प्रस्ताव को अस्वीकर किया गया है।

- **एयर फ्रेट कॉरिडोर**

  भारत और अफगानिस्तान ने वर्ष 2017 में एक डेडिकेटेड एयर फ्रेट कॉरिडोर सर्विस का उद्घाटन किया।
  - एयर फ्रेट कॉरिडोर के माध्यम से स्थापित कनेक्टिविटी के द्वारा अफगानिस्तान (एक स्थलरुद्ध देश) को भारत के बाजारों तक अधिक पहुंच प्राप्त होगी। इसके साथ ही यह अफगान व्यापारियों को भारत के आर्थिक विकास तथा व्यापार नेटवर्क का लाभ उठाने में सहायता प्रदान करेगा।
  - यह अफगान किसानों के लिए शीघ्र नष्ट होने वाले उत्पादों के लिए भारतीय बाजारों में त्वरित और प्रत्यक्ष पहुंच को सुनिश्चित करेगा।
- **चाबहार बंदरगाह:** भारत चाबहार बंदरगाह के विकास के लिए अफगानिस्तान और ईरान के साथ सहयोग कर रहा है, जिससे अफगानिस्तान एवं मध्य एशिया के लिए एक वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होगा। इस संदर्भ में, चाबहार बंदरगाह के माध्यम से समुद्री पहुँच के आधार पर एक त्रिपक्षीय परिवहन और पारगमन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
- **'व्यापार, वाणिज्य और निवेश पर भारत-अफगानिस्तान संयुक्त कार्य समूह'** ने पाकिस्तान के माध्यम से भारत और अफगानिस्तान के मध्य सड़क व्यापार को बढ़ावा देने के लिए **संयुक्त राष्ट्र TIR (अंतर्राष्ट्रीय सड़क परिवहन) कन्वेंशन** के प्रावधानों के उपयोग की संभावनाओं पर भी चर्चा की है।
- भारत ने हार्ट ऑफ एशिया (HoA) के 6वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन की मेजबानी की। इस सम्मेलन में अमृतसर घोषणा को अपनाया गया।
  - इसके अंतर्गत अफगानिस्तान के राजनीतिक एवं आर्थिक संक्रमण के दौर में इसकी सहायता करने के लिए आतंकवाद को समाप्त करने का उल्लेख किया गया। इसके अतिरिक्त राज्य प्रायोजित आतंकवाद को एक प्रमुख चुनौती के रूप में माना गया एवं सदस्यों ने सभी प्रकार के आतंकवाद को समाप्त करने के लिए एक ठोस प्रयास पर सहमति व्यक्त की।
- **अफगानिस्तान से सांस्कृतिक संबंध:** अफगानिस्तान 2000 वर्षों से अधिक समय से फारस, भारत एवं मध्य एशिया की सभ्यताओं को आपस में जोड़ने वाला महत्वपूर्ण व्यापार एवं शिल्प केंद्र रहा है। अफगानिस्तान के लिए अपने पुनर्गठन कार्यक्रम के तहत भारत ने नियमित रूप से ऐसी परियोजनाओं में कार्य किया है जो अफगानिस्तान की सांस्कृतिक विरासत को धारणीय बनाएंगी।
- **अफगानिस्तान में भारतीय डायस्पोरा:** वर्तमान में, वहां लगभग 2500 भारतीयों के होने का अनुमान है। अधिकांशतः भारतीय डायस्पोरा बैंक, आईटी फर्म, निर्माण कंपनियों, अस्पतालों, एनजीओ, दूरसंचार कंपनियों, सुरक्षा कंपनियों, विश्वविद्यालयों आदि में पेशेवरों के रूप में कार्य कर रहे हैं।
- **राजनीतिक एवं सुरक्षात्मक संबंध:** भारत आतंकवाद, संगठित अपराध, नशीले पदार्थों की तस्करी एवं मनी लॉन्डरिंग के संकट से निपटने में अफगान राष्ट्रीय रक्षा एवं सुरक्षा बलों के लिए सहायता प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, भारत अफगान नेतृत्व वाली एवं अफगान-स्वामित्व के अधीन शांति और सुलह प्रक्रिया का समर्थन करता है।

1.8.1 अफगानिस्तान शांति प्रस्ताव

(Afghanistan Peace Offer)

सुर्ख़ियों में क्यों?

अफगानिस्तान ने तालिबान के समक्ष बिना शर्त बातचीत का प्रस्ताव रखा है और समझौते में विद्रोहियों को एक वैध पक्ष के रूप में निर्दिष्ट करने तथा 16 वर्षीय युद्ध को समाप्त करने के लिए एक अनुबंध प्रस्तावित किया है।

काबुल पीस प्रोसेस (Kabul Peace Process)

- यह अफगानिस्तान में सुरक्षा और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करने के उद्देश्य से 23 देशों, EU, UN और NATO का एक सम्मेलन है।

पृष्ठभूमि

- इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ़ अफगानिस्तान, दक्षिण-मध्य एशिया में एक स्थलरुद्ध देश है। यह रेशम मार्ग और प्रवासन का प्राचीन केंद्र बिंदु था। यह एक महत्त्वपूर्ण भू-सामरिक स्थान है, जो पूर्व और पश्चिम एशिया या मध्य पूर्व को जोड़ता है।
- अफगानिस्तान की स्थापना विभिन्न जातीय और धार्मिक क्षत्रपों जैसे-पश्तून-सुन्नी (पाकिस्तान के पश्चिमी सीमांत प्रांत और पूर्वी अफगानिस्तान में स्थित), हजारा-शिया (ईरान की ओर), उज्बेक और ताजिक (मध्य में स्थित) द्वारा हुई है।

VISION IAS

- 1979 में अफगानिस्तान में सोवियत आक्रमण और 1989 में उनकी वापसी सहित अफगानिस्तान, पिछले 40 वर्षों से उथल-पुथल की स्थिति में रहा है।
- तालिबान 1996 में सत्ता में आया और बाद में 2001 में अल-कायदा का मुकाबला करने के प्रयास में **अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सहायता बल (ISAF)** द्वारा सत्ता से बाहर कर दिया गया।
- तालिबान ने अपनी पहुंच का तीव्रता से विस्तार किया है क्योंकि U.S.और NATO सेना ने औपचारिक रूप से 2014 के अंत में अपने युद्ध मिशन समाप्त कर दिये तथा नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट (NUG) के गठन के पश्चात् ये सहायता एवं आतंकवाद विरोधी भूमिका में परिवर्तित हो गये।
- वर्तमान **काबुल पीस प्रोसेस** में, अफगानिस्तान ने युद्धविराम के बदले में प्रस्ताव दिया है कि सरकार तालिबान के सदस्यों को "शांतिपूर्ण और सम्मानित जीवन", राजनीतिक मान्यता, कैदियों की रिहाई, तालिबान के सदस्यों को पासपोर्ट और उनके परिवारों को वीजा देने की अनुमति देने के साथ ही काबुल में कार्यालय हेतु स्थान भी उपलब्ध कराएगी।
- तालिबान ने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ ग़नी के "बिना पूर्व शर्त के" वार्ता के प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया और "स्प्रिंग ऑफेंसिव" के भाग के रूप में अफगानिस्तान में अमेरिकी सेनाओं को निशाना बनाने का आह्वान किया। अमेरिका के अनुसार, वर्तमान में अफगानी सेना का नियंत्रण 2015 के लगभग तीन-चौथाई भाग से घटकर लगभग आधे से कम क्षेत्र पर रह गया है।

अफगानिस्तान पीस प्रोसेस में चुनौतियां:

- 2014 के अंत में इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंस फोर्स (ISAF) द्वारा अफगानिस्तान में अपने मिशन की समाप्ति के पश्चात् अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन बलों द्वारा अफगान बलों को "सलाह, प्रशिक्षण और सहायता" के लिए 'ऑपरेशन रिसोल्यूट सपोर्ट' शुरू किए जाने के पश्चात आत्मघाती बमबारी के कारण **युद्ध और मारे गए नागरिकों की संख्या में वृद्धि** हुई है।
- **IS का उदय:** आतंकवादियों पर कार्यवाही करने के अफगान सरकार के दावों के बावजूद, IS और तालिबान के खतरों में वृद्धि हुई हैं। इन दोनों का लक्ष्य राष्ट्र को अस्थिर करना तथा अराजकता की ओर ले जाना है।
- **संयुक्त राज्य अमेरिका की रणनीति में विफलता:** संयुक्त राज्य अमेरिका पाकिस्तान को सैन्य सहायता, अफगानिस्तान में सेना की उपस्थिति, वायु सेना का अंधाधुंध प्रयोग या देश में बुनियादी ढांचे के निर्माण के संबंध में एक समेकित रणनीति विकसित करने में असफल रहा है।
- **पाकिस्तान की भूमिका:** पाकिस्तान का तालिबान एवं उसके सहयोगियों के साथ हक्कानी नेटवर्क से प्रत्यक्ष संबंध है। साथ ही पाकिस्तान इसके भूभाग में आतंकवादी समूहों को सुरक्षित आश्रय प्रदान करता है।
- **नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट (NUG) की वैधानिकता** कमजोर प्रतीत होती है। इसका कारण मुख्य कार्यकारी अब्दुल्ला अब्दुल्ला और राष्ट्रपति अशरफ ग़नी के बीच संघर्ष, भ्रष्टाचार, निर्वाचन सुधारों के कार्यान्वयन की कमी और तालिबान द्वारा अफगान सरकार से वार्ता करने हेतु इनकार करना है। ध्यातव्य है कि तालिबान, अफगान सरकार को कृत्रिम, विदेशों द्वारा थोपी गई सरकार समझता है और इसका मानना है कि यह सरकार अफगान के लोगों की प्रतिनिधि सरकार नहीं है।
- **ग्रेट गेम**
  - अफगानिस्तान में प्रभाव के लिए 'ग्रेट गेम' को रोकने की आवश्यकता है। अमेरिका-रूस के मध्य तनाव, दोनों के मध्य अफगानिस्तान में प्रॉक्सी युद्ध के लिए स्थान बना रहा है। इसी प्रकार अल-कायदा और IS से संबंधित आतंकवादी समूहों के हमलों की जड़ें ईरान और अरब जगत के मध्य बड़े युद्ध में निहित हैं।
  - भारत और पाकिस्तान के मध्य तनाव के कारण अफगानिस्तान में भारत द्वारा विकास कार्यो के लिए दी जा रही सहायता भी प्रभावित हुई है।
  - इसके परिणामस्वरूप, चीन इस्लामी समूहों से स्वयं को सुरक्षित रखने हेतु अफगानिस्तान में प्रतिरोधी सैन्य अड्डे के निर्माण का प्रयास कर रहा है।

इन सभी कारकों ने तालिबान के पुनर्गठन एवं सुदृढ़ता में योगदान दिया है जोकि देश में आधे से अधिक क्षेत्र को नियंत्रित करता है।

VISION IAS

निष्कर्ष

- अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र मिशन ने इस प्रस्ताव का स्वागत करते हुए कहा कि यह "इंट्रा-अफगान डायलाग के माध्यम से शांति हेतु दृढ़ता से इस दृष्टिकोण का समर्थन करता है"।
- भारत, अफगानी नेतृत्व एवं स्वामित्व वाली शांति एवं सुलह प्रक्रिया का समर्थन करता है जिसे रूस और चीन से भी अनुमोदन प्राप्त हुआ है।
- संयुक्त राज्य ने एक **नई क्षेत्रीय रणनीति** को भी आरम्भ किया है। इस नीति के तहत उसने अफगान सेना को सहायता प्रदान की है और तालिबान के विरुद्ध वायु हमलों में वृद्धि की है। इसने प्रतिरोध तोड़ने के क्रम में विद्रोहियों को बातचीत करने के लिए बाध्य किया है।
- लेकिन सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि तालिबान तब तक सरकार के साथ वार्ता करने के लिये तैयार नहीं है जब तक कि सभी विदेशी ताकतों की अफगानिस्तान से वापसी नहीं हो जाती। इसके अतिरिक्त अभी भी तालिबान स्वयं को एक निर्वासित सरकार के रूप में संदर्भित करता है।

2. हिन्द महासागरीय क्षेत्र

(Indian Ocean Region)

2.1. भारत और हिन्द महासागर

(India-Indian Ocean)

पृष्ठभूमि

- भारत एक प्रायद्वीपीय देश है जो तीन तरफ से हिंद महासागर से घिरा हुआ है। भारत की भौगोलिक अवस्थिति उसकी विदेश नीति, सुरक्षा संबंधी निर्णय, व्यापार इत्यादि के संदर्भ में हिंद महासागर को अनिवार्य बना देती है।
- वर्तमान में, विश्व के कंटेनर शिपमेंट का लगभग आधा भाग, बल्क कार्गो ट्रैफिक का एक तिहाई भाग और ऑयल शिपमेंट का दो तिहाई भाग हिंद महासागर से होकर गुजरता है। इसके तटवर्ती देशों में विश्व की 40% से अधिक जनसंख्या निवास करती है जो इसे एक आकर्षक बाजार बनाती है।
- भारत के कुल व्यापार का 90% और तेल आयात का 90% इसी क्षेत्र से संपन्न होता जाता है।
- संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन जैसी वैश्विक शक्तियों के परिवर्तित होते भू-राजनीतिक समीकरणों के साथ, हिंद महासागर का महत्व बढ़ गया है।

भारत और हिंद महासागर

- **भू-सामरिक स्थिति**- हिन्द महासागर भारत को **दक्षिण-एशिया, दक्षिण-पूर्व एशिया, अफ्रीका, पश्चिम एशिया और ओशिनिया** तक पहुंच प्रदान करता है जो ऊर्जा, आर्थिक व्यापार और सुरक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है।
  - चोक पॉइंट्स, जैसे- **होरमुज़ जलसन्धि, बाब-अल-मंदेब, मलक्का जलसंधि, सुंडा जलसन्धि और लोम्बोक** न केवल भारत बल्कि विश्व व्यापार के लिए महत्वपूर्ण हैं।
  - हिंद महासागर पर चीन के बढ़ते प्रभुत्व को प्रतिसंतुलित करने के लिए यह क्षेत्र भारत के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। वर्तमान में चीन, हिंद महासागर में कई बंदरगाहों का विकास कर रहा है जैसे कि श्रीलंका में हंबनटोटा बंदरगाह, पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह आदि।
- **आर्थिक एकीकरण -** भारत एक **उभरती बाजार अर्थव्यवस्था** है जो **दक्षिण-पूर्व एशिया, दक्षिण एशिया, अफ्रीका, पश्चिम एशिया और ओशीनिया** के साथ व्यापारिक संबंधों के माध्यम से लाभान्वित होगी।
  - वर्तमान में **अफ्रीका** में **ऊर्जा अन्वेषण, खनिज संसाधन और भारतीय डायस्पोरा के लिए रोजगार के अवसरों की अपार संभावनाएं** उपस्थित हैं।
  - **ऑस्ट्रेलिया** हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा राष्ट्र है और पहले से ही एक वैश्विक नेतृत्वकर्ता है। भारत के साथ इसकी साझेदारी भारतीय अर्थव्यवस्था को अनेक प्रकार से लाभान्वित करेगी, जैसे **परमाणु ऊर्जा तक पहुंच, भारतीय वस्तुओं के लिए नया आर्थिक बाजार, लोगों के मध्य परस्पर संपर्क आदि।**
  - **दक्षिण-पूर्व एशिया और पश्चिम एशिया** में प्रचुर मात्रा में तेल भंडार और अन्य खनिज संसाधन स्थित हैं, जो भारत के लिए महत्वपूर्ण हैं।
- **सुरक्षा -** हिंद महासागर में आतंकवादी हमलों की संभावना और चीन की बढ़ती उपस्थिति (जैसे चीन द्वारा जिबूती में अपने पहले ओवरसीज सैन्य बेस की स्थापना) के कारण, हिंद महासागर भारत की समुद्री नीति का एक अभिन्न हिस्सा बन गया है।
  - **2015 की नयी सामुद्रिक सुरक्षा नीति** विभिन्न सामुद्रिक एजेंसियों के मध्य अधिक समन्वय स्थापित करने हेतु **अबाध और समग्र दृष्टिकोण** विकसित करने की आवश्यकता को रेखांकित करती है।
  - यह आर्थिक एकीकरण के उद्देश्य से अस्पष्ट पारंपरिक और गैर-पारंपरिक समुद्री मार्गों को सुरक्षित करने के लिए एक उपकरण के रूप में भारतीय नौसेना के उपयोग को भी मान्यता प्रदान करती है।
  - भारतीय नौसेना ने खुले समुद्री क्षेत्र (हाई सी) में समुद्री डकैती रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और क्षमता निर्माण, संयुक्त अभ्यास और बहुपक्षीय आदान-प्रदान सहित हिंद महासागरीय के तटीय क्षेत्र के लिए स्वयं को **"सम्पूर्ण सुरक्षा प्रदाता (नेट सिक्यूरिटी प्रोवाइडर)"** के रूप में स्थापित किया है।
- **ऊर्जा सुरक्षा:** भारत पश्चिम और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों से अधिकतम आयात के साथ विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है। अतः, भारत की ऊर्जा सुरक्षा हेतु हिंद महासागर एक अति महत्वपूर्ण माध्यम है।

VISION IAS

- **समुद्री संसाधन:** भारत मत्स्य पालन और एक्वाकल्चर जैसे समुद्री संसाधनों पर अत्यधिक निर्भर है। भारत दक्षिण कोरिया से अधिगृहीत 'समुद्र रत्नाकर' जहाज के माध्यम से हिंद महासागर के केन्द्रीय भाग में डीप सी माइनिंग द्वारा खनिज अन्वेषण का कार्य भी कर रहा है।
- **उभरती भू-राजनीति :** भारत **सागर (Security and Growth for All in the Region strategy: SAGAR)** के तहत हिंद महासागर में अपनी पहुंच बढ़ा रहा है। इसके साथ ही वर्तमान में यह **व्यापक भारत-प्रशांत क्षेत्र** में अपनी केन्द्रीयता को भी बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। यह अवधारणा भारत को इस क्षेत्र में बदलते भू-राजनीतिक संक्रमणों के केंद्र में रखती है।
- **बहुपक्षीय सहयोग**
  - **इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन (IORA):** नवीकरणीय ऊर्जा और ब्लू इकोनॉमी से समुद्री सुरक्षा और बचाव, जल विज्ञान और व्यापक संस्थागत एवं थिंक टैंक नेटवर्किंग तक; भारत **IORA** की गतिविधियों को विस्तृत करने और सुदृढ़ बनाने की योजना बना रहा है।
    - इससे पूर्व IORA के 21 सदस्यीय देशों द्वारा एक स्ट्रैटेजिक विजन डॉक्यूमेंट जारी किया गया था जिसे **"जकार्ता कॉनकॉर्ड"** के नाम से जाना जाता है। यह "पुनरुद्धारित और संधारणीय क्षेत्रीय आर्किटेक्चर" का लक्ष्य निर्धारित करता है।
    - इस क्षेत्र में व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग की संभावना को अधिकतम करने के अतिरिक्त, **जकार्ता कॉनकॉर्ड** का उद्देश्य गैर-पारंपरिक मुद्दों, जैसे- अवैध, बिना सूचना के एवं अनियंत्रित मत्स्यन; मानव तस्करी; नशीली दवाओं की तस्करी; अवैध प्रवासन और समुद्री डकैती आदि का समाधान करना है।
    - विगत वर्ष **आतंकवाद और हिंसक चरमपंथ को रोकने और उसका सामना करने हेतु एक घोषणापत्र को भी अपनाया गया था।**

- **इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन (IORA)** एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसमें हिंद महासागर के 21 तटवर्ती देश शामिल हैं तथा भारत इसका एक कोर सदस्य है। इसके अन्य सदस्य देश हैं - ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, केन्या, सेशेल्स, मोजाम्बिक, ओमान, मॉरीशस, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका इत्यादि।
- यह संगठन खुले क्षेत्रवाद (इसका आशय है कि संगठन द्वारा गैर-सदस्य देशों के साथ व्यापार सुविधाओं में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा) और सदस्यता की समावेशिता का समर्थन करता है
- **IORA के उद्देश्य:**
  - आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना
  - उदारीकरण और क्षेत्रीय एकीकरण को प्रोत्साहित करना
  - सतत विकास और संतुलित क्षेत्रीय संवृद्धि को प्रोत्साहित करना

- **दक्षिण एशिया सहकारी पर्यावरण कार्यक्रम (South Asia Cooperative Environment Program: SACEP)**

  भारत और SACEP के मध्य दक्षिण एशियाई समुद्री क्षेत्र में तेल और रासायनिक प्रदूषण पर सहयोग के लिए कैबिनेट द्वारा एक समझौता ज्ञापन को स्वीकृति प्रदान की गई है।
  - समझौता ज्ञापन का उद्देश्य दक्षिण एशियाई समुद्री क्षेत्र सहित भारत और अन्य समुद्री देशों के मध्य घनिष्ठ सहयोग को प्रोत्साहित करना है।
  - भारतीय तटरक्षक (ICG) भारत सरकार के निमित्त रासायनिक और तेल रिसाव की घटनाओं के प्रति अनुक्रिया करने हेतु एक नोडल एजेंसी होगी।

SACEP के बारे में

- यह एक अंतर-सरकारी संगठन है, जिसे 1982 में दक्षिण एशिया की सरकारों द्वारा इस क्षेत्र में पर्यावरण के संरक्षण, प्रबंधन और संवर्द्धन को सहायता एवं प्रोत्साहन देने के लिए स्थापित किया गया था।
- यह साउथ एशियन सीज प्रोग्राम (SASP) के सचिवालय के रूप में भी कार्य करता है।
- अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका SACEP के सदस्य हैं।

साउथ एशियन सीज प्रोग्राम (South Asian Seas Programme: SASP)

- यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) के 18 क्षेत्रीय समुद्री कार्यक्रमों में से एक है। इसे मार्च 1995 में अपनाया गया था और वर्तमान में इसे इस क्षेत्र के पांच देशों (बांग्लादेश, भारत, मालदीव, पाकिस्तान और श्रीलंका) का पूर्ण समर्थन प्राप्त है।

VISION IAS

IOR के समक्ष चुनौतियां

- सोमालिया के तट पर समुद्री डकैती में कमी आने के बावजूद, हिंद महासागरीय क्षेत्र में गैर-पारंपरिक चुनौतियों में अकस्मात वृद्धि देखी जा रही है।
- हाल के वर्षों में तटवर्ती एशियाई क्षेत्रों में ड्रग की तस्करी सहित **समुद्री अपराधों** में वृद्धि हुई है।
- दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया में प्रवासन और **मानव तस्करी** संबंधी घटनाओं में वृद्धि हुई है। इसके साथ ही बांग्लादेश और म्यांमार से शरणार्थियों की आवाजाही में वृद्धि के परिणामस्वरूप व्यापक मानवीय संकट उत्पन्न हुआ है।

हाल ही में हुए कुछ विकास

- भारत और सेशल्स के मध्य अज़म्पशन द्वीप पर नौसैनिक अड्डे को विकसित करने तथा सेशेल्स को अपनी रक्षा क्षमताओं में वृद्धि करने के लिए 100 मिलियन अमेरिकन डॉलर का ऋण प्रदान करने पर सहमति बनी है।
- भारत द्वारा चांगी नौसैनिक अड्डे तक मौजूदा भारतीय पहुंच का विस्तार करने के लिए सिंगापुर के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किये गए हैं।
- भारत मॉरीशस में एगालेगा द्वीप के विकास में योगदान कर रहा है। यहाँ ज्यूल-यूज़ लॉजिस्टिक सुविधाओं का विकास किया जा रहा है।
- हिंद महासागर की निगरानी करने हेतु भारत और फ्रांस द्वारा **"रेसिप्रोकल लॉजिस्टिक सपोर्ट"** समझौते पर हस्ताक्षर किये गए हैं। इसके तहत दोनों देशों के युद्धपोतों को एक दूसरे के नौसैनिक अड्डों तक पहुंच प्राप्त होगी।
- 2016 में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा **लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरैंडम एग्रीमेंट** पर हस्ताक्षर किये गए थे। इसके तहत दोनों देशों को ईंधन भरने एवं रसद हेतु प्राधिकृत सैन्य सुविधाओं तक पहुंच प्रदान की गई है।
- भारत ने इस वर्ष के आरंभ में सैन्य उपयोग और लॉजिस्टिक सहायता के लिए **ओमान के दुकम बंदरगाह** तक पहुंच प्राप्त की है। यह बंदरगाह दक्षिण-पूर्व ओमान में ईरान के चाबहार बंदरगाह से लगभग 400 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। यह बंदरगाह ओमान की खाड़ी के पास स्थित होने के कारण भारत की क्षेत्रीय पहुँच में वृद्धि करने की संभावनाएं प्रदान करता है।
- वर्तमान में भारत इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में अपनी पहुँच का विस्तार कर रहा है, जो यह दर्शाता है कि यह केवल एक हिंद महासागरीय और दक्षिण एशियाई शक्ति ही नहीं है बल्कि यह हिंद महासागर में अपनी स्थापित उपस्थिति से लेकर दक्षिण चीन सागर, मध्य-पूर्व, अफ्रीका और प्रशांत क्षेत्र में निहित हितों के कारण एक विशाल इंडो-पैसिफिक क्षेत्र को आकार प्रदान करने की क्षमता और अभिलाषा रखता है।

आगे की राह

- हिंद महासागर के तटीय देश **आकार, उच्च प्रशुल्क दर और निवेश की लागत आदि की विषमता** से प्रभावित हैं। इसलिए, इन तटवर्ती देशों को **क्षेत्रीय समूहों, जैसे- IORA, BIMSTEC** इत्यादि को बढ़ावा देना चाहिए, जो समावेशी और संधारणीय क्षेत्रीय विकास को प्रोत्साहित करते हैं।
- भारत के समक्ष धैर्यपूर्वक अपने साझेदार देशों की **आतंरिक समस्याओं** का समाधान करने और सैन्य सहयोग के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार करने और छोटे देशों के साथ संबंधों को और अधिक घनिष्टता प्रदान करने जैसी चुनौतियां विद्यमान हैं। **इसलिए, भारत को दीर्घकालीन राजनीतिक सतर्कता के परिप्रेक्ष्य में इन संबंधों को ध्यानपूर्वक आगे बढ़ाना चाहिए।**
- भारत को एक व्यापक सामुद्रिक नीति का विकास करना चाहिए, जिसका उद्देश्य न केवल चीन की उपस्थिति को प्रतिसंतुलित करना बल्कि हिंद महासागर में आतंकवाद विरोधी गतिविधियों को प्रोत्साहित करना भी होना चाहिए।
- इंडियन ओशियन मैरीटाइम सिम्पोज़ियम (जिसका लक्ष्य नौसेना के मध्य समुद्री सहयोग में वृद्धि करने की दिशा में कार्य करना है) को समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने हेतु एक महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में भी देखा जा सकता है।
- **सागर (Security and Growth for All in the Region: SAGAR)** जैसी पहलें क्षेत्रीय देशों को संलग्न करने, चीन की उपस्थिति को प्रतिसंतुलित करने तथा आर्थिक एकीकरण एवं सुरक्षा में वृद्धि करने हेतु एक बेहतर रणनीति हो सकती हैं।
- **अन्य पहलें-**
  - भारत में निर्मित गश्ती जहाज बाराकुडा का मॉरीशस को स्थानांतरण
  - सेशल्स में निगरानी हेतु P-81 विमान की तैनाती
  - सेशेल्स के अज़म्पशन और मॉरीशस के एगालेगा द्वीपों पर कनेक्टिविटी संबंधी अवसंरचना को विकसित करने हेतु समझौता
- हिन्द महासागर में चोक पॉइंटों की सुरक्षा करना और हिंद महासागरीय देशों में निवास करने वाले भारतीय डायस्पोरा के लिए यात्रा मार्गों को सुरक्षित करना।
- इसके अतिरिक्त आपदा प्रबंधन, तकनीकी उन्नयन, ब्लू इकोनॉमी, समुद्री संसाधनों के धारणीय निष्कर्षण तथा मानवीय सहायता जैसे क्षेत्रों पर भी सहयोग बढ़ाना चाहिए।

VISION IAS

2.2. भारत-मालदीव (India-Maldives)

सुर्खियों में क्यों?

- हाल ही में मालदीव के राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा की।

मालदीव में भारत के हित

मालदीव रणनीतिक रूप से हिंद महासागर में स्थित है और हिंद महासागर क्षेत्र में प्रमुख शक्ति होने के कारण मालदीव की स्थिरता में भारत के विभिन्न हित निहित हैं-

- समुद्री मार्गों को सुरक्षित रखना, समुद्री लुटेरों और समुद्री आतंकवाद का सामना,
- चीन की स्ट्रिंग ऑफ़ पर्ल्स नीति को प्रतिसंतुलित करना,
- हिन्द महासागर को एक संघर्ष मुक्त क्षेत्र बनाना और शांत समुद्र के रूप में इसकी स्थिति को पुनः बहाल करना,
- ब्लू इकोनॉमी पर अनुसंधान और व्यापार में वृद्धि,
- वहां काम कर रहे प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा।

भारत-मालदीव संबंध

- भारत ने 1966 में ब्रिटिश शासन से मालदीव की स्वतंत्रता के पश्चात मालदीव के साथ औपचारिक राजनयिक संबंध स्थापित किए।
- भारत ने कठिन परिस्थितियों में सदैव मालदीव की जनता की मित्रवत सहायता की है:
    - 1988 में लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम (LTTE) के विद्रोही समूहों के सशस्त्र हमले के दौरान भारत ने ऑपरेशन कैक्टस के तहत मालदीव को 1600 **सैनिकों के साथ सैन्य सहायता** प्रदान की थी।
    - दिसंबर 2014 में जब मालदीव का एकमात्र जल उपचार संयंत्र ठप पड़ गया तब भारत ने मालदीव को अपने हेलीकॉप्टरों के माध्यम से बोतलबंद जल उपलब्ध कराया था।
    - 2016 में राष्ट्रमंडल मंत्रिस्तरीय कार्य समूह (CMAG) की बैठक में भारत ने 'समावेशी राष्ट्र' और "वास्तविक लोकतंत्र" के निर्माण में विफलता के कारण विभिन्न देशों को मालदीव पर दंडनीय प्रतिबंधों को कार्यान्वित करने से रोका।
    - भारत ने मालदीव में निम्नलिखित परियोजनाओं को भी आरम्भ किया है जैसे:
    - **इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल (IGMH):** 200 बिस्तरों वाले अत्याधुनिक अस्पताल को मालदीव का एक उत्कृष्ट चिकित्सा संस्थान माना जाता है।
    - **फैकल्टी ऑफ़ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी (FET)** जिसमें प्रत्येक वर्ष सैकड़ों छात्रों को प्रशिक्षित करने की क्षमता है।
    - **आतिथ्य (हास्पिटैलिटी) और पर्यटन अध्ययन के लिए भारत-मालदीव मैत्री संकाय**
    - भारत ने मालदीव की अवसंरचना में सुधार हेतु **उदार आर्थिक सहायता** एवं सहयोग प्रदान किया है।
    - भारत दो हेलीकॉप्टर बेस, रडारों के एकीकरण और भारतीय तट रक्षक निगरानी के माध्यम से मालदीव के साथ अत्यंत नजदीकी सैन्य संबंध साझा करता है। भारत का उद्देश्य मालदीव के लिए एक निवल सुरक्षा प्रदाता (net security provider) के रूप में बने रहना है।
- भारत, वायु कनेक्टिविटी, शिक्षा संबंधी छात्रवृत्ति कार्यक्रमों और **सांस्कृतिक आदान-प्रदान** के माध्यम से दोनों देशों के नागरिकों के मध्य संपर्कों में वृद्धि करता है। मालदीव में अनुमानित रूप से लगभग 22000 प्रवासी भारतीय निवास करते हैं। संख्या की दृष्टि से यह वहां का दूसरा सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है।
- इसके अतिरिक्त, मालदीव में भारतीय नौसेना की उपस्थिति है तथा भारत ने जलवायु परिवर्तन और समुद्री जल स्तर में वृद्धि से उत्पन्न होने वाले संकट के संबंध में मालदीव का समर्थन किया है।

चीन-मालदीव मुक्त व्यापार समझौता (FTA)

- FTA से वित्त, औषधि, मत्स्यन और पर्यटन के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने के साथ ही, इस समझौते के तहत 95 प्रतिशत द्विपक्षीय व्यापार करमुक्त हो जाएगा।
- हालांकि, इससे जुड़ी चिंताएं हैं जैसे कि-
- FTA को संसद में बिना किसी बहस के रिकॉर्ड एक घंटे के अंदर पारित कर दिया गया और सार्वजनिक रूप से इसे उजागर भी नहीं किया गया।
- चीन-मालदीव व्यापार संतुलन काफी हद तक चीन के पक्ष में है तथा यह चिंता का विषय है कि FTA से इस घाटे में और अधिक वृद्धि होगी और श्रीलंका की तरह मालदीव भी ऋण के जाल में फंस जाएगा।

अन्य परियोजनाएं

- चीन द्वारा मालदीव की राजधानी और मुख्य हवाई अड्डे को जोड़ने वाले "चीन-मालदीव फ्रेंडशिप ब्रिज" का भी निर्माण किया

VISION IAS

जा रहा है जिसे 2015 में संविधान संशोधन के माध्यम से स्वीकृति प्रदान की गई। इस संशोधन के तहत 1 बिलियन डॉलर से अधिक निवेश वाली परियोजनाओं में भूमि के विदेशी स्वामित्व को अनुमति प्रदान की जाएगी जिसमें 70 प्रतिशत भूमि समुद्री क्षेत्र से प्राप्त की जाती है।

वर्तमान स्थिति

- मालदीव के मौजूदा शासन के तहत वर्ष 2013 से ही भारत-मालदीव संबंधों में गिरावट आई है।
- चीन के साथ मालदीव की निकटता में वृद्धि हुई है क्योंकि चीनी कंपनियों को बड़ी अवसंरचनात्मक परियोजनाएं प्रदान की गई हैं और चीनी नौसेना के जहाजों को माले में डॉक करने की अनुमति दी गयी है।
- इसके अतिरिक्त मालदीव ने चीन के साथ अपने प्रथम मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर हस्ताक्षर किए हैं। जबकि राष्ट्रपति यमीन की नई दिल्ली की यात्रा के दौरान उन्होंने कहा था कि उनका देश पहले भारत के साथ FTA पर हस्ताक्षर करेगा किन्तु इस यात्रा के बाद मालदीव ने चीन के साथ FTA पर हस्ताक्षर किए। कुछ तथ्यों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि FTA से चीन के सुरक्षा संजाल में, मालदीव चीन के और अधिक निकट आ जाएगा, ये तथ्य हैं:
  - चीन का पाकिस्तान के साथ पहले से ही FTA है तथा बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल के साथ FTA की संभावनाओं पर वार्ता चल रही है।
  - मालदीव ने चीन के मेरीटाइम सिल्क रूट में भागीदार बनने पर भी सहमति व्यक्त की है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने इस वर्ष के आरम्भ में पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद और आठ अन्य विपक्षी राजनेताओं को आतंकवाद सहित विभिन्न आरोपों से दोषमुक्त कर दिया। मालदीव के राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के प्रत्युत्तर में आपातकाल की घोषणा कर दी। इस घोषणा के पश्चात भारत और मालदीव के मध्य द्विपक्षीय राजनयिक संबंधों में गिरावट आयी है।
- चीन के समर्थन से मालदीव ने विपक्ष और वाक् स्वातंत्र्य का सख्ती से दमन किया है और भारत को अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने के लिए कहा है।
- हाल ही में मालदीव ने भारत से उन **दो नौसेना ध्रुव एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टरों (ALH)** में से एक को वापस लेने के लिए कहा है जिन्हें नई दिल्ली द्वारा माले को उपहार में दिया गया था। इसके अतिरिक्त अनेक भारतीयों के वर्क परमिट समाप्त कर दिए गए हैं, जो दोनों देशों के मध्य संबंधों में और अधिक गिरावट की ओर संकेत करते हैं।

भारत के हित एवं चिंताएं

- मालदीव में होने वाली घटनाओं पर भारत की निराशा का पहला संकेत तब देखने को मिला जब 'नेबरहुड फर्स्ट' नीति के बावजूद भारतीय प्रधानमंत्री ने अपने हिंद महासागर दौरे में मालदीव की यात्रा नहीं की। इसका कारण मालदीव द्वारा **GMR अनुबंध को रद्द** करना (जिसे बाद में चीन को दे दिया गया) तथा लोकतंत्र को पुनर्बहाल करने को लेकर मालदीव की अनिच्छा को माना गया। किन्तु इसका परिणाम केवल यही हुआ कि मालदीव का चीन की ओर झुकाव और अधिक बढ़ गया।
- भारत मालदीव के **युवाओं में बढ़ती उग्र प्रवृतियों** पर समान रूप से चिंतित है। इस प्रवृत्ति का भारत की सुरक्षा पर भी प्रभाव पड़ सकता है। मालदीव ने सऊदी अरब को एक एटॉल बेचने या किराए पर देने का भी निर्णय किया है। इस पर सऊदी अरब मदरसा स्थापित करेगा जिससे वहां वहाबी विचारधारा के प्रसार की आशंका उत्पन्न होती है।
- वर्तमान आपातकाल की स्थिति भी अत्यंत गंभीर है क्योंकि वहां इस दौरान **लोकतांत्रिक संस्थानों को कमज़ोर** किया जा रहा है। इससे मालदीव के साथ बेहतर संबंध स्थापित करने हेतु वार्ता करना भारत सरकार के लिए कठिन हो जाएगा। यही कारण है कि मालदीव में भारत के हस्तक्षेप की मांग की गयी है।
- किन्तु भारत के ऑपरेशन कैक्टस के विपरीत, जब हस्तक्षेप का अनुरोध तत्कालीन राष्ट्रपति दवारा किया गया था, वर्तमान स्थिति में हस्तक्षेप की यह मांग विपक्षी दलों द्वारा की जा रही है। मालदीव की स्थिति अभी ऐसी नहीं है कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 2 में निहित 'रेस्पोंसिबिलिटी टू प्रोटेक्ट'(सुरक्षा का उत्तरदायित्व) सिद्धांत के तहत कोई हस्तक्षेप किया जा सके और न ही मालदीव की स्थिति इस स्तर पर है कि भारत, अन्य संप्रभु देशों के आंतरिक मामलों में पारंपरिक अहस्तक्षेप की नीति के अपवाद के रूप कोई हस्तक्षेप कर सके।

आगे की राह

- भारत को मालदीव में पूर्व की स्थिति पुनःबहाल करने और अगले कुछ महीनों में होने वाले आगामी चुनावों की परिस्थितियों को सुविधाजनक बनाने के लिए सरकार और विपक्ष के मध्य **राजनीतिक मध्यस्थता** में सम्मिलित होना चाहिए। मालदीव में एक लोकतांत्रिक सरकार भारत के साथ-साथ मालदीव के भी सर्वोत्तम हित में होगी। भारत को इसके लिए अधिक से अधिक अंतर्राष्ट्रीय समर्थन प्राप्त करना चाहिए।

VISION IAS

2.3. भारत-सेशेल्स (India- Seychelles)

सुर्ख़ियों में क्यों?

सेशेल्स के राष्ट्रपति डैनियल फॉरे ने द्विपक्षीय वार्ता हेतु भारत की आधिकारिक यात्रा की। इसके ठीक पहले **सेशेल्स की संसद द्वारा अज़म्पशन द्वीप (Assumption Island) पर भारत के नौसैनिक अड्डे के निर्माण की परियोजना को मंजूरी देने से इनकार कर दिया गया था।**

सहयोग के क्षेत्र

- भारत-सेशेल्स के मध्य राजनयिक संबंधो की स्थापना **1976** में हुई थी। उस समय सेशेल्स स्वतंत्र हुआ था तथा दोनों देशों के मध्य घनिष्ठ सम्बन्ध मुख्यतः **समुद्री सुरक्षा और विकास गतिविधियों में सहयोग जैसे उद्देश्यों** पर आधारित थे।
- **हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में द्वीपीय राष्ट्र सेशेल्स की समुद्री सुरक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूर्ण करने तथा विकास एवं व्यापार गतिविधियों के लिए IOR को सुरक्षित बनाने हेतु भारत और सेशेल्स एकजुट होकर कार्य कर रहे हैं।** इसके अतिरिक्त दोनों देश एक-दूसरे के साथ **अंतर्राष्ट्रीय जलक्षेत्र में समुद्री डकैती तथा आतंकवाद से सामना करने** में भी सहयोग कर रहे हैं, जो भारत की विस्तारित समुद्री सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है।
- विकास सहयोग की विभिन्न पहलों, जैसे- **भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (ITEC) कार्यक्रम** तहत प्रशिक्षण, गश्ती जहाज उपलब्ध कराना, हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण आदि को अपनाया गया है।
- **रक्षा सहयोग**
  - भारतीय नौसेना ने **सेशेल्स में टोही विमानों को भी तैनात किया है, ताकि वह इस द्वीपीय राष्ट्र के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (EEZ) की निगरानी कर सके।**
  - इसके अतिरिक्त **2001 से संयुक्त सैन्य अभ्यास 'लैमिटी'** का भी आयोजन किया जा रहा है।

भारत के लिए सेशेल्स का महत्व

- सेशेल्स, हिंद महासागरीय क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण भाग है। इस क्षेत्र में भारत आर्थिक, सैन्य और राजनयिक सहयोग को विस्तारित कर तथा रणनीतिक साझेदारियों के माध्यम से अपने प्रभाव में वृद्धि करने का प्रयास कर रहा है।
- **संचार के अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर सेशेल्स की रणनीतिक अवस्थिति होने के अतिरिक्त यह SIDS समूह (छोटे विकासशील द्वीपीय देशों) का भी नेतृत्व करता है।** भारत के साथ SIDS समूह के हितों का कई क्षेत्रों में अभिसरण होता है।
- यह **'ब्लू इकोनॉमी' की अवधारणा को भी बढ़ावा देने में भी अग्रणी भूमिका निभाता है।** इस अवधारणा के अंतर्गत पर्यावरण, हाइड्रोकार्बन, समुद्री अर्थव्यवस्था, नवीकरणीय ऊर्जा और महाद्वीपीय शेल्फ की खोज जैसे विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है।
- यह द्वीपीय राष्ट्र **पूर्वी अफ्रीका का प्रवेश द्वार** भी है, जिसके साथ भारत के ऐतिहासिक सामाजिक-व्यावसायिक संबंध रहे हैं। वर्तमान समय में यह क्षेत्र भारतीय फर्मों के लिए एक बड़ा बाज़ार बन चुका है।
- **चीनी वर्चस्व का मुकाबला करना**
  - चीन ने इन द्वीपीय राष्ट्रों में मूलभूत संरचना संबंधी परियोजनाओं और अन्य वाणिज्यिक निवेशों के माध्यम से प्रवेश करना आरंभ कर दिया है।
  - हाल ही में **मालदीव-भारत संबंधों में नौकरी सम्बन्धी वीजा के कारण आई गिरावट तथा श्रीलंका द्वारा चीन को हंबनटोटा बंदरगाह पट्टे पर दिए जाने** के कारण भारत का सेशेल्स के साथ सक्रिय रूप से संलग्न रहना अनिवार्य हो गया है।
- सेशेल्स ने विस्तारित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन करने के साथ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी भारत का पक्ष लिया है।

सेशेल्स के लिए भारत का महत्व

- भारत किसी भी देश में आए संकट में उसकी सहायता के लिए सदैव मौजूद रहा है। 1986 में भारतीय नौसेना ने सेशेल्स में राजनैतिक तख्तापलट को रोकने हेतु **"ऑपरेशन फ्लॉवर्स आर ब्लूमिंग"** आयोजित किया तथा राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त करने में द्वीप की सहायता की।
- भारत, **सेशेल्स को बहु-आयामी सहायता प्रदान करता है।** भारत के **ITEC कार्यक्रम** के अंतर्गत सेशेल्स की **1% से अधिक जनसंख्या** को प्रशिक्षित किया गया है।
- भारत **सेशेल्स में संचार सुविधाओं** की स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, जो कि भारत एवं अफ्रीकी संघ के मध्य **पैन अफ्रीकन ई-नेटवर्क प्रोजेक्ट** का एक अभिन्न अंग है।
- **सेशेल्स में भारतीय डायस्पोरा कुल जनसंख्या का लगभग 8% है,** जो दोनों देशों के मध्य **सामाजिक-सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों** को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

मुद्दे

- कई मूलभूत अवसंरचनाओं से सम्बंधित परियोजनाओं में भारी मात्रा में चीनी निवेश के कारण भारत का इस द्वीपीय राष्ट्र पर प्रभाव घट रहा है।

VISION IAS

- **सेशेल्स ने जिबूती नौसैनिक अड्डे से आने वाले चीनी जहाजों को ईंधन भरने के साथ डॉकिंग की सुविधा भी प्रदान की पेशकश की है** जो भारत के लिए चिंता का विषय बना हुआ है।
- **अज़म्पशन द्वीप नौसैनिक अड्डा:** 2003 से ही इस द्वीप पर **नौसैनिक अड्डे का** निर्माण करने के समझौते पर चर्चा जारी थी और अंततः जनवरी 2018 में संशोधन के पश्चात इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। परंतु सेशेल्स की नेशनल असेंबली ने इस परियोजना की पुष्टि करने से इनकार कर दिया क्योंकि यह समझौता देश को भारत-चीन प्रतिद्वंद्विता के मध्य खड़ा कर देगा। यद्यपि अब दोनों देश **एक दूसरे के हितों को ध्यान में रखते हुए** इस परियोजना पर कार्य करने हेतु सहमत हो गए हैं।

आगे की राह

- भारत को **आतंकवाद, समुद्री डकैती इत्यादि जैसे पारस्परिक हित वाले क्षेत्रों में कार्य करना** जारी रखना चाहिए तथा बातचीत के माध्यम से विवादित मुद्दों का भी समाधान निकालना चाहिए।
- भारत को इस द्वीपीय राष्ट्र के साथ संलग्नता को वरीयता देनी चाहिए और **चीन द्वारा प्रदान किए जाने वाले किसी भी आर्थिक लाभ को प्रतिसंतुलित करना चाहिए।**
- भारत को समुद्री डकैती का सामना करने तथा सेशेल्स के EEZ की सुरक्षा में वृद्धि करने हेतु नौसैनिक उपकरणों की आपूर्ति और रक्षा बलों को प्रशिक्षण प्रदान करने जैसी अधिकतम संभव सैन्य सहायता प्रदान करनी होगी।

2.4. इंडो-पैसिफिक (Indo-Pacific)

सुर्खियों में क्यों?

भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में इंडो-पैसिफिक (हिन्द-प्रशांत) क्षेत्र में अपनी साझा प्रतिबद्धता पर पुनः बल दिया है।

नई भू-राजनीतिक संरचना के रूप में इंडो-पैसिफिक

"इंडो-पैसिफिक" विचार की कल्पना मूल रूप से 2006-07 में की गयी थी।'इंडो-पैसिफिक', पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया से से संलग्न समुद्रों को शामिल करते हुए सम्पूर्ण हिंद महासागरीय क्षेत्र (IOR) और पश्चिमी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र (WP) को एक एकल क्षेत्रीय संरचना के रूप में अभिव्यक्त करता है। वर्तमान में इसके महत्व में हुई वृद्धि के निम्नलिखित कारण हैं:

- **भू-राजनीतिक संपर्क में वृद्धि**: हिंद महासागर और पश्चिमी प्रशांत के मध्य भू-आर्थिक और सुरक्षा, दोनों आयामों में वृद्धि हुई है। अतः बदले हुए परिदृश्य में एशिया-पैसिफिक के स्थान पर इस क्षेत्र को इंडो-पैसिफिक की संज्ञा देना अधिक उपयुक्त है।
- **भू-आर्थिक अवसर:** एशिया महाद्वीप विश्व का नया आर्थिक "गुरुत्व केंद्र" बन चुका है। यही कारण है कि अब इंडो-पैसिफिक को एकल और एकीकृत भू-राजनीतिक संरचना के रूप में संदर्भित किया जाता है।
- **भारत का बढ़ता प्रभुत्व :** यद्यपि "इंडो-पैसिफिक" में "इंडो" शब्द भारत का नहीं बल्कि हिंद महासागर को प्रदर्शित करता है, तथापि वैश्विक समुदाय को आशा है कि भारत, आर्थिक समृद्धि और विकास में सहायक समुद्री परिवेश को बनाये रखने में प्रमुख भूमिका निभा सकता है।
- **चीन की राजनीतिक-सैन्य आक्रामकता:** चीन के स्ट्रिंग ऑफ़ पर्ल्स सिद्धांत की पृष्ठभूमि में इंडो-पैसिफिक ने चीन की प्रमुख रणनीतिक सुभेद्यताओं का लाभ उठाने का अवसर प्रदान किया है। उदाहरण स्वरुप चीन की महत्वपूर्ण ऊर्जा आपूर्तियाँ हिंद महासागर क्षेत्र से होकर जाती हैं और यह क्षेत्र चीन के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए भारतीय नौसेना की क्षमता का प्रदर्शन करने का भी अवसर प्रदान करता है। इसके माध्यम से भविष्य में चीन की आक्रामकता पर अंकुश लगाया जा सकता है।

हाल के उपाय और नीतिगत पहलें:

ऑस्ट्रेलिया: 2013 में, ऑस्ट्रेलिया ने अपना रक्षा श्वेत पत्र जारी किया था जिसमें प्रथम बार इंडो-पैसिफिक शब्दावली की औपचारिक अभिव्यक्ति की गई थी। इसमें इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में भारत की केंद्रीय भूमिका का समर्थन किया गया था।

अमेरिका:

- हाल ही में अमेरिका ने अपने महत्वपूर्ण पैसिफिक कमांड (PACOM) का नाम बदलकर **U.S. इंडो-पैसिफिक कमांड** कर यह संकेत दिया कि अमेरिकी सरकार के लिए पूर्वी एशिया और हिंद महासागर का क्षेत्र उत्तरोत्तर एकल प्रतिस्पर्द्धी क्षेत्र (single competitive space) के रूप में उभर रहा है और भारत इस रणनीतिक योजना में एक प्रमुख भागीदार है।

- अमेरिका की 2018 की **राष्ट्रीय रक्षा रणनीति** भी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में विद्यमान चुनौतियों को स्वीकार करती है और इंडो-पैसिफिक के प्रति अमेरिका के संकल्प एवं उसकी स्थायी प्रतिबद्धता का संकेत देती है।

जापान:

- इसकी मुक्त और खुली इंडो-पैसिफिक रणनीति "दो महासागरों" (हिन्द महासागर एवं प्रशांत महासागर) तथा "दो महाद्वीपों" (अफ्रीका और एशिया) पर आधारित है। यह रणनीति तेज़ी से बदलती वैश्विक और क्षेत्रीय व्यवस्था और खतरों से निपटने में जापान की सहायता करेगी।

भारत:

- शांगरी-ला डायलॉग में भारत ने इंडो-पैसिफिक की अवधारणा को स्वीकार करते हुए घोषणा की कि इस क्षेत्र के प्रमुख भागीदारों के साथ वह एक ऐसे "मुक्त, खुले, पारदर्शी, नियम-आधारित, शांतिपूर्ण, समृद्ध और समावेशी इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है, जहां संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और अंतरराष्ट्रीय कानून, नौवहन तथा उड़ानों की स्वतंत्रता का सम्मान किया जाता हो।

विभिन्न परिप्रेक्ष्यों में इंडो-पैसिफिक की संकल्पना

- **संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए** यह चीन की चुनौती के समक्ष अमेरिका के प्रभाव क्षेत्र को बनाए रखने के भू-राजनीतिक और विदेश नीति सम्बन्धी उद्देश्य को पूरा करने हेतु "एशिया-पैसिफिक" शब्द (जिसका तात्पर्य प्रशांत महासागर का एशियाई तटीय क्षेत्र है) की अपर्याप्तता पर प्रकाश डालता है। साथ ही अमेरिका के लिए इसका उद्देश्य भारत को "निवल सुरक्षा प्रदाता" बनाकर उसे क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्था में शामिल करना भी है।
- **भारत के लिए** इसका अर्थ है - एक्ट ईस्ट पॉलिसी के समानांतर एक 'विस्तारित पूर्वी समुद्री पड़ोस की नीति' तथा सम्पूर्ण पश्चिमी और दक्षिण-पश्चिमी प्रशांत महासागर के लिए भारतीय नौसेना की नई समुद्री सुरक्षा रणनीति।
- **चीन** ने इस भाग पर किसी प्रकार का असंतोष व्यक्त नहीं किया है और वह इसका उपयोग हिंद महासागर में, विशेष रूप से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) के माध्यम से, अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए कर सकता है।
- **जापान के लिए** इस संकल्पना का सम्बन्ध हिन्द महासागर क्षेत्र के समुद्री मार्ग से प्राप्त होने वाले ईंधनों और खाद्य आयातों की सुरक्षा के लिए, भारत के साथ सहयोग करते हुए इस क्षेत्र की समुद्री सुरक्षा में वृहत्तर भूमिका निभाने से है।
- **इंडोनेशिया के लिए**: इंडोनेशिया में एक प्रमुख समुद्री शक्ति बनने की पर्याप्त संभावना है। अतः यह भी IOR -WP (हिन्द महासागर क्षेत्र-पश्चिमी प्रशांत) विभाजन को समाप्त करने की प्रक्रिया में प्रमुख भूमिका निभा सकता है और इस प्रकार यह **'इंडो-पैसिफिक'** संकल्पना को सशक्त बना सकता है क्योंकि यह देश दोनों महासागरों से जुड़ा हुआ है।

भारत और APEC

- विगत कुछ वर्षों में APEC के अंतर्गत, भारत की सदस्यता का मुद्दा कई बार चर्चा का विषय बना रहा है।

भारत के प्रवेश से जुड़ी मुख्य बाधाएं-

- भारत की क्षेत्र से पृथक अवस्थिति, क्योंकि APEC अनिवार्य रूप से 'प्रशांत' देशों का एक समूह है, जो 1989 में एक आर्थिक समूह के गठन हेतु एक साथ आए।
- आर्थिक सुधारों और WTO वार्ताओं में भारत के रवैये के कारण, कुछ सदस्य राष्ट्र संगठन में भारत को सदस्य के रूप में शामिल करने के लिए असहमत हैं।

भारत को शामिल क्यों किया जाना चाहिए?

- भारत एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत, APEC में चीनी अर्थव्यवस्था के अत्यधिक प्रभाव को समायोजित करने में सहायता करेगा, जबकि यह भारत को एक मंच के साथ संबद्ध करेगा जो इसे अधिक आर्थिक सुधार की ओर अग्रसर करेगा।
- इसके अतिरिक्त, क्षेत्र की प्रमुख शक्तियों के साथ भारत की समुद्री शक्ति और सुदृढ़ सामरिक संबंधों का उपयोग संगठन में रणनीतिक संतुलन स्थापित करने में किया जा सकता है।
- यह एक "मुक्त और खुले भारत-प्रशांत क्षेत्र" की अवधारणा को प्रोत्साहन प्रदान करेगा।

भारत, जिसे वर्तमान में 'पर्यवेक्षक' का दर्जा प्राप्त है, एक पूर्णकालिक सदस्य के रूप में आर्थिक समूह में शामिल होने के लिए अत्यंत उत्सुक रहा है। यह इस संबंध में महत्वपूर्ण है कि APEC में शामिल होने से ट्रांस-पैसिफ़िक पार्टनरशिप (TPP) में भारत की सदस्यता के लिए मार्ग प्रशस्त हो सकता है।

भविष्य में इंडो-पैसिफिक रणनीति की प्रासंगिकता

- IOR और WP के मध्य मजबूत संबंधों के कारण भविष्य में **इंडो-पैसिफिक** अवधारणा की प्रासंगिकता को अधिक उन्नत बनाया जाएगा।

VISION IAS

- इसके अतिरिक्त, IOR और WP देशों के बीच व्यापार और लोगों के पारस्परिक जुड़ाव में वृद्धि IOR क्षेत्र में आर्थिक समृद्धि ला सकती है और क्रमिक रूप से आर्थिक तथा मानव विकास सूचकांक से सम्बंधित असमानताओं को कम कर सकती है।
- चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) और भारत की 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' IOR एवं WP के आर्थिक एकीकरण में भी योगदान दे सकती है।
- इसके अतिरिक्त यह एशिया में शक्ति के संतुलन को विकसित करने तथा वैश्विक और क्षेत्रीय स्थिरता को संरक्षित करने के अत्यधिक व्यापक लक्ष्य के साथ, एशियाई संबंधों में निहित दरारों को भरने में भी सहायता करेगी।
- भारत और अन्य भागीदारों को UNCLOS को लागू करने की अपनी क्षमता को प्रदर्शित करना चाहिए।
  अन्यथा नियमों का उल्लंघन करने वाले चीन जैसे देशों से मानदंडों का पालन करवाना या नेविगेशन की स्वतंत्रता का सम्मान करवाना संभव नहीं हो सकेगा। इंडो-पैसिफिक रणनीति की सफलता के लिए ऐसा किया जाना आवश्यक है।

भू-रणनीतिक अवधारणा के रूप में **इंडो-पैसिफिक** का उदय एक स्वागतयोग्य गतिविधि है। हालांकि, इसे और अधिक राजनयिक गति देने तथा साथ ही आर्थिक मुद्दों पर अधिक स्पष्टता की आवश्यकता है। जापान और ऑस्ट्रेलिया आर्थिक संबंधों तथा कनेक्टिविटी को सुदृढ़ बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और बहुपक्षीय सहयोग में भारत को भी अपनी भूमिका निभानी चाहिए।

2.5. क्रा नहर (Kra Canal)

सुर्खियों में क्यों?

चीन द्वारा थाईलैंड में 100 किलोमीटर लम्बी नहर का निर्माण करने का निर्णय लिया है। यह नहर थाईलैंड को दो भागों में विभाजित करेगी।

परियोजना का विवरण

- प्रस्तावित थाई नहर परियोजना के दो भाग हैं-
  - पहला भाग "मलक्का डिलेमा (Malacca Dielemma)" के प्रत्युत्तर के रूप में देखा जा रहा है। यह नहर, दक्षिण चीन सागर को अंडमान सागर से जोड़ते हुए प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से जोड़ेगी।
  - दूसरा भाग एक विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) की स्थापना करना है। नए क्षेत्र में अतिरिक्त शहरों और कृत्रिम द्वीपों के निर्माण को सम्मिलित किया गया है, जो इस क्षेत्र में नए उद्योगों और अवसंरचना को बढ़ावा देंगे। यह थाईलैंड को "लॉजिस्टिक हब" के रूप में स्थापित करेगा और इसे विश्व भर के देशों से जोड़ देगा।

"मलक्का डिलेमा"(Malacca Dielemma):

"मलक्का डिलेमा" वाक्यांश का प्रयोग चीनी राष्ट्रपति हू जिंताओ (2003) द्वारा मलक्का जलसंधि पर अत्यधिक निर्भरता को परिभाषित करने हेतु किया गया था। मध्य पूर्व, अफ्रीका आदि से चीन की ऊर्जा आवश्यकताओं (तेल आयात) का 80% आयात मलक्का जलसंधि से होकर गुज़रता है। इसे चीन की समुद्री जीवन रेखा के रूप में भी जाना जाता है।

इसके निकटतम विकल्प, **लंबोक जलसंधि** और **मकस्सर जलसंधि** हैं। यहाँ परिवहन की गति धीमी है तथा पहले से ही इनका अत्यधिक उपयोग उन बड़े माल वाहक जहाजों द्वारा किया जाता है जो अपने बड़े आकार के कारण मलक्का मार्ग पर सुरक्षित रूप से नौसंचलन नहीं कर सकते हैं।

इस प्रकार, चीन एक ऐसे चोकप्वॉइंट, जो इसका प्रत्यक्ष पड़ोसी नहीं है, पर अत्यधिक निर्भरता के कारण कई प्रकार के संभावित प्राकृतिक और राजनीतिक हस्तक्षेप के प्रति सुभेद्य है।

प्रभाव

- **ऊर्जा सुरक्षा:** थाई नहर सबसे व्यस्त समुद्री शिपिंग मार्ग पर पारगमन समय को काफी हद तक कम कर देगी। चीनी कंपनियां इस परियोजना को तीव्रता से पूरा करने की इच्छुक हैं क्योंकि चीन का 80 प्रतिशत से अधिक तेल आयात और कुल विश्व व्यापार का 30% भाग मलक्का जलसन्धि से होकर गुजरता है।
- **सामरिक महत्व**: यह नहर चीनी युद्धपोतों को दक्षिण एशियाई बंदरगाहों तक पहुंचने के लिए मलक्का जलसंधि को बाइपास करते हुए एक नया मार्ग प्रदान करेगी। यह नया मार्ग परम्परागत मार्ग से 1,200 किमी छोटा होगा और इस क्षेत्र में हस्तक्षेप करने की बीजिंग की क्षमता में अत्यधिक वृद्धि करेगा।
- **सुरक्षा संरचना**: चूंकि चीन BRI (बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव) के माध्यम से समुद्री क्षेत्र में अपनी उपस्थिति का विस्तार कर रहा है, अतः क्रा नहर जैसी अवसंरचना परियोजनाओं की स्थापना से हिंद-प्रशांत क्षेत्र में **नई उभरती सुरक्षा संरचना** के और अधिक प्रभावित होने की संभावना है।

VISION IAS

- कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि क्रा नहर **मलक्का जलसंधि से परिवहन के अत्यधिक भार को कम** करके भारत सहित अन्य ऐसी अर्थव्यवस्थाओं को (जिनके मालवाहक जहाजों को इस मार्ग का प्रयोग करना पड़ता है) भी लाभ पहुंचा सकती है।

चुनौतियां

- स्थलडमरूमध्य के विभाजन से क्षेत्र की वनस्पतियों और जीवों पर व्यापक पर्यावरणीय प्रभाव होगा। साथ ही थाईलैंड में पर्यटन और मत्स्यन उद्योग भी प्रभावित होगा क्योंकि प्रस्तावित नहर मार्ग अंडमान सागर के पर्यटन क्षेत्रों को क्षति पहुंचाएगी। यह क्षेत्र वर्तमान में थाईलैंड के पर्यटन उद्योग से उत्पन्न कुल राजस्व का लगभग 40 प्रतिशत प्रदान करता है।
- इससे देश की संप्रभुता के समक्ष चुनौती उत्पन्न हो सकती है। यह मिस्र और पनामा के अनुभव से देखा जा सकता है, जहां स्वेज और पनामा नहरों के विकास के कारण दशकों तक विदेशी नियंत्रण रहा।

3. दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशिया

(South East and East Asia)

3.1. पूर्वी एशिया और आसियान

(East Asia and ASEAN)

सुर्खियों में क्यों ?

- हाल ही में, **15वां आसियान-भारत और 12वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन तथा** कई अन्य कार्यक्रम मनीला में आयोजित किए गए जो निम्नलिखित हैं -
  - क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (Regional Comprehensive Economic Partnership:RCEP) नेताओं की बैठक।
  - आसियान व्यापार और निवेश शिखर सम्मेलन।
  - भारत-सयुंक्त राज्य अमेरिका-जापान-ऑस्ट्रेलिया क्वाड्रिलैटरल की पहली बैठक।
- आसियान ने अपनी 50 वीं वर्षगांठ भी मनाई।

एक व्यापक पूर्वी एशियाई समुदाय के लाभ

- **आर्थिक लाभ:** पूर्वी एशियाई देशों (जापान, चीन, कोरिया, ताइवान और आसियान के सदस्यों) के मध्य व्यापार संबंधों में पारस्परिक निर्भरता का स्तर 1970 के दशक में यूरोपीय संघ (EU) के भीतर व्यापार निर्भरता और नार्थ अटलांटिक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट (NAFTA) के मध्य वर्तमान परस्पर निर्भरता से अधिक हो गया है।
- यह निवेश में दक्षता को भी बढ़ाएगा और क्षेत्र के बाहर के देशों के लिए वित्तीय एवं अन्य अप्रत्यक्ष लाभ भी उत्पन्न करेगा।
- **राजनीतिक प्रभाव:** पूर्वी एशिया समुदाय अंतरराष्ट्रीय राजनीति में चीन की सक्रिय भागीदारी में आग्रह करने के लिए जापान और दक्षिण कोरिया जैसे लोकतांत्रिक देशों हेतु अवसर उत्पन्न करेगा ताकि वह समय के साथ मुक्त राष्ट्रों के मूल्यों को साझा कर सके।
- **क्षेत्रीय सुरक्षा**: कोरियाई प्रायद्वीप और ताइवान जलसंधि में तनाव की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, अन्य देशों के मध्य जापान, चीन और दक्षिण कोरिया के लिए एक सामान्य दृष्टिकोण बनाए रखने और पूर्वी एशियाई क्षेत्र में सुरक्षा के उभयनिष्ठ मुद्दों को साझा करने के लिए यह महत्वपूर्ण है।
- **वैश्विक प्रभाव:** पूर्वी एशियाई समुदाय, एशियाई देशों में उत्तरदायित्व की भावना उत्पन्न करने और वैश्विक मुद्दों के समाधान हेतु संयुक्त रूप से उनका नेतृत्व करने में एक बड़ी भूमिका निभाएगा।

क्षेत्रीय गतिशीलता:

- पूर्वी एशिया एशियाई महाद्वीप का पूर्वी उप-क्षेत्र है जिसमें भौगोलिक और भू-राजनीतिक रूप से वृहत चीन (यह चीन की मुख्य भूमि, हांगकांग, मकाऊ और ताइवान से मिलकर बना है), जापान, मंगोलिया, उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया शामिल हैं।
- इस क्षेत्र में ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों को ध्यान में रखते हुए जापानी प्रधानमंत्री हातोयामा युकियो (2009-10) ने "पूर्वी एशियाई समुदाय" के विस्तारित क्षेत्र के गठन का प्रस्ताव दिया जिसमें चीन, जापान और कोरिया के साथ-साथ दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ (AEAN) के सदस्य सम्मिलित होंगे।
- चीन इस क्षेत्र (दक्षिण चीन सागर मुद्दे) में अपने वाणिज्यिक और सैन्य प्रभुत्व को बढ़ाने का कार्य कर रहा है, जिसने इस क्षेत्र में अस्थिरता में वृद्धि की है।
- इस क्षेत्र से अमेरिका की क्रमिक वापसी ने इस प्रकार की अनिश्चितताओं को और अधिक बढ़ाया है।
- जैसे पूर्वी एशिया के बड़े मुद्दों को समाविष्ट करने के संबंध में पूर्वी एशिया के परिप्रेक्ष्य में भारत के **विदेश मामलों में भी एक मूलभूत परिवर्तन हुआ** है। भारत ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंतर्गत पर्याप्त संलग्नता प्रदर्शित करने के साथ-साथ उत्तर कोरियाई परमाणु संकट तथा हिन्द-प्रशांत की अवधारणा जैसे मुद्दों पर भी सक्रियता दर्शायी है। उपर्युक्त गतिविधियाँ इस क्षेत्र में भारत की बढ़ती रूचि, सक्रियता और महत्व को प्रदर्शित करती हैं।
- चीन के साथ डोकलाम विवाद के पश्चात भारत क्रमशः इस क्षेत्र में एक अधिक विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभरा है।

दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ (Association of South East Asian Nations:ASEAN)

- यह एक राजनीतिक और आर्थिक संगठन है जिसका उद्देश्य मुख्य रूप से आर्थिक विकास और अपने सदस्यों के मध्य क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देना है।
- इसकी स्थापना पांच दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों अर्थात् - इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड द्वारा वर्ष

VISION IAS

1967 में की गई थी।

- वर्तमान में इसके 10 सदस्य राष्ट्र हैं: इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया और वियतनाम।

पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन पूर्व एशियाई, दक्षिण पूर्व एशियाई और दक्षिण एशियाई क्षेत्रों में 16 देशों के नेताओं द्वारा वार्षिक रूप से आयोजित किया जाने वाला एक मंच है।
इसका प्रथम शिखर सम्मेलन 2005 में आयोजित किया गया था।

वर्तमान विश्व में आसियान की प्रासंगिकता

विपक्ष में तर्क

- इस क्षेत्र पर चीन (और क्षेत्र के बाहर की शक्तियों) का एक स्पष्ट प्रभाव है जो इस तथ्य से प्रमाणित होता है कि-
  - चीन के पास ऐसे किसी भी निर्णय को वीटो करने का अधिकार है जो आर्थिक और सुरक्षा दोनों मामलों में बीजिंग के हितों को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर सकता है।
  - चीन द्वारा आसियान देशों के उकसाने की गतिविधियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही के लिए आवश्यक दृढ़ संकल्प की कमी (विशेष रूप से फिलीपींस और वियतनाम के मामले में) रही है।
- सुरक्षा के मामलों में पारस्परिक विश्वास की कमी प्रतीत होती है। इसके फलस्वरूप आसियान के सदस्य राष्ट्र जैसे- वियतनाम और फिलीपींस क्षेत्र के बाहर की शक्तियों के साथ रक्षा संबंधों को बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं।
- इसके अतिरिक्त, सदस्यों के मध्य सहयोग और सर्वसम्मति के अभाव के कारण यह समूह दक्षिण चीन सागर में पक्षकारों की आचरण संबंधी घोषणा पर बातचीत करने में विफल रहा है।
- आर्थिक रूप से आसियान में अभी भी 10 अलग-अलग कर प्रणालियाँ लागू हैं और इंडोनेशिया अभी भी आर्थिक रूप से संरक्षणवादी नीति का अनुसरण कर रहा है। इंडोनेशिया में विदेशी स्वामित्व अभी भी सीमित है और विदेशी कामगारों की भर्ती को कठोरता से नियंत्रित किया गया है।

पक्ष में तर्क

- **संगठन का लम्बे समय से बने रहना और साथ ही इसकी सापेक्षिक स्थिरता-** यह स्वयं ही इस बात का एक प्रमाण है कि विश्व के सबसे पुराने क्षेत्रीय संगठनों में से एक यह संगठन सही दिशा में कार्य कर रहा है।
- हाल ही में संगठन ने अर्थव्यवस्था की ओर अपना ध्यान केन्द्रित किया है। यह देखा गया कि वैश्विक आर्थिक विकास में मंदी के बावजूद, आसियान अर्थव्यवस्थाएं विश्व में सर्वाधिक गतिशील बनी रहीं।

  आसियान द्वारा इस क्षेत्र में राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता में योगदान प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। गतिशीलता और अनुकूलता का सह-अस्तित्व सदैव प्रभावी संस्थानों का प्रतीक रहा है और इसी आधार पर आसियान को भी इस क्षेत्र की तीव्रता से परिवर्तित भू-राजनैतिक व्यवस्था के सम्मुख अपने अस्तित्व की भावना का पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए। आसियान जैसे संगठन के लिए प्रासंगिक बने रहने हेतु नई सोच या समाधान के नए तरीकों के माध्यम से आगे बढ़ना ही एकमात्र व्यवहार्य कदम है।

3.2 भारत-आसियान

(India-ASEAN)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, ASEAN-भारत संवाद संबंध की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में दिल्ली घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए गए।

घोषणापत्र की मुख्य विशेषताएं

- **आतंकवाद के संबंध में-** यह प्रथम अवसर था जब दोनों पक्षों ने स्पष्ट रूप से सीमापार आतंकवाद का उल्लेख करते हुए आतंकवाद के वित्तपोषण, मानव-तस्करी, अवैध व्यापार आदि मुद्दों पर परस्पर घनिष्ठ सहयोग के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की।
- **क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP) के संबंध में-** दोनों पक्षों द्वारा 2018 में, व्यापक एवं परस्पर लाभप्रद RCEP के तीव्रतम सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने के लक्ष्य पर सहमति व्यक्त की गयी।
- **आर्थिक सहायता-** दोनों पक्ष आसियान-भारत मुक्त व्यापार क्षेत्र के पूर्ण उपयोग और प्रभावी कार्यान्वयन के माध्यम से आसियान-भारत आर्थिक संबंधों को और अधिक सशक्त बनाने के लिए कार्य करेंगे।
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) के स्थिर और संधारणीय विकास के प्रोत्साहन पर भी सहमति व्यक्त की गई।
- **भौतिक और डिजिटल कनेक्टिविटी-** दोनों पक्षों द्वारा मास्टर प्लान ऑन आसियान कनेक्टिविटी 2025 और आसियान ICT मास्टर प्लान (AIMS 2020) के अनुरूप भौतिक और डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता की पुनःपुष्टि की गयी।

- **समुद्री परिवहन में सहयोग** तथा बंदरगाहों, मेरीटाइम लॉजिस्टिक्स नेटवर्क और समुद्री सेवाओं के विकास में निजी क्षेत्र की सम्भाव्य भागीदारी को प्रोत्साहित करना।
- **विमानन क्षेत्र में सहयोग-** आसियान-भारत विमानन सहयोग फ्रेमवर्क के अंतर्गत आसियान और भारत के मध्य तकनीकी, आर्थिक और नियामक विषयों पर सहयोग करना।
- हिन्द और प्रशांत महासागरों में संरक्षण और संधारणीय उपयोग के माध्यम से **समुद्री संसाधनों की सुरक्षा** करना तथा इन संसाधनों के समक्ष विद्यमान अवैध, असूचित और अनियंत्रित मत्स्यन, तटीय पारिस्थितिकी तंत्रों के क्षरण इत्यादि चुनौतियों का निवारण करना।
- आसियान-भारत अंतरिक्ष सहयोग कार्यक्रम के माध्यम से बाह्य अंतरिक्ष से सम्बंधित मुद्दों पर सहयोग करने पर सहमति व्यक्त की गई।

क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (रीजनल कॉम्प्रीहेन्सिव इकनोमिक पार्टनरशिप: RCEP)

- यह ASEAN के सदस्य देशों और आसियान के साथ मुक्त व्यापार समझौता करने वाले छह देशों (ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, कोरिया गणराज्य, और न्यूजीलैंड) के मध्य प्रस्तावित एक मुक्त व्यापार समझौता है।
- इस वार्ता की शुरुआत नवंबर 2012 में कंबोडिया में आयोजित आसियान शिखर सम्मेलन में हुई।

भारत के लिए महत्व

- इस क्षेत्र में व्यापार को प्रभावी रूप से एकीकृत करके भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को प्रोत्साहन दिया जा सकता है।
- भारत के लिए नए बाजार खुल सकते हैं जहां इसके पास ICT जैसी प्रतिस्पर्धी बढ़त है।
- उन्नत मानकों के लिए प्रतिस्पर्धा और उन तक पहुँच होने से भारत को विनियामक वातावरण में सुधार करने का अवसर प्राप्त होगा।

इस मुद्दे पर भारत की विभिन्न चिन्ताएं

- ASEAN सदस्यों के द्वारा आरोपित आयात शुल्कों को समाप्त करना। इससे भारतीय बाजार में चीनी उत्पादों की बाधा रहित पहुँच सुनिश्चित होगी।
- यह भारत के कृषि और उद्योग क्षेत्र में अत्यधिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देगा।
- भारत, कुछ RCEP देशों की खरीद संबंधी खंडों को खोलने की मांगों को पूरा करने का इच्छुक नहीं है।
- जेनेरिक दवाओं के निर्माण के मामले में कई सदस्य देशों ने ऐसे प्रावधानों को बढ़ावा दिया है जो TRIPS से परे हैं और इसके प्रतिकूल प्रभाव हो सकते हैं।

मास्टर प्लान ऑन आसियान कनेक्टिविटी 2025

- इसे समेकित एवं व्यापक रूप से कनेक्टेड ASEAN' दृष्टिकोण के साथ वियतनाम घोषणा, 2016 में स्वीकृत किया गया। इसके माध्यम से इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा, समावेशन और सामुदायिक भावना को प्रोत्साहन प्राप्त होगा।
- इस विज़न की प्राप्ति हेतु यह पांच सामरिक बिन्दुओं पर केन्द्रित होगा-
  - संधारणीय अवसंरचना (सस्टेनेबल इन्फ्रास्ट्रक्चर)
  - डिजिटल नवोन्मेष (डिजिटल इनोवेशन)
  - समेकित लॉजिस्टिक (सीमलेस लॉजिस्टिक)
  - विनियामकीय उत्कृष्टता (रेगुलेटरी एक्सीलेंस)
  - नागरिक गतिशीलता (पीपुल मोबिलिटी)

आसियान ICT मास्टर प्लान

- इसे 2015 में प्रारम्भ किया गया था। इसका उद्देश्य ASEAN को एक डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाना है, जो सुरक्षित, संधारणीय तथा परिवर्तनशील हो। इसके साथ ही इसका लक्ष्य एक नवोन्मेषी, समावेशी और एकीकृत ASEAN समुदाय की स्थापना करना है।

- हाल ही में चौथा अंतर्राष्ट्रीय धर्म-धम्म सम्मेलन बिहार राज्य के नालंदा जिले में संपन्न हुआ। इसे भारत-आसियान वार्ता के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया।
- इस सम्मेलन का मूल विषय था " धर्म-धम्म संस्कृति में राज्य और सामाजिक व्यवस्था"।
- इसका आयोजन नालंदा विश्वविद्यालय द्वारा सेंटर फॉर स्टडी ऑफ रिलिजन एंड सोसाइटी, इंडिया फाउंडेशन, विदेश मंत्रालय और वियतनाम बौद्ध विश्वविद्यालय के सहयोग से किया गया।

VISION IAS

व्यापार और आर्थिक सहयोग-

- आसियान क्षेत्र तथा भारत में विश्व की एक-चौथाई जनसंख्या निवास करती है और उनकी संयुक्त GDP 3.8 ट्रिलियन डॉलर से अधिक होने अनुमान है।
- भारत ने आसियान के साथ 2009 में वस्तुओं पर एक मुक्त व्यापार समझौता (FTA) तथा 2014 में सेवाओं और निवेश पर एक FTA हस्ताक्षरित किया।
- इसके अतिरिक्त, भारत का आसियान क्षेत्र के विभिन्न देशों के साथ **व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता (CECA)** है, जिसके परिणामस्वरूप रियायती दर पर व्यापार तथा निवेश में वृद्धि हुई है।
- इसी अवधि के दौरान आसियान में भारत का निवेश 40 बिलियन डॉलर से अधिक रहा है।
- 2015-16 के दौरान भारत और आसियान के मध्य व्यापार 65.04 बिलियन डॉलर रहा है जो भारत के सम्पूर्ण विश्व के साथ होने वाले कुल व्यापार का 10.12 प्रतिशत था।

भारत-आसियान

वर्ष 1947 में भारत ने अपनी स्वतंत्रता के पश्चात् गुट निरपेक्ष आंदोलन (NAM) की नीति का पालन किया और संपूर्ण दक्षिण-पूर्व एशिया में विउपनिवेशिकरण का चैम्पियन बन गया। हालांकि, 1970 के दशक के दौरान, सोवियत संघ की ओर भारत के झुकाव के कारण दक्षिण-पूर्व एशिया का भारत से अलगाव हुआ क्योंकि सोवियत संघ और दक्षिण-पूर्व एशिया, दोनों अलग-अलग आर्थिक और राजनीतिक विचारधाराओं का अनुकरण करते थे।

- शीत युद्ध युग के दौरान भारत ने अपनी नीतियों में प्रमुख परिवर्तन करते हुए, 1991 में आर्थिक उदारीकरण के शीघ्र पश्चात् चीन जैसे पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों को बढ़ाने के लिए "एक्ट ईस्ट पॉलिसी" (LEP) को अंगीकृत किया। विगत कुछ वर्षों में नीति द्वारा इस क्षेत्र के सामरिक और सुरक्षा पहलुओं पर घनिष्ठ संबंध बनाने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है।
- आसियान के साथ भारत की भागीदारी के प्रमुख परिणामों में से एक आसियान-भारत मुक्त व्यापार समझौता (AIFTA) रहा है। इसे गहन आर्थिक एकीकरण की दिशा में एक आवश्यक कदम माना गया है।
- 1992 में भारत ASEAN में सीमित क्षेत्रों हेतु वार्ता सहयोगी बना तथा 1995 में इसने पूर्ण वार्ता सहयोगी का दर्जा प्राप्त कर लिया।
- 1996 में भारत को ASEAN के पोस्ट मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस (PMC) में शामिल होने और ASEAN क्षेत्रीय फोरम (ARF) का पूर्ण सदस्य बनने का अवसर प्राप्त हुआ। 2012 में संबंधों को आगे बढ़ाते हुए रणनीतिक साझेदारी में बदल दिया गया।
- विगत कुछ वर्षों से भारत, RCEP मुक्त व्यापार समझौते पर चर्चा के लिए चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ **आसियान "प्लस सिक्स"** (आसियान+6) में शामिल हो गया है।
- हालांकि बीजा और सेवाओं की पहुंच पर भारत के रुख पर विवाद रहा है। अतः ऐसे में भारत द्वारा मुक्त व्यापार का विरोध वस्तु व्यापार में चीन को अनुचित बढ़त दे सकता है।
- 2004 में आयोजित "आसियान-इंडिया पार्टनरशिप फॉर पीस, प्रोग्रेस एंड शेयर्ड प्रॉस्परिटी" और 2012 में "प्लान ऑफ एक्शन" ने ASEAN और भारत के मध्य विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ते सामंजस्य को प्रतिबिंबित किया है।
- दो दशक पुरानी लुक ईस्ट पॉलिसी (जिसका नाम बदल कर एक्ट ईस्ट पॉलिसी कर दिया गया है) ने भी आसियान को एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय सहयोगी बनाकर भारत के लिए हेतु सकारात्मक परिणाम प्रदान किये हैं।

भारत के लिए ASEAN का महत्व

- **अर्थव्यवस्था के संदर्भ में**
  - यह संगठन भारत के लिए एक प्रमुख व्यापार और निवेश साझेदार है। विगत 20 वर्षों में भारत के कुल निर्यात और आयात में ASEAN का हिस्सा क्रमश: 9.22 प्रतिशत और 8.93 प्रतिशत हो गया है, जो अत्यधिक महत्वपूर्ण है।
  - विगत 17 वर्षों में ASEAN से भारत में होने वाला निवेश 70 अरब डॉलर से अधिक रहा है जो भारत के कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के 17 प्रतिशत से अधिक है।
  - ASEAN की अर्थव्यवस्थाओं का विनिर्माण क्षेत्र में विस्तृत अनुभव रहा है जिसका उपयोग भारत द्वारा मेक इन इंडिया पहल में किया जा सकता है।

VISION IAS

- **सुरक्षा के संबंध में**
    - ASEAN मंच भारत को हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में समुद्री डकैती, अवैध प्रवास और मादक पदार्थों, हथियारों और मानव तस्करी, समुद्री आतंकवाद आदि जैसे गैर-पारंपरिक सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करता है। इन मुद्दों को केवल बहुपक्षीय स्तर पर समाधान किया जा सकता है।
    - भारत ने ARF में भी कई कूटनीतिक सफलताएं अर्जित की हैं, जिसमें 1998 के परमाणु परीक्षण के पश्चात् संबंधों को बनाए रखना, कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तान को अलग-थलग करना और 2002 तक मंच में पाकिस्तान के प्रवेश के विरुद्ध लॉबिंग करना सम्मिलित है।
    - सामूहिक हित का एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा कनेक्टिविटी है। भारत अपने पारगमन समझौते को औपचारिक बनाने तथा भूमि, जल और वायु के माध्यम से इस क्षेत्र के साथ बेहतर संपर्क अवसंरचना स्थापित करने के लिए कार्य कर रहा है। उदाहरण के लिए, भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिकोणीय राजमार्ग और कलादान मल्टीमॉडल परियोजना।
    - चीन की आर्थिक और सैन्य आक्रामकताओं ने इस क्षेत्र के देशों में संदेह उत्पन्न किया है। यह भारत को चीन के प्रभाव को संतुलित करने और इस क्षेत्र में सहयोग प्राप्त करने का एक अवसर प्रदान करता है।

ASEAN के लिए भारत का महत्व

- **आर्थिक रूप से,** ASEAN देश, विश्व की एक उदीयमान आर्थिक शक्ति-भारत के साथ अपने संबंधों से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। दोनों के मध्य हस्ताक्षरित CECA के उद्देश्यों में से एक ASEAN के नए सदस्य देशों के आर्थिक एकीकरण को अधिक प्रभावी बनाने में सहयोग करना और पक्षकारों के मध्य विकास अंतराल को समाप्त करना है।
- हाल ही में ASEAN देशों को अमेरिकी बाजार के खोने से हुई हानि की क्षतिपूर्ति भारत की घरेलू मांग से की जा सकती है। जो भारत में मध्यम वर्ग की मांग में निरंतर वृद्धि के साथ बढ़ रही है।
- सुरक्षा संबंधी चुनौतियों के मामले में, ASEAN और भारत दोनों को आतंकवाद के संदर्भ में गंभीर सुभेद्यता का सामना करना पड़ रहा है। अतः इस क्षेत्र में शांति एवं सुरक्षा की स्थापना के लिए मिलकर कार्य करना दोनों के साझे हित में है।
- इस क्षेत्र के सामरिक स्थलों से अमेरिकी सैनिकों के वापस लौटने के कारण, ASEAN देशों द्वारा हिंद महासागर में सबसे बड़ी नौसेना और परमाणु क्षमता वाले भारत को इस क्षेत्र में चीन की बढ़ती शक्ति को संतुलित करने हेतु एक रणनीतिक साझेदार समझा जाना एक उपयुक्त नीति है।
- जहाँ पूर्वी एशिया कार्यशील आयुवर्ग की न्यूनतम जनसंख्या के चरण में प्रवेश करने की कगार पर है, वहीं भारत कार्यशील आयु वर्ग की उच्चतम जनसंख्या के चरण में प्रवेश कर रहा है। यह पूर्वी एशिया के लिए मानव संसाधन एक आधारस्तंभ सिद्ध हो सकता है।

भारत और आसियान के मध्य विद्यमान विभिन्न मुद्दे

- **अधिकांश आसियान देशों और भारत के मध्य व्यापार असंतुलन विद्यमान है** क्योंकि अधिकांश आसियान देश निर्यात उन्मुख विनिर्माण क्षेत्रक के लिए औद्योगीकृत हैं, जबकि भारत का निर्यात क्षेत्र कमजोर है। भारत सरकार का फोकस विनिर्माण को घरेलू स्तर पर प्रोत्साहित करने पर स्थानांतरित हो गया है।
- आसियान के सदस्य देशों द्वारा निराशा जताई गयी कि भारत ने इस क्षेत्र में सक्रिय भूमिका नहीं निभाई है। यद्यपि क्षेत्रीय पहुंच के लिए अधिक सशक्त सहयोग संबंधी भारत की अपेक्षाएँ भी पूरी नहीं हुयी हैं।
- भारत द्वारा बहुपक्षीय मंच के रूप में आसियान के साथ सहयोग के बजाय **द्विपक्षीय भागीदारी को अधिक वरीयता** दी जाती है।
- विकास सहायता प्रदान करने, बाजार पहुँच और सुरक्षात्मक गारंटी प्रदान कराने में **भारत की क्षमता** सीमित है। साथ ही क्षेत्रीय स्थिरता हेतु भारतीय क्षमताओं के प्रयोग के प्रति आसियान का झुकाव चीन जैसे देशों के प्रति इसकी संवेदनशीलता के कारण सीमित हुआ है।

इस क्षेत्र में बेहतर संबंधों की स्थापना हेतु भारत को कौन से कदम उठाने चाहिए?

- दोनों पक्षों की अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए **सेवा और विनिर्माण क्षेत्रों** के माध्यम से व्यापार और निवेश संबंधों को संतुलित किया जा सकता है।
    - वियतनाम जैसे आसियान देश वैश्विक मूल्य श्रृंखला में अत्यधिक एकीकृत हैं। भारत द्वारा इस स्थिति का प्रयोग अपने विनिर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए किया जा सकता है।
    - भारत का सेवा क्षेत्र अधिक विकसित है। अतः भारत आसियान देशों को सेवा निर्यात की सुविधा प्रदान कर सकता है और साथ ही लोगों के अधिक मुक्त आवागमन में सहायता प्रदान कर सकता है।
- **डिजिटल प्रौद्योगिकियाँ-** आसियान देशों की चीन की कम्पनियों से सहायता लेने की अनिच्छा (डेटा के स्वामित्व की चीन की क्षमता के बारे में चिंताओं के कारण) का लाभ भारतीय आईटी सेक्टर द्वारा प्राप्त किया जा सकता है।

VISION IAS

- **परियोजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन-** भारत को पहले से संचालित परियोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है। उदाहरणार्थ, भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिकोणीय राजमार्ग (इस परियोजना को कंबोडिया, लाओस और वियतनाम तक विस्तारित करने का लक्ष्य भारत की उभरती परिवहन अवसंरचना को प्रदर्शित करता है।)
- **कनेक्टिविटी में सुधार-** दक्षिण पूर्व एशिया के लिए, भारत की तुलना में चीन की व्यापारिक उड़ानों की संख्या तीन गुना अधिक है। अतः भारत और आसियान देशों के मध्य हवाई संपर्क में सुधार करना भारत के लिए मुख्य एजेंडा होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, इंडिया-आसियान मेरीटाइम फ्रेमवर्क के विकास हेतु बंगाल की खाड़ी का उपयोग एक अन्वेषी-आधार के रूप में किया जा सकता है।
- **सांस्कृतिक संबंधों को सुदृढ़ करना-** दोनों पक्षों द्वारा कुछ रचनात्मक कार्यक्रमों के माध्यम से भारत और आसियान के मध्य सांस्कृतिक पर्यटन को भी प्रोत्साहित किया जा सकता है।
- **इंडो पैसिफिक:** अमेरिकी राष्ट्रपति ने हाल ही में "एशिया-पैसिफिक" शब्द को "इंडो-पैसिफिक" से बदल दिया है, जो भारत के बढ़ते महत्व को प्रदर्शित करता है। यह भारत के लिए व्यापक अवसर और जवाबदेही भी उत्पन्न करता है।
- विश्व राजनीति में इस क्षेत्र के बढ़ते महत्व के कारण भारत के लिए यह क्षेत्र रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बन गया है। भारत को एक क्षेत्रीय शक्ति होने के नाते, ASEAN के साथ सभी क्षेत्रों में अपने संबंधों के सुदृढ़ीकरण को प्राथमिकता देनी चाहिए।

3.3. भारत-जापान

(India-Japan)

सुर्ख़ियों में क्यों?

जापान के प्रधानमंत्री ने भारत की आधिकारिक यात्रा की तथा **12वें भारत-जापान वार्षिक सम्मेलन** में भाग लिया।

यात्रा के दौरान हस्ताक्षरित MoUs/समझौतों की सूची

12वें भारत-जापान वार्षिक सम्मेलन में, दोनों देशों ने विनिर्माण, नागरिक उड्डयन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, कनेक्टिविटी और कौशल विकास के क्षेत्रों में आपसी सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की।

भारत और जापान ने अपनी रणनीतिक साझेदारी को व्यापक एवं विस्तृत करने के लिए 15 समझौतों पर हस्ताक्षर किए तथा इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की।ध्यातव्य है कि चीन भी इन क्षेत्रों में अपनी पहुँच में वृद्धि कर रहा है।

शिखर सम्मेलन में आपसी रणनीतिक साझेदारी को व्यापक एवं विस्तृत बनाने के लिए 15 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए थे। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण समझौते इस प्रकार हैं:

- भारत और जापान के चुनिन्दा शहरों के बीच असीमित उड़ाने शुरू करने के लिए एक ओपन स्काई समझौता किया गया।
- भारत में जापानी निवेश को सुविधाजनक बनाने और गति प्रदान करने के लिए DIPP और *मिनिस्ट्री ऑफ़ एक्सटर्नल ट्रेड एंड इंडस्ट्री* (METI) के मध्य *इंडिया-जापान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन रोड मैप* समझौता ज्ञापन।
- मंडल बेचराज-खोराज में 'जापान-इंडिया स्पेशल प्रोग्राम फॉर मेक इन इंडिया' के लिए METI और गुजरात के बीच समझौता ज्ञापन।

<u>हाई-स्पीड रेल प्रोजेक्ट का संयुक्त उद्घाटन</u>

- भारतीय प्रधानमंत्री और उनके जापानी समकक्ष ने अहमदाबाद में मुंबई और अहमदाबाद के बीच देश के पहले 508 किलोमीटर लम्बे हाई-स्पीड रेल प्रोजेक्ट की नींव रखी।
- इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन जापान से प्राप्त लगभग 90% वित्तीय सहायता और प्रौद्योगिकी के माध्यम से किया जाएगा।
- प्रोजेक्ट के लिए जापान के साथ साझेदारी करने का भारत का निर्णय कूटनीति से भी उतना ही सम्बंधित है जितना बुनियादी ढांचे से क्योंकि जापान अनुबंध प्राप्त करने का इच्छुक रहा है और ऐसे में जब चीन अपनी बेल्ट एंड रोड रेलवे लाइन के साथ-साथ अन्य परियोजनाओं को हासिल कर रहा है, भारत द्वारा जापान से यह अनुबंध किया जाना अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है।

संयुक्त वक्तव्य की मुख्य विशेषताएं

संयुक्त वक्तव्य का शीर्षक **"टुवर्ड्स ए फ्री, ओपन एंड प्रॉस्परस इंडो-पैसिफ़िक रीजन"** था, जो दोनों देशों के लिए सामान्य चिंता का विषय है।

- **भारत-प्रशांत क्षेत्र**
  - संयुक्त वक्तव्य में भारत-प्रशांत क्षेत्र में **"नियम-आधारित व्यवस्था"** की बात की गई है। इस व्यवस्था के तहत **"संप्रभुता और अंतरराष्ट्रीय कानून का सम्मान किया जाता है**; मतभेदों को आपसी वार्ता के माध्यम से सुलझाया जाता है तथा बड़े या छोटे **सभी देश** नेविगेशन और अधिक उड़ानों की स्वतंत्रता, सतत विकास तथा एक स्वतंत्र, निष्पक्ष और खुली व्यापार एवं निवेश प्रणाली का लाभ उठाते हैं।"

VISION IAS

- **चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI)**
  - संयुक्त वक्तव्य के तहत चीन के OBOR इनिशिएटिव से इस क्षेत्र में कनेक्टिविटी एवं बुनियादी ढांचे के विकास करने के लिए पारदर्शिता की मांग की गई और एशिया एवं अफ्रीका को जोड़ने के लिए इंडिया-जापान प्रोजेक्ट की पुन: पुष्टि की गई।
  - संयुक्त वक्तव्य में उन सिद्धांतों का भी समर्थन किया गया जिनके आधार पर भारत ने चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) से बाहर रहने का निर्णय किया था।
- **उत्तर कोरिया**
  - रणनीतिक साझेदारी का प्रदर्शन करते हुए, भारत और जापान ने उत्तर कोरिया को अपने परमाणु एवं मिसाइल कार्यक्रमों को बंद करने के लिए कहा।
  - संयुक्त वक्तव्य में उत्तर कोरिया की निंदा की गई है। साथ ही पहली इसमें बार जिन देशों ने परमाणु कार्यक्रम विकसित करने में उसकी मदद की, उन **"सभी पक्षों की जवाबदेही तय करने के महत्व"** को भी शामिल किया गया है। यह न केवल चीन बल्कि पाकिस्तान के लिए भी एक संकेत है।
- **आतंकवाद**
  - शिखर सम्मेलन के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में सीमा पार आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के रिजोल्यूशन 1267 के कार्यान्वयन की मांग की गई।
  - आतंकवाद पर ***जीरो टॉलरेंस*** सम्बन्धी उप-खंड (clause) में जैश-ए-मोहम्मद के प्रमुख को संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित आतंकवादियों की सूची में डालने के प्रस्ताव पर चीन के वीटो का भी सन्दर्भ लिया गया है।
- **संयुक्त अभ्यास**
  - संयुक्त वक्तव्य में मानवीय सहायता एवं आपदा राहत (HA/DR), शांति स्थापना अभियानों और आतंकवाद से मुकाबला करने के क्षेत्रों में संयुक्त अभ्यास के विस्तार पर बल दिया गया है। इसमें अगले वर्ष जापान और भारत की सेना के मध्य संपन्न होने वाला संयुक्त क्षेत्र अभ्यास भी शामिल होगा।
- **पूर्वोत्तर राज्यों के लिए सहायता**
  - जापान ने देश के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र में अपनी रुचि का भी उल्लेख किया है।
  - वर्तमान में जापान की दो अवसंरचनात्मक परियोजनाएं, मेघालय और मिजोरम में चल रही हैं और व्यवहार्यता अध्ययन के बाद इस सूची में और अधिक परियोजनाओं के जोड़े जाने की संभावना है।

विश्लेषण

- यह स्पष्ट है कि सरकार ने भू-राजनैतिक आधार पर भारत-जापान संबंध स्थापित किए हैं। यह ऐसे समय में जब अमेरिका इस क्षेत्र से खुद को पीछे हटा रहा है, बाकी विश्व, विशेष रूप से चीन के साथ, भारत के व्यवहार को एक नयी दिशा देने में एक प्रमुख कारक होगा।
- हालांकि रणनीतिक साझेदारी को मजबूत आर्थिक संबंधों की आवश्यकता है। आज भारत-जापान के मध्य करीब 15 अरब डॉलर व्यापार होता है जो चीन के साथ होने वाले व्यापार का एक चौथाई हिस्सा है। जबकि जापान-चीन का व्यापार लगभग 300 अरब डॉलर का है। जापान, भारत के लिए सबसे बड़ा दानकर्ता देश है तथा FDI प्रदान करने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश भी है, हालाँकि 2013 से दोनों देशो के मध्य द्विपक्षीय व्यापार में लगातार गिरावट आई है।
- दोनों देशो ने उत्तर कोरिया के परमाणु परीक्षण और दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती गतिविधि के चलते इस क्षेत्र में बढ़ते तनाव को देखते हुए रक्षा संबंधों को मजबूत करने का निर्णय लिया है।
- दोनों पक्ष मानव रहित वाहनों (Unmanned Ground Vehicles) और रोबोटिक्स के क्षेत्रों में अनुसंधान सहयोग के लिए तकनीकी चर्चा शुरू करने हेतु भी सहमत हुए।
- हाल ही में कनेक्टिविटी निर्माण के लिए एक अन्य प्रमुख पहल के तौर पर ***एशिया-अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर*** लॉन्च किया गया। इस पहल के तहत जापान ने 30 बिलियन डॉलर और भारत ने 10 बिलियन डॉलर का योगदान दिया है।
- यह दोनों देशों के बीच 'वैश्विक भागीदारी' हेतु एक महत्वपूर्ण आयाम को जोड़ता करता है। हालांकि, इसे लाभप्रद बनाने के लिए भारत को विदेशों में परियोजनाओं को लागू करने की अपनी शैली में बदलाव लाने की आवश्यकता है। भारत की इस प्रकार की अधिकांश परियोजनाएं लागत और पूरा करने में अधिक समय लेने जैसी समस्याओं से ग्रस्त हैं।

3.4. भारत-इंडोनेशिया

(India-Indonesia)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा इंडोनेशिया की यात्रा की गई।

अन्य संबंधित तथ्य

- दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय संबंधों को **व्यापक सामरिक साझेदारी** के स्तर तक बढ़ावा देने के लिए सहमति व्यक्त की है।

VISION IAS

- मुक्त, खुले, पारदर्शी, नियम-आधारित (UNCLOS के अनुरूप), शांतिपूर्ण, समृद्ध एवं समावेशी हिन्द-प्रशांत क्षेत्र की आवश्यकता के महत्त्व पर बल दिया गया।
- इस क्षेत्र में उपलब्ध अवसरों का उपयोग करने हेतु **हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग पर एक साझा दृष्टिकोण** को घोषित किया गया और निम्नलिखित विषयों पर सहमति व्यक्त की गयी है -
  - व्यापार एवं निवेश सहयोग में वृद्धि करना:
  - आपदा जोखिम प्रबंधन संबंधी सहयोग को बढ़ावा देना:
  - पर्यटन तथा सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देना, इत्यादि।
- दोनों क्षेत्रों की आर्थिक क्षमता का दोहन करने हेतु अंडमान व निकोबार और आचेह के मध्य संपर्क (link) स्थापित करना।

भारत-इंडोनेशिया संबंधों का महत्त्व

- **संचार हेतु समुद्री मार्गों का संरक्षण-** दक्षिण-पूर्व हिंद महासागर समुद्री डाकुओं की गतिविधियों; मानव तस्करी, हथियारों, ड्रग्स एवं धन की तस्करी; अवैध, असूचित और अनियमित मत्स्यन और आतंकवादियों की घुसपैठ आदि का एक बड़ा अड्डा बन गया है। अतः हिन्द और प्रशांत महासागर के मध्य में इंडोनेशिया की सामरिक अवस्थिति, प्रमुख समुद्री मार्गों के संरक्षण हेतु अति महत्त्वपूर्ण है।
- **सामरिक महत्त्व:** हाल ही में, इंडोनेशिया ने भारतीय निवेश के लिए मलक्का जलसंधि के समीप स्थित सामरिक द्वीप सबांग तक पहुंच प्रदान करने हेतु सहमति प्रदान की है। यह **भारत को हिन्द महासागर क्षेत्र में प्रमुख सुरक्षा प्रदाता** बनने में सहायता करेगा।
- **चीन को प्रतिसंतुलित करना:** इस क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रामकता को प्रतिसंतुलित करने हेतु क्षेत्र के विभिन्न देशों के मध्य व्यापक सहयोग की आवश्यकता है।
- **भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी:** दक्षिण-पूर्व एशिया में जनसंख्या के साथ-साथ आर्थिक रूप से सबसे बड़ा देश होने के कारण ,भारत के लिए इंडोनेशिया का समर्थन इसकी एक्ट ईस्ट पॉलिसी को सुदृढ़ता प्रदान करेगा। इसके अतिरिक्त, भारत का **'सागर'** (सिक्यूरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन) विज़न भी इंडोनेशिया के 'ग्लोबल मैरीटाइम फल्क्रम' के अनुरूप है।
- **व्यापार एवं निवेश:** 2017 में दोनों देशों के मध्य 18.13 बिलियन अमेरिकी डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ। भारत एवं इंडोनेशिया ने द्विपक्षीय व्यापार को वर्ष 2025 तक तीन गुना अर्थात 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक किए जाने पर सहमति व्यक्त की है। इसके अतिरिक्त दोनों देश ब्लू इकोनॉमी तथा क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (Regional Comprehensive Economic Cooperation: RCEP) को बढ़ावा देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
- **आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष:** दोनों देशों को धर्म आधारित आतंकवाद में वृद्धि के खतरे का सामना करना पड़ रहा है। अतः दोनों देश इस मुद्दे के समाधान हेतु विभिन्न धर्मों के मध्य आपसी संवाद (interfaith dialogues) स्थापित करने पर सहमत हुए हैं।

भारत-इंडोनेशिया संबंधों के समक्ष चुनौतियाँ

- **इस क्षेत्र में चीन की सुदृढ़ उपस्थिति:** इंडोनेशिया ने शीत युद्ध काल में चीन के साथ मित्रता संधि की थी, इसलिए यह व्यापक सामरिक साझेदारी के पश्चात भी ऐसी किसी भी गतिविधि में संलग्न नहीं होगा जो चीन के लिए चिंता का कारण बने।
- **शीत युद्ध युग की शत्रुता:** स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत ने इंडोनेशिया के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित किए क्योंकि दोनों ही देश गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सदस्य थे। यद्यपि बाद में भारत के सोवियत संघ (USSR) तथा इंडोनेशिया के अमेरिका (USA) की ओर झुकाव के कारण दोनों के संबंधों की घनिष्टता में कमी आई। इसके अतिरिक्त, भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान इंडोनेशिया ने पाकिस्तान का समर्थन किया था।
- **दोनों देशों के मध्य अंडमान सागर में समुद्री सीमा के सीमांकन का कार्य भी पूर्ण नहीं हो पाया है।** हालांकि, यात्रा के दौरान दोनों पक्षों ने इसकी आवश्यकता को दोहराते हुए, कार्य को शीघ्र ही पूर्ण करने का विचार व्यक्त किया।
- **निम्न स्तरीय कनेक्टिविटी :** निम्न स्तरीय कनेक्टिविटी के कारण दोनों देश द्विपक्षीय संबंधों की क्षमताओं का पूर्ण उपयोग नहीं कर पाए हैं। दोनों देशों के मध्य सीधी एयर कनेक्टिविटी की स्थापना हाल ही में हो सकी है।

आगे की राह

- भारत एवं इंडोनेशिया एशिया में अपनी सह-अस्तित्व की परंपरा के आधार पर, धार्मिक अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यक समुदायों के साथ **सह-अस्तित्व का एक अनुपूरक मॉडल प्रदान** कर सकते हैं। इसके लिए **इंटरफेथ डायलॉग फोरम** को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।
- पुनर्जीवित भारत-ब्राजील-दक्षिण अफ्रीका फोरम में इंडोनेशिया के प्रवेश का समर्थन कर भारत इसकी लोकतांत्रिक महत्ता में वृद्धि कर सकता है।
- भारत इंडोनेशिया को **क्वाड्रीलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग** में भी आमंत्रित कर सकता है। हिन्द-प्रशांत क्षेत्र के विभिन्न सुरक्षा पहलुओं पर केंद्रित इस संवाद में भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया सम्मिलित हैं।

3.5. भारत-सिंगापुर

(India-Singapore)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, दिल्ली में आयोजित रक्षामंत्रियों की द्वितीय वार्ता के दौरान "नौसेना सहयोग हेतु भारत-सिंगापुर द्विपक्षीय समझौते" पर हस्ताक्षर किये गए।

महत्वपूर्ण तथ्य

- इस समझौते से भारतीय नौसेना के जहाजों को विवादित दक्षिण चीन सागर के निकट स्थित **सिंगापुर के चांगी नौसैनिक अड्डे** पर ईंधन भरने समेत विभिन्न प्रकार की लॉजिस्टिक सहायता प्राप्त होंगी।
- इस समझौते के अंतर्गत समुद्री सुरक्षा में अधिक सहयोग, संयुक्त अभ्यास, एक दूसरे के नौसैनिक प्रतिष्ठानों में अस्थायी तैनाती और परस्पर लॉजिस्टिक सहायता समेत विभिन्न क्षेत्र शामिल हैं।

समझौते का महत्त्व:

भारत और सिंगापुर के बीच द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने के अतिरिक्त यह समझौता निम्न अर्थों में भी महत्वपूर्ण है-

- **सामरिक अवस्थिति**- मलक्का जलसंधि (जो विश्व की सर्वाधिक महत्वपूर्ण 'शिपिंग लेन' है) के पूर्व में स्थित किसी देश के साथ भारत का यह प्रथम नौसैनिक लॉजिस्टिक समझौता है।
  - **आर्थिक रूप से**, वैश्विक वाणिज्य के लिए इसे एक महत्वपूर्ण चोकप्वॉइंट (अवरोध बिंदु) माना जाता है तथा चीन इसे अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से अपनी कमजोर कड़ी मानता है।
  - इससे भारत को दक्षिण चीन सागर के विवादित जल क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बढ़ाने का अवसर मिलेगा।
- **हिंद महासागर में भारत की भूमिका में वृद्धि**- चाबहार बंदरगाह के साथ-साथ सिंगापुर के चांगी नौसैनिक अड्डे पर भारत की उपस्थिति इस क्षेत्र में भारतीय नौसेना को अपनी तैनाती बढ़ाने की क्षमता प्रदान करता है। यह भारत को हिंद महासागर क्षेत्र में एक निवल सुरक्षा प्रदाता के तौर पर उभरने में मदद कर सकता है।
- **रक्षा संबंधों में विस्तार**- नौसैना द्विपक्षीय समझौता दोनों पक्षों के मध्य सभी सैन्य शाखाओं में समझौतों को पूर्ण करता है। इससे पूर्व 2007 में वायुसेना द्विपक्षीय समझौता तथा 2008 में थलसेना द्विपक्षीय समझौता किया गया था।
- **पूर्वी एशिया के साथ संबंधों में सुधार**- इस क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रामकता के दृष्टिकोण से यह समझौता महत्त्वपूर्ण है। यह दक्षिण एशियाई देशों के साथ सामुद्रिक सुरक्षा के क्षेत्र में भारत के मेल-जोल के प्रयासों को आगे बढ़ा सकता है।

भारत के लिए सिंगापुर का महत्व:

- भारत और सिंगापुर के मध्य सामरिक के साथ-साथ आर्थिक क्षेत्र में भी व्यापक एवं सुदृढ़ संबंध हैं।
- सिंगापुर भारत के लिए एक प्रमुख निवेश स्रोत और गंतव्य स्थल दोनों है। सिंगापुर भारत के साथ व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते (CECA) पर हस्ताक्षर करने वाला प्रथम देश है। वर्तमान में इस समझौते को अधिक व्यापक आयाम प्रदान करने हेतु वार्ता चल रही है।
- सिंगापुर ASEAN और विस्तृत पूर्व (broader East) के मध्य प्रवेश द्वार के रूप में भी स्थित है। इसके अतिरिक्त इस वर्ष ASEAN की सिंगापुर द्वारा अध्यक्षता, ASEAN के साथ भारत के संबंधों को अधिक सुदृढ़ता प्रदान करेगी।
- सिंगापुर पश्चिम बंगाल, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे भारतीय राज्यों के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित कर रहा है। अतः, आर्थिक भागीदारी में वृद्धि हो रही है।
- दोनों देश पर्यटन और कौशल विकास जैसे अन्य क्षेत्रों में सहयोग की सम्भावनाओं को भी चिन्हित करने का प्रयास कर रहे हैं।
- सिंगापुर भारत की विकास प्राथमिकताओं के विभिन्न क्षेत्रों में भी विशिष्टता रखता है। सिंगापुर स्मार्ट सिटीज, शहरी समाधान (urban solutions), वित्तीय क्षेत्र, कौशल विकास, बंदरगाह, लॉजिस्टिक्स, विमानन और औद्योगिक पार्क जैसी प्राथमिकताओं में प्रमुख साझेदार है।

- सिंगापुर इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में भारत के लिए एक बड़ी भूमिका का निर्वहन कर रहा है।
- ASEAN की प्रकृति एवं स्वरूप में परिवर्तन हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में सिंगापुर का मत और भी महत्वपूर्ण हो सकता है और भारत-सिंगापुर रणनीतिक साझेदारी के और सुदृढीकरण की संभावना है।

3.6. भारत-वियतनाम

(India-Vietnam)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, वियतनाम के राष्ट्रपति त्रान दाई क्वांग ने भारत की आधिकारिक यात्रा की।

अन्य संबंधित तथ्य

- यह यात्रा वियतनाम और भारत के मध्य 45 वर्षों के राजनयिक संबंधों को भी इंगित करती है।
- दोनों देशों के मध्य निम्नलिखित तीन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए-
  - ग्लोबल सेंटर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी पार्टिसिपेशन (GCNEP) एवं वियतनाम एटॉमिक एनर्जी इंस्टीट्यूट (VINATOM) के मध्य असैन्य परमाणु ऊर्जा पर समझौता ज्ञापन (MoU)।
  - भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) और वियतनाम के कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय के मध्य वर्ष 2018-2022 की अवधि के लिए कार्ययोजना।
  - आर्थिक संबंधों के संवर्द्धन हेतु आर्थिक एवं व्यापार सहयोग पर समझौता ज्ञापन।
- दोनों देशों द्वारा नेविगेशन एवं ओवर-फ्लाइट की स्वतन्त्रता और यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ़ द सी (UNCLOS) के अनुसार दक्षिण चीन सागर संबंधी विवादों को सुलझाने की आवश्यकता पर बल दिया गया।

संबंधित तथ्य

ग्लोबल सेंटर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी पार्टिसिपेशन (GCNEP)

- यह परमाणु ऊर्जा विभाग (DAE) के अंतर्गत अनुसंधान एवं विकास (R&D) इकाई है।
- इसे परमाणु ऊर्जा विभाग के तत्वावधान में 2010 में स्थापित किया गया।
- यह सहयोगपूर्ण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से वैश्विक परमाणु ऊर्जा भागीदारी को प्रोत्साहन प्रदान करता है।

यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ़ द सी (UNCLOS)

- इस पर 1984 में हस्ताक्षर किए गए और इसे 1994 में लागू किया गया।
- यह कानून व्यापार, पर्यावरण, वैश्विक महासागरों के उपयोग और समुद्री प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन हेतु राष्ट्रों के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित करता है।
- इस कानून के अंतर्गत अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ) की अवधारणा प्रारंभ की गई। यह अवधारणा मछुआरों को अन्य देशों के मत्स्य संसाधनों के दोहन करने से प्रतिबंधित करती है।
- EZZ में, तटीय देशों को अपने तट से 200 समुद्री मील के भीतर समुद्री संसाधनों का उपयोग करने का अधिकार प्राप्त है।
- इस कानून में स्थलरुद्ध देशों को पड़ोसी तटीय देश के राज्यक्षेत्र के माध्यम से समुद्र तक पहुंच का अधिकार प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।

भारत-वियतनाम संबंध

भारत और वियतनाम में औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध संघर्ष के अपने साझा इतिहास के आधार पर घनिष्ठ संबंध बने हुए हैं। इसके अतिरिक्त, दोनों के मध्य एक गहरा सांस्कृतिक संबंध भी है।

- **रणनीतिक संबंध**- वियतनाम दक्षिण पूर्व एशिया में भारत का एक महत्त्वपूर्ण भागीदार भी है। वर्तमान में यह भारत के लिए दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के क्षेत्रीय समूह आसियान के साथ समन्वयक देश है।
- **रक्षा और सुरक्षा**- भारत अपनी रूस निर्मित किलो-क्लास पनडुब्बियों और SU-30 लड़ाकू विमानों के संचालन में वियतनाम की सेना को प्रशिक्षित कर रहा है।
  - नवंबर 2009 में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों द्वारा रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के बाद से आपसी संबंध क्रमिक रूप से अत्यधिक मजबूत हुए हैं।
  - वियतनाम ने भारत से दक्षिण-पूर्व एशिया में अधिक सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की है, जबकि दूसरी ओर भारत ने दक्षिण चीन सागर मुद्दे के समाधान हेतु अंतर्राष्ट्रीय कानून, विशेषतः UNCLOS के महत्त्व को दोहराया है।

VISION IAS

- **आर्थिक**- भारत अब वियतनाम के शीर्ष दस व्यापारिक भागीदारों में से एक है। भारतीय कंपनियों ने खाद्य प्रसंस्करण, उर्वरक, ऑटो कम्पोनेन्ट्स, वस्त्र उद्योग संबंधी सहायक सामग्रियों आदि क्षेत्रों में 98.12 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कुल पूंजी के साथ 17 नई परियोजनाएं पंजीकृत की हैं।
- **बहुपक्षीय सहयोग:** भारत और वियतनाम आसियान के साथ-साथ पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, मेकांग-गंगा सहयोग, एशिया यूरोप शिखर बैठक जैसे अन्य क्षेत्रीय मंचों पर घनिष्ठ सहभागी देश हैं।

भारत के लिए वियतनाम का महत्त्व

- **एक्ट ईस्ट पॉलिसी-** वियतनाम, भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक महत्त्वपूर्ण घटक है। इस पॉलिसी का उद्देश्य दक्षिण पूर्व और पूर्वी एशिया के देशों के साथ अपने ऐतिहासिक संबंधों को पुनः सुदृढ़ करना है। साथ ही आसियान के सदस्य के रूप में शेष दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ भारत के बढ़ते व्यापार और निवेश संबंधों को समर्थन प्रदान करने हेतु यह महत्त्वपूर्ण सहायक देश है।
- **भौतिक जुड़ाव-** म्यांमार में एक लोकतांत्रिक सरकार की उपस्थिति के साथ, म्यांमार के माध्यम से भारत और वियतनाम के मध्य घनिष्ठ संबद्धता के अवसर विद्यमान हैं। साथ ही कंबोडिया एवं लाओस में मौजूदा पारगमन मार्गों के माध्यम से भी कनेक्टिविटी अवसर विद्यमान हैं।
- **ऊर्जा सहयोग-** भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था को ऊर्जा संसाधनों की आवश्यकता है और वियतनाम में हाइड्रोकार्बन के समृद्ध भंडार उपलब्ध हैं। सरकारी स्वामित्व वाला उपक्रम तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ONGC) वियतनाम के तटीय क्षेत्रों के निकट विवादित जल क्षेत्र में तेल की खोज कर रहा है, हालांकि चीन द्वारा इसका विरोध किया गया था।

वियतनाम के लिए भारत का महत्त्व

- **सुरक्षा संबंधी कारण**- दक्षिण चीन सागर में चीन के आक्रामक रुख के विरुद्ध प्रतिक्रिया में, वियतनाम ने भारत से दक्षिण-पूर्व एशिया में अधिक सक्रिय भूमिका निभाने के लिए अपील की है।
- **क्षमता निर्माण एक अन्य क्षेत्र है** जिसमें भारत लाइन ऑफ क्रेडिट, छात्रवृत्ति, वियतनाम के रक्षा कर्मियों के लिए कार्यक्रमों के आयोजन आदि द्वारा वियतनाम की सहायता कर रहा है।

आगे की राह

- अभी भी कई ऐसे क्षेत्र विद्यमान हैं, जिनमें सुधार किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, वियतनाम-चीन द्विपक्षीय व्यापार (लगभग 70 बिलियन डॉलर) की तुलना में भारत-वियतनाम द्विपक्षीय व्यापार अत्यधिक कम है। दोनों देशों के मध्य द्विपक्षीय व्यापार और निवेश में वृद्धि करना महत्त्वपूर्ण है। इसके परिणामस्वरूप द्विपक्षीय सामरिक सहभागिता को प्रोत्साहन मिल सकता है, जो दोनों देशों के मध्य संबंधों को अधिक व्यापक बनाने में सहायक होगा।

3.7. भारत-म्यांमार

(India-Myanmar)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारतीय प्रधानमंत्री ने म्यांमार की अपनी पहली (द्विपक्षीय) आधिकारिक यात्रा की। उन्होंने 2014 में आसियान-भारत शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भी इस देश का दौरा किया था।

भारत के लिए म्यांमार का महत्व

म्यांमार भारत के रणनीतिक पड़ोसी देशों में से एक है। इसकी 1,640 किलोमीटर लंबी सीमा कई पूर्वोत्तर राज्यों के साथ लगती है। इन पूर्वोत्तर राज्यों में उग्रवाद प्रभावित नागालैंड और मणिपुर जैसे राज्य भी शामिल हैं।

- म्यांमार, भारत-म्यांमार-थाईलैंड एशियाई त्रिपक्षीय राजमार्ग, कलादान मल्टीमॉडल प्रोजेक्ट, सड़क-नदी-बंदरगाह कार्गो परिवहन परियोजना और बिम्सटेक सहित भारत सरकार की *एक्ट ईस्ट पालिसी* का प्रमुख केंद्र बिंदु है।
- भारत म्यांमार के सुरक्षा बलों के साथ मिलकर काम कर रहा है ताकि देश के पूर्वोत्तर में सक्रिय विद्रोही समूहों को समाप्त किया जा सके।
- म्यांमार के द्वारा **भारत और आसियान के मध्य एक सेतु** के रूप में कार्य करने की अपेक्षा है। साथ ही भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और अच्छे पड़ोस की नीति (good neighborhood policy) के संदर्भ में इसका महत्व काफी बढ़ा है।
- चीन द्वारा इस क्षेत्र में स्थित देशों का विश्वास प्राप्त करने के प्रयासों के कारण भारत के लिए म्यांमार के साथ बेहतर संबंध स्थापित करना महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त भारत द्वारा म्यांमार के साथ अपनी परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा करने से भारत एक जिम्मेदार क्षेत्रीय अभिकर्ता के रूप में उभरेगा और इससे भारत की विश्वसनीयता में सुधार होगा।
- सुरक्षा और रणनीतिक साझेदारी के सन्दर्भ में, यांगून और दावेई सहित म्यांमार के कई गहरे समुद्री बंदरगाह (deep sea ports) भारत के लिए पश्चिम में चाबहार बंदरगाह के समान महत्वपूर्ण हो सकते हैं।
- म्यांमार में "प्रचुर मात्रा में तेल और प्राकृतिक गैस" भंडार विद्यमान होने के कारण यह भारत की ऊर्जा सुरक्षा की दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। तेल और गैस कंपनियां ONGC विदेश लिमिटेड (OVL) और GAIL म्यांमार में अन्वेषी ब्लॉकों की तेजी से खोज कर रही हैं।

VISION IAS

- अन्य **CLMV देशों** (कंबोडिया, लाओस, म्यांमार और वियतनाम) की तरह म्यांमार - बढ़ते उपभोग के साथ तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था, सामरिक स्थल एवं पहुंच, समृद्ध प्राकृतिक संसाधनों (तेल, गैस, टीक, तांबा और रत्न), जैव विविधता और निम्न मजदूरी पर कार्य करने वाले परिश्रमी श्रमबल का प्रतिनिधित्व करता है। तथा यह वस्तुओं एवं सेवाओं के व्यापार, निवेश और परियोजना निर्यात के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है।

भारत म्यांमार संबंध:

- **विकासात्मक सहयोग**: भारत ने म्यांमार में अन्य देशों की तुलना में अत्यधिक अनुदान की घोषणा की है।
  - भारत म्यांमार में चार प्रमुख कनेक्टिविटी परियोजनाओं का विकास कर रहा है:
    - **कलादान मल्टीमॉडल कॉरिडोर**
    - **तामू-कलेवा सड़कमार्ग** पर 69 पुलों की मरम्मत
    - 120 किलोमीटर के **कलेवा-यार्गी कॉरिडोर** का निर्माण (दोनों **भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग** का हिस्सा हैं), और
    - मिजोरम की सीमा से लगे चिन राज्य में **री-टिडिम सड़क**।
  - भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में सभी **बागान पैगोडा** में सबसे प्रमुख, **आनंद मंदिर** के पुनर्निर्माण का काम सराहनीय ढंग से किया है।
- **म्यांमार में क्षमता निर्माण:**
  - भारत, म्यांमार में क्षमता निर्माण में सक्रिय रूप से शामिल है। विभिन्न विषयों जैसे अंग्रेजी भाषा से लेकर औद्योगिक कौशल तक प्रशिक्षण देने वाले छह केंद्र, म्यांमार में सफलतापूर्वक संचालित किए जा रहे हैं।
  - IIIT बंगलौर के सहयोग से मांडले में स्थापित म्यांमार इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने अपने सभी स्नातकों को रोजगार प्रदान कराया है।
  - भारत के ICAR के सहयोग से स्थापित *एडवांस्ड सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन* ने दालों और तिलहनों पर अनुसंधान को बढ़ावा देने का एक बेहतरीन उदाहरण पेश किया है।
  - म्यांमार की सरकार द्वारा उच्च शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर बल दिए जाने के कारण म्यांमार में भारत की सहायता से अनेक संस्थानों की स्थापना की जा सकती है।
- **पूर्वोत्तर भारत और पश्चिमी म्यांमार के मध्य वृहद सहयोग (बॉक्स भी देखें):** पूर्वोत्तर में चार राज्य (अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम) म्यांमार के सागाईंग और चिन प्रांतों के साथ सीमाएं साझा करते हैं। कलादान कॉरिडोर भी भारत द्वारा विकसित सित्तवे बंदरगाह तक रखाइन प्रान्त से होकर गुजरता है।
- **क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय सहयोग**: ASEAN, BIMSTEC और मेकांग गंगा सहयोग में म्यांमार की सदस्यता ने द्विपक्षीय संबंधों में एक क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय आया का समावेश किया है और इसने भारत की "एक्ट ईस्ट" नीति को भी अतिरिक्त महत्व प्रदान किया है।
  - हालाँकि म्यांमार विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संगठनों में भारत के पक्ष का समर्थन करता रहा है, भारत ने भी म्यांमार को SAARC में एक पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान करने का समर्थन दिया है।.
- **वाणिज्यिक सहयोग-** भारत म्यांमार का **पांचवां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार** है और वर्तमान में तेल और गैस क्षेत्र में अत्यधिक निवेश के साथ **दसवां सबसे बड़ा निवेशकर्त्ता** देश है।
- **रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग-** दोनों देशों के मध्य सीमा सहयोग, प्रशिक्षण, सेना, वायु सेना और नौसैनिक स्टाफ वार्ता पर विभिन्न MoU हस्ताक्षरित किए गए हैं।
- **आपदा राहत:** भारत ने म्यांमार में प्राकृतिक आपदाओं के पश्चात राहत एवं पुनर्निर्माण कार्यों के लिए वित्तीय सहायता के साथ मानवीय राहत कार्यों द्वारा त्वरित और प्रभावी ढंग से कारवाई की है।
- **भूमि पारगमन समझौता**: हाल ही में, लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग पर भारत और म्यांमार के मध्य समझौते पर भी सहमति बनी है जिसके तहत-
  - सामान्तया दोनों देशों के सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए मौजूदा मुक्त आवाजाही के अधिकारों के नियमन और सरलीकरण की सुविधा प्रदान कर, लोगों के मध्य कनेक्टिविटी और सामाजिक एवं आर्थिक पारस्परिकता को बढ़ावा दिया जाएगा।
  - यह भारत को **उत्तर-पूर्व के व्यापार और अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने** हेतु म्यांमार के साथ अपने भौगोलिक संबंधों का लाभ प्राप्त की अनुमति प्रदान करेगा।
  - यह समझौता सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले **जनजातीय समुदायों के पारंपरिक अधिकारों की रक्षा करेगा** जो प्रायः अपनी आजीविका हेतु स्थलीय सीमा के आर-पार मुक्त आवागमन करते हैं।

VISION IAS

भारत और म्यांमार के बीच निम्नलिखित समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए हैं:

- समुद्री सुरक्षा सहयोग (Maritime Security Cooperation)
- वर्ष 2017-2020 के लिए सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम
- चिकित्सा उत्पाद विनियमन (Medical Products Regulation) में सहयोग
- स्वास्थ्य एवं औषधि के क्षेत्र में सहयोग
- तटीय निगरानी प्रणाली (Coastal Surveillance System) प्रदान करने के लिए तकनीकी समझौता
- म्यांमार इंस्टिट्यूट ऑफ़ इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (MIIT) की स्थापना
- यामेथिन, म्यांमार में महिला पुलिस प्रशिक्षण केंद्र को अपग्रेड करना
- भारत और म्यांमार की नौसेना के बीच व्हाइट शिपिंग इनफॉर्मेशन (white shipping information) साझा करना
- भारतीय चुनाव आयोग और म्यांमार के चुनाव आयोग के बीच चुनाव के क्षेत्र में सहयोग
- प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया और म्यांमार प्रेस काउंसिल के बीच सहयोग
- आईटी-कौशल (IT-Skill) में संवर्धन के लिए भारत-म्यांमार केंद्र की स्थापना

दोनों देशों के मध्य महत्त्वपूर्ण मुद्दे

- **रोहिंग्या संकट**: म्यांमार द्वारा अपने अल्पसंख्यक रोहिंग्या मुस्लिमों के प्रति किये जा रहे क्रूर व्यवहार के मुद्दे से भारत प्रत्यक्ष तौर से जुड़ा हुआ नहीं है। लेकिन ऐसे समय में जब म्यांमार अलग-थलग पड़ रहा था, भारत ने हाल ही में उत्तरी रखाइन प्रान्त में हुए आतंकवादी हमलों की निंदा की। दोनों पक्षों ने माना है कि आतंकवाद मानव अधिकारों का उल्लंघन करता है और इसलिए आतंकवादियों का शहीदों के रूप में गुणगान नहीं किया जाना चाहिए।
- **चीन कारक**: चूंकि भारत के आस-पास के क्षेत्रों में चीन की गतिवधियाँ बढ़ रही हैं, अतः नई दिल्ली को म्यांमार में बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी परियोजनाओं के विकास के माध्यम से अपनी उपस्थिति को बढ़ाना होगा। भारत के लिए म्यांमार में चीन के प्रभाव का सामना करना कठिन हो रहा है।
- **परियोजनाओं में विलंब:** प्रमुख परियोजनाओं, जैसे- कलादान और भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग के पूरा होने में निरंतर विलंब पर व्यापक असंतोष के कारण भारत के प्रति सहयोगी देशों के विश्वास में कमी हुई है। एक दशक पूर्व लगाए गए अनुमान के अनुसार, इसे 2019 तक पूरा किया जाना था।
- भारत सरकार द्वारा निर्धारित अवधि में पूरी की गई आईटी और कृषि क्षेत्र की हालिया परियोजनाओं के सम्बन्ध में पर्याप्त जन जागरूकता का अभाव है। अधिकारियों द्वारा प्रमुख परियोजनाओं के त्वरित निष्पादन हेतु एक प्रभावी संचार रणनीति विकसित करने और एक नई प्रबंधन प्रणाली को अपनाने की आवश्यकता है।
- नागरिकों के मध्य आदान-प्रदान (people-to-people exchange) के महत्व पर पारस्परिक सहमति के बावजूद, एक सक्षम उपकरण की अनुपस्थिति के कारण इस दिशा में वास्तविक प्रगति नगण्य है।

पूर्वोत्तर भारत और म्यांमार के बीच सहयोग की संभावना वाले क्षेत्र

- दोनों पक्षों के व्यवसाय, विशेषकर निकटवर्ती प्रांतों के SMEs तथा सरकारों को उभर रहे नए गलियारों को विकास के गलियारों में बदलने के लिए कार्य योजना आरम्भ करने की आवश्यकता है।
- तामू/मोरेह और री/ज़ोखावतार से होने वाले सीमा व्यापार को वास्तव में सिंगल-विंडो क्लीयरेंस और आसान मुद्रा व्यवस्था के साथ और अधिक औपचारिक बनाने की आवश्यकता है।
- सीमावर्ती हाट स्थानीय उत्पादन के आदान-प्रदान को उत्साहित कर सकते हैं।
- सीमा पार बस सेवाएं जन संपर्क को बढ़ावा दे सकती हैं।
- चिकित्सा, निदान, यहां तक कि शिक्षा और प्रशिक्षण आदि जैसी सेवाओं में सीमा पार व्यापार को बढ़ाया जा सकता है, इसके लिए एक विशाल बाजार मौजूद है।

आगे की राह

- भारत द्वारा आरम्भ की गयी विभिन्न परियोजनाएं समय पर पूरी नहीं हो पायी हैं। इसके परिणामस्वरूप, भारत को इनका उचित लाभ नहीं मिल पाया है। भारत के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह अपनी विश्वसनीयता में सुधार के लिए परियोजनाओं को समय पर पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करे।
- यह आवश्यक है कि दोनों देश बुनियादी ढांचे के अनुकूलतम उपयोग के लिए माल और वाहनों के निर्बाध परिचालन हेतु पारगमन और अन्य समझौतों पर तुरंत बातचीत करना शुरू करेन, भले ही इस तरह का परिवहन 2020 से पहले शुरू न हो पाए।

VISION IAS

- अंडरग्रेजुएट छात्रवृति की योजनाओं के दोनों देशो हेतु लाभकारी होने के लिए म्यांमार में स्कूली शिक्षा की मैट्रिक्यूलेशन प्रणाली और भारतीय 10+2 प्रणाली के बीच के अंतर को कम करने की आवश्यकता है।
- वाणिज्यिक व्यापार और निवेश संकीर्ण आधारों पर टिके हुए हैं, जैसे- म्यांमार से व्यापार के मामले में प्राथमिक रूप से कृषि एवं वन उत्पाद तथा निवेश के मामले में तेल और गैस। अतः, म्यांमार की विकास आवश्यकताओं हेतु योगदान देने और 2012 में निर्धारित भारत के 3 अरब डॉलर के व्यापार लक्ष्य को पूरा करने के लिए व्यावसायिक संबंधों में विस्तार, विविधता और प्रगति लाने की प्रबल आवश्यकता है।
- नुमालीगढ़ रिफाइनरी से परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों की ऊपरी म्यांमार में बिक्री जैसी बड़ी पहल पर भी सहयोग की संभावनाएं हैं। इसका अर्थ होगा कि पूर्वोत्तर को एक्ट ईस्ट पालिसी से लाभ होगा।
- भारतीय उद्योग म्यांमार में विद्युत, इस्पात, ऑटोमोबाइल और यहां तक की कपड़ा क्षेत्रों में निवेश करने के अवसर तलाश सकते हैं। मौका दिए जाने पर, भारत निश्चित रूप से हिंसा का सामना करने वाले क्षेत्रों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार ला सकता है तथा रोजगार के अवसर भी उपलब्ध करा सकता है।

3.7.1 रोहिंग्या मुद्दा

(Rohingya Issue)

सुर्खियों में क्यों?

संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के अनुसार, तत्कालीन हिंसा के कारण 25 अगस्त के बाद से लगभग 4,00,000 से अधिक रोहिंग्या मुस्लिमों ने म्यांमार के रखाइन प्रान्त से बांग्लादेश में पलायन किया है।

म्यांमार के लिए निहितार्थ

देश की नागरिक सरकार ने "उग्रवादी बंगाली आतंकवादियों" के विरुद्ध प्रत्युत्तर में हाल ही में हुए हिंसक कार्रवाई का समर्थन किया है। हालांकि, वर्तमान संकट म्यांमार के लिए गंभीर परिणाम उत्पन्न करेगा।

- प्रत्युत्तर में हुए आक्रमण ने **म्यांमार के बाह्य संबंधों** को अत्यधिक प्रभावित किया है, क्योंकि विश्व समुदाय ने रोहिंग्या मुस्लिमों के प्रति सहानुभूति प्रकट की है तथा म्यांमार की सरकार के हिंसक कृत्यों की निंदा की है।
- सैन्य शासन से मुक्ति के तुरंत बाद, रोहिंग्या मुद्दे ने **आंग सान सू की** की सरकार के लिए एक नई चुनौती उत्पन्न की है।
- रखाइन प्रान्त में जारी हिंसा ने म्यांमार के कई पड़ोसी देशों, जैसे- बांग्लादेश और मलेशिया से संबंधों को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है।

इस क्षेत्र के लिए निहितार्थ

म्यांमार की आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती उत्पन्न करने के अलावा, रोहिंग्या संकट दक्षिण एवं दक्षिण-पूर्व एशिया के लिए एक सुरक्षा चुनौती उत्पन्न कर रहा है।

- **मानवीय संकट:** सबसे तत्काल निहितार्थ मानवतावादी संकट है, जो सैन्य अभियानों के शुरू होने के बाद से सामने आ रहा है। संघर्ष क्षेत्रों तक सीमित मानवीय पहुंच के कारण अनेक लोगों की भोजन और चिकित्सा देखभाल आदि जैसी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पा रही है।
- **चरमपंथ का जोखिम:** इस क्षेत्र में एक बढ़ती चिंता यह है कि यदि म्यांमार में रोहिंग्या मुस्लिमों का उत्पीड़न जारी रहता है, तो संभव है कि कई लोगों को कट्टरता की ओर विवश किया जा सकता है तथा म्यांमार के इस्लामवादी उग्रवादियों को अपनी स्थिति मजबूत करने का रास्ता मिल सकता है।
- **ARSA का उद्भव:** *इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप* ने एक नए विद्रोही समूह **अराकन रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी** (ARSA) के उद्भव की चर्चा की है जो सऊदी अरब में प्रवासित रोहिंग्या मुस्लिमों के नेतृत्व में संगठित है। ARSA पर रोहिंग्या मुस्लिमों का प्रभुत्व है तथा इनके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण और आधुनिक गुरिल्ला रणनीति के आधार पर इस समूह का संचालन किया जा रहा है।
- **एशिया प्रशांत पर प्रभाव:** यह संकट **एशिया पैसिफ़िक पर भी प्रतिकूल प्रभाव** डाल सकता है, जो निकट भविष्य की आर्थिक गतिविधियों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र है।
- **आसियान पर प्रभाव:** यह संकट आसियान को कमजोर करने की क्षमता रखता है, जिसे अब तक यूरोपीय संघ के बाद सबसे सफल क्षेत्रीय संगठन माना जाता है।
- **मानव तस्करी**: हिंसा से बचने वालों की एक बड़ी तादाद तस्करी नेटवर्क में फंस चुकी है।

VISION IAS

रोहिंग्या संकट के समाधान हेतु मानवतावादी प्रयास

संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के अनुसार, हिंसा की हालिया घटनाओं के बाद लगभग 5,00,000 रोहिंग्या मुसलमानों ने म्यांमार के रखाइन प्रान्त से बांग्लादेश में पलायन किया है।

- भारत द्वारा बांग्लादेश को म्यांमार के रोहिंग्या शरणार्थियों के लिए 62,000 खाद्य पैकेज सहित एक बड़ी राहत सामग्री भेजी गई है।
- चीन ने भी इनके लिए राहत सामग्री भेजी है।
- संयुक्त राज्य अमेरिका (US) UN विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) के तहत बांग्लादेश को रोहिंग्या संकट के समाधान हेतु 6 मिलियन डॉलर की राशि प्रदान करेगा, जो पूर्व में 2017 में प्रदान किए गए 1 मिलियन डॉलर के अतिरिक्त है।

भारत के लिए निहितार्थ

रखाइन प्रांत में शांति और स्थिरता की स्थापना **भारत के सामरिक और आर्थिक दृष्टिकोण** हेतु महत्वपूर्ण है।

- रखाइन राज्य में निरंतर जारी हिंसा के कारण दक्षिण-पश्चिम म्यांमार और भारत के पूर्वोत्तर में परिवहन संबधी बुनियादी ढांचे को विकसित करने के उद्देश्य आरम्भ की गई भारत की **कलादान मल्टीमॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट** परियोजना प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रही है।
- छिद्रिल सीमा के कारण, यह संभावना है कि **कई अवैध प्रवासी** भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं जो पूर्वोत्तर में पहले से ही मौजूद नाजुक स्थिति के लिए गंभीर चुनौती उत्पन्न कर सकता है।
- **पूर्वोत्तर में** आतंक के खतरे से मुकाबला करने में भारत को कठिनाई का सामना करना पड़ता है, इन संघर्षों में **ARSA** और अधिक कठिनाईयां उत्पन्न कर सकता है।
- **ARSA और पूर्वोत्तर भारत के विद्रोही समूहों** के बीच सहयोग, दोनों समूह के प्रभाव को बनाये रखने एवं संघर्ष को जारी रखने के लिए नए ठिकाने और इलाके (पूर्वोत्तर के विद्रोहियों के लिए रखाइन और **ARSA** के लिए पूर्वोत्तर भारत) प्रदान कर सकता है।
- **ARSA** के पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के साथ **मज़बूत सम्बन्ध** भारत के लिए एक बड़ी समस्या है। कुछ रिपोर्टों के अनुसार यह समूह वहां प्रशिक्षित किया गया है।
- कई रिपोर्ट पिछले कुछ वर्षों से **लश्कर-ए-तैयबा / जमात उद दावा के कैडर के** म्यांमार में प्रवेश को भी दर्शाती हैं।

भारत ने म्यांमार के आचरण की आलोचना क्यों नहीं की?

- **नेबरहुड फर्स्ट पालिसी और एक्ट ईस्ट पालिसी** के तहत म्यांमार दक्षिण-पूर्व एशिया से जुड़ने और बंगाल की खाड़ी से चीन को अलग करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- म्यांमार, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में उग्रवाद के खतरों से निपटने में भारत की मदद करता है।
- म्यांमार की केवल एक सार्वजनिक निंदा इसे चीन के करीब ला सकती है। वैसे भी म्यांमार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रोहिंग्या मुद्दे को उठाए जाने की स्थिति में बीजिंग के वीटो पर ही निर्भर है।
- भारत, ARSA द्वारा किए गए 25 अगस्त के आतंकवादी हमलों में लश्कर-ए-तैयबा जैसे पाकिस्तान आधारित आतंकवादी समूहों की संभावित भूमिका से भी अवगत है।

बांग्लादेश के साथ भारत का संतुलन

भारत ने बांग्लादेश को शरणार्थियों की इस बड़ी समस्या से निपटने के लिए हरसंभव मदद देने का आश्वासन दिया है।

- शरणार्थियों की भारी भीड़ ने शेख हसीना सरकार के खिलाफ विपक्ष द्वारा घरेलू प्रतिक्रिया को जन्म दिया है। यह माना जाता है कि शेख हसीना सरकार का झुकाव भारत के पक्ष में रहता है।
- एक असहयोगी भारतीय दृष्टिकोण बांग्लादेश में हसीना सरकार की स्थिति को कमजोर और प्रतिद्वंद्वी खालिदा जिया को मजबूत करेगा। खालिदा जिया भारत विरोधी रुख के लिए जानी जाती है।
- भारत के लिए म्यांमार की तरह, बांग्लादेश भी उग्रवाद विरुद्ध प्रयासों और एक्ट ईस्ट नीति के सन्दर्भ में महत्वपूर्ण है।
- **ऑपरेशन 'इंसानियत':** विदेश मामलों के मंत्रालय ने म्यांमार के रोहिंग्या शरणार्थियों की भारी आबादी के कारण उत्पन्न मानवतावादी संकट का सामना करने के क्रम में बांग्लादेश को सहायता प्रदान करने हेतु **ऑपरेशन इंसानियत** की शुरुआत की है।

आगे की राह

हालाँकि बाह्य कारक इस संकट को कम कर सकते हैं, परन्तु इसका समाधान नहीं कर सकते। इसका समाधान म्यांमार के अंदर ही निहित है।

- यहां आसियान को अग्रणी भूमिका निभानी होगी, सदस्य राष्ट्रों के बीच शरणार्थियों के न्यायसंगत वितरण द्वारा संकट से निपटने हेतु एक तंत्र के निर्माण की आवश्यकता है।

VISION IAS

- अंतर्राष्ट्रीय समुदाय शरणार्थियों को शरण प्रदान करने वाले देशों को वित्तीय सहयोग कर सकता है।
- अन्नान (Annan) की अगुवाई वाली आयोग की रिपोर्ट रोहिंग्या मुस्लिमों की नागरिकता सत्यापन प्रक्रिया के लिए तर्क देती है। म्यांमार के नागरिकता कानून, 1982 के तहत रोहिंग्या मुस्लिमों की नागरिकता को वापस ले लिया गया है। रोहिंग्या मुस्लिमों की सामाजिक और आर्थिक भागीदारी बढ़ाने के लिए इस रिपोर्ट के कुछ उपयोगी सुझाव स्वीकार किये जा सकते हैं।

3.8. भारत-मंगोलिया

(India-Mongolia)

सुर्खियों में क्यों?

मंगोलिया ने दक्षिणी डोर्नोगोवी प्रांत में भारत द्वारा वित्त पोषित अपनी प्रथम 'रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण' तेल रिफाइनरी के निर्माण का कार्य आरम्भ कर दिया है।

अन्य सम्बंधित तथ्य

- 2015 में भारत द्वारा अत्यल्प ब्याज दरों वाली 1 बिलियन डॉलर की एक ऋण व्यवस्था (सॉफ्ट क्रेडिट लाइन) की घोषणा की गयी, जिसकी सहायता से मंगोलिया में एक नई रिफाइनरी का निर्माण किया जा रहा है। यह इस स्थलबद्ध देश के साथ मज़बूत संबंध विकसित करने के लिए भारत द्वारा किये गए विभिन्न प्रयासों में से एक है। साथ ही यह मंगोलिया को पड़ोसी चीन एवं रूस पर अपनी ऊर्जा निर्भरता कम करने में सहायता भी करती है।
- योजना के अनुसार 2022 के उत्तरार्द्ध में रिफाइनरी का कार्य संपन्न हो जाना चाहिए। यह प्रति वर्ष 1.5 मिलियन टन कच्चे तेल का प्रसंस्करण करने में सक्षम होगी और मंगोलिया की पेट्रोल, डीजल, विमानन ईंधन और द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (LPG) की मांग को पूरा करेगी। यह रिफाइनरी मंगोलिया के कच्चे तेल का प्रसंस्करण स्वयं करेगी, वर्तमान में यह कच्चा तेल चीन को बेचा जाता है।

भारत मंगोलिया संबंध

मंगोलिया,चीन और रूस जैसे बड़े देशों के मध्य अवस्थित एक विशाल स्थलबद्ध देश है। इसकी जनसंख्या केवल 30 लाख है। इसकी लगभग आधी जनसंख्या घुमन्तू चरवाहों के रूप में जीवन व्यतीत करती है।

राजनयिक संबंध: भारत ने वर्ष 1955 में मंगोलिया के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किये। वर्ष 1991 में भारत ने मंगोलिया की गुट-निरपेक्ष आंदोलन (NAM) की सदस्यता का समर्थन किया। मंगोलिया के साथ भारत और भूटान ने 1972 में एक स्वतंत्र देश के रूप में बांग्लादेश की मान्यता के लिए प्रसिद्ध संयुक्त राष्ट्र के संकल्प को सह-प्रायोजित किया था।

- 2011 में उलानबटोर में "IT, संचार और आउटसोर्सिंग के लिए उत्कृष्टता केंद्र" की स्थापना हेतु भारत ने 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सहायता की घोषणा की थी।
- 2015 में भारतीय प्रधानमंत्री ने मंगोलिया की आधिकारिक यात्रा की, इस यात्रा के दौरान भारत और मंगोलिया के मध्य 'सामरिक साझेदारी' हेतु संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए गए।
- इसके अतिरिक्त सीमा पर गश्ती और निगरानी के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदों के बीच सहयोग पर समझौता ज्ञापन और संशोधित वायु सेवा समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए।

- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:** एक संशोधित और विस्तारित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) का स्थायी सदस्य बनने हेतु भारत के दावे का मंगोलिया भी समर्थन करता है। इसके अतिरिक्त भारत और मंगोलिया ने क्रमशः 2021-22 और 2023-24 हेतु UNSC की अस्थायी सदस्यता के लिए एक दूसरे का समर्थन करने की घोषणा की है।
- **रक्षा सहयोग:** रक्षा सहयोग के लिए भारत एवं मंगोलिया का एक संयुक्त कार्यसमूह भी मौजूद है जो वार्षिक रूप से बैठकों का आयोजन करता है। संयुक्त भारत-मंगोलिया अभ्यास **'नोमैडिक एलिफेंट'** वार्षिक तौर पर आयोजित किया जाता है और मंगोलिया में आयोजित बहुपक्षीय अभ्यास **'खान क्वेस्ट'** में भारत भी नियमित भागीदार के रूप में शामिल होता है। दोनों देशों के मध्य सीमा पर गश्ती हेतु सहयोग के लिए भी एक समझौता किया गया है।
- **ऊर्जा सहयोग:** परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए दोनों देशों की संबंधित एजेंसियों अर्थात DAE और मंगोलिया की परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बीच एक कार्यसमूह का भी गठन किया गया है।
- **वाणिज्यिक, आर्थिक और तकनीकी सहयोग:** मंगोलिया को निर्यात की जाने वाली मुख्य वस्तुओं में औषधियां, खनन मशीनरी, ऑटो पार्ट्स इत्यादि सम्मिलित हैं। भारत द्वारा कच्चे माल के रूप में मंगोलिया से कश्मीरी ऊन का आयात किया जाता है।
- **मानवीय सहायता**: वर्ष 2017 में सुखबातर अइमग में चरवाहों के बच्चों (जो 'ज़ुड' अर्थात् कड़ी ठण्ड से गंभीर रूप से प्रभावित थे) के लिए 20,000 अमेरिकी डॉलर की मानवीय सहायता भी प्रदान की गई थी।

VISION IAS

- **अन्य क्षेत्र:** भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम (ITEC) के अंतर्गत तथा भारतीय सांस्कृतिक सम्बद्ध परिषद द्वारा प्रदान की गई छात्रवृत्ति के माध्यम से भारत मंगोलियाई छात्रों को छात्रवृत्ति भी प्रदान करता है।

चुनौतियां

- मंगोलिया के साथ कनेक्टिविटी भी भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है क्योंकि यह दो विशाल पड़ोसियों के मध्य एक स्थलबद्ध देश है। हाल ही में भारत और मंगोलिया, नई दिल्ली और मंगोलियाई राजधानी उलानबटोर के बीच सीधी वायु कनेक्टिविटी आरम्भ करने की संभावनाओं की तलाश करने पर सहमत हुए हैं।
- व्यापार और निवेश के लिए मंगोलिया की चीन और रूस पर अत्यधिक निर्भरता, भारत के मंगोलिया में प्रवेश को कठिन बनाती है।
- मंगोलिया, चीन के अस्थिर क्षेत्रों के निकट अवस्थित है। चीन में होने वाली किसी भी प्रकार की आंतरिक गतिविधियों का मंगोलिया और भारत, दोनों पर प्रभाव पड़ेगा।
- घरेलू रूप से भी मंगोलिया भ्रष्टाचार, पर्यावरणीय निम्नीकरण, बेरोजगारी और अल्प रोजगार एवं अर्थव्यवस्था में प्रभावी महिला भागीदारी के अभाव (मुख्य रूप से घुमन्तु चरवाहा प्रणाली का प्रचलन होने के कारण) का सामना कर रहा है।

आगे की राह

- एशियाई ऊर्जा परिवहन में मंगोलिया एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि यह प्रमुख ऊर्जा आपूर्ति मार्गों के मध्य अवस्थित है।
- एशिया-प्रशांत क्षेत्र में अपने हितों की रक्षा हेतु भारत को अपनी रूस-नीति में मंगोलिया को भी एक कारक के रूप में शामिल करना चाहिए। मंगोलिया में भारत की सौहार्दपूर्ण उपस्थिति रूस के संसाधन-समृद्ध ट्रांस-साइबेरिया और उसके सुदूर पूर्व क्षेत्र में भारत के भावी हितों के लिए वांछनीय है।
- भारतीय-मंगोलियाई संस्कृति की साझा विरासत को संरक्षित करना और उसे प्रोत्साहन प्रदान करना महत्वपूर्ण है। इसे भविष्य के साझा हितों को पोषित करने और आगे बढ़ाने के आधार के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए।

3.9. उत्तर कोरिया

(North Korea)

सुर्खियों में क्यों?

उत्तर कोरिया ने अपना छठा और सर्वाधिक शक्तिशाली परमाणु परीक्षण किया। उसके अनुसार यह लंबी दूरी की मिसाइल के लिए एक उन्नत हाइड्रोजन बम था। इस परीक्षण के बाद उत्तर कोरियाई शासन का संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके मित्र देशों के साथ चल रहा गतिरोध नाटकीय रूप से बढ़ गया है।

सम्बंधित तथ्य

- हाल ही में, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया ने **पनमुनजोम** घोषणा (**Panmunjom Declaration**) पर हस्ताक्षर किए हैं। घोषणा के दौरान विमर्श का प्रमुख मुद्दा - दोनों कोरियाई देशों द्वारा कोरियाई प्रायद्वीप को पूर्णत: परमाणु मुक्त बनाने के साझे लक्ष्य की प्राप्ति की पुष्टि करना तथा इस सन्दर्भ में अपनी संबंधित भूमिकाओं एवं जिम्मेदारियों को पूरा करने पर सहमति जताना था।
- **सिंगापुर शिखर सम्मेलन** के दौरान भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने पनमुनजोम घोषणा की पुन: पुष्टि की और चेयरमैन किम द्वारा कोरियाई प्रायद्वीप को पूर्णत: परमाणुमुक्त बनाने की दिशा में कार्य करने हेतु प्रतिबद्धता व्यक्त की गयी।

उत्तर कोरिया की कार्रवाई के पीछे कारण

- परमाणु क्षमता मुख्य रूप से शासन का अस्तित्व सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।
  - **लीबिया और इराक में पश्चिमी हस्तक्षेप तथा यूक्रेन में रूसी हस्तक्षेप का परिणाम** देखने के बाद किम जोंग-उन ने स्वीकार किया है कि उन्हें शासन के अस्तित्व के लिए नाभिकीय भयादोहन (nuclear deterrent) की आवश्यकता है।
  - इसके अतिरिक्त, वह अमेरिका के साथ प्रत्यक्ष वार्ता चाहता है। इससे उसे मान्यता मिलेगी और चीन पर उसकी निर्भरता कम होगी तथा अंततोगत्वा प्रतिबंधों में शिथिलता आएगी।
  - संभव है कि यह **ईरान जैसे समझौते के उद्देश्य से** किम जोंग-उन का **एक उच्च स्तरीय कूटनीतिक दाँव** हो, जिसके तहत वह अंतरराष्ट्रीय मान्यता और आर्थिक साझेदारी के लिए अपने देश के परमाणु हथियारों का विनिमय कर सकता है।
- **वह अमेरिका के साथ दक्षिण कोरिया और जापान के गठबंधन को तोड़ना** चाहता है।
  - ICBM क्षमता अमेरिका को उसके मित्र देशों से 'अलग' करने का विश्वसनीय साधन है।
  - दक्षिण कोरिया और जापान के पास इस बात पर संदेह करने का प्रत्येक कारण मौजूद है कि क्या उत्तर कोरिया के विरूद्ध उनके बचाव के लिए अमेरिका अपने प्रमुख शहरों को जोखिम में डालेगा।

- दक्षिण कोरिया की भांति उत्तर कोरिया भी **कोरियाई प्रायद्वीप के एकीकरण की इच्छा रखता** है, लेकिन यह एकीकरण वह अपनी शर्तों पर करना चाहता है।
- **परमाणु कूटनीति की विफलता का परिणाम**
  - वर्तमान संकट स्पष्ट रूप से उस परमाणु कूटनीति की विफलता को प्रदर्शित करते हैं जिसमें अमेरिका एवं अन्य प्रमुख शक्तियां कई वर्षों से सम्मिलित थी।
- **आर्थिक प्रतिबंधों की सीमित उपयोगिता**
  - **आर्थिक प्रतिबंधों की उपयोगिता सीमित** होगी क्योंकि चीन के साथ उत्तर कोरिया का **90%** विदेशी व्यापार होता है। चीन के लिए परमाणु संपन्न उत्तर कोरिया उस एकीकृत कोरिया की तुलना में कम खतरनाक है जो वर्तमान उत्तर कोरियाई शासन के पतन के पश्चात् अमेरिकी के नेतृत्व में गठित होगा।
  - प्रतिबंध केवल ऐसे देशों पर ही काम करते हैं जहां शासक कुछ राजनीतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से **अपनी जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं।** सर्वसत्तावादी शासन में, जिसका प्राथमिक लक्ष्य स्वयं अपने अस्तित्व की रक्षा करना है, प्रतिबन्ध अधिक कारगर नहीं होते।

भारत के लिए निहितार्थ

- भारत के लिए, सबसे तात्कालिक चिंता एशिया में **अमेरिका की भूमिका में कोई भी संभावित कमी** होगी। चीन की चुनौतियों का सामना करने के लिए अमेरिकी प्रभाव महत्वपूर्ण है।
- **उत्तर कोरिया प्रेरित अलगाव (डिकपलिंग)** तथा दक्षिण कोरिया और जापान द्वारा अपने स्वयं के परमाणु हथियारों का विकास; दोनों ही स्थितियों से अमेरिका द्वारा इस क्षेत्र में निभाई जाने वाली सुरक्षा भूमिका में महत्वपूर्ण परिवर्तन आ सकता है। हालाँकि, दक्षिण कोरिया और जापान द्वारा अपने स्वयं के परमाणु हथियारों का विकास एक सुदूर संभावना है।
- कुछ भारतीय विश्लेषक, प्रसार नेटवर्क का इतिहास देखते हुए उन्नत **परमाणु प्रौद्योगिकी के उत्तर कोरिया से पाकिस्तान तक होने वाले प्रसार** को लेकर चिंतित हैं।

भारत की प्रतिक्रिया और उत्तर कोरिया पर उसका प्रभाव

- भारत ने उत्तर कोरिया के कार्यों की निंदा की है। भारत ने खाद्य पदार्थों और दवाओं के निर्यात के अतिरिक्त उत्तर कोरिया के साथ सभी प्रकार के व्यापार पर प्रतिबंध लगाकर संयुक्त राष्ट्र का साथ दिया है। भारत **2015-16** में उत्तर कोरिया का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था। इस प्रकार इसके उत्तर कोरिया के लिए निम्नलिखित निहितार्थ हो सकते हैं:
  - **व्यापार पर प्रभाव:** इस निर्णय से भारत-उत्तर कोरिया के मध्य एक दशक से बढ़ रहे व्यापारिक संबंधों में एकाएक रूकावट आ गई है। व्यापार घाटे के कारण, उत्तर कोरिया को पहले से ही गंभीर स्थिति में आ चुकी हार्ड करेंसी की कमी का सामना करना पड़ेगा। भारत के साथ व्यापार की हानि से उत्तर कोरिया की चीन पर अधिक निर्भरता बढ़ेगी, वह भी तब जब विशेषकर दोनों देशों के बीच संबंध उतने सौहार्द्रपूर्ण नहीं होंगे।
  - **प्रौद्योगिकी साझेदारी संबंधों की समाप्ति:** 2006 में उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम के विरूद्ध संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधों का पहला समुच्चय जारी करने के बाद भारत में स्थित *द सेंटर फॉर स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एशिया एंड द पैसिफ़िक* (CSSTEAP), विश्व के ऐसे कुछ संस्थानों में से एक था जो उत्तर कोरिया के छात्रों को तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करता था।

कजाखस्तान में निम्न समृद्ध यूरेनियम (Low Enriched Uranium: LEU) के लिए यूरेनियम बैंक

- IAEA किसी भी देश से स्वतंत्र होकर बैंक का संचालन करेगा। यह सिविल रिएक्टरों के लिए निम्न-समृद्ध यूरेनियम ईंधन की खरीद और भण्डारण तो करेगा, परंतु परमाणु हथियारों के लिए आवश्यक किसी घटक के रूप में नहीं।
- एक सदस्य राज्य जिसे IAEA के **निम्न समृद्ध यूरेनियम** बैंक से LEU खरीदने की आवश्यकता होगी, उसे IAEA के साथ एक व्यापक सुरक्षा समझौता करना होगा और रक्षोपाय (safeguard) के कार्यान्वयन के संबंध में किसी भी विवाद से मुक्त रहना होगा।
- इससे घरेलू संवर्धन सुविधाओं से रहित देशों को भी ईंधन प्राप्त करने में सहायता मिलेगी ।

संकट दूर करने के लिए आगे की राह

- उत्तर कोरिया के मुद्दे का सैन्य समाधान अधिक मुश्किल और जोखिमपूर्ण है। यह भयादोहन के रूप में देश के परमाणु हथियारों का उपयोग कर सकता है। इसके साथ ही सैन्य कार्रवाई से जापान और दक्षिण कोरिया में भी परमाणुकरण (nuclearization) हो सकता है।

- ऐसे में अमेरिका के लिए अधिक सम्मानजनक विकल्प पारस्परिक सुभेद्यताओं (vulnerability) को स्वीकार करना, उत्तर कोरिया के साथ पुन: वार्ता आरंभ करना और इस बात का आकलन करना है कि दक्षिण कोरिया और जापान में अमेरिकी उपस्थिति को अधिक प्रभावित किए बिना उत्तर कोरिया की किन मांगों को स्वीकार किया जा सकता है।
- **चीन की भूमिका:** चीन ऐसा एकमात्र देश है जो उत्तर कोरिया के साथ विचार विमर्श कर उसे पुनः वार्ता में शामिल होने के लिए समझा सकता है। ईरान समझौता सुनिश्चित करने में रूसी योगदान के समान ही चीन भी कोरियाई प्रायद्वीप पर मंडरा रहे संकट का समाधान करने के प्रयास का ऐतिहासिक जिम्मेदारी का वहन करता है।
- **अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई:** अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को परमाणुकरण के बढ़ते खतरे से निपटने हेतु विभिन्न कार्यक्रमों के साथ आगे आना चाहिए। उदाहरण के लिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) द्वारा नए देशों को परमाणु ईंधन को समृद्ध करने से हतोत्साहित करने के लिए कजाखस्तान के ओस्केमेन शहर में **निम्न समृद्ध यूरेनियम (LEU) के लिए यूरेनियम बैंक** की स्थापना की गयी है।

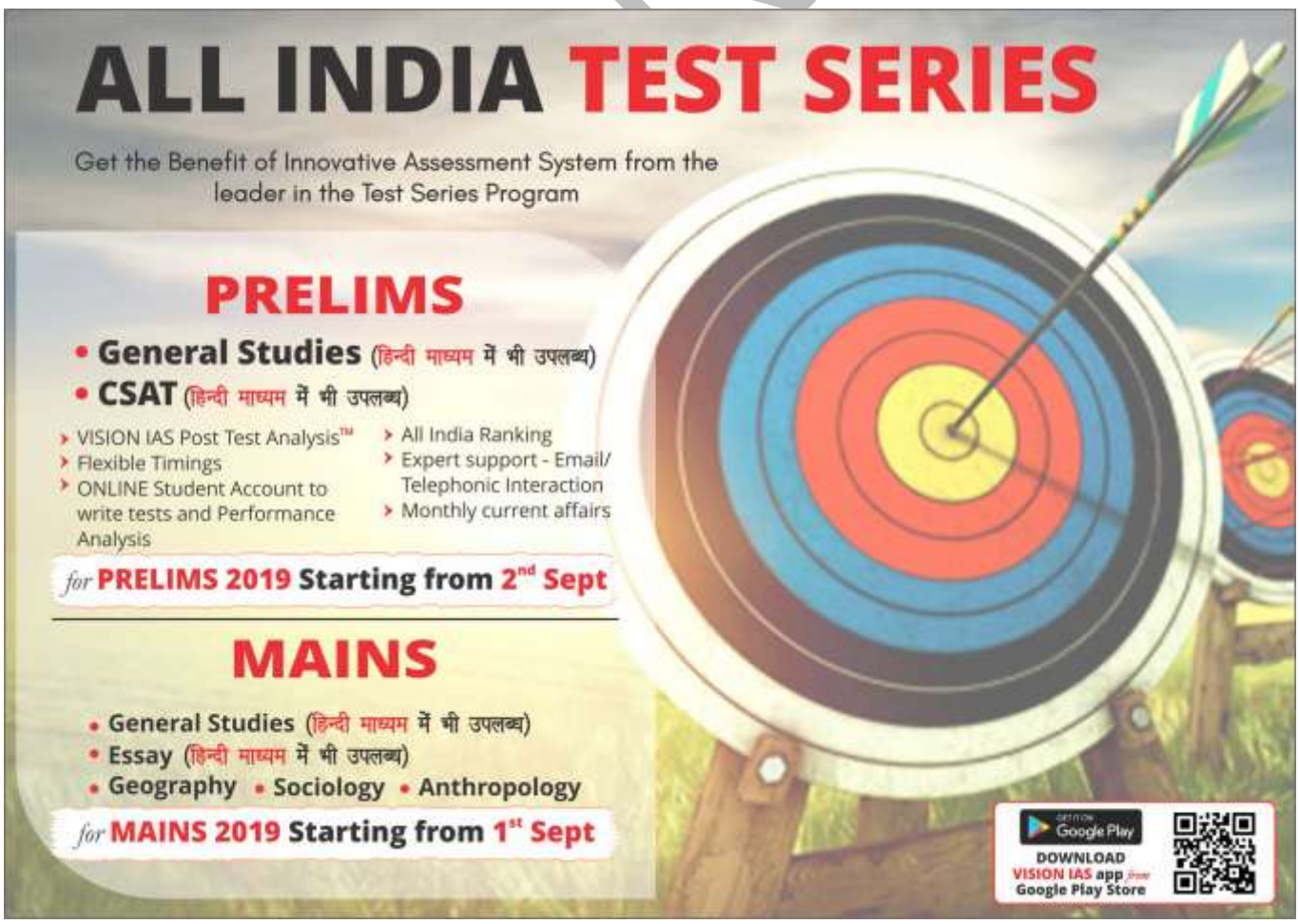

4. मध्य एशिया (Central Asia)

4.1. भारत और मध्य एशिया (India Central Asia)

भारत और मध्य एशिया के मध्य दीर्घकालिक ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध रहे हैं। प्रसिद्ध रेशम मार्ग (Silk Route) द्वारा न केवल लोगों और व्यवसायों को जोड़ा गया, बल्कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में विचारों, संस्कृति और विश्वासों के स्वतंत्र प्रवाह को भी सुगम बनाया गया।

- मध्य एशियाई गणराज्य कज़ाखस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान1990 के दशक में स्वतंत्र हुए थे। ये देश अपनी वित्तीय और आर्थिक व्यवहार्यता तथा स्वतंत्र राज्यों के अस्तित्व के प्रति आश्वस्त नहीं थे। इसलिए ये अपनी स्वतंत्रता घोषित करने वाले अंतिम देश थे।
- पारंपरिक रूप से, मध्य एशिया "ग्रेट गेम" का विस्तृत क्षेत्र रहा है। वर्तमान में भी इस ग्रेट गेम का **आधुनिक संस्करण देखा जा सकता है**। इस क्षेत्र में रूस, चीन, अमेरिका, तुर्की, ईरान, यूरोप, यूरोपीय संघ, जापान, पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान जैसे देशों के पर्याप्त सुरक्षा और आर्थिक हित विद्यमान हैं।
- भारत इन पांच मध्य एशियाई देशों को मान्यता प्रदान करने और उनके साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाले पहले देशों में से एक था। अब भारत मध्य एशियाई देशों को अपने **'विस्तारित और रणनीतिक पड़ोस'** का एक भाग मानता है।
- भारत ने 2012 में **'कनेक्ट सेंट्रल एशिया'** नीति की घोषणा की तथा इसके साथ ही प्रत्येक वर्ष किसी एक गणराज्य में भारत-मध्य एशिया वार्ता का ट्रैक II स्तर पर आयोजन करने की घोषणा की है।
- वर्तमान में इन पांच मध्य एशियाई गणराज्यों का भारत के साथ लगभग $ 2 बिलियन का व्यापार होता है जबकि चीन के साथ इनका लगभग $ 50 बिलियन का व्यापार होता है जो भारत की तुलना में काफी अधिक है। यही कारण है कि ये देश, चीन के सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट (SREB) पहल के लिए महत्वपूर्ण हैं।

- मध्य एशिया में भारत के चार प्रमुख हित हैं: सुरक्षा, ऊर्जा, व्यापार और विभिन्न क्षेत्रों में परस्पर सहयोग।

मध्य एशिया का महत्व

- **ऊर्जा सुरक्षा**
  - मध्य एशिया के देश महत्वपूर्ण हाइड्रोकार्बन और खनिज संसाधनों से संपन्न हैं तथा भौगोलिक दृष्टि से भारत के निकट भी अवस्थित हैं।
  - कजाख़स्तान यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है तथा यहां गैस और तेल के विशाल भंडार भी विद्यमान हैं। उज़्बेकिस्तान भी गैस में समृद्ध राष्ट्र है और यह किर्गिस्तान के समान ही सोने का एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय उत्पादक भी है।
  - ताजिकिस्तान में तेल भंडार के अतिरिक्त विशाल जलविद्युत क्षमता है तथा इसके साथ ही तुर्कमेनिस्तान में विश्व का चौथा सबसे बड़ा गैस भंडार विद्यमान है।
  - कज़ाखस्तान और तुर्कमेनिस्तान कैस्पियन सागर के तटवर्ती देश हैं। इस प्रकार ये देश अन्य ऊर्जा समृद्ध कैस्पियन राज्यों के साथ सहयोग हेतु मार्ग प्रशस्त करने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

सामरिक अवस्थिति

  - भौगोलिक दृष्टि से इन देशों की सामरिक अवस्थिति एशिया के विभिन्न क्षेत्रों और यूरोप तथा एशिया के मध्य एक सेतु के रूप में कार्य करती है।

- भारत का एकमात्र विदेशी सैन्य हवाई अड्डा फरखोर (ताजिकिस्तान) में स्थित है, इसे IAF और ताजिक वायु सेना द्वारा संचालित किया जाता है।

व्यापार और निवेश संबंधी क्षमता

- मध्य एशिया के आर्थिक विकास ने (विशेष रूप से कज़ाखस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान में) IT, फार्मास्यूटिकल्स और पर्यटन जैसे क्षेत्रों के विकास के साथ-साथ बड़े पैमाने पर निर्माण गतिविधियों को बढ़ावा दिया है।
- भारत की इन क्षेत्रों में विशेषज्ञता है अतः इनमें गहन सहयोग इन देशों के साथ व्यापारिक सहयोग को बढ़ावा देगा।
- इस क्षेत्र में भारतीय फार्मास्यूटिकल्स उत्पादों की अत्यधिक मांग है।

- **सुरक्षा**
  - आतंकवाद, नशीले पदार्थों और हथियार की तस्करी की चुनौती से निपटने के लिए मध्य एशिया सहयोग कर सकता है।
  - मध्य एशिया, अफीम उत्पादन के **'गोल्डन क्रिसेंट'** (ईरान-पाक-अफगान) का पड़ोसी है और यह आतंकवाद, अवैध शस्त्र व्यापार से भी ग्रस्त है। भारत अपनी पश्चिमी सीमा की ओर से भी इन्हीं समस्याओं का सामना कर रहा है। इस संबंध में मध्य एशिया के साथ सामंजस्य और सहयोग से सम्पूर्ण क्षेत्र को लाभ होगा।
- **आतंकवाद और कट्टरपंथ का मुकाबला करने के लिए:** कट्टरपंथी इस्लामिक समूहों के उदय को रोकना जो भारत की सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न कर सकते हैं।
  - धार्मिक कट्टरवाद, चरमपंथ और आतंकवाद, मध्य एशियाई समाजों के साथ-साथ क्षेत्रीय स्थिरता के लिए भी चुनौतियां उत्पन्न कर रहे हैं।
  - फरगाना घाटी अभी कट्टरपंथी गतिविधियों का केंद्र बनी हुई है। मध्य एशियाई गणराज्यों को अफगानिस्तान से होने वाले अवैध ड्रग्स व्यापार से गंभीर संकट का सामना करना पड़ता है। मध्य एशिया में फैली अस्थिरता भारत में भी प्रवेश कर सकती है।
- **अफगानिस्तान में स्थिरता:** अफगानिस्तान में सामान्य स्थिति स्थापित करने में मध्य एशियाई राष्ट्र और भारत प्रभावी भूमिका निभा सकते हैं।
- क्षेत्रीय सहयोग: चार मध्य एशियाई राष्ट्र SCO के सदस्य हैं।

चुनौतियां

- भारत, इस क्षेत्र के साथ अपनी सभ्यता और ऐतिहासिक संबंधों का लाभ उठाने में सक्षम नहीं रहा है क्योंकि संबंधों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया था।
- **स्थलबद्ध क्षेत्र :** मध्य एशियाई क्षेत्र स्थलबद्ध है। इसके कारण मध्य एशिया के साथ भारत के संबंध बाधित हुए हैं। अपर्याप्त कनेक्टिविटी भी भारत और मध्य एशिया के बीच क्षमता से कम व्यापार के लिए एक उत्तरदायी कारक है।
- इसके अतिरिक्त, भारत मध्य एशियाई देशों में से किसी के साथ भी स्थलीय सीमाओं को साझा नहीं करता है। यह इन देशों के साथ भारत के आर्थिक, वाणिज्यिक, ऊर्जा, पर्यटक संबंधों इत्यादि को बढ़ावा देने और उनका विस्तार करने में एक बड़ी बाधा है।
- अफगानिस्तान में अस्थिरता रही है तथा भारत-पाकिस्तान संबंध अत्यधिक समस्या ग्रस्त रहे हैं इस कारण भारत मध्य एशिया के साथ संबंधों से होने वाले लाभ से वंचित रहा है।
- **चीन की उपस्थिति:** मध्य एशिया, सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट (SREB) पहल का हिस्सा है।
- **उग्रवाद और कट्टरपंथ :** मध्य एशिया स्वयं अल कायदा, इस्लामिक राज्य, तालिबान, IUM, हिज्ब उत तहरीर जैसे संगठनों के प्रभावों से ग्रसित और उनके प्रति सुभेद्य है। यद्यपि इन मध्य एशियाई देशों के स्वतंत्र होने के पश्चात् यह क्षेत्र अपेक्षाकृत स्थिर रहा है (स्वतन्त्रता के तुरंत पश्चात् ताजिकिस्तान तथा 2005 में उज़्बेकिस्तान की स्थिति के अतिरिक्त) तथापि इन देशों में युवाओं के कट्टरपंथ से प्रभावित होने का खतरा दिन-प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है।
- **इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में कुछ घरेलू चुनौतियां भी विद्यमान हैं जैसे-**
  - "युवाओं की तेज़ी से बढती संख्या" हेतु अपर्याप्त आर्थिक अवसर (कज़ाकिस्तान के बाहर);
  - सीमा पार प्रवासन;
  - गंभीर और अत्यधिक भ्रष्टाचार;
  - संभवतः अशांत अल्पसंख्यक जनसंख्या (जैसे- किर्गिस्तान में नृजातीय उज्बेक अत्यधिक हिंसा के केंद्र में है);
  - मादक पदार्थों की तस्करी;
  - परमाणु अप्रसार; तथा
  - सशक्त सरकार या पार्टी संस्थानों के बिना निरंकुश राज्यों में उत्तराधिकार का प्रबंधन।

मध्य एशिया के संपर्क में नवीनतम प्रगति:

- विगत कुछ वर्षों में कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई हैं।

VISION IAS

- **शंघाई सहयोग संगठन की सदस्यता (अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के अनुभाग में इसकी चर्चा की गई है):** भारत SCO का पूर्ण सदस्य बन गया है।
    - इन देशों के नेताओं के मध्य संपर्क में निरंतरता का अभाव रहा है, यही कारण है कि भारत इस क्षेत्र के साथ साझेदारी में निहित क्षमताओं को पूर्णतः समझ नहीं पाया है।
    - वार्षिक SCO शिखर सम्मेलन इन देशों के नेताओं के साथ बैठक तथा द्विपक्षीय और क्षेत्रीय हित के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा।
    - संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा हाल ही में जारी की गई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति ने अमेरिका के आतंकवाद- विरोधी प्रयासों में CARs (मध्य एशिया के देशों) के महत्व को रेखांकित किया है।
    - अफगानिस्तान में शांति समझौता और आतंकवाद-विरोधी सहयोग निश्चित रूप से यूरेशियाई क्षेत्र की गत्यात्मकता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
    - इस संदर्भ में SCO एक बड़ी भूमिका निभाने में सक्षम है। हालांकि इसकी सफलता इसके शक्तिशाली सदस्यों, रूस, चीन और भारत के मध्य संबंधों पर निर्भर करती है।
- **अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (International North-South Transport Corridor: INSTC):**
    - भारत अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे (INSTC) का एक संस्थापक सदस्य है। यह परिवहन और लॉजिस्टिक संरचना के निर्माण के लिए एक बहु-राष्ट्रीय परियोजना है।
    - भारत ने दिसंबर 2016 में 7,200 किलोमीटर लम्बे INSTC पर शिपिंग कार्गो आरंभ करने के लिए सहमति प्रदान की।

अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (International North-South Transport Corridor:INSTC)

- यह वर्ष 2000 में सदस्य देशों के मध्य परिवहन सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ईरान, रूस और भारत द्वारा स्थापित **7200 किमी लंबी मल्टी-मॉडल परिवहन परियोजना है।**
- यह गलियारा **ईरान के माध्यम से कैस्पियन सागर को हिन्द महासागर और फारस की खाड़ी को जोड़ता है** और तत्पश्चात यह रूसी संघ होते हुए सेंट पीटर्सबर्ग और उत्तरी यूरोपीय देशों तक जाता है।

- **ईरान में चाबहार बंदरगाह**
    - भारत ने हाल ही में ईरान में चाबहार बंदरगाह के प्रथम चरण का उद्घाटन किया है जो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित जवाहरलाल नेहरू और कांडला बंदरगाहों के माध्यम से स्थलबद्ध अफगानिस्तान और ऊर्जा समृद्ध मध्य एशिया तक पहुंच प्रदान करने में सक्षम होगा।
    - इसके अतिरिक्त, भारत ने अफगानिस्तान में जरांज को डेलाराम से जोड़ने वाली 218 किमी लम्बी सड़क का निर्माण किया है जो ईरान की सीमा के निकट स्थित है।
    - एक बार निर्मित हो जाने के पश्चात् चाबहार बंदरगाह INSTC सहित अफगानिस्तान के माध्यम से मध्य एशिया के साथ व्यापार करने के लिए एक महत्वपूर्ण पत्तन सिद्ध हो सकता है।
- **अश्गाबात समझौता**
    - भारत ने अंतरराष्ट्रीय परिवहन और पारगमन गलियारे से सम्बंधित अश्गाबात समझौते को स्वीकृति प्रदान कर दी है। यह समझौता मध्य एशिया और फारस की खाड़ी के मध्य माल परिवहन की सुविधा प्रदान करता है।

अश्गाबात समझौता

भारत हाल ही में अश्गाबात समझौते में शामिल हो गया है।

- यह ईरान, ओमान, तुर्कमेनिस्तान की सरकारों और उज़्बेकिस्तान गणराज्य के मध्य एक समझौता है। इसका उद्देश्य मध्य एशिया एवं फारस की खाड़ी के मध्य वस्तुओं के आवागमन को सुगम बनाने वाले एक **अंतरराष्ट्रीय परिवहन एवं पारगमन गलियारे का निर्माण करना** था। यह समझौता 2016 से प्रभावी हुआ था।
- कजाकिस्तान और पाकिस्तान 2016 में इस समूह में शामिल हो गए थे। भारत ने अप्रैल 2016 में प्रवेश के रूप में अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी थी।
- **ईरान-तुर्कमेनिस्तान-कज़ाकिस्तान (ITK) रेलवे लाइन** अश्गाबात समझौते के तहत प्रमुख मार्ग होगा जो दिसम्बर 2014 में आरम्भ हो गयी थी। इसे INSTC के भाग के रूप में भी शामिल किया गया है।

महत्व

- अश्गाबात समझौते का एक उद्देश्य उपर्युक्त **अंतरराष्ट्रीय परिवहन एवं पारगमन गलियारे को यूरेशियन रेलवे कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट और अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे के साथ सम्बद्ध करना है**, जिसमें भारत, रूस, ईरान, यूरोप और मध्य एशिया के मध्य माल ढुलाई के लिए जहाज, रेल और सड़क मार्ग शामिल होगा।

VISION IAS

- अश्गाबात परियोजनाओं तथा INSTC के क्रियान्वयन के पश्चात अफगानिस्तान के साथ भारत का व्यापार $ 5 बिलियन तक पहुंचने की संभावना है क्योंकि अफगानिस्तान अपने व्यापार मार्ग को कराची से परिवर्तित कर ईरान के चाबहार और बंदर अब्बास बंदरगाह की ओर कर रहा है।
- अश्गाबात समझौते में शामिल होने से भारत के लिए यूरेनियम, तांबे, टाइटेनियम,फेरो एलॉय, पीले फॉस्फोरस, लौह अयस्क इत्यादि सहित मध्य एशिया के सामरिक और उच्च मूल्य वाले खनिजों तक पहुंच सुगम हो जाएगी।

- **तुर्कमेनिस्तान-अफगानिस्तान-पाकिस्तान-भारत (TAPI,** आगामी खंड में इसकी चर्चा की गई):
  - तुर्कमेनिस्तान-अफगानिस्तान-पाकिस्तान-भारत (TAPI) गैस पाइपलाइन के निर्माण का आरम्भ एक अन्य महत्वपूर्ण प्रगति है। हालांकि यह सम्पूर्ण क्षेत्र से संबंधित न होकर केवल एक मध्य एशियाई देश के साथ संबंधों तक ही सीमित है।
  - 2020 के अंत तक 1840 किमी लंबी इस पाइपलाइन के पूर्ण होने की आशा है। पाइपलाइन का कार्य पूर्ण होने के पश्चात भारत को प्रति वर्ष लगभग 13 bcm गैस प्राप्त होने का अनुमान है।
- **यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन (EEU)**
  - भारत यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर वार्ता करने का प्रयास कर रहा है, इसमें बेलारूस, कजाख़स्तान, रूस, आर्मेनिया और किर्गिस्तान शामिल हैं।
  - इन देशों के साथ भारत का व्यापार लगभग 10 बिलियन डॉलर का है। इन देशों ने इस व्यापार को 2025 तक 30 बिलियन डॉलर तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
- **अस्ताना इंटरनेशनल फाइनेंस सेंटर (AIFC)-** हाल ही में उद्घाटित इस केंद्र को मध्य एशिया, काकेशस, यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन, पश्चिमी एशिया, पश्चिमी चीन, मंगोलिया और यूरोप के लिए एक वित्तीय केंद्र के रूप में स्थापित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य निवेश के लिए एक आकर्षक परिवेश सृजित करना, कजाख़स्तान के प्रतिभूति बाजार का विकास करना तथा अन्य अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्थानों के साथ इसे एकीकृत करना है।
- मध्य एशिया के सबसे बड़े देश और इस क्षेत्र में भारत की संलग्नता के प्रबल समर्थक कजाख़स्तान की राजधानी अस्ताना में AIFC की स्थापना के बाद **शंघाई सहयोग संगठन (SCO)** तथा मध्य एशिया के साथ भारत की आर्थिक साझेदारी में और भी वृद्धि होगी।
- भारत, ईरान बंदरगाह से मध्य एशियाई देशों में रेशम मार्ग को पुनः स्थापित करने का भी प्रयास कर रहा है।

सुझाव

- द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए भारत अपनी **सॉफ्ट पावर छवि** और मध्य एशिया में अपनी स्वीकार्यता का उपयोग करता है।
- भारत एक विशाल विविधता वाला देश होने के बावजूद कट्टरपंथी प्रभावों से निपटने में सक्षम रहा है। इसका प्रमुख कारण इसकी सांस्कृतिक विरासत, विविध विचारों एवं धारणाओं की स्वीकृति, इसकी मूल्य आधारित शिक्षा प्रणाली आदि हैं। भारत और मध्य एशिया अपने सामाजिक परिवेश, अंतर-नृजातीय, अंतर-प्रजातीय संरचनाओं को सुदृढ़ करने के लिए परस्पर लाभ हेतु सहयोग कर सकते हैं ताकि कट्टरपंथी और विभाजनकारी दबावों को सीमित एवं कम किया जा सके।
- **भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (ITEC) कार्यक्रम** भी एक प्रभावी साधन सिद्ध हुआ है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत भारत के उत्कृष्ट संस्थानों में इन देशों के युवा पेशेवरों को बैंकिंग, रिमोट सेंसिंग तथा अंग्रेजी बोलने से लेकर कृषि, ग्रामीण विकास और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षित किया जाता है और इन क्षेत्रों में मानव क्षमता का विकास किया जाता है।
- वाणिज्यिक और आर्थिक संबंधों के क्षेत्र को और भी सशक्त करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, भारत और इस क्षेत्र के मध्य **'सूचनाओं की कमी' द्वारा उत्पन्न अंतराल को भरने के** लिए चैम्बर ऑफ़ कॉमर्स सहित अन्य आधिकारिक सरकारी एजेंसियों को और अधिक सक्रिय बनाया जाना चाहिए।
- भविष्य में **निजी क्षेत्र की सहभागिता** को व्यापार मेलों (trade fairs) के माध्यम से भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए तथा इन देशों के प्रमुख वाणिज्यिक एवं औद्योगिक केंद्रों में एकल देश व्यापार मेलों का आयोजन किया जाना चाहिए।
- भारत की **कनेक्ट सेंट्रल एशिया नीति** का दृष्टिकोण भविष्योन्मुखी है। इसका लक्ष्य भारत-मध्य एशिया संबंधों को भविष्य में और बेहतर बनाने का प्रयास करना तथा इसके साथ ही इस क्षेत्र में भारत के भू-रणनीतिक एवं भू-आर्थिक हितों को बढ़ावा देना है।
- भारत और मध्य एशिया दोनों ही इस क्षेत्र में और विश्व में शांति, स्थिरता, वृद्धि एवं विकास के कारक हैं। इनके मध्य सुदृढ़ संबंध इन देशों एवं विश्व की बढ़ती सुरक्षा और समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान करेंगे।

कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी

2012 में प्रारंभ की गयी इस नीति के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:

- उच्च स्तरीय यात्राओं के माध्यम से सुदृढ़ राजनीतिक संबंध।

VISION IAS

- भारत सैन्य प्रशिक्षण, संयुक्त अनुसंधान, आतंकवाद-विरोधी समन्वय और अफगानिस्तान पर घनिष्ठ परामर्श के माध्यम से अपने **रणनीतिक और सुरक्षा सहयोग** को सुदृढ़ करेगा।
- भारत शंघाई सहयोग संगठन, यूरेशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी (EEC) और कस्टम यूनियन जैसे मौजूदा संगठनों के माध्यम से मध्य एशियाई साझेदारों के साथ **बहुपक्षीय सहभागिता** को आगे बढ़ाएगा।
- ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधनों में दीर्घकालिक साझेदारी।
- चिकित्सा क्षेत्र, उच्च शिक्षा, एक **सेंट्रल एशियन ई-नेटवर्क** (इसका केंद्र भारत में होगा) स्थापित करने, टेली-शिक्षा और टेली-मेडिसिन कनेक्टिविटी पर ध्यान केंद्रित करना।
- इस क्षेत्र में एक व्यवहार्य **बैंकिंग अवसंरचना** प्रदान करने में सहायता करना।
- INSTC ,वायु सेवाओं तथा लोगों के पारस्परिक और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के माध्यम से कनेक्टिविटी में सुधार।

4.2. तापी गैस पाइपलाइन

(TAPI Gas Pipeline)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में, अफगानिस्तान में तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत (तापी) गैस पाइपलाइन परियोजना पर कार्य प्रारंभ हो गया है।

तापी परियोजना के बारे में

- तापी पाइपलाइन कंपनी लिमिटेड (TPCL) द्वारा तुर्कमेनिस्तान से भारत तक प्राकृतिक गैस की आपूर्ति के लिए पाइपलाइन प्रस्तावित है।
- आपूर्ति मार्ग गलकी नाइश फ़ील्ड (तुर्कमेनिस्तान) से दौलताबाद- हेरात - कंधार - चम्मान - झॉब- डीजी खान- मुल्तान- फाजिल्का (पाक-भारत सीमा) तक विस्तृत है।
- वर्ष 2020 के प्रारंभ से, प्रति वर्ष लगभग 33 बिलियन घन मीटर गैस आपूर्ति की जाएगी।
- इस परियोजना का वित्त पोषिण एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) द्वारा किया जा रहा है और भारत द्वारा पाकिस्तान और अफगानिस्तान को ट्रांजिट शुल्क दिया जाएगा।

एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB)

- यह 1960 के प्रारंभिक दशक में एक वित्तीय संस्थान के रूप में स्थापित किया गया। जो स्वरुप में एशियाई तथा आर्थिक विकास एवं सहयोग के क्षेत्र में कार्य करेगा।
- विकास हेतु बहुपक्षीय वित्तीयन संस्थान के रूप में ADB ऋण, तकनीकी सहायता और अनुदान प्रदान करता है।
- इसकी सदस्य सरकारें ही इसकी ग्राहक (clients) हैं, जो इसके शेयरधारक भी हैं। इसके अलावा, यह इक्विटी निवेश और ऋण के माध्यम से सदस्य देशों के विकास में निजी उद्यमों को प्रत्यक्ष सहायता प्रदान करता है।
- यह 67 सदस्य देशों (भारत सहित) से मिलकर बना हैं, जिनमें से 48 देश एशिया और प्रशांत क्षेत्र से हैं।
- इसके शीर्ष 5 शेयरधारक हैं: जापान (15.6%), संयुक्त राज्य अमेरिका (15.6%), चीन (6.4%), भारत (6.3%) और ऑस्ट्रेलिया (5.8%)

परियोजना का महत्व

- यह दक्षिण एशिया को मध्य एशिया से जोड़ने वाले ऐतिहासिक मार्ग को पुनः खोल देगा।
- यह प्रतिस्पर्धी मूल्यों पर भारत और उसके पड़ोसी देशों को बहुमूल्य ऊर्जा उपलब्ध कराएगा। यह परियोजना पाकिस्तान की गैस संबंधी जरूरतों का एक-चौथाई भाग, भारत की अनुमानित आवश्यकताओं का 15 प्रतिशत, और साथ ही अफगानिस्तान की आवश्यकताओं की भी सरलता से आपूर्ति कर सकती है।
- तापी, एक विश्वसनीय भंडार के साथ एक वैकल्पिक आपूर्ति का स्रोत भी प्रदान करेगा। यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लाभ के लिए फ्यूल बास्केट में विविधता आएगी, जिससे देश की ऊर्जा सुरक्षा में सुधार होगा।
- यह अफगानी नागरिकों के लिए आर्थिक अवसर उत्पन्न कर अफगानिस्तान में सामंजस्य बढाने में योगदान कर सकता है। इससे युद्ध-ग्रस्त देश में रोजगार उत्पन्न हो सकते हैं, जिससे इस क्षेत्र में शांति और सुरक्षा हेतु रणनीतिक रूप से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभायी जा सकती है।
- यह परियोजना भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच संबंधों को सुधारने में सहायता कर सकती है। यह दो परमाणु संपन्न शक्तियों के मध्य संघर्ष की संभावना को कम कर सकती है। जिससे उन्हें सहयोग के अन्य तरीके तलाशने में भी सहायता मिल सकती है।

चुनौतियां

- **वित्त:** परियोजना लागत का लगभग 85% तुर्कमेनिस्तान द्वारा वहन किए जाने का अनुमान है। तुर्कमेनिस्तान वर्तमान में वैश्विक ऊर्जा की कीमतों में गिरावट के कारण आर्थिक कठिनाई का सामना कर रहा है, जिसके परिणामस्वरूप इसको ऊर्जा निर्यात से प्राप्त होने वाली आय में कमी आई है।
- **सुरक्षा:** अफगानिस्तान और पाकिस्तान में तापी गैस पाइपलाइन का मार्ग, आतंकवाद और क्षेत्रीय संघर्ष (पाकिस्तानी सेना के विरुद्ध लड़ने वाले बलूच अलगाववादी) के बड़े क्षेत्र हैं। इसके अलावा अफगानिस्तान से नाटो (विशेष रूप से अमेरिकी) सेनाओं की प्रस्तावित वापसी से सुरक्षा का प्रश्न और अधिक गंभीर हो गया है।
- **भू-राजनीति:** भारत और पाकिस्तान के राजनयिक संबंध अप्रत्याशित रूप से ख़राब हो गए हैं। इसके अतिरिक्त आर्थिक और सैन्य शक्ति के संदर्भ में चीन की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं ने तापी परियोजना को खतरे में डाल दिया है।

आगे की राह

- **व्यापक भागीदारी:** तुर्कमेनिस्तान, भारत को अपस्ट्रीम सेक्टर (वे उद्योग जो कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का अन्वेषण एवं उत्पादन करते हैं) में हिस्सेदारी प्राप्त करने की अनुमति दे सकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पाकिस्तान द्वारा जानबूझकर गैस आपूर्ति में कोई भी व्यवधान न डाला जा सके।
- **पूरक परियोजनाएं:** तापी परियोजना के विकास में सहयोग प्राप्ति हेतु तुर्कमेनिस्तान, अंतर्राष्ट्रीय तेल और गैस कंपनियों को अपने तटवर्ती तेल / गैस क्षेत्रों में हिस्सेदारी प्राप्त करने के लिए भी अनुमति प्रदान कर सकता है।

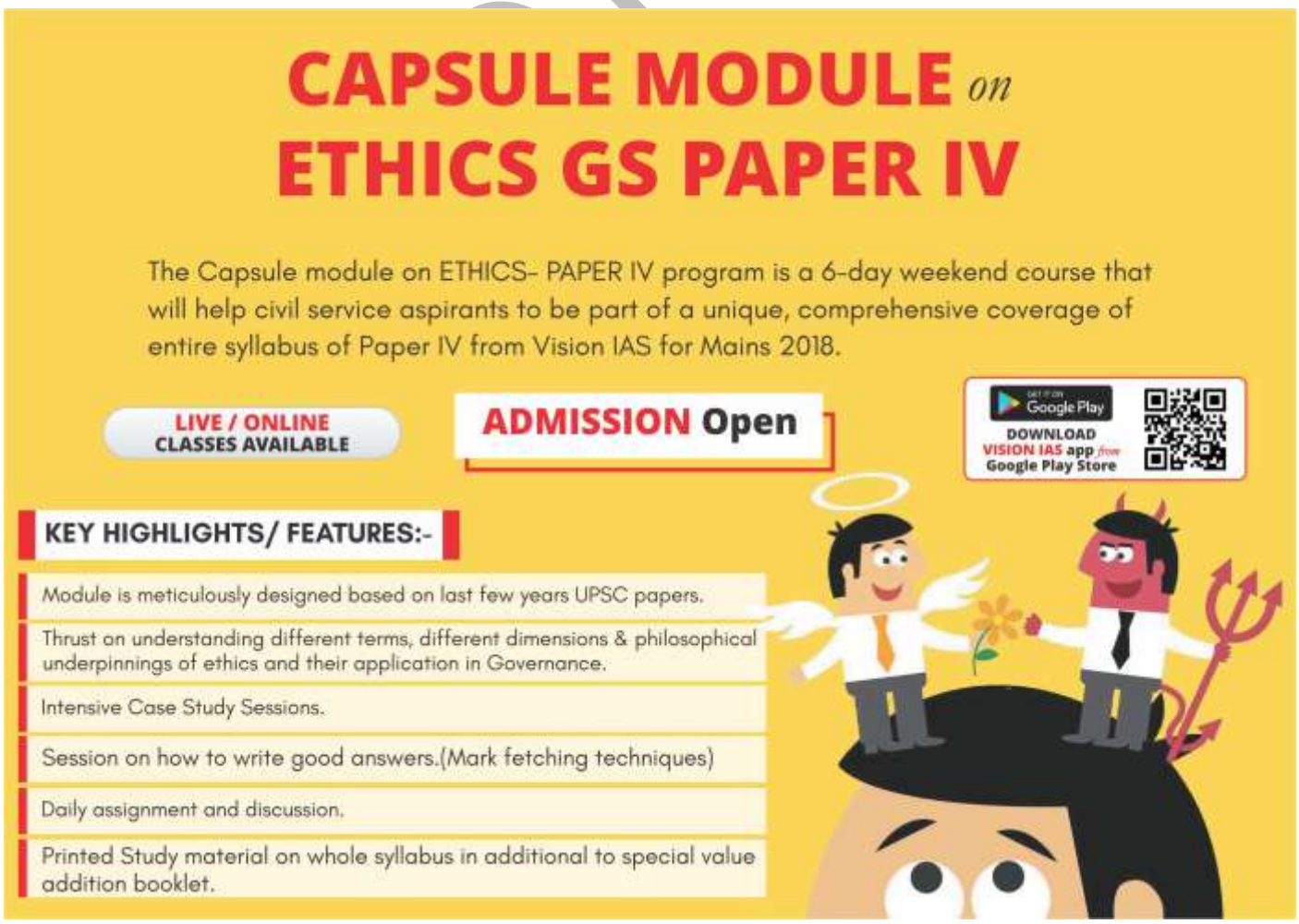

5. पश्चिमी एशिया/मध्य-पूर्व

(West Asia / Middle East)

5.1 भारत-पश्चिम एशिया

(India West Asia)

भारत के पश्चिम एशियाई देशों के साथ आर्थिक, राजनीतिक, सुरक्षा और सामरिक क्षेत्रों में हित जुड़े हुए हैं।

भारत के लिए पश्चिम एशिया का महत्व

इस क्षेत्र में भारत के ऊर्जा, व्यापार तथा भारतीय समुदाय की सुरक्षा जैसे महत्त्वपूर्ण निहितार्थ उपस्थित हैं।

- **ऊर्जा सुरक्षा:** भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का 70 प्रतिशत पश्चिम एशिया से आयात करता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में निरंतर 8% या इससे अधिक की संवृद्धि होने पर यह निर्भरता और बढ़ जाएगी।
- **भारतीय समुदाय की सुरक्षा:**
  - भारत **पश्चिम एशिया से सर्वाधिक विप्रेषण (foreign remittances)** प्राप्त करता है।
  - पश्चिम एशिया में 11 लाख भारतीय काम करते हैं। इसलिए इस क्षेत्र में स्थिरता भारत के मुख्य एजेंडे में शामिल है।
- **कट्टरपंथ का मुकाबला करने के लिए:** भारत में कट्टरपंथ का सामना करने के लिए आपसी सहयोग आवश्यक है।
- **मध्य एशिया जाने का मार्ग:** पश्चिम एशिया उर्जा संसाधनों में समृद्ध किन्तु स्थलरुद्ध मध्य एशिया तक पहुँचने का मार्ग उपलब्ध कराता है।
- **भू-सामरिक महत्व:** अरब सागर और पश्चिम एशिया में चीन के बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए इस क्षेत्र का सामरिक महत्व है। चीन OBOR पहल के माध्यम से लगातार पश्चिम एशिया की ओर सड़क बना रहा है।

पश्चिम एशिया में चुनौतियां:

राजनैतिक अस्थिरता

दिसंबर 2010 में *अरब स्प्रिंग* के प्रारंभ होने के बाद से पश्चिमी एशिया की सुरक्षा स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है।

- सीरिया, इराक और यमन में आंतरिक सुरक्षा की स्थिति बद से बदतर हो गई है। क्षेत्रीय शक्तियाँ सांप्रदायिक आधार पर छद्म युद्ध में लगी हुई हैं। वे जिन गुटों का समर्थन कर रही हैं उन्हें भारी मात्रा में धन और हथियार उपलब्ध करा रही हैं।
- पश्चिम एशिया में आंतरिक संघर्षों से निपटने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस जैसी बाह्य-क्षेत्रीय शक्तियों की भागीदारी ने संघर्ष में और वृद्धि की है।
- GCC-ईरान प्रतिद्वंद्विता, शिया-सुन्नी संघर्ष, क्षेत्र में बढ़ता बाह्य हस्तक्षेप, धार्मिक कट्टरतावाद में वृद्धि के भय आदि ने पश्चिम एशिया में अस्थिरता को बढ़ावा दिया है।
- **आतंकवाद:** इस क्षेत्र में बढ़ता हुआ आतंकवाद, सबसे बड़े सुरक्षा खतरे के रूप में उभरा है। *इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड सीरिया* (ISIS) का उदय सबसे ज्यादा परेशान करने वाली प्रवृत्ति है।
- **सऊदी-ईरान प्रतिद्वंद्विता:** इससे पश्चिम एशिया में अस्थिरता में वृद्धि हो रही है तथा पश्चिम एशियाई भू-राजनीति प्रभावित हो रही है।
- **पाकिस्तान की भूमिका:** पाकिस्तान कई पश्चिम एशियाई देशों और विशेष रूप से GCC का घनिष्ट सहयोगी है।
- **शिया-सुन्नी** टकराव से भारत की आंतरिक सुरक्षा प्रभावित हो सकती है।
- **इजराइल** के साथ भारत का घनिष्ठ सम्बन्ध होना पश्चिमी एशिया से भारत के संबंधों में कड़वाहट ला सकता है।
- ईरान के साथ भारत के घनिष्ठ संबंधों पर सऊदी अरब नाराज़ हो सकता है। भारत को पश्चिम एशिया की तीनों क्षेत्रीय शक्तियों- ईरान, इजराइल और सऊदी अरब के साथ अपने सम्बन्धों को संतुलित करके चलना होगा।

- **क्षेत्रीय संघर्ष:**
  - **अरब इज़राइल संघर्ष**- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव, 1991 के मैड्रिड शांति सम्मेलन और बेरूत में 2002 में हुए अरब पीस इनिशिएटिव के आधार पर अरब-इज़राइल संघर्ष के लिए एक व्यापक और स्थायी समाधान प्राप्त किया जाना चाहिए।
  - **सीरिया मुद्दा**-सीरिया की एकता, संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और स्थिरता की सुरक्षा किये जाने की आवश्यकता है। साथ ही सीरियाई लोगों के जीवन के संरक्षण हेतु इस संकट के राजनीतिक समाधान पर पहुंचना आवश्यक है।
  - **इज़राइल-फिलिस्तीन संघर्ष-** इजराइल को 1967 में अधिगृहीत किए गए फिलीस्तीनी "अरब" क्षेत्रों से अपने कब्जे को समाप्त करते हुए अपनी सभी बस्तियों को खाली कर देना चाहिए।
  - **ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंध:** हाल ही में अमेरिका ने ईरान-परमाणु समझौते से बाहर निकलते हुए ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने की धमकी दी। यह वार्ता प्रक्रिया को कमजोर बना सकता है, रूढ़िवादी लोगों को उकसा सकता है और क्षेत्रीय स्थिरता के समक्ष खतरा उत्पन्न कर सकता है। भारत द्वारा ईरान के साथ महत्वपूर्ण तेल व्यापार तथा चाबहार बंदरगाह और अन्य परियोजनाओं के माध्यम से कनेक्टिविटी स्थापित करने में भागीदारी की गयी है।

भारत की "लुक वेस्ट" नीति

दशकों तक भारत की पश्चिमी एशिया में **एक निष्क्रिय भूमिका** थी तथा भारत के इस क्षेत्र के अधिकांश देशों के साथ अच्छे संबंध रहे हैं। शीत युद्ध के दौरान, भारत ने क्षेत्रीय भू-राजनीति में प्रतिद्वंद्वी शक्तियों सऊदी अरब और ईरान, दोनों के साथ निकट आर्थिक सहयोग बनाए रखा। उत्तर-सोवियत युग में भारत ने पश्चिम एशिया की तीन महत्वपूर्ण शक्तियों- सऊदी अरब, ईरान और इज़राइल के मध्य संतुलन स्थापित करने के लिए अपनी द्विपक्षीय विदेश नीति को त्रिपक्षीय विदेश नीति में रूपांतरित कर दिया। इसी क्रम में भारत द्वारा 2005 में *लुक वेस्ट* नीति को अपनाया गया।

नीति की मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार हैं-

- **धर्म-निरपेक्ष और गुट-निरपेक्ष नीति**: इस क्षेत्र के प्रति भारत की नीति यहाँ के धार्मिक (मुस्लिम और यहूदियों) और सांप्रदायिक (शिया-सुन्नी) विवादों के सन्दर्भ में गुटनिरपेक्षता की होगी।
- **विभिन्न स्तरों पर कूटनीति:** घनिष्ठ *गवर्नमेंट-टू-गवर्नमेंट* (G2G) सम्बन्ध स्थापित करने की कूटनीतिक प्रतिबद्धता बेहतर *बिजनेस-टू-बिजनेस* (B2B) और *पीपल-टू-पीपल* (P2P) संबंधों की ओर ध्यान आकर्षित करती है।
- **भारत का गैर-आदर्शवादी नीति की दिशा में कदम बढ़ाना**: मध्य पूर्व में बड़े बदलावों के पश्चात भारत अपनी मध्य पूर्व की नीति में परिवर्तन करने के लिए विवश हो गया। भारत की नीति पारंपरिक रूप से अरब समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और सोवियत मित्रता जैसे आयामों पर आधारित रही है। भारत को न केवल अमेरिकी वर्चस्व के साथ अपनी नीति का निर्धारण करना पड़ा बल्कि क्षेत्र में बढ़ते रूढ़िवाद का सामना भी करना पड़ा। व्यावहारिक रूप से इसका मतलब था कि एक ऐसी नीति तैयार की गई जो राजनीतिक पूर्वमान्यताओ की बजाय आर्थिक हितों पर आधारित थी।
- **सामुद्रिक कूटनीति पर मुख्य बल**: पश्चिम एशिया के चारों ओर के समुद्री क्षेत्र का उर्जा और आर्थिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से भारत के लिए विशेष महत्व है। अतः "*लुक वेस्ट*" नीति में इस क्षेत्र को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है।

भारत के दृष्टिकोण और रणनीति की सीमाएं:

- घरेलू मोर्चे पर, भारतीय विदेश नीति के संचालन का नौकरशाही तरीका, लम्बे समय से कर्मचारियों की कमी, और निर्णय लेने के कई केंद्रों के परिणामस्वरूप सरकार द्विपक्षीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौतों के प्रभावी कार्यान्वयन में अक्षम या अपर्याप्त सिद्ध हुई है।
- द्वितीय, खाड़ी में भारत के कद में वृद्धि के बावजूद, यह पर्याप्त अरब निवेश को आकर्षित करने में सफल नहीं हुआ है। इस्लामी बैंकिंग स्थापित करने में विफलता के कारण वर्ष 2000 से 2014 के मध्य गल्फ कोऑपरेशन काउन्सिल (Gulf Cooperation Council:GCC) से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) देश में 3.2 अरब डॉलर के स्तर पर स्थिर रहा है तथा पुरातन बैंकिंग नियमों एवं विनियमों, भ्रष्टाचार और पारदर्शिता की कमी के कारण निवेशकों के आत्मविश्वास में कमी आयी है।
- पाकिस्तान के सन्दर्भ में "विश्वास की कमी" के कारण भारत अपने वाणिज्यिक हितों को गति प्रदान करने में असमर्थ रहा है। इसके परिणामस्वरुप ईरान-भारत-पाकिस्तान (IPI) और तुर्कमेनिस्तान-अफगानिस्तान-पाकिस्तान-भारत (TAPI) गैस पाइपलाइन परियोजनाओं का विकास बाधित हुआ है।
- चीन ने खाड़ी देशों में अपस्ट्रीम तेल और गैस क्षेत्र में इक्विटी भागीदारी प्राप्त कर और अरब बाजारों में सफलतापूर्वक प्रवेश करते हुए इस क्षेत्र में तीव्रता से अपनी पहुंच स्थापित की है। इसके अतिरिक्त, भारत की अपनी परिधि अर्थात दक्षिण एशिया के प्रबंधन में असमर्थता के कारण खाड़ी देशों ने बेहतर सुरक्षा भागीदार के रूप में भारत की तुलना में चीन अधिक वरीयता प्रदान की है।

VISION IAS

- **पश्चिम एशिया के घरेलू कारक:**
  - सऊदी वहाबी विचारधारा संबंधी चुनौतियों के निवारण हेतु भारतीय विदेश नीति में एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण का अभाव है। इस विचारधारा के तीव्र प्रसार के कारण पाकिस्तान में व्यापक संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई है।
  - द्वितीय, "युद्ध की स्थितियों" की बढ़ती लागत के साथ-साथ तेल और गैस की कीमतों में गिरावट ने अरब खाड़ी अर्थव्यवस्थाओं को मंद कर दिया है। इसके परिणामस्वरूप वेतन में कटौती, छंटनी, कर वसूली, रोजगार के अवसरों में कमी करना, और प्रवासी समुदाय की लागत पर कार्यबलों के राष्ट्रीयकरण जैसे कदम उठाए गए हैं।

पश्चिम एशियाई रणनीतिक सोच में बदलाव

पश्चिम एशियाई रणनीतिक सोच के इस मौलिक बदलाव में कई कारकों ने योगदान दिया है।

- पहला यह कि **वैश्विक ऊर्जा बाजार की संरचना में बदलाव** आ रहा है। अब पश्चिम एशियाई तेल और गैस की आपूर्ति *ट्रांस-अटलांटिक* बाजारों की बजाय दक्षिण और पूर्वी एशियाई बाज़ारों की ओर अधिक की जा रही है।
- दूसरा, **पश्चिम एशिया अब इस क्षेत्र में सुरक्षा गारंटी प्रदान करने के लिए भारत और अन्य एशियाई शक्तियों की तलाश कर रहा है।** ऐसा आंशिक रूप से व्यापार के प्रवाह में आये इस परिवर्तन के परिणामस्वरूप तथा आंशिक रूप से ट्रांस-अटलांटिक अर्थव्यवस्थाओं में उत्पन्न वित्तीय तनावों के कारण हुआ है। कई GCC राज्यों ने भारत के साथ रक्षा सहयोग समझौतों का स्वागत किया है।
- तीसरा, अरब स्प्रिंग के उदय तथा मिस्र और इराक में अस्थिरता को देखते हुए **खाड़ी देश भारत और चीन को** कई पश्चिमी राष्ट्रों की तुलना में अधिक **विश्वसनीय साझेदार** मानने लगे हैं।
- चौथा, पश्चिम एशिया के राष्ट्र इस क्षेत्र में कट्टरपंथी और उग्रवादी राजनीतिक ताकतों के बढ़ते प्रसार के कारण दबाव में हैं। अब इस क्षेत्र के अधिकांश देश क्षेत्रीय सुरक्षा के संदर्भ में **भारत के क्षेत्रीय स्थिरता हासिल करने और उसे सुरक्षित बनाये रखने के सिद्धांत** को अपना रहे हैं।

5.2. भारत और ईरान

(India and Iran)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, ईरान के राष्ट्रपति हसन रुहानी ने भारत की यात्रा की।

भारत-ईरान संबंधों का महत्व

- **ऊर्जा सुरक्षा-** ईरान, भारत के लिए कच्चे तेल का तीसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश है। इसके पास प्राकृतिक गैस का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा भंडार भी है जिसका भारत द्वारा ऊर्जा सुरक्षा हेतु लाभ उठाया जा सकता है।
- **कनेक्टिविटी- चाबहार बंदरगाह,** भारत द्वारा पाकिस्तान को रणनीतिक रूप से बाईपास करने में सहायता कर सकता है और यह स्थलरुद्ध अफगानिस्तान और मध्य एशियाई देशों तक पहुंच प्रदान कर सकता है। भारत इसे पाकिस्तान में चीन द्वारा विकसित ग्वादर बंदरगाह के लिए रणनीतिक प्रतिक्रिया के रूप में देखता है और यह चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का विकल्प प्रदान करता है।
  - भारत, वर्तमान में 560 मील लंबी रेलवे लाइन का निर्माण कर रहा है। यह ईरान के बंदरगाह को दक्षिण अफगानिस्तान में हाजीगाक से जोड़ती है जोकि **ज़रांज-डेलाराम राजमार्ग** के समीप स्थित है।
  - **इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर (INSTC)** के माध्यम से मध्य एशिया और यूरोप से कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए ईरान एक महत्वपूर्ण कड़ी है।
- **व्यापार और निवेश-** भारत, चाबहार मुक्त व्यापार क्षेत्र (FTZ) में उर्वरक, पेट्रोकेमिकल्स और धातु-विज्ञान (metallurgy) जैसे क्षेत्रों में संयंत्र स्थापित करेगा। यह ईरान को वित्तीय संसाधनों और रोजगार के अवसर प्रदान करते हुए भारत की ऊर्जा सुरक्षा में वृद्धि करेगा।
  - **फरजाद बी गैस क्षेत्र** का उपयोग करने पर चर्चा चल रही है।
  - भारत, ईरान-पाकिस्तान-इंडिया (IPI) गैस पाइपलाइन परियोजना को मूर्त रूप देने का सक्रिय रूप से प्रयास कर रहा है।

- भारत के कृषि उत्पादों, सॉफ्टवेयर सेवाओं, ऑटोमोबाइल, पेट्रोकेमिकल उत्पादों के लिए ईरान एक बड़ा बाजार है और इनके व्यापार की मात्रा में तीव्र वृद्धि हो सकती है। यह महत्वपूर्ण है कि तेहरान लगातार गैर-डॉलर मुद्रा में तेल के निर्यात सहित, नई दिल्ली को बहुत सी अनुकूल शर्तों की पेशकश करता रहा है।

- **भू-राजनीतिक-** ईरान समग्र पश्चिम एशियाई क्षेत्र में स्थिरता सुनिश्चित करने हेतु एक प्रमुख देश है तथा विशेषकर भारत के संबंध में, शिया-सुन्नी संघर्ष और अरब-इजराइल संघर्ष के मध्य संतुलन बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है।
  - हिंद महासागर क्षेत्र में जहाँ ईरान एक प्रमुख हितधारक है, समुद्री डकैती का सामना करने के लिए **समुद्री संचार मार्ग (SLoC) को सुरक्षित करने हेतु** भारत एक प्रमुख सुरक्षा प्रदाता बनने की महत्वाकांक्षा रखता है। हिंद महासागर में चीन के स्ट्रिंग ऑफ़ पर्ल्स का सामना करने में भी ईरान एक महत्वपूर्ण सहयोगी है।
  - **आतंकवाद:** अल-कायदा, ISIS, तालिबान जैसे अन्य वैश्विक आतंकवादी समूहों का सामना करने में ईरान एक महत्वपूर्ण सहयोगी है। इसके साथ ही साइबर आतंकवाद का सामना करना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसमें दोनों देश एक-दूसरे का सहयोग कर सकते हैं। इसके अलावा ईरान अन्य संगठित अपराधों जैसे कि नशीली दवाओं की तस्करी, हथियारों के अवैध व्यापार आदि से निपटने में एक प्रमुख भूमिका निभा सकता है।

चाबहार परियोजना के अन्य महत्वपूर्ण बिंदु

- **पाकिस्तान के प्रतिरोध की उपेक्षा-** भारत ने रणनीतिक रूप से पाकिस्तान के प्रतिरोध को विफल कर दिया है जिसके माध्यम से अफगानिस्तान के साथ व्यापार और पारगमन हेतु नए अवसर उत्पन्न हुए हैं और भारत, ईरान तथा अफ़ग़ानिस्तान के मध्य व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा मिला है।
- **यूरोप और मध्य एशिया के साथ कनेक्टिविटी-** अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे (INSTC) से संपर्क स्थापित किये जाने के पश्चात् यह दक्षिण एशिया और यूरोप एवं मध्य एशिया को जोड़ देगा। इससे मध्य एशिया में भारतीय व्यापार के विस्तार के लिए बेहतर अवसर प्राप्त होंगे।
- **भू-रणनीतिक अवस्थिति** - इस बंदरगाह की अवस्थिति चीन द्वारा विकसित पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह के अत्यंत निकट निकट (लगभग 100 किमी) है। इस प्रकार, 'पर्ल ऑफ़ स्ट्रिंग' की नीति के माध्यम से एशिया में चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने के लिए इसकी अवस्थिति का रणनीतिक महत्त्व है।
- **परिवहन लागत में कमी -** भारत के कांडला बंदरगाह और चाबहार बंदरगाह के मध्य की दूरी अत्यंत कम है, जिससे वस्तुओं और माल ढुलाई के परिवहन समय में कमी आएगी।
- **क्षेत्र की स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण-** दीर्घ अवधि में, इस परियोजना से नए अवसरों के सृजन के साथ क्षेत्र की आर्थिक स्थितियों में सुधार की आशा है।

चुनौतियां:

- **राजनीतिक अस्थिरता**- ईरान में वर्तमान सरकार घरेलू मोर्चे पर राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ईरान के संबंधों में अत्यधिक दबाव का सामना कर रही है। हाल ही में, विभिन्न कारणों से कई विरोध प्रदर्शन हुए जैसे:
  - **आर्थिक**: ईरान की अर्थव्यवस्था (जो तेल निर्यात पर अत्यधिक निर्भर है) स्वयं को विविधता प्रदान करने एवं उद्यमिता को बढ़ावा देने में सक्षम नहीं है। इसके कारण बेरोजगारी, मुद्रास्फीति और प्रति व्यक्ति आय में गिरावट में निरंतर वृद्धि हो रही है।
  - **राजनीतिक:** ईरान में सरकार की जटिल संरचना विद्यमान है और इसके कुछ ही भागों जैसे विधायिका और राष्ट्रपति के पद का निर्वाचन किया जाता है। वर्तमान व्यवस्था में मूल अधिकारिता एक गैर निर्वाचित धार्मिक सर्वोच्च नेता खमेनेई के पास है।
    - स्वतंत्र अभिव्यक्ति और विरोध के मूल अधिकारों को सख्ती से नियंत्रित किया जाता है, और जिन उम्मीदवारों को विरोधी व्यक्तित्व के रूप में देखा जाता है उन्हें सार्वजनिक कार्यालयों के संचालन से वंचित कर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, राजनीतिक अपारदर्शिता और भ्रष्टाचार के अनेक मामले विद्यमान हैं।
    - लोग विशेष रूप से युवा आधुनिक जीवन शैली तथा रूढ़िवादी इस्लामी शासन के स्थान पर अधिक स्वतंत्रता और अवसरों के समर्थक हैं।
    - सीरिया और यमन में ईरान द्वारा किये गए भारी सैन्य व्यय के कारण जनसामान्य में अत्यधिक निराशा है, जबकि ईरान की अर्थव्यवस्था आर्थिक संकट का सामना कर रही है।

VISION IAS

- **परमाणु समझौते पर अनिश्चितता -** 2015 में पश्चिम के साथ हस्ताक्षरित परमाणु समझौते के भविष्य पर अनिश्चितता भारतीय विदेश नीति के लिए एक बड़ी चुनौती है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि समझौते से अमेरिका के बाहर निकलने से ईरान में भारत का नियोजित निवेश भी प्रभावित होगा।
- **द्विपक्षीय व्यापार-** द्विपक्षीय व्यापार में सबसे बड़ी रुकावट बैंकिंग चैनल का अवरुद्ध होना है। दोनों पक्ष वर्तमान में यूको बैंक के माध्यम से रुपये में भुगतान के साथ ही अन्य वैकल्पिक भुगतान तंत्र की संभावना पर चर्चा कर रहे हैं।
- ईरान में भारतीय निर्यात 2013-14 में 4.9 अरब डॉलर से घटकर 2016-17 में 2.379 अरब डॉलर रह गया है जिससे व्यापार घाटा बढ़ रहा है।
- **फरजाद-बी गैस और तेल क्षेत्र-** एक और मुद्दा फरजाद-बी गैस और तेल क्षेत्र पर लंबित वार्ता है, जिस पर भारत ने अपनी रुचि व्यक्त की है।
- **भारत के इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ संबंध-** इस क्षेत्र में अमेरिका के निकटतम सहयोगियों में से एक इज़राइल, परमाणु समझौते के खिलाफ रहा है और ईरान को अपनी सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ भारत के संबंध और ईरान के बारे में अमेरिकी चिंताओं ने भारत-ईरान संबंधों को भी प्रभावित किया है।
- **भारत के खाड़ी देशों के साथ संबंध-** ईरान के संबंध सऊदी अरब के साथ तनावपूर्ण है। भारत ने खाड़ी के दोनों गुटों के देशों के साथ अपने ऐतिहासिक संबंधों को मजबूत किया है। यह भी एक मुद्दा हो सकता है।
- **कश्मीर का मुद्दा-** ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खमेनेई द्वारा कश्मीर संघर्ष को यमन और बहरीन में चल रहे संघर्ष के समान बताना भी भारत में संदेह की भावना उत्पन्न करता है।

अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी

- यह एक स्वायत्त अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो वार्षिक रूप में संयुक्त राष्ट्र महासभा को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।
- यह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा तथा संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में योगदान करते हुए नाभिकीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सुरक्षित और शांतिपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य करता है।

इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर (INSTC)

- यह भारत, रूस और ईरान द्वारा 2000 में स्थापित एक बहुआयामी परिवहन मार्ग है।
- इसका उद्देश्य हिंद महासागर और फारस की खाड़ी को ईरान से होकर कैस्पियन सागर से जोड़ना है, और आगे इस मार्ग को रूस में सेंट पीटर्सबर्ग से होते हुए उत्तरी यूरोप तक विस्तारित करना है।
- बाद में INSTC में 10 नए सदस्यों अर्थात् आर्मेनिया, अज़रबैजान, कज़ाखस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्की, यूक्रेन, बेलारूस, ओमान और सीरिया को सम्मिलित कर इस परियोजना का विस्तार किया गया।

निष्कर्ष

ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जहाँ भारत और ईरान के हित एक समान है, जैसे कनेक्टिविटी, ऊर्जा, बुनियादी ढांचा, व्यापार, निवेश, सुरक्षा, रक्षा, संस्कृति, लोगों के बीच आपसी संपर्क आदि। दोनों देशों को मजबूत और पारस्परिक रूप से लाभप्रद संबंध बनाने के लिए अपनी सामर्थ्य का उपयोग करना चाहिए।

5.2.1 ईरान परमाणु समझौता

(Iran Nuclear Deal)

सुर्ख़ियों में क्यों?

संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरान के साथ 2015 में संपन्न परमाणु समझौते से बाहर होने का निर्णय लेते हुए इस पर पुनः प्रतिबंध आरोपित कर दिया है।

पृष्ठभूमि

- ईरान समझौता, 2015 में ईरान तथा विश्व के छह देशों- अमेरिका, चीन, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और यूरोपीय संघ (अर्थात P5 + जर्मनी + यूरोपीय संघ) के मध्य सम्पन्न हुआ था। इसे **संयुक्त व्यापक कार्य योजना (Joint Comprehensive Plan of Action: JCPOA)** के रूप में भी जाना जाता है।

VISION IAS

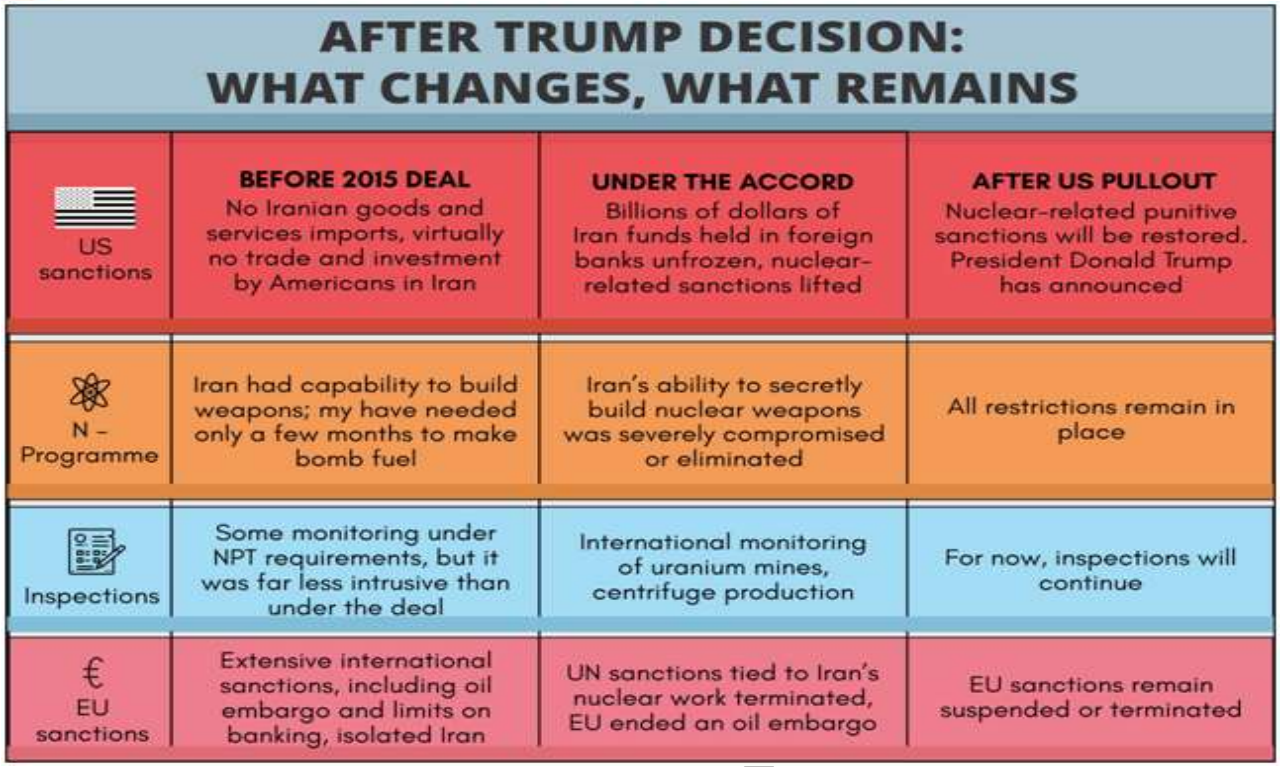

- **समझौते के तहत** ईरान द्वारा मध्यम संवर्द्धित यूरेनियम (MEU) के अपने भंडारण को पूर्ण रूप से समाप्त करने, निम्न संवर्द्धित यूरेनियम (LEU) के भंडारण को 98% तक कम करने और आगामी 13 वर्षों में अपने गैस सेंट्रीफ्यूजों की संख्या को दो-तिहाई तक कम करने पर सहमति व्यक्त की गयी।
- इस समझौते के माध्यम से ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर लगाए गए प्रतिबंधों की निगरानी हेतु कठोर तंत्रों की स्थापना की गयी थी।
- इसके तहत यह प्रावधान किया गया था कि वर्ष 2031 तक ईरान को अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (International Atomic Energy Agency: IAEA) के प्रत्येक जांच अनुरोध को स्वीकार करना होगा। ऐसा न किए जाने की स्थिति में, आयोग बहुमत के आधार पर निर्णय लेते हुए प्रतिबंधों को पुनःआरोपित करने सहित उचित दंडात्मक कार्यवाही कर सकता है।
- संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा समझौते से बाहर होने का प्रमुख कारण यह है कि यह समझौता ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम, 2025 के पश्चात इसकी परमाणु गतिविधियों तथा यमन एवं सीरिया में जारी संघर्ष में इसकी भूमिका को लक्षित नहीं करता है।
- वर्तमान स्थिति के अनुसार, परमाणु समझौते को तब तक समाप्त नहीं किया जा सकता है जब तक की ईरान एवं अन्य हस्ताक्षरकर्ता इसकी प्रतिबद्धताओं से सम्बद्ध रहें।

ईरान के विरुद्ध आरोप:

- यह आरोप लगाया गया था कि ईरान अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के निरीक्षकों के कार्य को बाधित कर रहा था। यह IAEA निरीक्षकों को सैन्य प्रतिष्ठानों तक पहुंचने की अनुमति देने में अनिच्छुक था जो कि इसका 'गुप्त परमाणु हथियार कार्यक्रम' का भाग है।

अन्य देशों की प्रतिक्रियाएं

- JCPOA के अन्य भागीदार देश इस पर सर्वसम्मति को भंग करने के समर्थक नहीं हैं।
- केवल दो देशों -सऊदी अरब और इज़राइल, ने इस निर्णय की सराहना की है।

निहितार्थ

- एकपक्षीय अमेरिकी प्रतिबंध के कारण वैश्विक अप्रसार व्यवस्था और अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के प्रयासों की उपेक्षा हुई है क्योंकि IAEA ने अपने निरीक्षण में पाया कि ईरान द्वारा JCPOA के साथ सहयोग किया गया था।
- ट्रांस-पैसिफ़िक साझेदारी, पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते और उत्तरी अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौते से अलगाव के बाद, यह निर्णय अमेरिकी विश्वसनीयता को और कम करता है।
- पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन में ईरान तीसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है। इस निर्णय के बाद ईरान की तेल आपूर्ति गिरकर 200,000 bpd और 1 मिलियन bpd के बीच हो सकती है। यह इस पर निर्भर करेगा कि वाशिंगटन के निर्णय का कितने अन्य देश समर्थन करते हैं।

VISION

- तेल की कीमतों में संभावित वृद्धि हो सकती है जो वित्तीय बाजारों में अस्थिरता का कारण बन सकती है क्योंकि यूरोपीय देशों तक लगभग 37% तेल आपूर्ति ईरान द्वारा की जाती है। JCPOA के निर्माण के पश्चात व्यापार संबंधों में कई आयामों का विकास हुआ है। अमेरिका द्वारा समझौते से स्वयं को अलग करना विशेष रूप से यूरोपीय देशों में वाशिंगटन की विश्वसनीयता में कमी और NATO गठबंधन को कमजोर बना सकता है।
- यह जनसामान्य के जीवन में अनेक कठिनाईयां उत्पन्न करेगा जो अन्य उपायों की अनुपस्थिति में, व्यवस्था के विरुद्ध सड़कों पर उतर सकते हैं।

भारत पर निर्णय के प्रभाव:

- **तेल की कीमतें**: ईरान वर्तमान में भारत का तीसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश (इराक और सऊदी अरब के बाद) है, और कीमतों में कोई भी वृद्धि मुद्रास्फीति के स्तर और भारतीय रुपये दोनों को भी प्रभावित करेगी।
- **चाबहार**: अमेरिकी प्रतिबंध चाबहार परियोजना के निर्माण की गति को धीमा कर सकते हैं अथवा रोक भी सकते हैं। भारत, बंदरगाह हेतु निर्धारित कुल 500 मिलियन डॉलर के व्यय में से इसके विकास के लिए लगभग 85 मिलियन डॉलर का निवेश कर चुका है, जबकि अफगानिस्तान के लिए रेलवे लाइन हेतु लगभग 1.6 अरब डॉलर तक का व्यय हो सकता है।
- भारत, **INSTC** का संस्थापक है। इसकी अभिपुष्टि 2002 में की गयी थी। 2015 में JCPOA पर हस्ताक्षर किए जाने के पश्चात, ईरान से प्रतिबंध हटा दिए गए और INSTC की योजना में तीव्रता आयी। यदि इस मार्ग से सम्बद्ध कोई भी देश या बैंकिंग और बीमा कंपनियां INSTC योजना से लेन-देन करती है तथा साथ ही ईरान के साथ व्यापार पर अमेरिकी प्रतिबंधों का अनुपालन करने का निर्णय लेती हैं तो नये अमेरिकी प्रतिबंध INSTC के विकास को प्रभावित करेंगे।

शंघाई सहयोग संगठन

(Shanghai Cooperation Organization:SCO)

- हाल ही में, चीन ने ईरान को 8 सदस्यीय यूरेशियन सिक्यूरिटी आर्गेनाईजेशन में शामिल करने का सुझाव दिया है। यदि चीन और रूस द्वारा प्रस्तावित यह प्रस्ताव SCO द्वारा स्वीकार किया जाता है तो भारत एक ऐसे समूह का सदस्य होगा जो अमेरिका विरोधी के रूप में देखा जाएगा। यह भारत की कुछ अन्य पहलों हेतु नकारात्मक सिद्ध होगा, उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ संचालित भारत-प्रशांत चतुर्पक्षीय समूह।
- इसके अतिरिक्त इससे सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और इज़राइल जैसे ईरान के अन्य प्रतिद्वंद्वियों के साथ संबंधों में गिरावट आ सकती है, जिनके साथ भारत ने अपनी पश्चिम एशिया नीति को संतुलित करने के प्रयास में संबंधों को सुदृढ़ किया है।
- **नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था:** भारत लंबे समय से "नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था" का समर्थक रहा है। यह व्यवस्था बहुपक्षीय सर्वसम्मति पर आधारित है और कुछ देशों के प्रतिकूल व्यवहार के बावजूद, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देशों द्वारा की गई प्रतिबद्धताओं के अनुपालन का समर्थन करती है।
- **परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (Nuclear Suppliers Group: NSG)-** फ्रांस (EU) की भांति अमेरिका भी NSG में भारत की सदस्यता का एक प्रबल समर्थक है। JCPOA इस मुद्दे को और जटिल बना सकता है क्योंकि अमेरिका भारत पर उसके समर्थन हेतु दबाव डाल सकता है।
- इससे भारत-ईरान के मध्य **गैर-तेल व्यापार** पर अधिक प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि नई दिल्ली एवं तेहरान ने पिछले कुछ महीनों में कई मानदंडों की स्थापना कर ली है। इनके अंतर्गत रुपये में भारतीय निवेश को अनुमति प्रदान करना एवं नए द्विपक्षीय बैंकिंग चैनलों को आरंभ करना आदि शामिल हैं।

हाल ही में, संयुक्त राज्य अमरीका ने कई अन्य मंचों से भी अपनी सदस्यता का त्याग किया है जैसे- संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन समझौता (पेरिस एकॉर्ड) और पूर्वी एशियाई व्यापार भागीदारों के साथ ट्रांस-पैसिफ़िक पार्टनरशिप इत्यादि। इस प्रकार के व्यवहार का अनिवार्यत: यह अर्थ निकाला जा सकता है कि भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अपने संबंधों को और अधिक सुदृढ़ कूटनीति के माध्यम से संचालित करना होगा, क्योंकि भारत **"नियम-आधारित व्यवस्था (Rule based Order)'** में विश्वास करता है।

5.3 इजराइल फिलिस्तीन

(Israel-Palestine)

5.3.1 भारत-इजराइल सम्बन्ध

(India Israel)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा भारत की यात्रा की गई।

पृष्ठभूमि

- भारत और इजराइल दोनों ही देशों ने **ब्रिटेन से** कुछ महीनों के अन्तराल में ही स्वतंत्रता प्राप्त की थी। परन्तु लगभग चार दशकों तक ये दोनों एक-दूसरे की विपरीत दिशा में आगे बढ़ते रहे। एक ओर भारत ने NAM के एक नेता के रूप में अरब जगत और सोवियत संघ के साथ अच्छे संबंध बनाए,वहीं दूसरी ओर इजराइल ने अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के देशों के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित किये।
- यद्यपि भारत ने 1980 के दशक के अंत तक सार्वजनिक रूप से इजराइल से दूरी बनाए रखी, परन्तु विगत वर्षों में दोनों देशों के मध्य व्यापक द्विपक्षीय गतिविधियां संपन्न हुईं हैं।
- 1992 से द्विपक्षीय संबंधों का स्तर लगातार बढ़ा है। रक्षा एवं कृषि क्षेत्र इन द्विपक्षीय संबंधों के प्रमुख स्तम्भ हैं।
- हाल ही में, दोनों देशों के राजनयिक संबंधों की स्थापना को 25 वर्ष पूरे हुए हैं। पिछले 15 वर्षों में एरियल शेरोन (2003 में) के बाद किसी इजराइली प्रधानमंत्री की यह **दूसरी यात्रा** है।

भारत-इजराइल संबंध:

- **आर्थिक और वाणिज्यिक संबंध-** पिछले 25 वर्षों में दोनों देशों के मध्य द्विपक्षीय व्यापार 200 मिलियन डॉलर से बढ़कर 4 बिलियन डॉलर (रक्षा क्षेत्र के अतिरिक्त) हो गया है। इसके परिणामस्वरूप भारत इजराइल का 10वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है।
  - **भारत द्वारा इजराइल को** कीमती पत्थरों एवं धातुओं, रासायनिक उत्पादों, टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल आर्टिकल्स, पौधों व वनस्पति उत्पादों तथा खनिज उत्पादों का **निर्यात किया जाता** है।
  - **भारत द्वारा इजराइल से** कीमती पत्थरों एवं धातुओं, रसायनों (मुख्यतः पोटाश) और खनिज उत्पादों, बेस मेटल्स एवं मशीनरी तथा परिवहन उपकरणों का **आयात** किया जाता है।
- **कृषि:** दोनों देशों के मध्य कृषि क्षेत्र में सहयोग देने के लिए एक द्विपक्षीय समझौता (**भारत-इजराइलकृषि परियोजना**) हस्ताक्षरित किया गया।
  - **द्विपक्षीय एक्शन प्लान (2015-18)** का उद्देश्य डेयरी और जल जैसे नए क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार करना है।
  - भारत को बागवानी के मशीनीकरण, संरक्षित कृषि, बाग और कैनोपी प्रबंधन, नर्सरी प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में इजराइली विशेषज्ञता और प्रौद्योगिकियों का लाभ हुआ है। हरियाणा और महाराष्ट्र जैसे राज्यों को सूक्ष्म सिंचाई एवं फसल कटाई के बाद के प्रबंधन में भी लाभ मिला है।
  - भारत में अब **इजराइली ड्रिप-इरीगेशन टेक्नोलॉजी** और उत्पादों को व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।
- **रक्षा क्षेत्र एवं सुरक्षा:**
  - रूस और अमेरिका के बाद इजराइल भारत को हथियारों की आपूर्ति करने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश है।
  - भारत द्वारा इजराइल से महत्वपूर्ण रक्षा प्रौद्योगिकियों का आयात किया जाता है। दोनों देशों के सशस्त्र बलों और रक्षा कर्मियों के मध्य परस्पर नियमित संपर्क बना रहता है।
- **विज्ञान और प्रौद्योगिकी:** दोनों देशों के मध्य **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** के विभिन्न क्षेत्रों में कई प्रकार के समझौता ज्ञापनों (MoUs) पर हस्ताक्षर हुए (जैसे- अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी) हैं।
  - जनवरी 2014 में, भारत और इजराइल ने भारत-इजराइल सहयोग निधि (कोऑपरेशन फण्ड) को स्थापित करने के लिए गहन चर्चा की। इसका उद्देश्य संयुक्त वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के माध्यम से नवाचारों को बढ़ावा देना है।

संबंधों का डी-हायफनेशन

डी-हायफनेशन का अर्थ है दो संस्थाओं को असम्बद्ध (डीलिंक) करना और उन्हें एक-दूसरे से स्वतंत्र रूप में देखना।

- अब इजराइल के साथ भारत के संबंध, फिलीस्तीनियों के साथ भारत के संबंधों से स्वतंत्र तथा अपने अलग आधारों पर विकसित होंगे।
- इससे **भारत के राष्ट्रीय हितों** को प्रभावी ढंग से संबोधित करने और **नए बाजारों** तथा प्रौद्योगिकियों तक विविधतापूर्ण पहुंच के अवसरों को बल मिलेगा।
- शीत-युद्ध के दौरान हायफनेशन एक अनिवार्यता थी, लेकिन बाद के दिनों में अरब जगत के रुष्ट होने के डर से भारत द्वारा इस दृष्टिकोण को आगे बढ़ाया जाता रहा।
- हालांकि, अरब जगत में अशांति के कारण वे एक मजबूत विदेश नीति को आधार प्रदान करने में असमर्थ रहे, जिससे भारत को इजराइल के साथ अपने संबंधों को आगे बढ़ाने में आसानी हुई।

इज़राइल फिलिस्तीन मुद्दे का टू-स्टेट सोलूशन :

यह जॉर्डन नदी के पश्चिम में इज़राइल राज्य के साथ एक स्वतंत्र फिलिस्तीन राज्य के निर्माण का प्रावधान करता है।·

- **1937**: पील आयोग की रिपोर्ट के आधार पर प्रस्तावित किया गया, किन्तु अरबों द्वारा खारिज कर दिया गया।·
- **1948**: संयुक्त राष्ट्र विभाजन योजना जिसमें येरूशलेम को अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण में रखने को कहा गया।
- **ओस्लो एकॉर्ड, 1991**: इसमें वर्तमान राजनीतिक सीमाओं के निर्धारण का आधार प्रदान किया गया।
- **1991 का मैड्रिड सम्मेलन, वार्ता** के माध्यम से इजराइली-फिलिस्तीनी शांति प्रक्रिया को पुनः स्थापित करने हेतु अमेरिका और सोवियत संघ द्वारा सह-प्रायोजित एक शांति सम्मेलन था।·
- **UNSC प्रस्ताव 1397**: संयुक्त राज्य अमेरिका के समर्थन के साथ वर्ष 2000 में इसे स्वीकृति प्रदान की गयी और यह टू-स्टेट सोलूशन पर सहमति के लिए प्रथम UNSC प्रस्ताव के रूप में स्वीकृत किया गया।

अन्य सम्बंधित तथ्य: फिलिस्तीन द्वारा इंटरपोल की सदस्यता प्राप्त की गयी।

- हाल ही में, इंटरपोल द्वारा फिलिस्तीन राज्य को संगठन का सदस्य बनाए जाने से सम्बंधित प्रस्ताव पर मतदान कराया गया जिसे दो-तिहाई से अधिक बहुमत के आधार पर स्वीकार कर लिया गया। इंटरपोल अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग की सुविधा प्रदान करने वाला एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। इसमें 192 सदस्य देश हैं तथा इसका मुख्यालय लियोन, फ्रांस में स्थित है।
- इज़राइल द्वारा प्रस्ताव का इस आधार पर विरोध किया था कि फिलिस्तीन एक राज्य नहीं है और यह इंटरपोल की सदस्यता के लिए अपात्र है।
- अंतरिम इजराइल-फिलिस्तीन शांति समझौते के तहत, एक फिलीस्तीनी प्राधिकरण (अथॉरिटी) को अधिगृहित वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में सीमित स्वशासन की स्वीकृति प्रदान की गई थी।
- 2012 में, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संयुक्त राष्ट्र में फिलीस्तीनी प्राधिकरण के पर्यवेक्षक के दर्जे में वृद्धि करते हुए उसे "निकाय" के बजाय से "गैर-सदस्यीय पर्यवेक्षक राज्य" (वेटिकन के समान) के रूप में मान्यता प्रदान की गयी।
- इंटरपोल में अपनी सदस्यता के आधार पर, फिलिस्तीन इजराइल के नेताओं और IDF (इज़राइल रक्षा बल) के सैन्य अधिकारियों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय वैधानिक कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए इंटरपोल का उपयोग कर सकता है।

सम्बंधित तथ्य

अमेरिकी राष्ट्रपति ने यरूशलेम को इज़राइल की राजधानी के रूप में मान्यता प्रदान की और इजराइल के तेल अवीव स्थित अपने दूतावास को यरूशलेम (पवित्र शहर) में स्थानांतरित करने का निर्णय किया है।

यरूशलेम पर ट्रम्प के निर्णय का प्रभाव

- **मध्यस्थ के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका की विश्वसनीयता में कमी:** संयुक्त राज्य अमरीका का निर्णय इसकी दीर्घकालिक तटस्थता के विरुद्ध जाता है। इसके साथ ही इजराइल के पक्ष में इसका निर्णय फिलिस्तीन, पश्चिमी एशिया और अफगानिस्तान में शांति हेतु मध्यस्थ के रूप में इसकी भूमिका को कम कर सकता है।
- **टू-स्टेट सॉल्यूशन को जटिल बनाना:** यह टू-स्टेट सॉल्यूशन हेतु लम्बे समय से किये जा रहे राजनयिक प्रयासों जैसे मैड्रिड सम्मेलन और ओस्लो समझौते, की प्रभावकारिता को कम कर सकता है।

VISION IAS

- **धार्मिक तनाव में वृद्धि:** यरूशलेम न केवल यहूदी धर्म के लिए सबसे पवित्र स्थल है बल्कि इस्लाम का तीसरा सबसे पवित्र तीर्थस्थल और प्रमुख ईसाई तीर्थस्थल भी है। अतः यरूशलेम पर मुस्लिम दावों को होने वाली अनुमानित हानि के परिणामस्वरूप मुस्लिम विश्व में व्यापक विरोध प्रदर्शन प्रारंभ हो सकते हैं।
- **क्षेत्रीय संघर्ष:** हमास ने तृतीय इंतिफादा (आक्रामक अहिंसक प्रतिरोध) घोषित कर दिया है तथा ईरान और सीरिया द्वारा फिलिस्तीन का प्रत्यक्ष समर्थन किया गया है। इससे इस क्षेत्र में अस्थिरता और अनिश्चितता में वृद्धि हुई है।

संयुक्त राज्य अमेरिका की दबाव रणनीति के बावजूद भारत ने मतदान से अलग रहने के बजाय संयुक्त राज्य अमेरिका के विरुद्ध मतदान किया। यह निम्न पहलुओं को दर्शाता है:

- यह भारत की गुटनिरपेक्ष नीति और फिलिस्तीनी पक्ष के समर्थन के अनुरूप है।
- यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की स्थिति में 'एक संतुलन शक्ति से एक अग्रणी शक्ति के रूप में परिवर्तन' का भी द्योतक है। इससे पूर्व भारत ने चागोस द्वीपसमूह पर मॉरीशस की संप्रभुता के दावे का समर्थन किया था और संयुक्त राज्य अमेरिका के विरोध के बावजूद ICJ की सदस्यता ग्रहण की थी।
- फिलिस्तीन के समर्थन के माध्यम से भारत ने SCO, BRICS जैसे प्रमुख समूहों और प्रमुख यूरोपीय देशों के मत को समर्थन प्रदान किया।
- पश्चिम एशियाई देशों की शांति और स्थिरता में भारत के महत्वपूर्ण हित अंतर्निहित हैं जिसके कारण इस प्रकार के कदम उठाए जाने अनिवार्य हैं।

सहयोग के क्षेत्र:

- **इजराइल की लचीली निर्यात नीति** तकनीकी हस्तांतरण की भारतीय मांगों को पूरा करती है, जो सरकारों के समग्र विकास एजेंडे का एक महत्वपूर्ण भाग है।
- **इजराइल की तकनीकी क्षमता** अपशिष्ट प्रबंधन और पुनर्संसाधन (रीप्रॉसेसिंग), अलवणीकरण, कृषि, अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण (रीसाइक्लिंग), स्वास्थ्य, जैव प्रौद्योगिकी और नैनोटेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में काफी बेहतर है।
- रूसी अर्थव्यवस्था एवं उसके रक्षा उद्योग में अनेक कमियाँ विद्यमान हैं तथा अमेरिका और यूरोप द्वारा **भारत को रक्षा हथियारों की आपूर्ति** (NPT पर भारत के हस्ताक्षर करने से इंकार करने को देखते हुए) पर संदेह बना हुआ है। इस कारण इजराइल के महत्त्व में वृद्धि हुई है, क्योंकि भारत और इजराइल दोनों ही परमाणु शक्ति संपन्न देशों ने NPT पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।
- **भारत-इजराइल के मध्य आतंकवादरोधी सहयोग** काफी मजबूत है और आतंकवाद पर एक संयुक्त कार्य समूह के माध्यम से पिछले कुछ वर्षों में यह निरंतर बढ़ा है। इस क्षेत्र में खुफिया जानकारी पर सहयोग इस साझेदारी का सबसे महत्वपूर्ण तत्व रहा है।
- **अमेरिका और इजराइल के मध्य घनिष्ठ संबंधों** से भारत को लाभ मिल सकता है।
- पर्यटन भी द्विपक्षीय संबंधों का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। प्रत्येक वर्ष 30-35 हजार इजराइली व्यापारिक पर्यटन और अन्य उद्देश्यों के लिए भारत की यात्रा पर आते हैं और लगभग 40,000 भारतीय तीर्थ यात्रा के लिए प्रत्येक वर्ष इजराइल की यात्रा पर जाते हैं।

मतभेद

- **ईरान के संदर्भ में मतभेद -** जहां एक ओर इजराइल, ईरान को अपने अस्तित्व पर एक खतरा मानता है, वहीं दूसरी तरफ भारत के साथ ईरान के ऐतिहासिक संबंध हैं। भारत, ईरान को अफगानिस्तान और मध्य एशिया में प्रवेश के लिए चाबहार बंदरगाह के माध्यम से एक वैकल्पिक मार्ग की प्राप्ति और ऊर्जा की आपूर्ति पर सहयोग प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण मानता है।
- **अरब जगत के संदर्भ में भिन्न दृष्टिकोण -** इजराइल के अरब जगत के साथ अंतर्निहित मतभेद हैं जबकि भारत के वहाँ महत्वपूर्ण हित विद्यमान हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत द्वारा किया गया मतदान येरुशलम पर अमेरिका के कदम के विरुद्ध है, जो अन्तर्निहित वास्तविकताओं की एक झलक है।
- **चीन पर पक्ष -** एशिया में चीन, इजराइल का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है तथा चीन के इजराइल के साथ मजबूत प्रौद्योगिकी और निवेश संबंध विद्यमान हैं।
- **पाकिस्तान के संदर्भ में,** इजराइल के हित इसी में निहित हैं कि वह संबंधों की संभावना में लचीलापन रखे, जबकि भारत और पाकिस्तान के बीच गंभीर तनाव विद्यमान हैं।
- **प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के संदर्भ में मतभेद-** भारत और इजराइल के मध्य प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, एंड-यूजर एग्रीमेंट और प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते से सम्बंधित मुद्दों पर मतभेद विद्यमान हैं। इसका कारण भारत द्वारा 'मेक इन इंडिया' की नीति पर अधिक ध्यान दिया जाना है।
- भारतीय घरेलू उद्योग की चिंताओं के कारण मुक्त व्यापार समझौते (FTA) लंबित हैं।

VISION IAS

निष्कर्ष

- भारत और इजराइल के मध्य द्विपक्षीय संबंध एशिया और मध्य-पूर्व में तेजी से विकसित हो रही भू-राजनीतिक वास्तविकताओं के आधार पर संचालित होंगे। ऐसे में इजराइल को एशियाई फलक पर अपनी प्रतिक्रिया पर विचार करना होगा।
- इसके बावजूद भारत-इजराइल के मध्य संबंधों की व्यापकता और गहनता चीन-इजराइल संबंधों जैसी नहीं है, जो मुख्य रूप से व्यापार और वाणिज्य से संचालित हैं। भारत को इस तथ्य को ध्यान में रखना चाहिए कि आने वाले वर्षों में चीन का ही प्रभाव बढ़ेगा। अतः भारत-इजराइल संबंधों में आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

5.4. भारत-संयुक्त अरब अमीरात (India-UAE)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में, भारत के प्रधानमंत्री ने संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की यात्रा की।
- प्रधानमंत्री **दुबई में आयोजित वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट** में गेस्ट ऑफ़ ऑनर भी थे।

पृष्ठभूमि

- भारत और संयुक्त अरब अमीरात के मध्य प्राचीन सांस्कृतिक, धार्मिक और आर्थिक संबंधों के आधार पर घनिष्ठ मित्रता रही है। भारत की **पश्चिम एशिया नीति** में संयुक्त अरब अमीरात का महत्वपूर्ण स्थान है।
- गत वर्ष भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने अपने संबंधों को क्रेता-विक्रेता संबंधों से आगे बढ़ाते हुए **व्यापक सामरिक भागीदारी समझौते** के रूप में उन्नत किया था।
- हाल ही में, दोनों देशों के मध्य अनेक आधिकारिक यात्राएं भी हुईं, जैसे क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नाहयान को गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया था।

वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट

- यह दुबई में आयोजित एक वार्षिक कार्यक्रम है जो शासन प्रक्रियाओं और नीतियों के साथ भविष्यवाद (Futurism), प्रौद्योगिकी, नवाचार के साथ-साथ अन्य मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए विभिन्न सरकारों के प्रमुखों को एक मंच पर लेकर आता है।
- 2013 में 7 बिलियन लोगों के जीवन में सुधार के उद्देश्य के साथ गठित विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा इसकी रूपरेखा तय की गई थी।

UAE का महत्व

- **ऊर्जा सुरक्षा:** संयुक्त अरब अमीरात पांचवां सबसे बड़ा आयात स्रोत है और हमारे कुल कच्चे तेल आयात का लगभग 6% हिस्सा यहाँ से आता है। अतः ऊर्जा सुरक्षा से संबंधित निम्नलिखित समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए:
  - अपतटीय लोअर जकुम तेल और गैस क्षेत्र में 10% हिस्सेदारी के अधिग्रहण हेतु समझौता;
  - मैंगलोर में एक भूमिगत सामरिक पेट्रोलियम रिजर्व के भराव को शुरू करने हेतु समझौता;
- **निवेश:** UAE सरकार ने भारतीय अवसरंचना के विकास के लिए 75 अरब डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की है।
  - अमीरात एयरलाइंस ने आंध्र प्रदेश के विमानन क्षेत्र के विकास में सहायता करने की घोषणा की है।
  - NIIF ने दुबई स्थित एक फर्म के साथ 3 अरब डॉलर तक के निवेश के लिए समझौता किया है।
- **महत्वपूर्ण व्यापारिक भागीदारी:** पिछले वर्ष UAE के साथ द्विपक्षीय व्यापार लगभग 50 अरब अमेरिकी डॉलर था तथा भारत में UAE का निवेश स्मार्ट शहरों से रियल एस्टेट तक विस्तृत था।
- **भारतीय समुदाय-** UAE विश्व में सर्वाधिक प्रवासी भारतीयों की संख्या वाले देशों में से एक है। यहाँ 2.5 मिलियन से अधिक भारतीय निवास करते हैं जो भारत में 13.6 अरब डॉलर प्रतिवर्ष विप्रेषित करते हैं।
- **साझा सुरक्षा चिंता**- हिंद महासागर और खाड़ी क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने में दोनों देशों के साझे हित निहित हैं।
  - इसके अलावा, पश्चिम एशिया में निरंतर परिवर्तनों की वर्तमान स्थिति को देखते हुए, भारत इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए UAE को एक महत्वपूर्ण सहयोगी के रूप में देखता है। इस सन्दर्भ में भारत आतंकवादी खतरों और कट्टरता के ऑनलाइन माध्यम से प्रसार का मुकाबला करने के लिए, UAE सहित खाड़ी देशों के साथ सुरक्षा सहयोग में वृद्धि कर रहा है।
- **रक्षा-** दोनों देशों के मध्य रक्षा अभ्यासों में भी तीव्रता लाई गई है। उदाहरण के लिए, मई-जून 2016 में भारत और UAE की वायु सेना के मध्य एक दस दिवसीय एयर एक्सरसाइज 'डेजर्ट ईगल II', का आयोजन किया गया था।
- **समुद्री सुरक्षा -** भारत ने मरीन एजुकेशन और ट्रेनिंग पर द्विपक्षीय समझौते को स्वीकृति दी है। समुद्री परिवहन, सीमा शुल्कों के सरलीकरण और कचरे के निपटान के लिए मौजूदा प्रतिष्ठानों के उपयोग की सुविधा के लिए एक एमओयू (MoU) को भी स्वीकृति दी गयी है।

यात्रा के दौरान हस्ताक्षरित MoU

- संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय श्रमिकों के संविदात्मक रोजगार के सहयोगात्मक प्रशासन को संस्थागत बनाने हेतु
- रेलवे क्षेत्र में तकनीकी सहयोग के लिए
- वित्तीय सेवाओं संबंधी उद्योग में दोनों देशों के मध्य सहयोग को बढ़ाने के लिए
- मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक पार्क और गोदामों और विशेष भंडारण का समाधान करने के लिए जम्मू में हब स्थापित करने हेतु

चुनौतियां

- **धीमी क्रियान्वयन प्रक्रिया-** जहां तक निवेश का संबंध है, भारतीय पक्ष से विभिन्न परियोजनाओं के धीमे कार्यान्वयन के कारण प्रणालीगत समस्या का सामना करना रुकावट का मुख्य कारण है।
- **संयुक्त अरब अमीरात में व्यावसायिक स्पष्टता का अभाव-** संयुक्त अरब अमीरात में कार्यरत भारतीय कंपनियां, श्रम कानूनों और पारिश्रमिक की कमी और व्यवसायों में पारदर्शिता की कमी संबंधी व्यावसायिक नियमों के कई पहलुओं में स्पष्टता का अभाव जैसी समस्याओं का सामना कर रही हैं।
- **भारतीय श्रमिकों के लिए अवसरों में कमी-** UAE के नियोक्ताओं के पक्ष में कठोर एवं सख्त नियमों के कारण भारतीय श्रमिकों, विशेष रूप से अकुशल श्रमिकों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। भारतीय प्रवासियों के सामने आने वाली समस्याओं को दूर किये जाने की आवश्यकता है।

आगे की राह

भारत और संयुक्त अरब अमीरात के मध्य बढ़ती संलग्नता को व्यापक संदर्भों में देखा जाना चाहिए। इसमें संयुक्त अरब अमीरात द्वारा अपनी आर्थिक संभावनाओं में वृद्धि करने हेतु एशिया के साथ संलग्नता की नीति, भारत द्वारा आर्थिक विकास में तेजी लाने के लिए विदेशी निवेश की आवश्यकता और अतिवाद एवं आतंकवाद के खतरे से निपटना शामिल है।

- **मेडिकल पर्यटन** एक महत्वपूर्ण क्षेत्र हो सकता है, जहां भारत में चिकित्सा क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता प्राप्त मानव शक्ति और चिकित्सा संबंधी अवसंरचना में सुधार कर, संयुक्त अरब अमीरात को आकर्षित किया जा सकता है।
- **अक्षय ऊर्जा क्षेत्र** में अधिक अप्रयुक्त क्षमताएं हैं। UAE में सौर ऊर्जा के उत्पादन और पारेषण की लागत, भारत की सौर ऊर्जा के उत्पादन और पारेषण की लागत की तुलना में अत्यंत कम है और यह UAE सरकार के लिए प्राथमिकता वाला क्षेत्र है।
- भारत में इंजीनियरिंग और प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट उच्च शिक्षा संस्थान हैं जहाँ लागत प्रभावी और विश्वस्तरीय शिक्षा दी जाती है। वे संयुक्त अरब अमीरात के छात्रों के लिए एक प्रमुख आकर्षण बन सकते हैं।
- रक्षा क्षेत्र में, भारतीय और संयुक्त अरब अमीरात के अधिकारियों के लिए संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से सहयोग को और बढ़ाने की आवश्यकता है।

5.5. भारत-ओमान

(India-Oman)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत के प्रधानमंत्री ने ओमान की आधिकारिक यात्रा की।

मुख्य तथ्य

- वार्ता के दौरान भारत ने सैन्य उपयोग और लॉजिस्टिक सहायता के लिए ओमान के डुक्म पोर्ट (port of Duqm) तक पहुंच प्राप्त की।
- भारतीय सैन्य जहाजों के रखरखाव के लिए बंदरगाह और ड्राई डॉक (Dry Dock) की सेवाएं उपलब्ध होगी।
- यह ओमान के दक्षिण-पूर्वी समुद्र तट पर अरब सागर और हिंद महासागर की ओर स्थित है। यह ईरान के चाबहार बंदरगाह के निकट स्थित है और सामरिक रूप से महत्त्वपूर्ण है।

हस्ताक्षरित MoU

- पर्यटन सहयोग के क्षेत्र पर
- अकादमिक और विद्वता के सहयोगी क्षेत्रों पर
- बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग हेतु

VISION IAS

- भारतीय विदेश मंत्रालय और ओमान के राजनयिक संस्थान के मध्य विदेशी सेवा संस्थानों में सहयोग हेतु
- स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग हेतु

हस्ताक्षरित समझौते

- नागरिक और वाणिज्यिक मामलों में कानूनी और न्यायिक सहयोग
- राजनयिक, आधिकारिक और विशेष सेवा पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा आवश्यकताओं में पारस्परिक छूट
- सैन्य सहयोग में MoU के अनुबंध

डुक्म पोर्ट का महत्व-

सामरिक - डुक्म पोर्ट, हिन्द महासागर क्षेत्र में चीनी प्रभाव और गतिविधियों का सामना करने के लिए भारत की समुद्री रणनीति का एक हिस्सा है।

- मॉरीशस में 'अगलेगा' और सेशल्स में अज़म्पशन द्वीप के विकास के साथ, डुक्म भारत की सक्रिय समुद्री सुरक्षा रोडमैप का महत्वपूर्ण भाग है।
- इसके उत्तर में ईरान का चाबहार बंदरगाह है जो ईरान और अफ़ग़ानिस्तान में भारत के माल परिवहन पर पाकिस्तान द्वारा लगाए गए प्रतिबन्ध के समाधान में भी महत्वपूर्ण है।
- यह पाकिस्तान में चीन द्वारा विकसित ग्वादर बंदरगाह के लिए एक प्रत्युत्तर के रूप में भी कार्य करेगा।

आर्थिक रूप से - बंदरगाह में एक विशेष आर्थिक क्षेत्र भी है, जहां भारतीय कंपनियों द्वारा 1.8 अरब डॉलर का निवेश किया जा रहा है।

पश्चिमी एशिया से भारत के संबंधों में सुधार- डुक्म, इस क्षेत्र में भारत की भागीदारी के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकता है, जिससे भारत 7 मिलियन भारतीय डायस्पोरा की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करने में सक्षम हो सकता है।

भारत-ओमान संबंध

भारत एवं ओमान ने वर्ष 1955 में अपने राजनयिक संबंधों की स्थापना के पश्चात से ही द्विपक्षीय सहयोग तथा परस्पर संपर्क को विस्तारित किया है और पारस्परिक लाभकारी 'रणनीतिक साझेदारी' को भी आगे बढ़ाया है।

- **ऐतिहासिक संबंध:** दोनों राष्ट्र, 5,000 वर्ष पुरानी सभ्यता तथा ऐतिहासिक संबंधों से जुड़े हुए हैं।
- **राजनीतिक संबंध:** नियमित मंत्री स्तरीय यात्राओं के अतिरिक्त भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा हाल ही में की गयी ओमान यात्रा, लगभग 10 वर्षों के पश्चात किसी भारतीय प्रधानमंत्री की प्रथम यात्रा थी।
- **रक्षा सहयोग:**
  - भारत-ओमान रक्षा सहयोग दोनों देशों के मध्य सामरिक साझेदारी के एक प्रमुख स्तंभ के रूप में उभरा है। भारत एवं ओमान द्वारा सभी तीनों सेनाओं के मध्य नियमित रूप से द्विवार्षिक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाता है। ये निम्न हैं: सैन्य अभ्यास 'अल नजाह', वायुसेना अभ्यास 'ईस्टर्न पुल' एवं नौसेना अभ्यास नसीम-अल-बह्र (सी ब्रीज़)।
  - इसके अतिरिक्त ओमान भारतीय नौसेना के समुद्री डकैती मिशनों हेतु अपने सहयोग में वृद्धि के साथ-साथ आतंकवाद-विरोधी अभियान सहित अन्य सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर भी सहयोग कर रहा है।
- **आर्थिक एवं वाणिज्यिक संबंध**
  - 2015-16 में दोनों देशों के मध्य द्विपक्षीय व्यापार 3.8 बिलियन डॉलर के स्तर से बढ़कर 2016-17 में 4 बिलियन डॉलर हो गया है तथा 2018 के दौरान इसके लगभग 5 बिलियन डॉलर होने की संभावना है।
  - ओमान में स्थित **भारत-ओमान संयुक्त उपक्रमों की संख्या** 2,900 से अधिक है। भारत-ओमान जॉइंट इन्वेस्टमेंट फण्ड (OIJIF) ने कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है, 100 मिलियन डॉलर की प्रारंभिक राशि पूर्ण रूप से उपयोग की जा चुकी है तथा 220 मिलियन डॉलर की अतिरिक्त राशि को इस फण्ड में संग्रहित किया गया है।
    - भारतीय कंपनियां सोहर तथा सलालाह के मुक्त क्षेत्रों में अग्रणी निवेशक हैं और वे दुक्म (Duqm) स्पेशल इकोनॉमिक जोन में भी निवेश करने में रूचि रखती हैं।
- **लोगों का लोगों से (पीपल-टू-पीपल) संपर्क:** पीपल-टू-पीपल एक्सचेंज भारत-ओमान रणनीतिक साझेदारी का एक अभिन्न अंग रहा है। हाल के दिनों में भारत एवं ओमान के मध्य पीपल-टू-पीपल कॉन्टैक्ट की एक उल्लेखनीय विशेषता भारत में पर्यटन प्रवाह में हुई वृद्धि है। भारत चिकित्सा तथा स्वास्थ्य पर्यटन हेतु एक अधिमानित गन्तव्य के रूप में उभरा है।
- **ऊर्जा सहयोग:**
  - भारत एक अंडरवाटर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन- **मध्य पूर्व से भारत डीपवॉटर पाइपलाइन (MEIDP)** के निर्माण पर विचार कर रहा है जोकि ओमान से होकर गुजरेगी। इसे ईरान-ओमान-भारत पाइपलाइन भी कहा जाता है। इस परियोजना द्वारा

ओमान के माध्यम से ईरानी प्राकृतिक गैस को भारत लाया जाएगा। विभिन्न बाधाओं जैसे-उपयुक्त तकनीक के अभाव, ईरान पर आरोपित प्रतिबंध और पाकिस्तान द्वारा उठायी गयी आपत्तियों के कारण इसके कार्यान्वयन की गति अत्यधिक धीमी रही है।

- इस यात्रा के दौरान भारत ने ओमान के शासक को भारत में सामरिक तेल भंडार के निर्माण की योजना के विषय में जानकारी दी और उसमें भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। ओमान की ओर से भी भारत को दुक्म (Duqm) बंदरगाह के समीप रास मरकज में अपनी रणनीतिक तेल भंडार परियोजना के बारे में जानकारी दी गयी।

5.6. भारत-जॉर्डन (India-Jordan)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय ने भारत की यात्रा की।

भारत-जॉर्डन संबंध

- **राजनीतिक संबंध-** 1950 में दोनों देशों के मध्य पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित हुए थे।
- **वाणिज्यिक संबंध-** भारत-जॉर्डन के मध्य व्यापार 1976 में हस्ताक्षरित एक समझौते द्वारा शासित होता है। इस समझौते के तहत व्यापार की प्रगति को बढ़ावा देने और उसकी निगरानी करने हेतु एक व्यापार और आर्थिक संयुक्त समिति गठित की गई है।
- **रक्षा संबंध**- 1991 के दौरान इराक से और हाल ही में इराक एवं सीरिया में उत्पन्न संकट के दौरान वहां से अपने नागरिकों को निकालने में जॉर्डन ने भारत की अत्यधिक सहायता की है।
  - दोनों देश उग्रवाद के खतरे का सामना कर रहे हैं। जॉर्डन ने हाल ही में डी-रेडिकलाइज़ेशन को बढ़ावा देने के लिए अकाबा प्रक्रिया (Aqaba process) प्रारंभ की है, जिसमें भारत एक सक्रिय भागीदार है।
- **सांस्कृतिक संबंध**- जॉर्डन में भारतीय कला और संस्कृति, विशेष रूप से बॉलीवुड फिल्मों के प्रति गहरी रुचि है।
- **डायस्पोरा-** जॉर्डन में विभिन्न उद्योगों में कार्यरत 10,000 से अधिक भारतीय रहते हैं।

2006 में, किंग अब्दुल्ला की सफल यात्रा के बाद दोनों देशों के मध्य उच्च राजनीतिक एवं वरिष्ठ आधिकारिक स्तरों पर होने वाली द्विपक्षीय यात्राओं की संख्या में कमी आई है। अभी तक दोनों देश विशाल एवं अप्रयुक्त द्विपक्षीय क्षमता का दोहन करने असफल रहे हैं।

यात्रा के दौरान निम्नलिखित समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए:

- रक्षा सहयोग पर फ्रेमवर्क समझौता।
- भारत और जॉर्डन के मध्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता।
- जॉर्डन में भावी पीढ़ी के उत्कृष्टता केंद्र (COE) की स्थापना हेतु समझौता।
- रॉक फॉस्फेट और उर्वरक/NPK की दीर्घकालिक आपूर्ति हेतु समझौता।
- राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीज़ा सम्बन्धी छूट हेतु समझौता।
- सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम (CEP)।
- मैनपावर कोऑपरेशन एग्रीमेंट।
- कस्टम्स म्यूचुअल असिस्टेंट एग्रीमेंट।
- आगरा और पेट्रा (जॉर्डन) के मध्य दोहरा समझौता आदि।

भारत के लिए जॉर्डन का महत्त्व

- **फिलिस्तीन (वेस्ट बैंक) तक पहुँच** - फिलिस्तीन तक पहुँच केवल इज़राइल या मिस्र और जॉर्डन के मार्ग से ही सुनिश्चित की जा सकती है। इज़राइल और फिलिस्तीन के मध्य राजनीतिक मुद्दों के कारण, फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक क्षेत्र में जाने के लिए जॉर्डन एक महत्त्वपूर्ण कनेक्टिंग पॉइंट बन गया है।
- भारत के समान ही, **जॉर्डन द्वारा इज़राइल और फिलिस्तीन दोनों देशों के साथ विशेष संधियां की गयी हैं।** यह दोनों देशों के प्रति भारत की 'डी-हाइफनेशन' नीति (De-hyphenation policy) का समर्थन करने हेतु और अधिक महत्त्वपूर्ण हो सकता है।
- दोनों देश इस विचार का समर्थन करते हैं कि घृणा उत्पन्न करने और आतंकवाद को उचित सिद्ध करने वाले समूहों और देशों द्वारा **धर्म के दुरुपयोग के विरुद्ध लड़ने** के लिए अपनी स्थितियों का समन्वय करना चाहिए। क्षेत्रीय आसूचनाओं को एकत्रित करने और आतंकवाद-विरोधी सहयोग को बढ़ावा देने हेतु भारत के प्रयासों के लिए जॉर्डन एक महत्त्वपूर्ण सहयोगी है।
- भारत, लाल सागर और पूर्वी भूमध्यसागरीय पहुँच के साथ, **लेवांत (Levant) में जॉर्डन की अद्वितीय रणनीतिक अवस्थिति का लाभ उठा सकता है।**

VISION IAS

- जॉर्डन उर्वरकों और फॉस्फेट की आपूर्ति के माध्यम से भारत के **खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा** में भी एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके पास वृहद् तेल शेल (oil shale) भंडार उपलब्ध हैं।

दोनों देशों के मध्य बेहतर संबंध भारत की "थिंक वेस्ट" नीति का साक्ष्य है। इस नीति के तहत जॉर्डन का एक महत्त्वपूर्ण स्थान है।

5.7. अन्य क्षेत्रीय समाचार

(Other Regional News)

5.7.1. कुर्दिश स्वतंत्रता हेतु जनमत संग्रह

(The Kurdish Independence Referendum)

सुर्ख़ियों में क्यों?

इराक के कुर्द लोगों ने एक जनमत संग्रह में स्वतंत्रता का समर्थन किया है।

- हालांकि यह जनमत संग्रह गैर-बाध्यकारी है, किंतु कुर्द लोगों की पृथक देश की मांग के दशकों पुराने संघर्ष में इसका प्रतीकात्मक महत्व है।
- कुर्दिस्तान, इराक के उत्तर में स्थित एक **अर्द्धराज्य (proto-state)** है। यह इस देश का एकमात्र स्वायत्त क्षेत्र है।
- यह क्षेत्र आधिकारिक रूप से **कुर्दिस्तान रीजनल गवर्नमेंट (KRG)** द्वारा शासित है। इसकी राजधानी एरबिल (Erbil) है।

कुर्द कौन हैं?

- कुर्द लोगों को व्यापक रूप से विश्व के एक ऐसे **सबसे बड़े राष्ट्रीय समूह** के तौर पर पहचाना जाता है जिनका अपना कोई देश नहीं है।
- कुर्दिस्तान कई भाषाओं, धर्मों और राजनीतिक गुटों का निवास स्थान है और अपनी **मजबूत सांस्कृतिक एकता** के लिए प्रसिद्ध है।
- प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात्, ब्रिटेन और फ्रांस ने ऑटोमन साम्राज्य को विखंडित कर दिया जिससे कुर्द आबादी मुख्यत: चार देशों (इराक, ईरान, तुर्की और सीरिया) में विभाजित हो गयी।
- कुर्दों को अत्याचारों का सामना करना पड़ा और यहाँ तक कि उन्हें अपनी भाषा बोलने के अधिकार से वंचित रखा गया।

- अमेरिका के नेतृत्व में इराक पर किए गए हमले के बाद स्थापित नई शासन व्यवस्था में कुर्दों को बेहतर हिस्सेदारी प्राप्त हुई। कालांतर में जब इराक, इस्लामिक स्टेट (IS) के विरुद्ध गृह युद्ध में उलझ गया तो इन लोगों ने अपनी स्वायत्तता में वृद्धि कर ली।
- इस्लामिक स्टेट के विरुद्ध लड़ाई में कुर्द लोग इराक के महत्वपूर्ण सहयोगी हैं। **पशमर्गा बलों (इराकी कुर्दिस्तान सैन्य बल)** को अमेरिका भी **एक सहयोगी** के रूप में देखता है।

निहितार्थ

- **इराक में "दक्षिण कुर्दिस्तान"** की स्वतंत्रता की किसी भी मुहिम से व्यापक भू-राजनीतिक जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं। विशेष रूप से तुर्की व ईरान के साथ-साथ सीरिया ने भी ऐसे किसी भी कदम का सख्त विरोध किया है, क्योंकि इन देशों में भी कुर्द लोगों की आबादी है जो इस तरह के आंदोलन से प्रेरित हो सकते हैं।

5.7.2. आतंकवाद से संघर्ष हेतु इस्लामी गठबंधन

(Islamic Alliance to Fight Terrorism)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में **इस्लामिक मिलिट्री अलायन्स टू फाइट टेररिज्म (IMAFT)** की प्रथम बैठक **रियाद** में संपन्न हुई।

इस्लामिक मिलिट्री अलायन्स टू फाइट टेररिज्म (IMAFT)

- यह सऊदी अरब के नेतृत्व में **40 देशों** का एक गठबंधन है, जिसमें इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) के लगभग 60% सदस्य शामिल हैं। इसे वर्ष 2015 में 34 सदस्यीय समूह के रूप में स्थापित किया गया था।
- ईरान, सीरिया और इराक इस गठबंधन के सदस्य नहीं हैं। हालांकि क़तर इसका सदस्य है, परन्तु इसने इस बैठक में भाग नहीं लिया। इसका कारण सऊदी अरब के नेतृत्व में इसका बहिष्कार किया जाना है।
- यह इस क्षेत्र में ISIS के प्रसार के विरुद्ध एक अंतर-सरकारी आतंकवाद विरोधी गठबंधन के रूप में कार्य करेगा।
- इसका लक्ष्य आतंकवाद का मुकाबला करने हेतु सैन्य सहायता प्रदान करना और सदस्य देशों के साथ मिलकर इस दिशा में समन्वित प्रयास करना है। इस प्रकार, इसका लक्ष्य इस्लाम को आतंकवाद से पृथक करना है।

5.7.3. एशियन प्रीमियम (ASIAN PREMIUM)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत **तेल निर्यातक देशों के संगठन (Organisation of the Petrolium Exporting Countries: OPEC)** द्वारा प्रभारित "एशियन प्रीमियम" का विरोध करने हेतु चीन तथा अन्य एशियाई देशों का सहयोग करेगा।

OPEC के बारे में

तेल निर्यातक देशों का संगठन (Organisation of the Petrolium Exporting Countries:OPEC) 14 राष्ट्रों का एक अंतर-सरकारी संगठन है। 1960 में इसकी स्थापना की गयी थी।

- **मुख्यालय: विएना (ऑस्ट्रिया)**
- प्रकार: अंतर्राष्ट्रीय उत्पादक संघ
- संगठन के सदस्य:
  - **मध्य-पूर्व:** ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, क़तर और संयुक्त अरब अमीरात;
  - **अफ्रीका:** लीबिया, अल्जीरिया, नाइजीरिया, अंगोला, इक्वेटोरियल गिनी और गैबॉन; एवं
  - **दक्षिण अमेरिका:** वेनेज़ुएला तथा इक्वेडोर।

भारत OPEC के सदस्य देशों से कच्चे तेल का लगभग 86%, प्राकृतिक गैस का 75% तथा LPG का लगभग 95% आयात करता है।

एशियन प्रीमियम के बारे में

- यह एक **अतिरिक्त प्रभार** है जो **OPEC देशों द्वारा एशियाई देशों** को तेल की बिक्री के दौरान वसूल किया जाता है।
- एशियन प्रीमियम की जड़ें 1986 में स्थापित क्रूड प्राइसिंग की बाजार उन्मुख व्यवस्था में निहित हैं।
- वैश्विक बाजार में तीन महत्वपूर्ण मानक हैं, जो संबंधित भौगोलिक क्षेत्रों में उत्पादित तेल की लागत का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये हैं:
  - **ब्रेंट:** यह लाइट स्वीट (हल्का मृदु) तेल है, जो यूरोपीय बाजार का प्रतिनिधित्व करता है।
  - **वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI):** संयुक्त राज्य अमेरिका का बाजार।
  - **दुबई/ओमान:** मध्य-पूर्व तथा एशियाई बाजार।
- यूरोप और अमेरिका के लिए घरेलू क्रूड बाज़ारों (domestic crude markets) और स्पॉट मूल्यों (spot prices) को मानक बनाया गया है। इन दोनों बाजारों ने संबंधित भौगोलिक क्षेत्रों में उत्पादित कच्चे तेल की लागतों को प्रतिबिंबित किया है।

VISION IAS

- परन्तु एशिया में, आयातकों के लिए **निर्यातोन्मुख खाड़ी बाजार** के अतिरिक्त ऐसा कोई स्वदेशी बाजार / उत्पादन स्थल उपलब्ध नहीं था अतः दुबई/ओमान के बाजार मूल्य को मानक के रूप में स्वीकार किया गया था। लेकिन यह **उत्पादन की लागत को इंगित करने में विफल रहा।**
- चूँकि अमेरिका और यूरोप का व्यापार **फ्यूचर ट्रेडिंग (Future Trading) पर आधारित था और यह क्रूड बाज़ार की सभी प्रवृत्तियों को प्रतिबिंबित करता था।** अतः वे लाभ की स्थिति में थे। दूसरी ओर, एशिया का प्रतिनिधित्व कर रहे दुबई/ओमान में कोई डेरीवेटिव ट्रेडिंग नहीं है अतः यहाँ उसका लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है।
- इस प्रकार एशियाई देशों से ली गई कीमत यूरोप और अमेरिका की तुलना में 1- 2 डॉलर अधिक बनी रही। इस **मूल्य अंतर को 'एशियन प्रीमियम'** कहा जाता है।

6. अफ्रीका (Africa)

6.1. भारत -अफ्रीका (India-Africa)

भारत और अफ्रीका के मध्य संबंधों (आर्थिक एवं सांस्कृतिक) की स्थापना पूर्व-औपनिवेशिक काल में ही हो गई थी। भारत के राष्ट्रीय स्वाधीनता आन्दोलन के दौरान ये संबंध और भी सुदृढ़ हुए (महात्मा गाँधी जैसे नेताओं के कारण)। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात् देश में व्याप्त विभिन्न बाधाओं के बावजूद गाँधीवादी अहिंसात्मक सिद्धांतों की सफलता, पंथनिरपेक्षता के आधुनिक आदर्शों की स्थापना और उत्तरजीविता, विकास इत्यादि जैसे कारक अनेक नवोदित अफ्रीकी राष्ट्रों के लिए महत्वपूर्ण आदर्श बन गए। यद्यपि कुछ दशकों के अलगाव के पश्चात् 2000 के दशक में महाद्वीप (अफ्रीका) और भारत के मध्य संबंध पुन: महत्वपूर्ण बनकर उभरे।

वर्तमान समय में भारत अफ्रीकी देशों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण आर्थिक भागीदार के रूप में उभर रहा है। अफ्रीका के साथ भारत के संबंधों की जड़ें दक्षिण-दक्षिण सहयोग, लोगों के आपसी संपर्कों, और सामान्य विकास चुनौतियों के सिद्धांतों पर आधारित एक मजबूत एवं साझा इतिहास में निहित हैं।

वास्तव में, भारत और अफ्रीका के मध्य विशेष रूप से पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका के देशों के साथ सदियों पुराने संबंध **दक्षिण अफ्रीका में उपनिवेश-विरोधी और नस्लवाद-विरोधी स्वतंत्रता आन्दोलन तथा रंगभेद विरोधी संघर्षों को** भारत द्वारा दिए गए निरंतर समर्थन के कारण सुदृढ़ हुए थे। अफ्रीका में स्वतंत्रता हेतु राजनीतिक युद्ध में औपचारिक विजय के पश्चात् भारत-अफ्रीका संबंधों में आर्थिक कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो गए।

अफ्रीका का महत्व

अफ्रीका के साथ संलग्नता में भारत के महत्वपूर्ण राजनीतिक, आर्थिक, सामरिक तथा सामुद्रिक हित अन्तर्निहित हैं।

- **संसाधन सम्पन्न क्षेत्र:** अफ्रीका अत्यंत साधन सम्पन्न है। यह एक अल्पविकसित महाद्वीप से, तीव्र गति से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं और नए लोकतांत्रिक देशों वाले महाद्वीप में परिवर्तित हो रहा है।
- **आर्थिक विकास:** एक अनुमान के अनुसार 2018 में अफ्रीका की आर्थिक विकास की दर 3.2% के स्तर पर होगी। विश्व बैंक के आकलन के अनुसार, महाद्वीप के 6 देश विश्व की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न अफ्रीकी देश विकास में विदेशी निवेशकों तथा भागीदारों को आकर्षित करने हेतु प्रोत्साहन प्रदान कर रहे हैं। इस प्रकार भारत के लिए भी इस महाद्वीप में अनेक आर्थिक अवसर उपलब्ध हैं।
- **वैश्विक संस्थाओं में सुधार:** यदि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् की स्थायी सदस्यता की अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करना चाहता है तो इसे इस महाद्वीप के सभी 54 देशों के साथ संलग्न होना पड़ेगा।
- **निजी क्षेत्र हेतु निवेश अवसर:** कृषि व्यवसाय, फार्मास्युटिकल उद्योग, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) और ऊर्जा सहित कई रणनीतिक क्षेत्रों में अनेक भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनियों के महत्वपूर्ण हित एवं निवेश विद्यमान हैं।
    - अफ्रीका भारतीय वस्तुओं और सेवाओं हेतु एक महत्वपूर्ण बाजार के रूप में उभरा है। इसके अतिरिक्त यह रणनीतिक खनिज पदार्थों एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों हेतु भारत के अन्वेषण में एक अपरिहार्य घटक बन चुका है जो भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को पोषित करने के लिए आवश्यक है।
    - भारत द्वारा इस महाद्वीप में डिजिटल अंत:प्रवेश में व्यापक संभावनाओं को भी खोला जा सकता है।
- **हितों का अभिसरण:** दोनों भागीदार **विश्व व्यापार संगठन (WTO)** में प्रमुख मुद्दों पर एकमत हैं तथा साथ ही बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के पक्ष में हैं। वर्ष 2013 में बाली मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में भी अफ्रीका और भारत WTO की निर्धारित शुल्क सीमाओं (caps) के विरुद्ध किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की सुरक्षा हेतु एक अंतरिम प्रणाली (जब तक कि स्थायी समाधान खोजे और अपनाए नहीं जाते) की स्थापना के प्रयास में एकजुट थे।
    - **आतंकवाद से निपटने हेतु सहयोग:** भारत ने 54 अफ्रीकी देशों के साथ खुफ़िया जानकारी के आदान-प्रदान तथा प्रशिक्षण के माध्यम से आपसी सहयोग को बढ़ावा देने का दृढ़ता से समर्थन किया है।
    - वैश्विक तापन में न्यूनतम योगदान देने वाले देशों अर्थात भारत और अफ्रीका के मध्य **जलवायु परिवर्तन पर सहयोग**।
- **सुरक्षा परिषद् में सुधार** के विषय पर दोनों देशों के हितों का अभिसरण होता है। सुरक्षा परिषद् में सुधार हेतु दोनों का "एकमत" होना अनिवार्य है।
- **शांति स्थापना अभियान:** भारत अफ्रीका में संयुक्त राष्ट्र अधिदिष्ट शांति स्थापना तथा अन्य अभियानों में सबसे बड़ा योगदानकर्ता है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1960 से क्षेत्र में कुल 22 में से 17 अभियानों में भारत के लगभग 30,000 सैन्यकर्मी शामिल थे।
- अफ्रीका के समक्ष भारत **लोकतांत्रिक विकास** का एक उपयोगी मॉडल प्रस्तुत करता है। वस्तुतः विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश तंत्र के रूप में भारत अपने लोकतांत्रिक अनुभवों को साझा करने, इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणाली, संसदीय प्रक्रियाओं, संघीय शासन तथा विधि के शासन को सुदृढ़ करने हेतु एक स्वतंत्र न्यायिक प्रणाली पर प्रशिक्षण प्रदान करने के अफ्रीकी सरकार के अनुरोधों पर त्वरित रूप से कार्य कर रहा है।

VISION IAS

भारत और अफ्रीका के मध्य संबंध

- **आर्थिक:** भारत के लिए अफ्रीका एक महत्वपूर्ण व्यापारिक भागीदार है। विगत 15 वर्षों से अफ्रीका और भारत के मध्य व्यापार में कई गुना वृद्धि हुई है। यह विगत पांच वर्षों में दो गुना हो गया है। 2016-17 में यह लगभग 52 बिलियन डॉलर तक पहुँच गया था। इसके अतिरिक्त आगामी पांच वर्षों में इसके तीन गुना बढ़कर 150 बिलियन डॉलर तक पहुचने की सम्भावना है।
    - महाद्वीप में निवेश करने वाला भारत पांचवां सबसे बड़ा देश है। भारत ने विगत 26 वर्षों में 54 बिलियन डॉलर का निवेश किया है।
- **लोगों का पारस्परिक सम्पर्क:** लोगों के पारस्परिक संपर्कों में वृद्धि हुई है, अत्यधिक संख्या में अफ्रीकी उद्यमी, चिकित्सा पर्यटक, प्रशिक्षु और छात्र भारत आ रहे हैं तथा यहाँ से भी अनेक भारतीय विशेषज्ञ एवं उद्यमी अफ्रीका की ओर प्रवास कर रहे हैं।
- भारत और विभिन्न अफ्रीकी देशों के मध्य **व्यापारिक सम्पर्क** अत्यधिक महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं तथा ये दोनों देशों की सरकारों के स्तर पर पारस्परिक (सूचनाओं एवं आंकड़ों का डिजिटल लेन-देन) संबंधों को संचालित कर रहे हैं।
    - भारतीय व्यापार अफ्रीका के सम्पूर्ण भौगोलिक स्थलों एवं क्षेत्रों में सक्रिय है। कृषि-व्यवसाय, अभियांत्रिकी, निर्माण, फिल्म वितरण, सीमेंट, प्लास्टिक और सिरामिक्स विनिर्माण, औषध उद्योग तथा दूरसंचार तथा ऐसे ही अनेक अन्य क्षेत्रक भारतीय अभिकर्ताओं के अधीन हैं।
- अफ्रीका में HIV/AIDS को नियंत्रित करने हेतु भारतीय जेनेरिक दवाइयों का (उनके अपेक्षाकृत कम कीमत के कारण) अत्यधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है।
- हाल ही में, **अफ्रीकन एशियन रूरल डेवलपमेंट आर्गेनाईजेशन (AARDO)** और केन्द्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान (CMFRI) द्वारा कोच्चि में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था। यह कार्यशाला खाद्य सुरक्षा, कृषि और मत्स्यन पर केन्द्रित थी। इसमें समुद्री मत्स्यन विकास, मत्स्य भंडारण आकलन, मत्स्यन पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के आकलन, उत्तरदायी समुद्री विकास तथा सामुद्रिक कृषि (mariculture)में प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया था।

AARDO (अफ्रीकन एशियन रूरल डेवलपमेंट आर्गेनाईजेशन) के बारे में

- AARDO स्वायत्त और अंतर-सरकारी संगठन है, जिसकी स्थापना वर्ष 1962 में हुई थी। इसका मुख्यालय **नई दिल्ली** में स्थित है।
- वर्तमान में AARDO में अफ्रीकी-एशियाई क्षेत्र के 31 देश शामिल हैं।
- भारत इस संगठन का संस्थापक सदस्य है तथा सभी सदस्यों में सबसे बड़ा योगदानकर्ता है।
- यह संगठन सदस्य देशों के मध्य एक-दूसरे की समस्याओं के बेहतर मूल्यांकन हेतु समझ का विकास करने के लिए तत्पर है। इसके अतिरिक्त इसका उद्देश्य ग्रामीण लोगों के मध्य लोक कल्याण को आगे बढ़ाने तथा भूख-प्यास, निरक्षरता, रोगों और निर्धनता का उन्मूलन करने हेतु प्रयासों के समन्वय के लिए सामूहिक रूप से अवसरों का अन्वेषण करना है।

अफ्रीका को भारतीय विदेशी सहायता (इसका अलग से वर्णन किया गया है)।

- **एशिया-अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर (AAGC):** भारत और जापान प्राचीन समुद्री मार्गों की खोज तथा नवीन समुद्री गलियारों के सृजन के द्वारा एक **"मुक्त एवं खुले हिन्द-प्रशांत क्षेत्र"** के निर्माण हेतु एक आर्थिक सहयोग समझौते पर सहमत हुए हैं। ये नए समुद्री गलियारे भारत तथा दक्षिण एशिया एवं दक्षिण-पूर्वी एशिया के देशों के साथ अफ्रीकी महाद्वीप को जोड़ेंगे और इसके साथ ही चीन की BRI परियोजना को प्रति संतुलित करेंगे।

एशिया-अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर

यह भारत और जापान के मध्य एक प्रकार का आर्थिक सहयोग समझौता है। इस समझौते में एशिया और अफ्रीका के मध्य **"सतत और नवाचारी विकास"** हेतु नजदीकी भागीदारी की परिकल्पना की गयी है। यह समझौता विकास के निम्नलिखित चार स्तम्भों को सहारा प्रदान करेगा:

- स्वास्थ्य एवं फार्मास्युटिकल, कृषि व कृषि-प्रसंस्करण, कृषिकर्म, विनिर्माण तथा आपदा प्रबंधन में विकास और सहयोग परियोजनाएं;
- गुणवत्ता अवसंरचना तथा संयोजक संस्थाओं का निर्माण;
- क्षमताओं और कौशल में वृद्धि तथा
- लोगों की पारस्परिक भागीदारी।

VISION IAS

एशिया-अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर (AAGC) बनाम BRI

AAGC और BRI के मध्य अंतर

- AAGC भारत और जापान के मध्य एक द्विपक्षीय पहल है जबकि BRI चीन की एक बहुपक्षीय परियोजना है।
- AAGC की संकल्पना परामर्शदात्री प्रकृति पर अधिक आधारित है जहाँ अफ्रीका परियोजनाओं पर नीति निर्माण प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। वहीँ दूसरी ओर BRI के मामले में ऐसा नहीं है।
- इसके अतिरिक्त BRI परियोजनाओं के संवर्द्धन हेतु वित्तपोषण अनिवार्य रूप से चीन के बैंकों या चीन की सरकार के संसाधनों या सहयोगी साधनों के माध्यम से किया जाता है, जहाँ परियोजना के वित्तीयन में बीजिंग की प्रभावशाली भूमिका है। AAGC के मामले में ऐसा नहीं है। इसका प्रयोजन निजी, सार्वजनिक और अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक सहित अंतर्राष्ट्रीय स्त्रोत से भी वित्तीयन का सृजन करना है।
- चीन का BRI प्रस्ताव अपेक्षाकृत अधिक विस्तृत, महत्वकांक्षी तथा वैश्विक है जो अफ्रीका और एशिया के अतिरिक्त अन्य महाद्वीपों को भी शामिल करता है।

इन अंतरों के बावजूद दोनों पहलें एक निश्चित सीमा तक अतिव्यापन और प्रतिस्पर्द्धा प्रदर्शित करती हैं। AAGC की सफलता व्यापक स्तर पर इस तथ्य पर निर्भर करेगी कि भारत और जापान इस विचार का चीन के BRI की तुलना में किस सीमा तक विस्तार करते हैं।

- AAGC के नियत उद्देश्यों को सफल बनाने हेतु भारत और जापान को मिलकर अफ्रीका और हिन्द महासागर क्षेत्र के संदर्भ में सुस्पष्ट एवं संकेंद्रित सहयोग को आगे बढ़ाना चाहिए।
- परन्तु AAGC और चीन के BRI के मध्य तुलना अपरिहार्य है। वर्तमान में AAGC चीन के BRI के समक्ष न तो कोई चुनौती उत्पन्न करता है और न ही इसका अधिदेश BRI जितना व्यापक है।

निस्संदेह AAGC का दृष्टिकोण स्वत: किसी भी परियोजना के साथ प्रतिस्पर्द्धा करना नहीं है, बल्कि अफ्रीका के भीतर और बाहर दोनों स्थानों में अधिक सार्थक विकासात्मक भागीदारी में संलिप्त होना है।

- **उभरते क्षेत्र:**
  - भारत द्वारा प्रोत्साहित **अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA)** हेतु अफ्रीका अत्यंत महत्वपूर्ण है। ISA के कुल सदस्यों में से 24 अफ्रीका से हैं। अफ्रीकी महाद्वीप सौर ऊर्जा का विशाल भंडार है।
  - वर्तमान में **उपमहाद्वीप के संगठन तथा राज्य सरकारें** अफ्रीकी समकक्षों के साथ स्वतंत्र संबंधों का भी सृजन कर रही हैं।
    - उदाहरणार्थ केरल अपने प्रसंस्करण संयंत्रों हेतु अफ्रीकी देशों से काजू के आयात की योजना बना रहा है, जो कच्चे माल की निम्न उपलब्धता के कारण पर्याप्त उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं।
    - इसी प्रकार इथियोपिया और दक्षिण अफ्रीका एक स्वयं सहायता समूह आन्दोलन कुदुम्बश्री के साथ कार्य कर रहे हैं ताकि इस मॉडल को वे अपने देश की आवश्यकताओं के अनुरूप ढालते हुए अपने यहाँ लागू कर सकें। ध्यातव्य है कि **केरल सरकार** द्वारा गठित कुदुम्बश्री आन्दोलन का उद्देश्य निर्धनता उन्मूलन एवं महिला सशक्तिकरण है।

अफ्रीका में भारत के समक्ष चुनौतियाँ

- **राजनीतिक अस्थिरता:** अनेक अफ्रीकी देशों में राजनीतिक अस्थिरता भारत के दीर्घकालिक निवेश अवसरों को प्रभावित कर सकती है।
- **अफ्रीका में आतंकवाद:** अफ्रीका में हाल के वर्षों में अल-कायदा तथा ISIS से जुड़े आतंकवादियों के आतंकी हमलों में असाधारण वृद्धि हुई है।
- **भारत में अफ्रीकी:** अफ्रीकी नागरिकों के लिए भारत में सद्भावपूर्ण वातावरण का निर्माण करने की दिशा में प्रयास किये जाने चाहिए। हाल के महीनों में अफ्रीकियों पर हमले के कई मामले सामने आए हैं। ऐसी घटनाएँ अफ्रीका में भारत की नकारात्मक छवि प्रस्तुत करती हैं तथा महाद्वीप के साथ सदियों पुराने संबंधों को प्रभावित कर सकती हैं।
- **समन्वय का अभाव:** भारतीय राज्य तथा अफ्रीका में उसके व्यापार के मध्य अत्यल्प समन्वय है और नीतियों की रूपरेखा तैयार करने में इंडिया इंक की भूमिका अत्यधिक सीमित है। इस प्रकार भारत के पास अफ्रीका के सम्बन्ध में कोई भी समन्वित नीति मौजूद नहीं है और न ही ऐसा कोई आयाम ही दिखता है जहाँ दोनों अभिकर्ताओं की क्षमताओं का लाभ उठाया जा सके।
- **वित्तीय सीमाएं:**
  - चेक बुक कूटनीति (कूटनीतिक हितों की पूर्ति हेतु खुले तौर पर आर्थिक सहायता एवं निवेश का उपयोग करने संबंधी विदेश नीति) के संदर्भ में भारत चीन और अमेरिका के साथ प्रतिस्पर्द्धा नहीं कर सकता। कुछ नाइजीरिया जैसे धनी अफ्रीकी देश भी भारत अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन के अंतर्गत भारत से उपहार प्राप्त करने की अपेक्षा करते हैं। हालांकि भारत बेहतर विकास हेतु संयुक्त प्रयास के लिए प्रतिबद्ध है।

VISION IAS

- इसके अतिरिक्त अफ्रीका महाद्वीप कमज़ोर कर देने वाली निर्धनता, रोगों तथा युवाओं (जो बड़ी संख्या में श्रम बाजार में प्रवेश कर रहे हैं) हेतु अवसरों के अभाव से ग्रसित है।
- **महत्वकांक्षी सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को अपनाने** के बावजूद OECD तथा बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाओं से संबंधित पारम्परिक दाताओं की ओर से उपलब्ध संसाधन भी क्षीण हो रहे हैं। ज्ञातव्य है कि ये लक्ष्य भारत अफ्रीका भागीदारी को और भी महत्वपूर्ण बनाते हैं।

- **महाद्वीप में चीन की मजबूत उपस्थिति:**
  - भारत और चीन अफ्रीका के साथ मजबूत संबंधों के निर्माण हेतु एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। चीन ने जिबूती में अपने पहले विदेशी सैन्य अड्डे का भी निर्माण किया है।
  - हालाँकि चीन का **आक्रामक आर्थिक दृष्टिकोण** अफ्रीका में अन्य किसी देश की तुलना में अधिक प्रभावित करने वाला कारक बन गया है। तथापि महाद्वीप में भारत की बढ़ती संलग्नता द्वारा चीन के प्रभुत्व को क्रमशः अवरुद्ध किया जा रहा है।
  - अफ्रीकी राष्ट्र तीव्रता से यह अनुभव कर रहे हैं कि यद्यपि चीनी निवेश आकर्षक हैं परन्तु इससे संबंधी कुछ मुद्दें भी हैं, जैसे कि:
    - चीन की कंपनियां स्थानीय लोगों को रोजगार देने के स्थान पर चीन के श्रमिकों को ही नियोजित करती हैं।
    - यह भी देखा गया है कि ये कंपनियां पर्यावरण संरक्षण की ओर ध्यान नहीं देती हैं।
    - चीनी ऋण कठोर शर्तों पर दिए जाते हैं जिसमें केवल चीन की प्रौद्योगिकी का उपयोग अनिवार्य होता है।
- ये चिंताएं मुख्य रूप से सिविल सोसाइटी द्वारा व्यक्त की गई हैं; हालाँकि कई सरकारों ने चीन की उपेक्षा करना प्रारम्भ भी कर दिया है।

6.2. भारत अफ्रीका विकास पहलें

(India Africa Development Initiatives)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में, भारत सरकार ने आगामी चार वर्षों (2018-2021) के दौरान अफ्रीका में वर्तमान में संचालित 29 मिशनों के अतिरिक्त, 18 नए मिशन स्थापित करने को स्वीकृति प्रदान की है। इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में भारत की उपस्थिति को और बढ़ाना है।

अन्य संबंधित तथ्य

- भारत सरकार के राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और स्वच्छ भारत मिशन जैसे सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों, के लिए प्रवासी भारतीयों के योगदान को चैनलीकृत करने हेतु तालमेल बढ़ाने के उद्देश्य से **इंडिया डेवलपमेंट फाउंडेशन ऑफ़ ओवरसीज इंडियन्स (IDF-OI)** को बंद कर दिया गया है।
- निर्यात-आयात बैंक (एक्सिम बैंक) ने ECOWAS बैंक फॉर इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट (EBID) को 500 मिलियन डॉलर की साख सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया है ताकि पश्चिमी-दक्षिणी अफ्रीका में विभिन्न विकास परियोजनाओं का वित्तपोषण किया जा सके।

इंडिया डेवलपमेंट फाउंडेशन ऑफ़ ओवरसीज इंडियन्स (IDF-OI)

- भारत सरकार द्वारा इसे 2008 में एक स्वायत्त **गैर-लाभकारी ट्रस्ट** के रूप में स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य भारत में संचालित विभिन्न सामाजिक व विकासात्मक परियोजनाओं हेतु प्रवासी भारतीयों द्वारा दी जाने वाली परोपकारपूर्ण सहायता को सुगम बनाना था।
- **यह निधियां जुटाने में व्यापक रूप से असफल रहा है।**

इकनोमिक कम्युनिटी ऑफ़ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स (ECOWAS)

- इसकी स्थापना 1975 में 15 पश्चिमी अफ्रीकी देशों द्वारा लागोस की संधि के माध्यम से **क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण को प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से** की गई थी।
- **EBID** एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है, जो दो वित्तपोषण मार्गों (फंडिंग विंडोज) के माध्यम से निजी क्षेत्र की गतिविधियों और सार्वजनिक क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहन हेतु वित्तपोषण करता है।
- इसका मुख्यालय लोमे (Lome), टोगो गणराज्य में स्थित है।

VISION IAS

भारत और अफ्रीका के मध्य विकासत्मक पहलें:

- **तकनीकी सहायता कार्यक्रम (Technical Assistance Programmes)**
  - **इंडियन टेक्निकल एंड इकोनोमिक कोऑपरेशन (ITEC) कार्यक्रम:** इसका उद्देश्य क्षमता निर्माण, कौशल विकास, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण एवं साझीदार देशों के साथ अनुभव साझा करना है। इसके अंतर्गत अफ्रीकी देशों के अधिकारियों को लगभग 5000 छात्रवृत्तियां प्रदान की गई हैं।
- **पैन-अफ्रीकन ई-नेटवर्क: यह कार्यक्रम भारत और अफ्रीकी संघ का एक संयुक्त प्रयास है जिसका उद्देश्य** अफ्रीकी देशों को सर्वोच्च शिक्षण संस्थानों और भारत के सुपर-स्पेशलिटी अस्पतालों से जोड़कर उपग्रह सम्पर्क, टेली-एजुकेशन और टेली-मेडिसिन सेवाएं उपलब्ध करवाना है।
- **टेक्नो-इकनोमिक एप्रोच फॉर अफ्रीका-इंडिया मूवमेंट (TEAM–9):**
  - इसे भारत द्वारा ऊर्जा और संसाधन में समृद्ध आठ पश्चिम अफ्रीकी देशों नामत: बुर्किना फासो, चाड, कोट डी आइवर, इक्वेटोरियल गिनी, घाना, गिनी बिसाऊ, माली और सेनेगल के साथ मिलकर प्रारम्भ किया गया था।
  - इस पहल का लक्ष्य पश्चिमी अफ्रीका के वैसे अविकसित किंतु संसाधन-समृद्ध देशों को साथ लाना है जिन्हें अपनी अवसंरचना विकास के लिए कम लागत वाली प्रौद्योगिकी व निवेश की आवश्यकता है।
- **फोकस अफ्रीका:** भारत द्वारा 2002-03 में प्रारंभ किये गए इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य दोनों क्षेत्रों के मध्य द्विपक्षीय व्यापार और निवेश के क्षेत्रों की पहचान कर पारस्परिक क्रिया को बढ़ावा देना है।
- **सपोर्टिंग इंडियन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फॉर अफ्रीका (SITA):** यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र द्वारा समर्थित एक परियोजना है। इसका उद्देश्य भारत और चयनित पूर्वी अफ्रीकी देशों (इथियोपिया, केन्या, रवांडा, यूगांडा तथ तंज़ानिया) के मध्य व्यापार संबंधी लेन-देन के मूल्य में वृद्धि करना है। इसका अंतिम उद्देश्य पूर्वी अफ्रीका के नागरिकों हेतु रोजगार एवं आय के अवसर सृजित करना है।
- **अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक (AfDB) के साथ सहयोग:** भारत 1983 में, AfDB में शामिल हुआ था। साथ ही भारत इसकी सामान्य पूँजी वृद्धि में उल्लेखनीय योगदान कर चुका है। साथ ही, भारत ने अनुदानों और ऋणों के लिए पूँजी प्रदान करने के प्रति प्रतिबद्धता भी प्रकट की है।
- **विकास सहायता:**
  - भारत निर्यात-आयात (Exim) बैंक द्वारा दी जाने वाली लाइन ऑफ़ क्रेडिट के माध्यम से विकास सहायता व पारंपरिक तकनीकी सहायता प्रदान करता है। इस सहायता को देश के विदेश मंत्रालय द्वारा प्रमुखतया प्रबंधित किया जाता है।
  - **भारत अफ्रीका फोरम समिट (2015)** में, भारत ने अफ्रीकी देशों में परियोजनाओं के वित्तीयन, क्षमता निर्माण, IT शिक्षा और उच्च शिक्षा हेतु 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर के लाइन ऑफ़ क्रेडिट की घोषणा की।
- **प्रशिक्षण संस्थान:** भारत विभिन्न अफ्रीकी देशों व समीपवर्ती क्षेत्रों में 100 से अधिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना कर चुका है। इनमे कृषि, ग्रामीण विकास और खाद्य प्रसंस्करण से लेकर सूचना प्रौद्योगिकी, व्यवसायिक प्रशिक्षण और उद्यमिता विकास संबंधी संस्थान सम्मिलित है।
- **अन्य पहलें:**
  - **सोलर ममाज (solar mamas) /सोलर माएं:** यह अफ्रीका की ग्रामीण महिला सोलर इंजीनियरों का समूह है, जिन्हें भारत सरकार द्वारा समर्थित कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षत किया गया है। इसका उद्देश्य उन्हें अपने गाँवों में सौर लालटेन व घरेलू सौर प्रकाश प्रणाली का निर्माण, उसकी संस्थापना, प्रयोग, मरम्मत व रखरखाव करने हेतु सक्षम बनाना है।
  - **लाइट अप एंड पावर अफ्रीका पहल** के एक भाग के रूप में, अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक ने अफ्रीका में सौर ऊर्जा का उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) के साथ साझेदारी की है।

VISION IAS

7. यूरोप (Europe)

7.1 भारत-यूरोपीय संघ (India-EU)

भारत के यूरोपीय संघ एवं उसके सदस्य देशों के साथ **परंपरागत रूप से बेहतर और मधुर सम्बन्ध** रहे हैं। वर्ष 1962 में, भारत यूरोपीय संघ के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाला प्रथम विकासशील राष्ट्र था। वर्ष **1996 में हस्ताक्षरित EU-इंडिया इन्हांस्ड पार्टनरशिप एग्रीमेंट** द्वारा उदारीकरण के पश्चात भारत की आर्थिक उपलब्धियों की प्रशंसा की गयी है। वर्ष 2000 में संपन्न लिस्बन शिखर सम्मेलन से भारत, चीन, रूस, जापान एवं कनाडा आदि उन देशों के एक छोटे समूह में शामिल हो गया है जिनके साथ यूरोपीय संघ नियमित शिखर सम्मेलन का आयोजन करता है।

हाल ही में, भारत और यूरोपीय संघ (EU) के मध्य **14 वां वार्षिक शिखर सम्मेलन,** नई दिल्ली में आयोजित किया गया।

भारत-EU संबंध

यूरोपीय संघ-भारत सहयोग समझौता वर्ष 1994 में किया गया जिसके द्वारा EU-भारत संबंधों को एक कानूनी ढांचा प्रदान किया गया है। वर्ष 2004 से भारत और यूरोपीय संघ **रणनीतिक साझेदार** रहे हैं।

- **विदेश नीति एवं सुरक्षा सहयोग:** इसमें शिखर सम्मेलन, नियमित मंत्रिस्तरीय बैठकें, साइबर सुरक्षा, नाभकीय अप्रसार/निरस्त्रीकरण तथा आतंकवाद एवं पायरेसी के विरुद्ध कार्यवाही आदि विषयों पर **विदेश नीति एवं सुरक्षा संबंधी परामर्श**, सम्मिलित हैं।
- **व्यापार और निवेश:**
  - भारत के कुल व्यापार में 13.2% भागीदारी के साथ EU भारत के **सबसे बड़े व्यापारिक भागीदारों** में एक है। EU-भारत व्यापार का कुल मूल्य वर्ष 2017 में € 85.8 बिलियन था। इसके अतिरिक्त, सेवाओं का व्यापार पिछले दशक में बढ़कर लगभग तीन गुना हो चुका है।
  - यूरोपीय संघ भारतीय **निर्यात हेतु प्रमुख गंतव्य** तथा निवेश एवं प्रौद्योगिकियों के लिए एक प्रमुख स्रोत रहा है।
  - भारत के द्वारा यूरोपीय संघ को निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुओं में इंजीनियरिंग सामान, रत्न एवं आभूषण तथा रासायनिक एवं संबद्ध उत्पाद, जबकि EU से आयातित वस्तुओं में कपड़े एवं वस्त्र, रसायन एवं संबद्ध उत्पादों तथा इंजीनियरिंग वस्तुएं सम्मिलित हैं।
  - समग्र रूप से, यूरोपीय संघ भारत में **दूसरा सबसे बड़ा निवेशक** है। इसके द्वारा अप्रैल 2000 से मार्च 2017 तक कुल 70 अरब डॉलर का निवेश किया गया है जो भारत में किए गए सकल निवेश का लगभग 25% है।
  - भारत और यूरोपीय संघ वर्ष 2007 से ही एक महत्वाकांक्षी **मुक्त व्यापार समझौते** या BTIA (Broad-based Trade & Investment Agreement) पर भी वार्ता कर रहे हैं। (बॉक्स देखें)
- **व्यापक क्षेत्रीय सहयोग एवं लोगों के मध्य संपर्क:**

  भारत -EU विभिन्न नीतिगत मुद्दों पर सहयोग कर रहे हैं जिनमे मुख्यतः ऊर्जा एवं जलवायु परिवर्तन; पर्यावरण; अनुसंधान एवं नवाचार; औषधियां; जैव प्रौद्योगिकी; कृषि, डिजिटल अर्थव्यवस्था और समाज; प्रतिस्पर्धा नीति; समष्टि आर्थिक मुद्दे, संधारणीय शहरी विकास; प्रवासन एवं संचरण; एवं उच्च शिक्षा शामिल हैं।
  - EU एवं भारत जी-20 में भी घनिष्ट सहयोगी बने हुए हैं और आर्थिक नीतियों एवं संरचनात्मक सुधारों के अनुभव का आदान-प्रदान करने के लिए परस्पर नियमित व्यापक आर्थिक वार्ता कर रहे है।
- **ऊर्जा सहयोग:**
  - यूरोपीय संघ-भारत ऊर्जा सहयोग विगत कुछ वर्षों में अत्यधिक सुदृढ़ हुआ है। वर्तमान में **यूरोपीय संघ - भारत स्वच्छ ऊर्जा एवं जलवायु के मुद्दे पर साझेदारी** कर रहे हैं। इस साझेदारी का उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा एवं जलवायु अनुकूल प्रौद्योगिकियों तक पहुंच एवं प्रसार को बढ़ावा देने और अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करने के लिए ठोस परियोजनाओं को संयुक्त रूप से कार्यान्वित करना है।
  - इसके अतिरिक्त ये ऊर्जा सहयोग, ऊर्जा दक्षता, अपतट पवन और सौर ऊर्जा से सम्बंधित आधारभूत संरचना तथा अनुसंधान एवं नवाचार जैसे ऊर्जा संबंधी मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला पर ऊर्जा सहयोग कर रहे हैं।
  - EU एवं भारत पेरिस समझौते तथा UNFCCC के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अपनी उच्चतम राजनीतिक प्रतिबद्धता को भी प्रदर्शित कर रहे हैं। वहीं अमेरिका इस समझौते से अपना नाम वापस ले रहा है।

VISION IAS

- **अनुसंधान और विकास:**
  - भारत, ITER (इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर) संलयन परियोजना में एक सहभागी देश के रूप में शामिल है। इस सहभागिता का उद्देश्य भविष्य में संधारणीय स्वच्छ ऊर्जा स्रोत के रूप में नाभिकीय संलयन की वैज्ञानिक व्यवहार्यता को प्रदर्शित करने के लिए एक प्रयोगात्मक सुविधा का विकास एवं संचालन करना है।
  - भारत अनुसंधान एवं नवाचार वित्त पोषण कार्यक्रम 'क्षितिज 2020' में भी भाग ले रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत वैज्ञानिक व्यक्तिगत रूप से यूरोपीय रिसर्च काउंसिल (ERC) या मैरी स्क्लोडोस्का-क्यूरी एक्शन (MSCA) से अनुदान प्राप्त कर सकते हैं।
- **पर्यावरण एवं जल:** यूरोपीय संघ तथा भारत द्वारा स्वच्छ गंगा पहल पर परस्पर सहयोग करने के साथ-साथ अन्य समेकित विधियों के माध्यम से अन्य जल-संबंधी चुनौतियों से निपटते के लिए सहयोग किया जा रहा है।
- **सिटी टू सिटी सहयोग:**
  - प्रथम चरण में मुंबई, पुणे एवं चंडीगढ़ जैसे भारतीय शहरों को यूरोपीय **सिटी टू सिटी सहयोग** में सम्मिलित किया गया है एवं निकट भविष्य में 12 अन्य शहर इस कार्यक्रम में सम्मिलित किए जाएंगे।
  - अब इस सहयोग को **स्मार्ट एवं संधारणीय शहरीकरण के लिए भारत-यूरोपीय संघ साझेदारी** के रूप में माना जा रहा है। यह संयुक्त अनुसंधान एवं नवाचार को बढ़ावा देने के लिए भारतीय 'स्मार्ट शहरों' और 'अमृत' मिशन को अपना सहयोग प्रदान करेगा।
- **ICT सहयोग:**
  - यूरोपीय संघ एवं भारत ने **'डिजिटल सिंगल मार्केट'** को **'डिजिटल इंडिया'** से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
  - वर्ष 2016 में एक नया **"स्टार्ट-अप यूरोप इंडिया नेटवर्क"** प्रारंभ किया गया।
  - इसके अतिरिक्त, EU-**भारत साइबर सुरक्षा वार्ता** को भी प्रारंभ किया गया है। यह वार्ता साइबर अपराधों से निपटने हेतु सर्वोतम प्रथाओं का आदान-प्रदान करने एवं साइबर सुरक्षा तथा उसकी सुभेद्यता को सुदृढ़ करने पर केंद्रित है।
- **प्रवास एवं संचरण: EU-इंडिया कॉमन एजेंडा ऑन माइग्रेशन एंड मोबिलिटी (CAMM) भारत तथा EU के मध्य एक आधारभूत सहयोग समझौता है। CAMM संतुलित रूप से चार प्राथमिक क्षेत्रों को संबोधित करता है:**
  - **बेहतर सुनियोजन नियमित प्रवास एवं बेहतर रूप से प्रबंधित संचरण को प्रोत्साहन प्रदान करना;**
  - **मानवों के अनियमित प्रवास एवं दुर्व्यपार पर रोक लगाना ;**
  - **प्रवास एवं संचरण के विकास संबंधी प्रभाव को अधिकतम करना ; एवं**
  - **अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देना;**
- **विकासात्मक सहयोग:** वर्तमान में EU द्वारा भारत में € 150 मिलियन से अधिक की परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं।

वार्षिक शिखर सम्मेलन वक्तव्य के महत्वपूर्ण बिंदु

- **आतंकवाद पर:** हाफिज सईद, दाऊद इब्राहिम, लश्कर-ए-तैयबा एवं जाकी-उर-रहमान लखवी के विरुद्ध **"निर्णायक और संगठित कार्यवाही** तथा आतंक को प्रायोजित करने के मुद्दे के सन्दर्भ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की मुखर आलोचना करने के भारत के प्रयासों को सहमति प्रदान की गयी।
- **बहु-ध्रुवीय विश्व: "नियम-आधारित" अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था एवं "बहुपक्षीय" विश्व** हेतु प्रतिबद्धता पर बल दिया गया है। अमेरिका द्वारा विभिन्न अंतरराष्ट्रीय समझौते से स्वयं को पृथक करने के सन्दर्भ में यह कदम महत्वपूर्ण है।
- **संयुक्त राष्ट्र सुधार एजेंडे पर बल:** तीन महत्वपूर्ण मुद्दों यथा **शांति एवं सुरक्षा, विकास तथा प्रबंधन सुधार पर परस्पर समर्थन**।
- **ईरान के परमाणु मुद्दे पर: संयुक्त व्यापक कार्य योजना** (Joint Comprehensive Plan of Action:JCPOA) के पूर्ण कार्यान्वयन हेतु समर्थन।
- **अफगानिस्तान पर:** भारत द्वारा अफगानिस्तान में किये गए सकारात्मक कार्यों एवं निभाई गयी भूमिका की सराहना की गयी तथा साथ ही दोनों पक्षों ने **अफ़गानिस्तान के नेतृत्व और स्वामित्व में ही** शांति एवं सुलह **प्रकिया के संचालन का आह्वान किया** ।
- **BTIA पर:** इसमें वस्तुओं,सेवाओं तथा सार्वजनिक खरीद के लिए प्रभावी बाजारों तक पहुंच सुनिश्चित करना सम्मिलित है। इसके साथ ही साथ इसमें निवेश संरक्षण एवं बौद्धिक संपदा तथा प्रतिस्पर्द्धा से सम्बंधित नियमों (जो व्यापार को आकार प्रदान करते हैं) सहित निवेश के लिए फ्रेमवर्क को भी शामिल किया गया है।
- स्थगित वार्ताओं को पुनः प्रारंभ करने में विफल रहने के पश्चात दोनों पक्षों ने एक व्यापक एवं परस्पर लाभकारी भारत-यूरोपीय संघ BTIA को समयबद्ध रीति से पुन:प्रारम्भ करने हेतु सक्रिय रूप से कार्य करने पर परस्पर सहमति व्यक्त की है।

VISION IAS

14 वें भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षरित समझौतों की सूची :

- भारतीय शोधकर्ताओं के लिए, यूरोपीय आयोग तथा विज्ञान एवं इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड (SERB) के मध्य, व्यवस्था के क्रियान्वयन हेतु समझौता किया गया है।
- बैंगलोर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण के लिए वित्तीय अनुबंध किया गया है।
- अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अंतरिम सचिवालय एवं यूरोपीय निवेश बैंक के द्वारा संयुक्त उद्घोषणा की गयी।

ब्रॉड-आधारित व्यापार और निवेश समझौते पर गतिरोध (BTIA)

भारत

- यह गतिरोध भारत की 'डेटा सिक्योर' स्थिति (भारत की IT क्षेत्र द्वारा EU फर्मों के साथ अधिक व्यवसाय करने के लिए महत्वपूर्ण है) और वहां कुशल श्रमिकों के अस्थायी आवागमन संबंधी मानदंडों को सरल बनाने की मांग के कारण बना हुआ है।
- भारत के लिए प्रमुख चिंताएं गैर-टैरिफ बाधाएं जैसे सैनिटरी तथा फाइटोसनेटरी मानदंड एवं व्यापार के लिए तकनीकी बाधाएं है। EU द्वारा आरोपित कठोर लेबलिंग मानकों एवं ट्रेडमार्क मानदंडों के कारण भारत के निर्यात में कमी हुई है।
- सेवाओं के व्यापार के संबंध में, भारत EU द्वारा सेवाओं के व्यापार को उदार बनाने के लिए सशक्त एवं बाध्यकारी वचनों की मांग करता है।

यूरोपीय संघ

- ऑटोमोबाइल तथा शराब एवं स्पिरिट जैसी वस्तुओं पर भारत के आयात शुल्क की समाप्ति, मल्टी-ब्रांड रिटेल एवं बीमा के उदारीकरण तथा अकाउंटेंसी और कानूनी सेवाओं जैसे वर्तमान बंद क्षेत्रों को खोलने से सम्बंधित EU की मांगों पर मतभेद है।
- यूरोपीय संघ FTA वार्ता के पुन:प्रारंभ होने से पहले भारत-EU द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT) को अंतिम रूप देने का इच्छुक है वहीँ भारत 'निवेश सुरक्षा' को प्रस्तावित व्यापक FTA संबंधी वार्ता में शामिल करना चाहता है।
- भारत का BIT मॉडल एवं इसका निवेशक-राज्य विवाद निपटान तंत्र जो कंपनियों को घरेलू विकल्प समाप्त हो जाने पर ही अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संबंधी सहायता प्राप्त करने की अनुमति प्रदान करता है।

परमानेंट स्ट्रक्चर्ड कोऑपरेशन ऑन डिफेन्स (PESCO)

- यह EU फ्रेमवर्क के अंतर्गत रक्षा सहयोग को क्रमशः बेहतर बनाने हेतु एक अंतर सरकारी, बाध्यकारी, स्थायी फ्रेमवर्क और एक संरचित प्रक्रिया है।
- **उद्देश्य :** रक्षा क्षमताओं को संयुक्त रूप से विकसित करना तथा EU के सैन्य अभियानों के लिए उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करना है।
- सदस्य देश संयुक्त राष्ट्र एवं नाटो के अभियानों के लिए भी PESCO के तहत सैन्य बल को उपलब्ध करा सकते हैं।

PESCO का महत्व –

- यह यूरोपीय संघ की रणनीतिक स्वायत्तता को सुदृढ़ता प्रदान करता है एवं आवश्यकता पड़ने पर स्वयं ही कार्यवाही करने की छूट प्रदान करता है।
- सदस्य देशों की संप्रभुता एवं राष्ट्रीय सुरक्षा को अक्षुण्ण रखता है तथा उन्हें PESCO के अंर्तगत विकसित सैन्य क्षमता का उपयोग करने की अनुमति प्रदान करता है।
- यह यूरोप में विभिन्न हथियार प्रणालियों में कमी लाकर सदस्यों के मध्य संचालनात्मक सहयोग, अंतःक्रियाशीलता एवं औद्योगिक प्रतिस्पर्द्धात्मकता को मज़बूत करता है।

अभी तक यूरोपीय संघ के 25 सदस्यों (डेनमार्क, माल्टा तथा ब्रिटेन को छोड़कर) ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। PESCO नाटो के सदस्य देशों के लिए भी खुला है। हालांकि, गैर-यूरोपीय संघ एवं गैर-नाटो सदस्यों को इसमें सम्मिलित करने के बारे में कोई प्रावधान नहीं है।

शिखर सम्मेलन की तीन संयुक्त घोषणाएं - आतंकवाद, स्वच्छ ऊर्जा एवं जलवायु परिवर्तन तथा स्मार्ट एवं संधारणीय शहरीकरण के लिए साझेदारी पर **तीन संयुक्त घोषणाओं को स्वीकृत किया गया है।**

- **भारत-EU के मध्य साझेदारी को सुदृढ़ करने की आवश्यकता : अमेरिका द्वारा अपने वैश्विक प्रसार को कम करने एवं चीन द्वारा इस रिक्तता को भरने के प्रयासों** के कारण भारत तथा यूरोपीय संघ दोनों को अपनी स्थिरता और सुरक्षा को सुनिश्चित करने हेतु परस्पर साझेदारी करनी चाहिए।

VISION IAS

- अपने लोकतांत्रिक संस्थानों और उदार समाजिक परम्पराओं के कारण **भारत और यूरोपीय संघ के वैश्विक विचारों में अत्यधिक समानता है** जो यूरेशियन कनेक्टिविटी योजनाओं; नेविगेशन की स्वतंत्रता जैसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनी सिद्धांतों की सुरक्षा आदि को सुनिश्चित करने के लिए इनके साझे हितों में तेजी से बढ़ते अभिसरण में स्पष्ट होता है।
- अपने सामान्य साझा मूल्यों के परिप्रेक्ष्य में, दोनों को विश्व में एक-दूसरे के नेतृत्व की भूमिका का स्वागत करना चाहिए।

7.2. भारत-फ्रांस संबंध

(India-France Relations)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रॉन ने भारत की यात्रा की।

यात्रा के दौरान हुई महत्वपूर्ण प्रगति

दोनों देशों ने शिक्षा, पर्यावरण, शहरी विकास और रेलवे आदि के क्षेत्र सहित 14 समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस सन्दर्भ में महत्वपूर्ण रणनीतिक अनुबंध निम्नलिखित हैं -

- हिंद महासागर क्षेत्र पर संयुक्त दृष्टिकोण वक्तव्य जारी किया गया।
- भारतीय प्रधानमंत्री और फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) के संस्थापक सम्मेलन की सह-अध्यक्षता की। इसके अतिरिक्त दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने उत्तर प्रदेश के दादर कला गांव में सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया।
- दोनों नेताओं ने अपने सशस्त्र बलों के मध्य पारस्परिक लॉजिस्टिक्स सहायता समझौते पर हस्ताक्षर का स्वागत किया जो भारत और फ्रांस के सशस्त्र बलों के लिए संबंधित सुविधाओं के पारस्परिक उपयोग पर आधारित लॉजिस्टिक सहायता के विस्तार पर केन्द्रित है |
- जैतपुर में छह परमाणु रिएक्टरों के निर्माण के लिए फ्रांसीसी कंपनी EDF और भारत के NPCIL के मध्य **"इंडस्ट्रियल वे फॉरवर्ड एग्रीमेंट"** पर हस्ताक्षर किया गया।

पृष्ठभूमि

भारत और फ्रांस में परंपरागत रूप से घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। 1998 में दोनों देशों के मध्य रणनीतिक साझेदारी स्थापित हुई जो रक्षा, अंतरिक्ष और असैनिक परमाणु सहयोग के तीन स्तंभों पर आधारित है। दोनों देशों के मध्य महत्वपूर्ण संबंध हैं-

- **सामरिक क्षेत्रों से संबंधित संस्थागत वार्ता-** भारत-फ्रांस सामरिक वार्ता दोनों पक्षों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों (NSAs) के मध्य होती है। इसके अतिरिक्त आतंकवाद रोधी एवं साइबर वार्ता पर संयुक्त कार्य समूह आदि अन्य सक्रिय तंत्र हैं।
- **रक्षा सहयोग-** सेना के प्रमुखों के स्तर पर नियमित रूप से यात्राएं होती है। दोनों देशों की तीन सेवाओं के मध्य नियमित रक्षा अभ्यास भी होते रहते हैं, जैसे- शक्ति अभ्यास (थल सेना), वरुण अभ्यास (नौसेना), गरुड़ अभ्यास (वायु सेना)। इसके अतिरिक्त, 2008 में भारतीय प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान दोनों देशों के मध्य एक असैनिक परमाणु सहयोग समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए थे।
- **आर्थिक सहयोग-** फ्रांस भारत में नौवां सबसे बड़ा विदेशी निवेशक है। 2016 में फ्रांस के साथ भारतीय निर्यात के संबंध में पिछले दस वर्षों का व्यापार अधिशेष भारत के पक्ष में बना हुआ है।

भारत के लिए फ्रांस का महत्व

हिंद महासागर क्षेत्र में साझेदारी- हिंद महासागर में फ्रांसीसी सैन्य अड्डों (जिबूती,अबू धाबी और रीयूनियन द्वीप) की विस्तृत श्रृंखला को देखते हुए दोनों देशों के मध्य पारस्परिक लॉजिस्टिक्स सहायता समझौते के लिए प्रावधान किया जाना महत्वपूर्ण है। यह भारत की शक्ति को बढ़ा सकता है क्योंकि इस क्षेत्र में चीन की बढ़ती उपस्थिति के साथ इसके महत्व में वृद्धि हुई है।

- **ISA में साझेदारी-** ISA भारत में अवस्थित प्रथम संधि आधारित अंतरराष्ट्रीय संगठन है। यह एक प्रमुख भारत-फ्रांस पहल है, जो नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाने वाला एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगा।
- **अंतर्राष्ट्रीय मंचो पर फ्रांस का समर्थन-** फ्रांस उन देशों में से एक है, जिसने निरंतर UNSC में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। इसके अलावा, वासेनार ग्रुप में भारत की सदस्यता के लिए फ्रांस का समर्थन भी उल्लेखनीय है। फ्रांस ही एकमात्र देश था जिसने बांग्लादेश के साथ सीमावर्ती क्षेत्रों में शरणार्थी संकट के मुद्दे पर भारत का समर्थन किया था।
- **परमाणु सहयोग -** मई, 1998 में परमाणु परीक्षणों के पश्चात जब भारत ने स्वयं को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र घोषित किया, तो फ्रांस वार्ता प्रारंभ करने वाला पहली बड़ी शक्ति था जिसने अन्य देशों की तुलना में भारत की सुरक्षा चिंताओं को समझने में कुशल दूरदर्शिता का परिचय दिया।

- **रक्षा सहयोग-** 1950 के दशक में फ्रांस के साथ रक्षा सहयोग तब आरम्भ हुआ जब भारत ने ऑरगन (ourgan) विमान की खरीद की और आज भी मिस्टेरेस (mysteres), जगुआर, राफेल, स्कॉर्पियन पनडुब्बियों आदि की खरीद के रूप में यह सहयोग जारी है।
- अंतरिक्ष और प्रौद्योगिकी में सहयोग 1960 के दशक से जारी रहा जब फ्रांस ने भारत को श्रीहरिकोटा लॉन्च साइट स्थापित करने में सहायता की थी। इसी क्रम में भारत को तरल ईंधन आधारित इंजन के विकास और पेलोड के निर्माण में भी फ्रांस की सहायता प्राप्त हुई।
- वर्तमान में, फ्रांस के साथ अन्य परियोजनाओं में संयुक्त उपग्रह मिशन - तृष्णा (पर्यावरण प्रणाली तनाव और जल उपयोग निगरानी के लिए) एवं भारत के ओशनसैट-3 उपग्रह में फ्रांसीसी उपकरण भी शामिल है।
- सहयोग के अन्य क्षेत्रों में फ्रांस और भारत में सीमा-पार आतंकवाद और आतंकी घटनाओं सहित सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में आतंकवाद की कठोर निंदा शामिल है।

शहरी नियोजन के क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता को देखते हुए फ्रांस स्मार्ट शहरी मिशन में भी सहायता कर रहा है। चंडीगढ़, नागपुर और पुडुचेरी तीन ऐसे स्मार्ट शहर हैं जो फ्रांस द्वारा विकसित किए जाएंगे।

आगे की राह:

- हालांकि उपर्युक्त निर्दिष्ट क्षेत्रों में सहयोग ने संबंधों को एक सुदृढ़ आधार प्रदान किया है तथापि यह सहयोग मुख्य रूप से दोनों देशों की सरकारों के स्तर पर बना हुआ है। हाल के वर्षों में यह अनुभव किया गया कि व्यापक साझेदारी के लिए, बिज़नेस-टू-बिज़नेस और पीपल-टू-पीपल संबंधों को सुदृढ़ किया जाए। इसके अतिरिक्त इस तथ्य की ओर ध्यान देना भी आवश्यक है कि भारत और फ्रांस के मध्य व्यापार में वृद्धि हो रही है परन्तु यह अभी भी संभावित क्षमता से कम है।
- अनुमानों के अनुसार, फ्रांस भारत के लिए यूरोप में प्रवेश द्वार बनने और एशिया में फ्रांस का प्रथम रणनीतिक साझेदार बनाने का इच्छुक है।
- चीन के तीव्र उत्थान के कारण वैश्विक भू-राजनीति निरंतर परिवर्तित हो रही है। पाश्चात्य देश अपनी आतंरिक समस्याओं और रूस की समस्या में उलझे हुए हैं वहीं दूसरी ओर वे अमेरिकी प्रशासन की 'अमेरिका फर्स्ट' के साथ-साथ वैश्वीकरण के प्रति बढ़ते खतरों को लेकर भी सशंकित हैं। ऐसी वैश्विक पृष्ठभूमि में भारत और फ्रांस को एक दूसरे को वांछनीय रणनीतिक साझेदार के रूप में देखना स्वाभाविक है।

7.3. भारत-जर्मनी संबंध

(India Germany Relations)

सुर्खियों में क्यों ?

- हाल ही में, जर्मन राष्ट्रपति फ्रैंक-वाल्टर स्टीनमीयर ने भारत की पांच दिवसीय यात्रा की।

भारत-जर्मनी सहयोग के प्रमुख क्षेत्र:

जर्मनी, यूरोप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। यह महाद्वीप के केंद्र में अवस्थित है। इसकी केन्द्रीय अवस्थिति इसे पूर्वी और पश्चिमी यूरोप के मध्य एक पुल के रूप में स्वाभाविक अवस्थिति प्रदान करती है। यह अनुसंधान एवं विकास और कौशल के केंद्रबिंदु सहित एक वैश्विक केंद्र है।

- **रणनीतिक साझेदारी**: 2001 से भारत और जर्मनी **'रणनीतिक साझेदार'** हैं, जिसे सरकार के प्रमुखों के स्तर पर अंतर सरकारी परामर्श (IGC) के द्वारा और सुदृढ़ किया गया है।
- **गंगा नदी की सफाई पर भारत-जर्मनी सहयोग:** 2016 में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG) और GIZ जर्मनी ने गंगा कायाकल्प के लिए एक कार्यान्वयन समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते के तहत जर्मनी द्वारा प्रदूषण से निपटने हेतु डेटा प्रबंधन और क्षमता निर्माण के लिए 3 मिलियन यूरो प्रदान करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गयी थी।
- G-4 के फ्रेमवर्क के भीतर UNSC के विस्तार, G-20 में प्रत्येक देशों के साथ जलवायु परिवर्तन, संधारणीय विकास आदि जैसे वैश्विक मुद्दों पर परामर्श तथा अन्य क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों जैसे संयुक्त राष्ट्र से संबंधित मुद्दे, अंतर्राष्ट्रीय साइबर मुद्दे, निरस्त्रीकरण और अप्रसार, निर्यात नियंत्रण, पूर्वी एशिया, यूरेशिया आदि से संबंधित मुद्दों पर **द्विपक्षीय सहयोग**।
- **रक्षा सहयोग:** भारत-जर्मनी रक्षा सहयोग समझौता (2006), द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के लिए एक ढांचा प्रदान करता है।
- **आर्थिक और वाणिज्यिक संबंध:** जर्मनी, यूरोप में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है।
  - जनवरी 2000 से ही जर्मनी, भारत में 7वां सबसे बड़ा **प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक** है।
  - 2015 में दोनों देशों ने भारत-जर्मन सौर ऊर्जा भागीदारी पर एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए थे। इस MoU के तहत अगले 5 वर्षों में जर्मन सरकार द्वारा एक बिलियन यूरो का रियायती ऋण प्रदान किया जाएगा।

VISION IAS

भारत-जर्मन सहयोग का महत्त्व:

- भारत और जर्मनी कई मामलों में एक-दूसरे के पूरक हैं। जर्मनी की विशेषज्ञता अत्याधुनिक इंजीनियरिंग उत्पादों में हैं। भविष्य की प्रौद्योगिकियों को IT नवाचारों की आवश्यकता होगी, ऐसी स्थिति में जर्मनी को भारतीय विशेषज्ञता की आवश्यकता होगी। भारत उच्च गुणवत्ता वाली जर्मन वस्तुओं के लिए बाजार बन सकता है और बदले में जर्मनी, भारत के लिए कौशल का स्रोत बन सकता है।
- भारत, जर्मनी के **लघु एवं मध्यम उद्यमों (SMEs)** से लाभ प्राप्त कर सकता है और इस प्रकार दोनों देशों के मध्य सहयोग को बढ़ावा देने हेतु एक फ़ास्ट ट्रैक मेकेनिज्म की स्थापना की गयी है।
- जर्मनी अपने परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को समाप्त कर रहा है और उन्हें नवीकरणीय ऊर्जा द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है। चूंकि भारत भी 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा द्वारा अपनी ऊर्जा आवश्यकता का 40 प्रतिशत पूरा करने की योजना बना रहा है, अतः ऊर्जा क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी जैसे संगठनों के माध्यम से **द्विपक्षीय सहयोग की व्यापक संभावनाएं** विद्यमान हैं।
- जलवायु अनुकूलन और शमन सहित वित्त एवं प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के उत्तरदायित्व के साथ **जलवायु परिवर्तन** पर संतुलित समझौते के लिए जर्मनी का समर्थन भी महत्त्वपूर्ण है ।
- दोनों देश सुरक्षा चिंताओ को भी साझा करते हैं, जिनमें जर्मनी शरणार्थी संकट से प्रभावित रहा है वहीं भारत के समक्ष पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से उत्पन्न खतरे है।

निष्कर्ष

- संयुक्त राज्य अमेरिका **में संरक्षणवादी व्यापार उपायों (protectionist trade measures)** के प्रारंभ के साथ भारत और जर्मनी दोनों ने आपसी सहमति और नियमों पर आधारित एक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के निर्माण के साथ ही मुक्त एवं निष्पक्ष व्यापार तथा निवेश के लिए सहयोग हेतु प्रतिबद्धता व्यक्त की हैं।
- इसके अतिरिक्त दोनों देशों के मध्य सुरक्षा एवं आतंकवाद, नवाचार एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी, नदियों की सफाई, कौशल विकास (स्किल इंडिया मिशन), शहरी आधारभूत संरचना, जल एवं अपशिष्ट प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, विकास सहयोग, स्वास्थ्य एवं वैकल्पिक चिकित्सा आदि में सहयोग की व्यापक सम्भावना विद्यमान है।

7.4. भारत-इटली

(India-Italy)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में इटली के प्रधानमंत्री पाओलो जेंटिलोनी अपनी आधिकारिक यात्रा पर भारत आए।

भारत-इटली संबंध

- 2016-17 में 8.79 बिलियन डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार के साथ इटली यूरोपियन यूनियन में भारत का **पाँचवा सबसे बड़ा साझेदार** है।
- इटली, EU के सर्वाधिक महत्वपूर्ण सदस्य देशों में से एक है। EU में यूनाइटेड किंगडम व नीदरलैंड के बाद भारतीय समुदाय के लोगों की सर्वाधिक संख्या इटली में है।

संयुक्त वक्तव्य के महत्वपूर्ण बिंदु

- इस यात्रा को "**महत्वपूर्ण**" बताया गया है, क्योंकि इससे 'इटालियन मरीन के मामले' को लेकर पाँच वर्ष से अधिक समय से चल रहे तनाव के समाप्त होने की आशा है।
- भारत और इटली की सुरक्षा फर्मों के मध्य **"व्यवस्थित वार्ता"** को बढ़ाने और प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक **संयुक्त रक्षा समिति** की स्थापना का निर्णय लिया गया था।
- इटली ने भारत के नाभिकीय, **मिसाइल और दोहरे प्रयोग वाली तकनीक** व पदार्थ-निर्यात (substances-export) पर नियंत्रण वाली व्यवस्थाओं जैसे वासेनार अरेंजमेंट, ऑस्ट्रेलिया समूह और परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (NSG) के साथ **"सघन जुड़ाव"** (intensified engagement) का समर्थन किया। इससे अप्रसार के वैश्विक प्रयासों को बल मिलेगा।
- दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय नियमों, सुशासन, विधि के शासन, आदि पर आधारित कनेक्टिविटी मानकों पर सहमत हुए। इसे चीन की OBOR परियोजना के लिए चुनौती के रूप में देखा जा रहा है।

7.5. जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन

(General Data Protection Regulation: GDPR)

सुर्ख़ियों में क्यों?

मई 2018 से यूरोपियन यूनियन के सभी सदस्य देशों पर जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन (GDPR) लागू हो गया है।

VISION IAS

GDPR क्या है?

- यह EU द्वारा निर्मित एक **व्यापक निजता और डाटा सुरक्षा कानून** है। यह कानून इन देशों के लोगों (निवासी और नागरिक, जिन्हें अधिनियम में डाटा सब्जेक्ट कहा गया है) के व्यक्तिगत डाटा की सुरक्षा में सहयोग करता है। इसके साथ ही यह इस डाटा के संचय (कलेक्शन), प्रसंस्करण (प्रोसेसिंग), साझाकरण (शेयरिंग) तथा भंडारण (स्टोर) को नियंत्रित करने में सहायता प्रदान करता है।
- यह कम्पनियों को (जिन्हें डाटा कंट्रोलर और प्रोसेसर कहा जाता है), इस डाटा के संचरण और उपयोग के संबंध में डाटा सब्जेक्ट्स से **'स्वतंत्र रूप से प्रदत्त, विशिष्ट, सुविज्ञ और स्पष्ट सहमति'** लेना आवश्यक बनाता है। इस प्रकार, **GDPR इस डाटा को EU के बाहर साझा करने को भी नियंत्रित करता है**।
- इसके अतिरिक्त, नई व्यवस्था के अंतर्गत **सहमति का 'रिकॉर्ड'** बनाए रखना आवश्यक है।

GDPR की मुख्य विशेषताएं

- यह GDPR के विनियमन और क्रियान्वयन तथा विवादों का समाधान करने हेतु सदस्य देशों में **डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटीज (DPA)** सहित **यूरोपीय डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड (EDPB)** के गठन का प्रावधान करता है। जहाँ भी यह लागू होता है वहाँ **डाटा प्रोटेक्शन ऑफिसर (DPO)** की नियुक्ति कंपनियों के लिए अनिवार्य हो जाता है।
- **डाटा संरक्षण सिद्धांत:** व्यक्तिगत डाटा को निम्नलिखित छह सिद्धांतों के अनुसार प्रसंस्कृत किया जाना चाहिए:
  - कानूनी, निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से प्रसंस्करण
  - केवल विशिष्ट वैध उद्देश्यों के लिए ही संचय
  - आवश्यकता के अनुरूप पर्याप्त, प्रासंगिक और सीमित
  - परिशुद्धता और अद्यतित बनाए रखना
  - केवल तब तक संगृहीत रखना जब तक आवश्यकता हो
  - समुचित सुरक्षा, समग्रता और गोपनीयता सुनिश्चित करना
- **अभिशासन और जवाबदेही:** इसके लिए डाटा उल्लंघन और जाँच के दस्तावेज़ीकरण के साथ-साथ आंतरिक डाटा संरक्षण नीतियों और प्रक्रियाओं के रख-रखाव और प्रवर्तन की आवश्यकता होती है। उच्च-जोखिम वाले प्रोसेसिंग ऑपरेशन्स के लिए **डाटा प्रोटेक्शन इम्पैक्ट असेसमेंट (DPIAs)** आवश्यक है।
- **'बाइ डिजाइन' और 'बाइ डिफ़ॉल्ट' डाटा संरक्षण:** इससे आशय यह है कि डाटा से संबंधित भविष्य के बिजनेस ऑपरेशन्स और मैनेजमेंट वर्कफ़्लो की डिजाइन GDPR के अनुरूप होनी चाहिए। डिफ़ॉल्ट कलेक्शन मोड को केवल एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए आवश्यक व्यक्तिगत डाटा एकत्रित करने तक ही सीमित होना चाहिए। साथ ही डाटा संग्रहण को डिफ़ॉल्ट रूप से उच्चतम संभावित प्राइवेसी सेटिंग का प्रयोग करना चाहिए और **स्यूडोनिमाइजेशन** (pseudonymisation) या **एनोनिमाइजेशन** (anonymization) का प्रयोग करना चाहिए।
- **व्यक्तिगत डाटा के नष्ट करने का अधिकार:** GDPR में संगठनों की सभी रिपॉजिटरीज से उन स्थितियों में डाटा के पूर्ण रूप से नष्ट करने की अपेक्षा होगी; जब:

  (i) डाटा सब्जेक्ट अपनी सहमति रोक दे;

  (ii) साझेदार संगठन डाटा नष्ट करने का अनुरोध करे; या

  (iii) सेवा अथवा अनुबंध समाप्त हो जाए।

  हालांकि, अपवाद स्वरूप **कुछ कानूनी कारणों से डाटा बनाए रखा जा सकता है**। इसके साथ ही यह भुलाए जाने का अधिकार, डाटा संशोधन का अधिकार, डाटा पोर्टेबिलिटी का अधिकार आदि भी प्रदान करता है।
- कंपनियों को नामित राष्ट्रीय DPA में 72 घंटे के भीतर **डाटा उल्लंघन की रिपोर्ट** करना आवश्यक है। इन उल्लंघनों को व्यक्तियों के समक्ष भी प्रकट किया जाना चाहिए।
- **छूट/प्रतिबंध:** निम्नलिखित मामलों को अधिनियम द्वारा शामिल नहीं किया गया है:
  - न्यायोचित हस्तक्षेप, राष्ट्रीय सुरक्षा, सेना, पुलिस, न्याय
  - सांख्यिकीय और वैज्ञानिक विश्लेषण
  - मृत व्यक्ति (राष्ट्रीय कानून के अधीन)
  - नियोक्ता-कर्मचारी संबंध (एक पृथक कानून के अनुसार कवर किया गया है)
  - पूर्ण रूप से व्यक्तिगत या घरेलू गतिविधि के दौरान एक प्राकृतिक व्यक्ति द्वारा व्यक्तिगत डाटा की प्रोसेसिंग
  - प्रतिकूल रूप से, GDPR के अंतर्गत आने के लिए किसी इकाई का "आर्थिक गतिविधि" (EU कानूनों के अनुसार) में शामिल होना आवश्यक है।
- EU को सेवाएं या वस्तुएं उपलब्ध कराने वाली **EU के बाहर स्थित कम्पनियां** भी GDPR के अधीन होंगी। इन कंपनियों को EU में एक प्रतिनिधि नियुक्त करने की आवश्यकता हो सकती है।

VISION IAS

- इसमें पुलिस और आपराधिक न्याय क्षेत्र के लिए एक पृथक **डाटा प्रोटेक्शन डायरेक्टिव** शामिल है जो राष्ट्रीय, यूरोपीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निजी डाटा विनिमयों से सम्बंधित नियमों का प्रावधान करता है।
- अनुपालन में विफल होने पर **20 मिलियन यूरो या वैश्विक वार्षिक राजस्व के 4%** तक के अर्थदंड को आरोपित किया जा सकता है।
- यह सूचना और प्रक्रियाओं के **सरलीकरण** पर बल देता है जिससे लोगों के लिए इसे समझना आसान हो सकें और सरलता से कार्रवाई कर सकें।
- यूरोपीय संघ द्वारा ऑनलाइन डाटा गतिविधियों के लिए **ई-प्राइवेसी विनियमन** को अभी भी अंतिम रूप दिया जाना शेष है।

भारत और अन्य देशों पर प्रभाव

- यह **प्रौद्योगिकी क्षेत्र**, ऑनलाइन खुदरा विक्रेताओं, सॉफ्टवेयर कंपनियों, वित्तीय सेवाओं, ऑनलाइन सेवाओं/SaaS, खुदरा/उपभोक्ता पैकेज्ड वस्तुओं, B2B मार्केटिंग आदि की **कार्य प्रणालियों को प्रभावित** करता है।
- **भारतीय कंपनियों पर प्रभाव:** यूरोप, भारतीय IT/BPO/प्रौद्योगिकी/फार्मा क्षेत्र के लिए एक महत्त्वपूर्ण बाजार है और इसलिए वहाँ व्यापार कर रहे सभी भारतीय संगठनों के लिए GDPR का अनुपालन करना प्राथमिकता हो जाती है।
  - **चुनौतियाँ: अर्न्स्ट एंड यंग** के एक अध्ययन के अनुसार, केवल 13% भारतीय कंपनियां GDPR के लिए तैयार हैं। ये प्रावधान **छोटी कंपनियों और नए स्टार्ट-अप्स** के लिए चुनौतीपूर्ण होंगे क्योंकि उन्हें या तो अनुपालन की अत्यधिक लागत चुकानी होगी या व्यापार की क्षति उठानी पड़ेगी।
  - **अवसर:** इसके साथ ही यह, नई कंसल्टेंसी और एडवाइजरी कंपनियों को उनका परिचालन स्थापित करने और समस्त विश्व में GDPR अनुपालन के सन्दर्भ में अन्य कंपनियों की सहायता करने का **एक अवसर** प्रदान करता है। साथ ही, इनके अनुपालन को अन्य एशियाई कंपनियों के सापेक्ष **प्रतिस्पर्द्धी लाभ** में परिवर्तित किया जा सकता है।
- **भारत और यूरोपीय संघ के संबंध:**
  - यूरोपीय संघ के बाहर व्यक्तिगत डाटा हस्तांतरण के तरीकों में से एक यह है कि केवल उस देश को डाटा हस्तांतरित किया जाए जिसे यूरोपीय संघ ने 'डाटा संरक्षण का पर्याप्त स्तर प्रदान करने वाले देश' के रूप में मान्यता प्रदान की हो। ऐसे में यह देखते हुए कि EU ने भारत को **'डाटा सिक्योर कंट्री'** का दर्जा नहीं प्रदान किया है, भारत और यूरोपियन कंपनियों के मध्य संचालन कठिन हो सकता है। इसके **भारत-EU BTIA (ब्रॉड-बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट)** पर भी प्रभाव होंगे।
  - GDPR में प्रावधान किया गया है कि **म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटी** (MLAT) जैसे किसी अंतरराष्ट्रीय समझौते की अनुपस्थिति में, किसी डाटा कंट्रोलर/प्रोसेसर पर कार्रवाई के सन्दर्भ में किसी देश के विधिक आदेश/निर्णय को मान्यता नहीं दी जा सकती है। यह चिंता का विषय है क्योंकि भारत में प्रचलित मृत्युदंड के प्रावधानों पर आपत्तियों के चलते जर्मनी ने 2015 में भारत के साथ MLAT पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था।
- **ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकियां:** इन प्रौद्योगिकियों की विकेंद्रीकृत प्रकृति व्यक्तिगत डाटा के बेहतर संरक्षण में सहायता कर सकती है। इसके साथ ही, इन प्रौद्योगिकियों के आधार पर क्रिप्टोकरेंसी के क्षेत्र में विद्यमान अनामिता (anonymity) की स्थिति, GDPR के तहत अनुपालन मानदंडों के साथ विरोधाभाषी भी हो सकती है।
- **विश्वभर के उपभोक्ताओं पर प्रभाव:** वे अन्य सरकारों और कम्पनियों, जो बिना सहमति के व्यक्तिगत डाटा का सृजन करती हैं और इस प्रकार निजता के अधिकार का उल्लंघन करती हैं, उनके विरुद्ध अभियानों के माध्यम से अपने डाटा की सुरक्षा के लिए बेहतर कानूनों की माँग करेंगे।

- **व्यक्तिगत डाटा:** कोई डाटा जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी व्यक्ति या उसके व्यवसायिक, व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन से सम्बद्ध हो, व्यक्तिगत डाटा कहलाती है। इसमें नाम, फोटो, पता- ईमेल या डाक, बैंक संबंधी विवरण, सोशल मीडिया पोस्ट, चिकित्सीय सूचना, बॉयोमीट्रिक डाटा, IP एड्रेस, राजनीतिक मत, यौन उन्मुखता जैसी सूचनाएं शामिल होती हैं।
- **डाटा नियंत्रक** अर्थात् जो डाटा का स्वामी होता है: यह निर्धारित करता है कि निजी डाटा को किस प्रकार और किस उद्देश्य के लिए प्रसंस्कृत किया जाएगा। इसका उत्तरदायित्व यह सुनिश्चित करना भी है कि बाहरी अनुबंधकर्ता इसका अनुपालन करते रहें।
- **डाटा प्रोसेसर** अर्थात् जो डाटा को नियंत्रित करने में सहायता करता है: इसमें आंतरिक समूह (जो व्यक्तिगत डाटा रिकॉर्ड को बनाए रखते हैं और प्रसंकृत करते हैं) या कोई आउटसोर्सिंग फर्म (जो उन गतिविधियों के सभी या कुछ भागों को निष्पादित करती हैं) सम्मिलित हो सकते हैं। उदाहरण के लिए- क्लाउड प्रदाता।
- **डाटा उल्लंघन-** सुरक्षा का उल्लंघन डाटा के आकस्मिक या अवैध विनाश, परिवर्तन, अनधिकृत प्रकटीकरण या व्यक्तिगत डाटा तक पहुंच का कारण बनता है।
- **स्यूडोनिमाइजेशन (pseudonymisation):** इसमें मास्किंग मेथड का प्रयोग करते हुए डाटा को किसी प्रतिवर्ती, संगत मूल्य के साथ प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। यह प्रतिस्थापित मूल्य, मूल डाटा के रूप में पुनः पहचाने जाने योग्य होता है किन्तु मूल डाटा को पुनः पहचानने के लिए किसी अतिरिक्त सूचना की आवश्यकता होती है।
- **एनोनिमाइजेशन (anonymization):** एन्क्रिप्शन मेथड जो स्पष्ट टेक्स्ट डाटा को मानव के न समझने योग्य रूप में स्थायी रूप से

VISION IAS

परिवर्तित कर देता है और पहचान योग्य मूल डाटा को नष्ट कर देता है।
- **बलपूर्वक सहमति** तब होती है जब उपयोगकर्ता को अपने डाटा संग्रहण की सहमति या सेवा उपयोग को छोड़ने के मध्य किसी एक को चुनना होता है। यह GDPR के अनुरूप नहीं है।

7.6. भारत-नॉर्डिक सम्मेलन

(India-Nordic Summit)

सुर्ख़ियों में क्यों?

स्टॉकहोम में **प्रथम भारत-नॉर्डिक सम्मेलन** का आयोजन किया गया।

अन्य संबंधित तथ्य
- नॉर्डिक देशों में **स्वीडेन, नॉर्वे, फ़िनलैंड, डेनमार्क** तथा **आइसलैंड सम्मिलित** हैं।
- इस सम्मेलन का विचार सर्वप्रथम भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया था।
- इसके पूर्व नॉर्डिक देशों के ऐसे एकमात्र सम्मेलन का आयोजन तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ किया गया था।
- यह पहल नई दिल्ली का यूरोप में इस तरह का प्रथम प्रयास है, क्योंकि परंपरागत रूप से भारत, यूरोपीय संघ (EU) के साथ वार्ता में सलंग्न रहा है।

भारत के लिए नॉर्डिक राष्ट्रों का महत्व:
- **नॉर्डिक देश भारत की NSG सदस्यता**, UNSC में इसकी स्थायी सदस्यता एवं UNSC सुधारों की मांग **का समर्थन करते हैं।**
- भारत शिक्षा, संस्कृति, श्रम गतिशीलता और पर्यटन के माध्यम से स्थापित हुए सशक्त पीपुल टू पीपुल कांटेक्ट से लाभ प्राप्त कर सकता है। (नॉर्डिक सस्टेनेबल सिटीज प्रोजेक्ट भारत सरकार के स्मार्ट सिटीज प्रोग्राम का समर्थन प्रदान करता है)
- स्वच्छ प्रौद्योगिकियों, समुद्री समाधानों (maritime solutions), बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, खाद्य प्रसंस्करण, स्वास्थ्य, जीवन-विज्ञानों (life-sciences) और कृषि से सम्बंधित नॉर्डिक समाधान; एवं नवाचार तंत्र के लिए सार्वजनिक, निजी और शैक्षणिक क्षेत्र के मध्य एक मजबूत सहयोग का नॉर्डिक दृष्टिकोण, न्यू इंडिया के लिए उपयोगी हो सकता है।

8. रूस (Russia)

8.1. भारत-रूस (India-Russia)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारतीय प्रधानमंत्री और रूसी राष्ट्रपति के मध्य सोची में एक अनौपचारिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया।

सोची अनौपचारिक शिखर सम्मेलन के परिणाम

- भारत और रूस, अपनी पारस्परिक रणनीतिक साझेदारी को उन्नत कर **"विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी"(special privileged strategic partnership)** के रूप में परिवर्तित करने को सहमत हुए।
- दोनों पक्ष **अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (INSTC)** और ब्रिक्स के लिए मिलकर कार्य करने हेतु सहमत हुए। साथ ही भारत द्वारा शंघाई सहयोग संगठन की सदस्यता प्राप्ति में रूस के समर्थन के लिए उसका धन्यवाद किया गया।
- दोनों देशों ने रणनीतिक और रक्षा संबंधों को पुनः दोहराया। इससे प्रदर्शित होता है कि दोनों देश अमेरिका द्वारा **काउंटर अमेरिका एड्वर्सरी थ्रू सैंक्शन्ड एक्ट (CAATSA)** के माध्यम से रूस पर लगाये जाने वाले प्रतिबंधों के संभावित परिणामों के प्रति एकजुट हैं।
- भारत ने अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद सेना के लिए रूस निर्मित **एस-400 ट्रायम्फ एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम** की पांच टुकड़ियों की खरीद की दिशा में आगे बढ़ने का निर्णय लिया है।
- दोनों देशों के मध्य आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए सोची में नीति आयोग और रूस के आर्थिक विकास मंत्रालय के मध्य **द्विपक्षीय सामरिक आर्थिक वार्ता** भी संपन्न हुई।

भारत-रूस संबंधों की पृष्ठभूमि:

- भारत और रूस के मध्य 1947 से ही बेहतर संबंध रहे हैं। रूस ने भारी मशीन-निर्माण, खनन, ऊर्जा उत्पादन और इस्पात संयंत्रों के क्षेत्रों में निवेश के माध्यम से आर्थिक आत्मनिर्भरता के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में **भारत की सहायता** की थी।
- अगस्त 1971 में भारत और सोवियत संघ ने **शांति, मैत्री एवं सहयोग संधि** पर हस्ताक्षर किए। यह दोनों देशों के साझा लक्ष्यों की अभिव्यक्ति थी। इसके साथ ही यह क्षेत्रीय एवं वैश्विक शांति और सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने की रूपरेखा (ब्लूप्रिंट) भी थी।
- **सोवियत संघ के विघटन के बाद** दोनों देशों द्वारा जनवरी 1993 में **शांति, मैत्री एवं सहयोग की एक नई संधि** को अपनाया गया था। तत्पश्चात 1994 में द्विपक्षीय सैन्य-तकनीकी सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किये गए।
- वर्ष 2000 में दोनों देशों ने एक **रणनीतिक साझेदारी** आरम्भ की। इसके साथ ही दोनों देशों द्वारा वर्ष 2017 को राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ के रूप में चिह्नित किया गया है।

भारत-रूस संबंधों में ठहराव

जहां एक ओर दोनों देशों के मध्य द्विपक्षीय संबंध विवाद मुक्त दिखाई देते हैं, वहीं भू-राजनीतिक आयामों में हाल ही में हुए परिवर्तन नए समीकरणों की ओर संकेत करते हैं। इन्हें निम्नलिखित कारकों के माध्यम से समझा जा सकता है:

- **रूस और चीन के मध्य बढ़ते आर्थिक संबंध:** आर्थिक गतिहीनता तथा अमेरिका और यूरोपीय देशों द्वारा लगाए गए आर्थिक और अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों ने रूसी अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया है।
  - रूस ने मुख्यतः यूक्रेन संकट के समय **चीन की ओर रणनीतिक पहुंच** बनाने के प्रयास किए थे, क्योंकि विश्व स्तर पर भारत की तुलना में चीन के विचार अधिक महत्व रखते हैं। हाल ही में रूस द्वारा चीन को SU-30 30 MKK/MK2 फाइटर और विशेष रूप से S-35, S-400 लॉन्ग रेंज एंटी-एयरक्राफ्ट मिसाइलों का विक्रय किया गया है। इसके चीन-भारत के मध्य सैन्य संतुलन और भारत की सुरक्षा पर तात्कालिक और महत्वपूर्ण प्रभाव होने की संभावना है।
  - इसके अतिरिक्त रूस का झुकाव पाकिस्तान की ओर भी बढ़ रहा है। रूस पाकिस्तान के साथ सैन्य अभ्यास और रक्षा व्यापार भी आरंभ कर रहा है।
- **विविधतापूर्ण रक्षा खरीद:** भारत द्वारा अपनी रक्षा खरीद को विविधता प्रदान की जा रही है जिसके परिणामस्वरूप संयुक्त राज्य अमेरिका, इज़राइल और फ्रांस जैसे अन्य भागीदार इसमें शामिल हो गए हैं। इस प्रक्रिया ने भी दोनों देशों के संबंधों को प्रभावित किया है।
  - **सुदृढ़ द्विपक्षीय आर्थिक और व्यापार संबंधों की अनुपस्थिति में**, भारत-रूस के मध्य व्यापक रक्षा संबंध अत्यावश्यक हैं। इन संबंधों में किसी भी प्रकार की गिरावट के भारत-रूस संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव हो सकते हैं।
- **संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ भारत की बढ़ती निकटता:** भारत और अमेरिका के मध्य विस्तृत होते संबंध एवं बढ़ता रक्षा सहयोग तथा भारत के अमरीकी नेतृत्व वाले चतुष्पक्षीय समूह (quadrilateral group) में शामिल होने के कारण रूस ने भारत के प्रति अपनी विदेश नीति में रणनीतिक परिवर्तन किये हैं।

VISION IAS

सहयोग के संभावित क्षेत्र:

- रक्षा साझेदारी में भारत के विविधीकरण के बावजूद भारत की रक्षा सूची में अभी भी **70% रूस का ही योगदान** है। वस्तुतः यदि परमाणु पनडुब्बियों जैसे कुछ महत्त्वपूर्ण सन्दर्भों में देखा जाए तो रूस के महत्व को कम नहीं किया जा सकता।
- यदि ईरान से गुजरने वाला अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण गलियारा (INSC) और व्लादिवोस्तोक-चेन्नई समुद्री मार्ग प्रारंभ हो जाये तो रूस और भारत के मध्य **व्यापार के क्षेत्र में अभी भी सुधार की संभावनाएं** विद्यमान हैं।
- भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, बायो-टेक्नोलॉजी, आउटर स्पेस और नैनो-टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में **रूस के साथ उच्च प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग** का लाभ उठा सकता है।
- भारत अपने **मूलभूत शोध और शिक्षा सुविधाओं** के अद्यतन हेतु भी रूस का सहयोग प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार परस्पर निवेश के अतिरिक्त, **ऊर्जा क्षेत्र** में भी वृद्धि की संभावनाएं हैं। प्राकृतिक संसाधनों जैसे काष्ठ और कृषि के व्यापार से भी लाभ उठाये जा सकते हैं।
- **सामरिक और आर्थिक स्तर पर**, रूस चीन पर अपनी अत्यधिक निर्भरता पर गंभीरता से विचार कर रहा है तथा पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (EAS) और आसियान के माध्यम से जापान, वियतनाम और अन्य दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के साथ अपने संबंधों को प्रगाढ़ करने का भी प्रयास कर रहा है। इन देशों के साथ भारत के दीर्घकालिक संबंध को देखते हुए, भारत इन संबंधों के संचालन में रूस की सहायता कर सकता है।

निष्कर्ष:

- यदि भू-सामरिक दृष्टिकोण से देखे तो, भारत-रूस संबंधों में गिरावट आने से परिधि बनाम केंद्र प्रतिस्पर्द्धा (periphery versus core competition) और कठोर हो जाएगी जो अभी केवल आकार ही ग्रहण कर रहा है। इससे जहाँ एक ओर भारत मध्य एशिया से बहिष्कृत हो जाएगा वहीं रूस की चीन पर निर्भरता में वृद्धि हो जाएगी। ऐसे में यह निर्धारित करना कठिन होगा कि दोनों के मध्य संबंधों में कटुता आने से अधिक हानि किसे होगी।
- इन मतभेदों के बावजूद, सुदृढ़ भारत-रूस संबंधों का होना अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दोनों देशों को अन्य अभिकर्ताओं के साथ बेहतर सौदेबाजी की क्षमता प्रदान करते हैं।
- दोनों देशों के मध्य वार्षिक शिखर सम्मेलन (इस वर्ष अक्टूबर में निर्धारित 19वां वार्षिक शिखर सम्मेलन) के साथ वर्तमान अनौपचारिक शिखर सम्मेलन बदलते भू-राजनीतिक परिदृश्य में रूस सहित अमेरिका और चीन के साथ भारत के संबंधों को संतुलित करने और परस्पर विश्वास का पुनर्निर्माण करने के दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।

9. संयुक्त राष्ट्र अमेरिका (USA)

9.1. अमेरिका की नई सुरक्षा रणनीति

(The New US Security Strategy)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी नई सुरक्षा रणनीति (NSS) की घोषणा की है।

मुख्य बिंदु

- **इंडो-पैसिफिक क्षेत्र-** इस दस्तावेज़ में भारत को स्पष्ट रूप से इंडो-पैसिफिक (हिंद-प्रशांत महासागर) क्षेत्र की परिभाषा में शामिल किया गया है। यह क्षेत्र "भारत के पश्चिमी तट से संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट" तक विस्तृत है।
- **चीन और रूस से मुकाबला-** चीन और रूस को अपने स्वयं के आदर्शों के अनुरूप विश्व को ढालने की सोच रखने वाली "संशोधनवादी शक्तियाँ (revisionist powers)" माना गया है।
- **भारत के साथ बढ़ता गठबंधन-** यह नीति भारत के साथ एक गहन साझेदारी को बढ़ावा देती है तथा पाकिस्तान को अपनी भूमि से संचालित होने वाले "पारदेशीय आतंकवाद" के विरुद्ध कार्यवाही करने का निर्देश देती है।
- **द्विपक्षीय व्यापार की ओर झुकाव-** यह नीति बहु-पक्षीय व्यापार लेन-देन के स्थान पर द्विपक्षीय लेन-देन का समर्थन करती है क्योंकि वर्तमान में देश एक दूसरे के साथ तीव्र प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं।
- इसमें संयुक्त राष्ट्र व अन्य अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को अमेरिकी हितों के प्रति अहितकर होने के स्थान पर समझौतावादी दृष्टिकोण अपनाने की बात कही गई है।

मूल्यांकन

- **"अमेरिका फर्स्ट" के एजेंडे** पर आधारित यह रणनीति प्रबल रूप से अमेरिका के आर्थिक क्रियाकलापों पर केन्द्रित है। इस रणनीति के अनुसार अमेरिका की आर्थिक सुरक्षा उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा का मूल आधार है।
- यह रणनीति, जीवाश्म ईंधनों के दोहन के साथ-साथ अमेरिका के लिए **"ऊर्जा के क्षेत्र में प्रभुत्व"** स्थापित करना और उसे बनाए रखना आवश्यक मानती है। इसके साथ ही पेरिस जलवायु समझौते से पीछे हटने की अमेरिकी नीति के अनुरूप ही यह **जलवायु परिवर्तन के दावे को नकारती है।**
- यह ISIS जैसे आतंकवादी समूहों के विरुद्ध **अमेरिका की सैन्य कार्यवाही** पर बल देती है तथा साथ ही साइबर सुरक्षा व आव्रजन प्रवर्तन पर भी बल देती है।

भारत के लिए महत्त्व

- यह रणनीति भारत को एक **"लीडिंग ग्लोबल पावर" (प्रमुख वैश्विक शक्ति)** व **"स्ट्रांगर स्ट्रेटेजिक एंड डिफेन्स पार्टनर" (मजबूत रणनीतिक एवं रक्षा सहयोगी)** के रूप में मान्यता प्रदान करती है तथा जापान, ऑस्ट्रेलिया व भारत के साथ आपसी सहयोग (quadrilateral cooperation) बढ़ाने की माँग करती है।
- इसके पूर्व 2015 में भारत को केवल "क्षेत्रीय सुरक्षा प्रदाता **(रीजनल प्रोवाइडर ऑफ़ सिक्यूरिटी)** और 2010 में "21वीं सदी के प्रभाव केन्द्रों में से एक" **(21st सेंचुरी सेंटर्स ऑफ़ इन्फ्लुएंस)** का दर्जा दिया गया था। जबकि वर्तमान रणनीति में भारत को दिया गया यह दर्जा भारत-अमेरिका संबंधों के एक नए और उन्नत चरण को दर्शाता है।
- यह रणनीति, अपनी परमाणु परिसंपत्तियों के "जिम्मेदार प्रबंधक" के रूप में **पाकिस्तान पर** उसके आतंकवाद रोधी प्रयासों को और अधिक तेज़ करने का **दबाव** बनाती है। यह भारत-पाकिस्तान संबंधों के परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण है।
- यह चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (जिसका भारत समर्थन नहीं करता) का अप्रत्यक्ष रूप से संदर्भ प्रस्तुत करते हुए **दक्षिण एशियाई देशों की संप्रभुता का समर्थन** करती है।
- अमेरिका ने प्रतिबद्धता जताई है कि वह समृद्धि बढ़ाने के लिए मध्य और दक्षिण एशिया के **आर्थिक समेकन** का समर्थन करेगा तथा भारत को भी इस क्षेत्र में अपना आपसी सहयोग बढ़ाना चाहिए।

आगे की राह

हालाँकि यह रणनीति भारत का पूर्ण रूप से समर्थन करती है, तथापि इस सन्दर्भ में निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए–

- जहाँ इंडो-पैसिफिक का विचार सुनने में भव्य एवं आकर्षक प्रतीत होता है, वहीं भारत को यह नहीं भूलना चाहिए कि उसकी चिंता का प्राथमिक विषय उसका निकटवर्ती पड़ोसी देश है। अत: इस क्षेत्र में अपनी स्थिति को मजबूत करना किसी अन्य क्षेत्र पर ध्यान केन्द्रित करने की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है।
- भारत को अमेरिका द्वारा उसे चीन के विरुद्ध उपयोग किए जाने के किसी भी प्रयास से सावधान रहना चाहिए क्योंकि इससे भारत-चीन संबंध खतरे में पड़ सकते हैं।

VISION IAS

- भारत को अपने पड़ोस में ही क्षमता निर्माण करने की आवश्यकता है क्योंकि चीन अफ्रीका, पश्चिम एशिया और हिंद महासागर में अपने विदेशी सैन्य ठिकानों के निर्माण की संभावनाएं तलाश रहा है।

9.2 भारत-अमेरिका समझौते

(INDIA-US Pacts)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारतीय रक्षा मंत्रालय द्वारा अमेरिका के साथ कम्युनिकेशन्स कम्पेटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट (COMCASA) और बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट फॉर जिओ-स्पैसियल कोऑपरेशन (BECA) समझौतों का पुनः मूल्यांकन किया जा रहा है।

पृष्ठभूमि

- भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य तीन **आधारभूत रक्षा समझौते प्रस्तावित हैं-** लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरैंडम ऑफ एग्रीमेंट (LEMOA), कम्युनिकेशन्स कम्पेटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट (जिसे पूर्व में CISMOA के रूप में जाना जाता था) और बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट फॉर जिओ-स्पैसियल कोऑपरेशन (BECA)। इन पर वर्षों से वार्ताएं चल रही हैं।
- वर्तमान में भारत ने **केवल LEMOA समझौते पर हस्ताक्षर किया है।** जबकि शेष दो समझौतों को संपन्न करने के प्रयासों पर हाल ही में पुनर्विचार किया जा रहा है।

भारत को इन समझौतों पर हस्ताक्षर क्यों करना चाहिए?

- इनमें से प्रत्येक समझौता अमेरिका-भारत रक्षा सहयोग के सन्दर्भ में किसी भी पक्ष के दृष्टिकोण में किसी क्रांतिकारी परिवर्तन की अपेक्षा किये बिना उसमें न्यायोचित व स्वाभविक विस्तार करता है।
- COMCASA भारतीय सेना के लिए **आधुनिक, सुरक्षित और नेट-इनेबल्ड वेपन सिस्टम्स** जैसे- प्रिसिजन आर्मामेंट, एयर-टू-एयर मिसाइलों, अंतरिक्ष प्रणालियों और नेविगेशन सिस्टम्स की प्राप्ति हेतु आवश्यक परिस्थितियों का निर्माण करता है। ये प्रणालियाँ लड़ाकू विमान और मानव रहित विमान जैसे प्लेटफॉर्मों के लिए महत्वपूर्ण घटक होती हैं। अब तक भारत को अत्यधिक महंगे व्यावसायिक संचार उपकरण खरीदने पड़े हैं, जो इन प्लेटफॉर्मों की कुल अधिग्रहण लागत को बढ़ाते रहे हैं।

FOUNDATIONAL AGREEMENTS

	Basic purpose
LEMOA	Enable deployed forces to share logistics support to meet unforeseen requirements that might arise in the field or unanticipated mission requirements
CISMOA	Provide the legal mechanism to exchange command, control, communications, computer intelligence, surveillance & reconnaissance (C4ISR) data to a foreign country, establish secure communications channels, and exchange communications supplies & services
BECA	Enable the sharing of a range of geospatial products, including access to mapping and hydrographic data, flight information products, and the U.S National Geospatial-Intelligence Agency's geospatial information bank

- COMCASA और BECA समझौतों की अनुपस्थिति ने **भारत को बेचे गए अमेरिकी प्लेटफार्मों (जैसे P-8I विमान) की कार्यक्षमता को प्रभावित किया है** एवं दोनों सेनाओं के मध्य अंतःक्रियाशीलता और डेटा साझाकरण को सीमित किया है।
- इसके अतिरिक्त, इन समझौतों के माध्यम से दोनों देशों के मध्य **विश्वास** का निर्माण भी हो सकेगा।

भारत द्वारा इन समझौतों पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किए गए?

- **सामरिक चिंताएं**
  - ये समझौते सैन्य गठबंधन के लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं और भारत को अपनी **सामरिक स्वायत्तता के साथ समझौता** करने के लिए विवश करते हैं।
  - ये समझौते **चीन को विचलित कर सकते हैं जिससे** भारत के समक्ष बीजिंग के साथ सीमा विवादों के लिए एक प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
  - यह रूस और भारत के मध्य चल रही परियोजनाओं तथा **उनके मध्य ऐतिहासिक घनिष्ठ रक्षा समझौतों को जोखिम में डाल सकते हैं।**
- **परिचालन संबंधी चिंताएं**
- COMCASA का क्रियान्वयन
  - यह **भारतीय सैन्य परिसंपत्तियों की अवस्थिति को** पाकिस्तान या अन्य देशों के **समक्ष उजागर कर सकता है।** इसके अतिरिक्त, अमेरिकी C4ISR सिस्टम का उपयोग **भारत की सामरिक परिचालन सुरक्षा से समझौता करने के संदर्भ में किया जा सकता है।** C4ISR अमेरिका को भारतीय युद्धपोतों और विमानों पर निगरानी रखने में सक्षम बना देगा क्योंकि इसमें कोडिंग और कीइंग सिस्टम समान होंगे।
  - अमेरिकी प्रक्रियाओं को देखते हुए, यह **भारतीय सेना के लिए अत्यधिक बोझिल होगा।**

- हाल ही में हुए द्विपक्षीय रक्षा सहयोग और वर्कअराउंड समझौते जैसे नवीनीकृत ईंधन विनिमय समझौतों के प्रभाव के कारण **इन समझौतों की कोई स्पष्ट आवश्यकता** नहीं है।

9.3. भारत अमेरिका सौर विवाद

(India USA Solar Dispute)

सुर्ख़ियों में क्यों?

WTO ने एक अनुपालन पैनल के गठन पर अपनी सहमति प्रदान की है। यह पैनल इस बात का परीक्षण करेगा कि क्या भारत ने सौर विवाद मामले पर इसके निर्णय का अनुपालन किया है अथवा नहीं।

पृष्ठभूमि

- भारत ने **2011 में** नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज (NAPCC) के अंतर्गत **राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन** का शुभारम्भ किया है। इसके अंतर्गत 2022 तक ग्रिड से जुड़ी 20,000 MW सौर ऊर्जा विद्युत् की स्थापना करना था। इसे 2015 में संशोधित कर 100 GW कर दिया गया।
- सरकार ने घरेलू निर्माताओं को ऑर्डर देकर विशाल सौर क्षमता स्थापित करने के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों को प्रति मेगावाट 1 करोड़ रूपए तक की **वित्तीय सहायता** का प्रस्ताव दिया है।
- अमेरिका ने 2013 में WTO के पास शिकायत दर्ज की कि भारत का यह कार्यक्रम विभेदकारी है और इसके कारण भारत को किए जाने वाले **अमेरिकी सौर निर्यातों में 2011 के बाद से 90 प्रतिशत तक की गिरावट आई है।** साथ ही, अमेरिका ने WTO में इससे संबंधी एक वाद दायर किया है।
- WTO के सर्वोच्च **अपीलीय निकाय** द्वारा इस निर्णय का समर्थन किया गया कि जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय सौर मिशन (JNNSM) के अंतर्गत निर्धारित डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट्स (DCRs) संबंधी प्रावधान चूँकि आयातित उत्पादों पर घरेलू उत्पादों को वरीयता देते हैं, अतः ये **नेशनल ट्रीटमेंट एवं ट्रेड-रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स (TRIMs)** के कई प्रमुख प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं। अत: भारत को 2016 के सौर विवाद में हार का सामना करना पड़ा।
- तत्पश्चात् भारत 14 दिसंबर 2017 तक विवाद समाधान निकाय (DSB) की अनुशंसाएं लागू करने पर सहमत हुआ। भारत ने DSB के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत की और यह दावा किया कि इसने JNNSM के अंतर्गत नियमों एवं प्रक्रियाओं में परिवर्तन किए हैं तथा विद्युत् खरीद समझौतों के अंतर्गत अब सेलों एवं मोड्यूलों (modules) को घरेलू बाजार से क्रय करने की बाध्यता नहीं है।
- अमेरिका निरंतर अनुपालन संबंधी भारतीय दावों से असहमति जताता रहा और इस प्रकार एक अनुपालन पैनल की स्थापना अनिवार्य हो गई।

नेशनल ट्रीटमेंट

नेशनल ट्रीटमेंट के अंतर्गत, सरकारों को आयातित उत्पादों के प्रति भी वही व्यवहार अपनाना होता है जैसा वे घरेलू रूप से विनिर्मित उत्पादों के प्रति करती हैं।

ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स (TRIMs)

यह वस्तुओं के व्यापार के बहुपक्षीय समझौतों में से एक है जो GATT 1994 के मूल प्रावधानों के साथ असंगत व्यापार-सम्बंधित निवेश उपायों (जैसे- लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट्स) को प्रतिबंधित करता है।

निहितार्थ

- भारत द्वारा अनुपालन नहीं किए जाने की स्थिति में अमेरिका द्वारा भारत पर **व्यापार प्रतिबंध** लगाने हेतु WTO की अनुमति की माँग की जा सकती है। हालांकि WTO विवाद व्यवस्था में कानूनी प्रक्रिया एक वर्ष या इससे अधिक समय तक चलने की संभावना है।
- ऐसे विवादों के न केवल भारत अपितु अनेक विकासशील देशों (जो हरित अर्थव्यवस्था को अपनाने हेतु संघर्षरत हैं) के लिए **व्यापक निहितार्थ** हैं। डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट्स की परिकल्पना लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकालने हेतु नौकरियों के सृजन के लिए की गयी है।

9.4. स्टील एवं एल्युमिनियम पर अमेरिकी आयात ड्यूटी में वृद्धि

(US Import Duty Hike on Steel and Aluminium)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, अमेरिका ने इस्पात पर 25% और एल्युमिनियम पर 10% आयात शुल्क की घोषणा की।

VISION IAS

आयात शुल्क में वृद्धि के प्रभाव

अमेरिका के लिए घरेलू स्तर पर

- इससे घरेलू स्टील की कीमत में 5 प्रतिशत की वृद्धि होगी, जिससे कार और इंजीनियरिंग जैसे **उद्योगों की लागत** में वृद्धि होगी।
- यह **मुद्रास्फीति दबाव** उत्पन्न कर सकता है, जिससे उच्च ब्याज दरों एवं डॉलर के मूल्य में वृद्धि होती है।

वैश्विक प्रभाव

- अमेरिका के लिए स्टील एवं स्टील उत्पादों के सबसे बड़े आपूर्तिकर्ता चीन, कनाडा, मेक्सिको, दक्षिण कोरिया और जापान हैं। ये सर्वाधिक प्रभावित देश हैं; इन देशों द्वारा प्रतिशोधात्मक उपाय अपनाए जा सकते हैं। ऐसे कदम **वैश्विक व्यापार संघर्ष** को प्रेरित कर सकते हैं।
- ऐसी कार्यवाहियों से WTO के नियमों का उल्लंघन हो रहा है। ये आगे चलकर बहुपक्षीय व्यापार तंत्र को कमजोर बना देंगी।
- स्टील और एल्युमिनियम पर अमेरिकी ड्यूटी का अर्थ है कि **अधिशेष** को निम्न कीमत पर कुछ अन्य देशों में डंप करना होगा।

भारत पर प्रभाव

- इस कदम से भारत पर अल्पावधि में प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि-
  - 2017 में अमेरिका को किया गया भारतीय स्टील और एल्युमिनियम का निर्यात कुल निर्यात के 5% से भी कम है।
  - घरेलू खपत में अपेक्षित वृद्धि, अमेरिका को किए जाने वाले निर्यात में होने वाली संभावित कमी को प्रतिसंतुलित कर देगी।
- हालांकि, यदि इस प्रकार की कार्यवाहियों में वृद्धि होती है और अन्य देश भी ऐसा करना शुरू करते हैं तो विश्व व्यापार दुष्प्रभावित होगा और इसका प्रभाव भारत पर भी पड़ेगा। एशियाई उत्पादक, यहां मांग देखकर अपने उत्पादों को डंप कर सकते हैं या आयात में उछाल ला सकते हैं।

9.5. संयुक्त राज्य अमेरिका के राज्यक्षेत्रातीत प्रतिबंध

(US Extraterritorial Sanctions)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा रूस एवं ईरान को लक्षित करते हुए कई राज्यक्षेत्रातीत प्रतिबंध अधिरोपित किए गए, जिनसे भारत भी प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होगा।

राज्यक्षेत्रातीत / द्वितीयक प्रतिबंधों के संबंध में:

ये वे प्रतिबंध हैं जिन्हें तीसरी दुनिया की सरकारों, व्यवसायों और नागरिकों की आर्थिक गतिविधियों को प्रतिबंधित करने के लिए लगाया जाता है। अधिकांश राष्ट्रों द्वारा इन प्रतिबंधों को उनकी संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन माना जाता है।

हालिया अमेरिकी राज्यक्षेत्रातीत प्रतिबंध और भारत पर उनका संभावित प्रभाव:

1. संयुक्त व्यापक कार्यवाही योजना (Joint Comprehensive Plan of Action: JCPOA) से संयुक्त राज्य अमेरिका का अलग होना

- ईरान परमाणु समझौते से अलग होने के पश्चात् संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरान पर एकपक्षीय प्रतिबंध लगाए। इससे तेल की कीमतों में वृद्धि, विदेशी विनिमय बहिर्प्रवाह तथा रुपए का अवमूल्यन हुआ है। साथ ही इससे ईरान, जो भारत के लिए 2017 में तेल का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक राष्ट्र था, के साथ भारत का तेल व्यापार भी प्रभावित होगा।
- यह **अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे** और ईरान में **चाबहार बंदरगाह** की प्रगति को भी प्रभावित कर सकता है। भारत के लिए यह गलियारा अत्यंत महत्वपूर्ण है और वह **चाबहार बंदरगाह** को पाकिस्तान से गुजरे बिना अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुँचने के प्रवेश द्वार के रूप में देखता है।
- भारत ने कहा है कि ईरान मुद्दे का शांतिपूर्वक समाधान करने के लिए संबंधित सभी पक्षों को रचनात्मक रूप से संलग्न होना चाहिए और परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग संबंधी ईरान के अधिकार को सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के शासी बोर्ड में अमेरिकी दबाव के कारण भारत द्वारा ईरान के विरुद्ध मतदान के पश्चात्, 2005 में तेहरान ने दीर्घकालिक द्रवीकृत प्राकृतिक गैस समझौते (LNG deal) को निरस्त कर दिया था। यह समझौता भारत के लिए लाभकारी था।
- भारत पर 2012 से 2015 के मध्य ईरान से तेल के आयात को अत्यधिक कम करने हेतु दबाव डाला गया। इसके परिणामस्वरूप भारत को ईरान के साथ रुपए में लेन-देन करना पड़ा अथवा विनिमय व्यापार (barter trade) करना पड़ा। भारत को अब उन उपायों को पुनः अपनाना पड़ सकता है।

2. CAATSA का प्रयोग कर रूस, ईरान और उत्तरी कोरिया पर अमेरिकी प्रतिबंध

अमेरिका अपने हथियारों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए अपने भू-राजनीतिक और वाणिज्यिक हितों को आगे बढ़ाने के लिए राज्यक्षेत्रातीत प्रतिबंधों को लागू कर रहा है।

- **CAATSA** के द्वारा भारत की रूस से हथियारों की खरीद को कई तरीकों से प्रभावित किये जाने की संभावना है-
  - रूस से भारत की योजनाबद्ध खरीद, विशेष रूप से **4.5 अरब डॉलर की कीमत के S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस सिस्टम**, प्रोजेक्ट 1135.6 फ्रिगेट्स और Ka226T हेलीकॉप्टर, अमेरिकी अधिकारियों की तत्कालिक निगरानी के तहत आ जाएगी।
  - यह भारतीय और रूसी रक्षा कंपनियों के मध्य सभी संयुक्त उपक्रमों (JV), जैसे कि **इंडो-रशियन एविएशन लिमिटेड, मल्टी-रोल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट लिमिटेड और ब्रह्मोस एयरोस्पेस** को प्रभावित करेगा। इससे मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत भारत के **स्वदेशीकरण और आत्मनिर्भरता के प्रयास** प्रभावित होंगे।
  - यह भारत की रूस से स्पेयर पार्ट्स, कंपोनेंट्स व कच्चे पदार्थों की खरीद को प्रभावित करेगा। साथ ही यह मौजूदा उपकरणों के रख-रखाव हेतु ऐसी अन्य किसी सहायता को भी प्रभावित करेगा, जिसके लिए भारतीय इकाइयां रूस पर निर्भर हैं।

काउंटरिंग अमेरिकाज़ ऐड्वर्सेरीज थ्रू सेंक्शन्स एक्ट (Countering America's Adversaries through Sanctions Act: CAATSA) के संबंध में अन्य तथ्य

- यह 2 अगस्त, 2017 को अधिनियमित किया गया। इसका उद्देश्य दंडात्मक उपायों के माध्यम से ईरान, रूस और उत्तरी कोरिया की आक्रामकता का सामना करना है।
- **अधिनियम का शीर्षक II** यूक्रेन में रूस के सैन्य हस्तक्षेप की पृष्ठभूमि और 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों में कथित हस्तक्षेप के आधार पर रूसी हितों, जैसे- तेल और गैस उद्योग, रक्षा और सुरक्षा क्षेत्र और वित्तीय संस्थानों पर प्रतिबंधों से संबंधित है।
- अधिनियम के तहत अमेरिका के **डिपार्टमेंट ऑफ़ स्टेट** ने रक्षा और आसूचना क्षेत्र की लगभग सभी प्रमुख 39 रूसी इकाइयों को अधिसूचित किया है। इन इकाइयों के साथ किसी तृतीय पक्ष के संव्यवहार करने पर उन पर भी प्रतिबंध आरोपित किये जा सकते हैं।

भारत-अमेरिका संबंधों पर इन प्रतिबंधों के संभावित प्रभाव

- यह अमेरिका को एक विश्वसनीय भागीदार मानने के सन्दर्भ में भारत की पारंपरिक संशय की भावना में वृद्धि करेगा। इससे ऐसे समय में जब अमेरिका ने भारत को एक प्रमुख रक्षा भागीदार के रूप में नामित किया है, भारत और अमेरिका के रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
- **अमेरिकी कंपनियों के लिए अत्यधिक क्षति -** संस्थाओं के साथ व्यापार समझौते में जुर्माने पर रक्षा मंत्रालय (MoD) के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, किसी भी संविदात्मक दायित्व की पूर्ति न करने पर अमेरिकी कंपनियों को अनेक विशाल स्तर के खरीद अनुबंधों में भाग लेने से निलंबित या प्रतिबंधित किया जा सकता है। यह ध्यातव्य है कि मेक इन इंडिया और विविधीकरण नीतियों के भाग के रूप में घोषित अपने **नए सामरिक साझेदारी मॉडल** के माध्यम से, भारत द्वारा इन खरीद अनुबंधों को अत्यंत उत्साह और तेज़ी से आगे बढ़ाया जा रहा है।

आगे की राह

- एक संप्रभु देश के रूप में, भारत को किसी अन्य राष्ट्र के साथ अपने रक्षा सहयोग या व्यापार संबंधों के संदर्भ में निर्देशित नहीं किया जा सकता है। हाल ही में शांगरी-ला डायलॉग में प्रधानमंत्री द्वारा इसे स्पष्ट किया गया था जब उन्होंने उल्लेख किया कि भारत मुक्त और स्थिर व्यापार व्यवस्था को बढ़ावा देता है। इसी प्रकार, विदेश मंत्री ने बल दिया कि **"भारत ने केवल संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंधों का पालन किया है, किसी देश के एकपक्षीय प्रतिबंधों का नहीं।"**
- चूंकि ये प्रतिबंध अंतरराष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और WTO नियमों का उल्लंघन करते हैं, इसलिए भारत को अन्य देशों के साथ कूटनीतिक उपायों का प्रयोग करना चाहिए। जिसमें अमेरिका को WTO डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी में ले जाने और गैरकानूनी राज्यक्षेत्रातीत प्रतिबंधों के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्ताव लाना शामिल है।
- भारत को अपने मौजूदा दिशानिर्देशों में यूरोपीय संघ की तर्ज पर राज्यक्षेत्रातीत प्रतिबंधों का प्रयोग करने वाले देशों की कंपनियों पर व्यापार समझौतों में जुर्माने एवं प्रतिबंधों के प्रावधानों को सम्मिलित करना चाहिए। ध्यातव्य है कि यूरोपीय संघ अमेरिकी प्रतिबंधों के विरुद्ध यूरोपीय फर्मों के संरक्षण के लिए 1996 में निर्मित **'ब्लॉकिंग स्टेट्यूट (blocking statute)'** को अपडेट करेगा।
- यदि वाशिंगटन इंडो-पैसिफ़िक क्षेत्र में उदार व्यवस्था की रक्षा करने वाला और उसे सुदृढ़ता प्रदान करने वाला एक सशक्त भारत चाहता है तो उसे भारत के सैन्य और आर्थिक विकास के महत्व को समझना चाहिए। उसे ऐसे तरीकों को खोजना चाहिए जिनसे इन प्रतिबंधों का भारत पर बहुत कम प्रभाव पड़ता हो।

VISION IAS

9.6. अमेरिका का अंतर्राष्ट्रीय समझौतों और संगठनों से बाहर होना

(US Pulls Out From International Deals And Organisations)

हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने कई अंतरराष्ट्रीय संगठनों और संधियों से स्वयं को बाहर कर लिया है जिसके संपूर्ण विश्व के लिए निहितार्थ हैं।

ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप (TTP)

पिछले वर्ष अमेरिकी राष्ट्रपति ने अमेरिका को TPP व्यापार समझौते से बाहर कर लिया। अमेरिका ने यह निर्णय लिया कि वह TPP हस्ताक्षरकर्ताओं के साथ अमेरिका के लिए अधिक अनुकूल शर्तों पर द्विपक्षीय समझौते संपन्न करेगा।

अन्य संबंधित तथ्य

TPP-11

वियतनाम में आयोजित APEC शिखर सम्मेलन से इतर, पैसिफिक रिम के 11 देशों ने संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर निकलने के बावजूद ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप (TTP) के साथ आगे बढ़ने का निर्णय लिया है।

पृष्ठभूमि

यह संयुक्त राज्य अमेरिका और 11 अन्य प्रशांत महासागरीय राष्ट्रों अर्थात् ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, ब्रुनेई, वियतनाम, जापान, कनाडा, मेक्सिको, पेरू और चिली के मध्य एक मुक्त व्यापार समझौता था, जिस पर 2016 में हस्ताक्षर किए गए थे। हालांकि, संयुक्त राज्य अमेरिका इससे बाहर हो गया है।

विवरण

- इस समझौते को अब कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप (CPATPP) के रूप में परिवर्त्तित कर दिया गया है।
- पूर्व के समझौते के विपरीत नए समझौते में 'बाहर निकलने', 'प्रवेश' और 'समीक्षा' के संदर्भ में उन्नत नीतिगत अंतराल (देश-विशिष्ट) और नियामकीय लचीलापन प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही बौद्धिक संपदा से संबंधित मामलों में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन किया जाएगा।
- अनुमोदन प्रक्रिया में 85% संचयी सकल घरेलू उत्पाद की सीमा को भी समाप्त कर दिया गया है और अब 11 देशों में से 6 देशों द्वारा इसके अनुसमर्थन करने यह समझौता लागू हो जाएगा।

प्रभाव

- TTP से बाहर होना अधिक संरक्षणवादी विश्व की ओर बढ़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।
- एशिया-प्रशांत क्षेत्र में, अमेरिका के बाहर निकलने के फलस्वरूप विभिन्न प्रतिक्रियाएं हुईं - जहाँ एक ओर RCEP पर पुनः ध्यान केंद्रित किया गया वहीं दूसरी ओर TPP को पुनर्जीवित करने के लिए चीन को इसके नए सदस्य के रूप में आमंत्रित किया गया।
- चीन दो क्षेत्रीय व्यापार प्रस्तावों - क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (RCEP) और एशिया-प्रशांत मुक्त व्यापार समझौता (FTAAP)- के आगे बढ़ने की आशा कर रहा है।
- हालांकि, हो सकता है कि यह भारत को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित न करे, लेकिन भारत द्वारा विभिन्न व्यापार समझौतों, जैसे- RCEP से सम्बंधित वार्ताओं पर इसका प्रभाव पड़ सकता है।

संयुक्त राष्ट्र वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन (UNESCO)

संयुक्त राज्य अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन (UNESCO) पर इजरायल विरोधी रुख अपनाए जाने का आरोप लगाते हुए इसकी सदस्यता को छोड़ने की घोषणा की है। अमेरिका इससे पहले भी 1984 में इस संगठन से बाहर हो गया था और 2002 में पुन: इस संगठन में शामिल हुआ था।

- 2011 में अमेरिका ने फिलिस्तीन को पूर्ण सदस्यता प्रदान करने के विरोध में यूनेस्को में अपने महत्त्वपूर्ण बजट योगदान को रद्द कर दिया था। अमेरिकी कानून ऐसी किसी भी संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी के वित्तपोषण को प्रतिबंधित करता है जो फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता प्रदान करती है।
- अमेरिका UNESCO में पर्यवेक्षक राज्य के रूप में अपनी उपस्थिति बनाए रखेगा।

VISION IAS

UNESCO के बारे में

- इसका लक्ष्य शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति, संचार और सूचना के माध्यम से "शांति की स्थापना, गरीबी उन्मूलन, सतत विकास और अंतर-सांस्कृतिक वार्ता" में योगदान करना है।
- इसे 1946 में स्थापित किया गया था और इसका मुख्यालय पेरिस में स्थित है।
- इसमें 195 सदस्य देश और दस सहयोगी सदस्य हैं।
- इसके पांच प्रमुख कार्यक्रम हैं:
  - शिक्षा,
  - प्राकृतिक विज्ञान,
  - सामाजिक/मानव विज्ञान
  - संस्कृति
  - संचार/सूचना

UNESCO में सुधार की आवश्यकता

- अपने सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण, यह महत्वपूर्ण सार्वजनिक वस्तुओं की आपूर्ति में सक्षम नहीं है।
- कुछ ऐसे कार्य जो UNESCO द्वारा किये जाने चाहिए थे, अन्य एजेंसियों द्वारा किये जा रहे हैं जिससे अस्पष्टताएँ, अक्षमताएँ और पक्षपात के आरोप देखने को मिल रहे हैं।
- चूंकि यह शिक्षा के अतिरिक्त, संयुक्त राष्ट्र की किसी अन्य विशेषीकृत एजेंसी की तुलना में बहुत से अन्य कार्यों में संलग्न है; अत: यूनेस्को के लिए किसी विशेष क्षेत्र पर समुचित ध्यान देना अत्यधिक कठिन हो जाता है।
- UNESCO के विशिष्ट क्षेत्रों का समूह (विशेष रूप से संस्कृति और संचार) इसे विभिन्न राजनीतिक विचारों और तर्कों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील बना देता है। इसी आधार पर अमेरिका द्वारा इसकी सदस्यता का त्याग किया गया है।

यूनाईटेड नेशंस ग्लोबल कॉम्पैक्ट ऑन माइग्रेशन

अमेरिका ने स्वयं को **यूनाईटेड नेशंस ग्लोबल कॉम्पैक्ट ऑन माइग्रेशन** से बाहर कर लिया है और इसे अपनी स्वयं की आप्रवासन नीतियों के साथ असंगत माना है।

- यह पहला, अंतर सरकारी समझौता है जिसमें सदस्य देश **सुरक्षित, व्यवस्थित और नियमित प्रवासन** की सुविधा के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहयोग करने के लिए वचनबद्ध हैं। यह **सतत विकास एजेंडा, 2030 के लक्ष्य 10.7** के साथ संगत है।
- **इसके मुख्य उद्देश्य हैं-**
  - अंतरराष्ट्रीय प्रवासन के सभी पहलुओं को संबोधित करना जिनमें मानवतावादी, विकासात्मक, मानवाधिकार सम्बन्धी और अन्य पहलू शामिल हैं;
  - वैश्विक अभिशासन में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करना और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन पर समन्वय को बढ़ाना ;
  - प्रवासियों और मानवीय गतिशीलता पर व्यापक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हेतु एक फ्रेमवर्क प्रस्तुत करना;
  - अंतरराष्ट्रीय प्रवासन एवं इसके सभी आयामों के संबंध में सदस्य देशों के मध्य कार्यक्षम प्रतिबद्धताओं की एक श्रृंखला स्थापित करना, कार्यान्वयन के साधन निर्धारित करना तथा अनुसरण (फॉलो-अप) और समीक्षा के लिए एक फ्रेमवर्क का निर्माण करना।
- इसे संयुक्त राष्ट्र के तत्त्वाधान में सितंबर, 2016 में 'शरणार्थियों और प्रवासियों से संबंधित न्यूयॉर्क घोषणा' के अंतर्गत तैयार किया गया था, जिसे संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों ने अपनाया। यह घोषणा गैर-बाध्यकारी प्रकृति की है।
- भारत ने भी इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं।
- इस समझौते (कॉम्पैक्ट) को 2018 में अपनाया जाना है। इसे प्रवासन संबंधी अभिशासन में सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर के रूप में देखा जा रहा है और यह आशा की जा रही है कि यह वर्तमान प्रवासन से जुड़ी चुनौतियों का समाधान करेगा तथा संधारणीय विकास में प्रवासन और प्रवासियों के योगदान को सुदृढ़ता प्रदान करेगा।

ईरान परमाणु समझौता: इससे सम्बंधित विवरण के लिए कृपया ईरान से संबंधित खंड देखिए।

VISION IAS

10. महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय/क्षेत्रीय समूह एवं सम्मेलन

(Important International/Regional Groups and Summits)

10.1. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधार

(UNSC Reform)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की आम बैठक के दौरान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सुधार प्रक्रिया में पारदर्शिता की माँग की।

विषय सम्बन्धी अतिरिक्त जानकारी

सुधार का एजेंडा, 1993 से ही लगातार वार्षिक विचार-विमर्श का विषय रहा है, किन्तु इस मुद्दे पर सर्वसम्मति का अभाव देखा गया। इसका प्राथमिक कारण "संस्थागत जड़ता" है।

UNSC सुधार एजेंडा क्या है?

इसके अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्रों से सम्बंधित विचार- विमर्श शामिल हैं:

- सदस्यता की श्रेणियां
- पाँच स्थायी सदस्यों को प्राप्त वीटो का प्रश्न
- क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व
- विस्तारित परिषद् का आकार और इसकी कार्य पद्धतियाँ तथा
- सुरक्षा परिषद व महासभा के मध्य संबंध

सुधारों की आवश्यकता क्यों है?

- **बदलती भू-राजनीति**: विश्व में शक्ति संबंधों के परिवर्तन के बावजूद UNSC अभी भी द्वितीय विश्व युद्ध के भूराजनीतिक ढ़ांचे को प्रतिबिम्बित करती है। भारत सहित सभी विकासशील देश वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और राजनीति दोनों में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं, फिर भी इस मंच पर उनका उचित प्रतिनिधित्व नहीं है।
- **बहुप्रतीक्षित सुधार**: सुरक्षा परिषद् का विस्तार केवल एक बार 1963 में चार गैर-स्थायी सदस्यों को शामिल करने के लिए किया गया था। यद्यपि संयुक्त राष्ट्र की कुल सदस्य संख्या 113 से बढ़कर 193 हो गई है, तथापि UNSC की संरचना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है।
- **असमान आर्थिक और भौगोलिक प्रतिनिधित्व**: बड़ी आर्थिक तथा क्षेत्रीय शक्तियाँ यथा जर्मनी (यूरोप), जापान व भारत (एशिया) तथा ब्राजील (लैटिन अमेरिका) अभी भी UNSC का भाग नहीं हैं। इसी प्रकार, UNSC का 75 प्रतिशत कार्य अफ्रीका केन्द्रित होने के बावजूद भी अफ्रीकी महाद्वीप का कोई भी देश इसका स्थायी सदस्य नहीं है।
- **वैधानिकता और विश्वसनीयता का संकट**: अपनी जिम्मेदारी पूर्ण करने की आड़ में लीबिया और सीरिया में संस्था द्वारा किए गए हस्तक्षेप सहित विभिन्न मुद्दों ने इस संस्था की विश्वसनीयता पर संदेह उत्पन्न किया है।
- **उत्तर-दक्षिण विभाजन**: पाँच देशों को प्राप्त UNSC की स्थायी सदस्यता, सुरक्षा उपायों संबंधी निर्णयों में उत्तर-दक्षिण के मध्य विभाजन का चित्रण करती है।
- **उभरते मुद्दे**: अंतर्राष्ट्रीय खतरों, बढ़ती पारस्परिक आर्थिक निर्भरता, बदतर होते पर्यावरणीय निम्नीकरण के कारण भी सुधारों हेतु प्रभावी बहुपक्षीय वार्ताओं की आवश्यकता है, क्योंकि महत्वपूर्ण निर्णय अभी भी सुरक्षा परिषद के वीटो प्राप्त स्थायी सदस्यों द्वारा लिए जा रहे हैं।

जी-4 राष्ट्र

- इसके अंतर्गत ब्राजील, जर्मनी, भारत और जापान सम्मिलित हैं। ये UNSC की स्थायी सदस्यता हेतु एक दूसरे के प्रयासों का समर्थन करते हैं।
- इन्होंने हाल ही में **'त्वरित सुधारों' व विकासशील देशों के लिए बढ़ी हुई भूमिका** तथा परिषद को अधिक औचित्यपूर्ण, प्रभावी और प्रतिनिधिक बनाने के लिए UNSC की कार्य पद्धति में सुधार की माँग की।

यूनाइटिंग फॉर कन्सेन्सस (UfC) या कॉफ़ी क्लब

- UfC अभियान का उद्देश्य जी-4 देशों के स्थायी सदस्यता प्राप्त करने के प्रयासों का विरोध करना है।
- ये माँग करते हैं कि UNSC को विस्तारित करने से पूर्व इसके स्वरूप और आकार पर सर्वसम्मति बननी चाहिए।
- इटली इसका नेतृत्व करता है और इसमें पाकिस्तान, दक्षिण कोरिया, कनाडा, अर्जेंटीना और कुछ अन्य देश शामिल हैं।

VISION IAS

भारत के सदस्यता प्रयासों के पक्ष में तर्क

- भारत संयुक्त राष्ट्र का संस्थापक सदस्य है।
- भारत **विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र** है तथा **जनांकीय व भौगोलिक** दोनों ही दृष्टि से एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है।
- भारत विश्व की **दूसरी सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था** है जो इसे विदेशी निवेश और भविष्य में होने वाली संवृद्धि के लिए आदर्श गंतव्य बनाती है।
- भारत **संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों** में दूसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता है।
- भारत के दर्जे का बढ़ाया जाना उसके ऐसी **वैश्विक शक्ति के रूप में उभार को मान्यता** देने जैसा होगा जो सुरक्षा परिषद् के अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने को तैयार है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में भारतीय महत्वाकांक्षाओं के समक्ष चुनौतियाँ:

- बहुपक्षीय कूटनीति हेतु पर्याप्त भारतीय सरकारी संसाधनों का अभाव।
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कई मुद्दों के मानक संबंधी पहलुओं के साथ अपर्याप्त संबद्धता।
- संयुक्त राष्ट्र में अत्यधिक कठोर व्यावहारिक राजनीतिक समझौते के स्थान पर अपनी अधिकारिता पर अत्यधिक निर्भरता, स्थायी सदस्यता के लिए भारत के दावों के लिए प्रमुख आधार बन चुकी है।
- ऐसा प्रतीत होता है कि G4 की सदस्यता के द्वारा, भारत ने स्वयं को एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में सीट प्राप्त करने की वार्ता प्रक्रिया के अपने विकल्पों को सीमित कर लिया है। साथ ही क्षेत्रीय राजनीति एक समूह के रूप में सभी के लिए स्थायी सीट प्राप्त करने के G4 के प्रयासों को सीमित कर देगी।

भारत तथा UNSC सुधार

- भारत ने सुरक्षा परिषद में बहु-प्रतिष्ठित स्थायी सदस्यता प्राप्त करने के लिए एक बहु-स्तरीय रणनीति अपनाई है, जिसमें दो घटक शामिल हैं: संयुक्त राष्ट्र महासभा में अधिकतम समर्थन प्राप्त करना तथा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में प्रतिरोध को कम करना।
  - भारत ने आशा व्यक्त की है कि G77 तथा NAM जैसे विभिन्न ग्लोबल साउथ फ़ोरम में निरंतर नेतृत्व करने से संयुक्त राष्ट्र महासभा में अधिक से अधिक समर्थन प्राप्त किया जा सकता है। जो भारत द्वारा संप्रभुता के सिद्धांत के सुदृढ़ संरक्षण और "रिस्पांसिबिलिटी टू एक्ट" की निरंतर तीव्र आलोचना में परिलक्षित होता है।
  - दूसरी ओर, 2005 में अमेरिका के साथ ऐतिहासिक परमाणु समझौता, रूस के साथ ऐतिहासिक संबंधों की पुनरावृत्ति और चीन के साथ घनिष्ठता के प्रयास आदि द्वारा P5 देशों के साथ भारत की सामरिक साझेदारी में वृद्धि हो रही है। इससे मौजूदा सदस्यों द्वारा सुरक्षा परिषद् में भारत की स्थायी सदस्यता हेतु समर्थन के लिए भारत की अनुकूल छवि का निर्माण होगा।
  - परिषद में स्थायी सदस्य के रूप में भारत की उम्मीदवारी का समर्थन करने वाली स्पष्ट सार्वजनिक घोषणाओं को विगत कुछ वर्षों में चीन सहित अधिकांश P5 देशों द्वारा द्विपक्षीय संयुक्त वक्तव्य/घोषणाओं में समाहित किया गया है।
- "कोएलिशन ऑफ़ द विलिंग" तथा परिषद के सुधारों पर वार्ता करने हेतु "कोलेबोरेटिव स्ट्रेटेजी" के रूप में भारत ने ब्राजील, जर्मनी और जापान के साथ मिलकर G4 का गठन किया है।
- भारत L-69 में भी शामिल हो गया है, जो एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के 42 विकासशील सदस्य देशों का एक समूह है। वर्ष 2016 के अंत में, भारत नवीन स्थापित समूह 'फ्रेंड्स ऑन यूएन सिक्यूरिटी काउंसिल रिफार्म' में सदस्य के रूप में शामिल हो गया। इसका गठन परिषद के सुधार संबंधी वार्ता प्रक्रिया को तीव्र करने हेतु किया गया है।

सुधारों में विलम्ब का कारण

- **राजनीतिक इच्छाशक्ति का अभाव-** संयुक्त राष्ट्र के नियमानुसार यदि P5 की संरचना बदलनी है तो संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में बदलाव करना होगा जिसके लिए महासभा के दो-तिहाई सदस्यों और सभी वर्तमान स्थायी सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होगी। उनके मध्य राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी के चलते ऐसा होना संभव नहीं है।
- **माँगों में भिन्नता:** सदस्य देशों तथा G4, L-69, अफ्रीकी समूह, UfC, ऑर्गनाइजेशन ऑफ़ इस्लामिक कांफ्रेंस जैसे क्षेत्रीय संगठनों के बीच सहमति, जवाबदेही, सामंजस्य व पारदर्शिता आदि का अभाव है।
- **वीटो शक्ति-** अनेक देश और समूह स्थायी सदस्यता व वीटो शक्ति की माँग कर रहे हैं तथा P5 इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं है।

निष्कर्ष

वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए UNSC के लिए यह आवश्यक है कि सुझाए गए सुधारों को अपनाए ताकि विश्व में इसका औचित्य एवं प्रतिनिधिमूलक स्वरूप बना रह सके। हालांकि, एक निहित विरोधाभास जो सुरक्षा परिषद में सुधार की दिशा में किसी भी प्रगति को बाधित कर रहा है, वह यह है कि- सुरक्षा परिषद में सुधार हेतु पाँचों शक्तिसंपन्न देशों को अपनी शक्ति का कुछ भाग त्यागने के पक्ष में मतदान करने की आवश्यकता होगी।

VISION IAS

इस प्रकार, संगठन की संरचना में किसी भी प्रकार के परिवर्तन के लिए आवश्यक होगा कि-

- हितधारकों के मध्य और गहन चर्चाएँ तथा विचार-विमर्श हो।
- ऐसे मुद्दों पर एक-एक करके आम सहमति बनाने का प्रयास हो जो परिवर्तन में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं।
- P5 व UNSC के अन्य सदस्य मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति का प्रदर्शन करें।

10.2. राष्ट्रमंडल (Commonwealth)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में लन्दन में राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की बैठक (चोगम), 2018 संपन्न हुई जिसकी थीम "टुवर्ड्स ए कॉमन फ्यूचर" थी।

अन्य संबंधित तथ्य

- चोगम, राष्ट्रमंडल (कॉमनवेल्थ) देशों के राज्य प्रमुखों की एक द्विवार्षिक बैठक है।
- इस बैठक के चार प्रमुख लक्ष्य निम्नलिखित थे:
  - **समृद्धि (Prosperity):** राष्ट्रमंडल देशों के मध्य व्यापार और निवेश को प्रोत्साहन।
  - **सुरक्षा (Security):** वैश्विक आतंकवाद, संगठित अपराध तथा साइबर हमलों सहित सभी सुरक्षा चुनौतियों से निपटने हेतु सहयोग में वृद्धि करना।
  - **निष्पक्षता (Fairness):** राष्ट्रमंडल देशों में लोकतंत्र, मौलिक स्वतंत्रता तथा सुशासन को प्रोत्साहित करना।
  - **संधारणीयता (Sustainability):** जलवायु परिवर्तन तथा अन्य वैश्विक संकटों के प्रभावों से निपटने हेतु छोटे और सुभेद्य राज्यों की क्षमता में वृद्धि करना।
- इसके अंतर्गत **ब्लू चार्टर ऑन ओशन गवर्नेंस** जारी किया गया। इस चार्टर में सभी राष्ट्रमंडल देशों के मध्य निष्पक्ष महासागरीय अभिशासन (गवर्नेंस), अधिक समृद्ध समुद्रतटीय एवं समुद्री उद्योग, महासागरों के संधारणीय प्रयोग तथा सुरक्षित समुद्री परिवेश पर बल दिया गया।
- चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के प्रत्युत्तर में **कॉमनवेल्थ कनेक्टिविटी एजेंडा फॉर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट** की घोषणा की गई।
- इसके अतिरिक्त **कॉमनवेल्थ साइबर डेक्लेरेशन, कॉमनवेल्थ इनोवेशन फण्ड तथा कॉमनवेल्थ इनोवेशन इंडेक्स** की भी घोषणा की गई।
- साथ ही यह घोषणा भी की गई कि राष्ट्रमंडल के प्रमुख के रूप में महारानी एलिज़ाबेथ को प्रिंस चार्ल्स प्रतिस्थापित करेंगे।

राष्ट्रमंडल या विभिन्न देशों का राष्ट्रमंडल (Commonwealth or the Commonwealth of Nations)

- यह 53 राष्ट्रों का एक समूह है। इसके सभी सदस्य पूर्व में ब्रिटिश साम्राज्य के भाग (अपवाद: रवांडा और मोजाम्बिक) थे। केवल म्यांमार और अदन (अब यमन का भाग) ही ऐसे पूर्ववर्ती ब्रिटिश उपनिवेश हैं जिन्होंने राष्ट्रमंडल में शामिल नहीं होने का निर्णय लिया।
- राष्ट्रमंडल की प्रमुख महारानी एलिजाबेथ II हैं।
- इसका गठन ब्रिटिश विऔपनिवेशीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में उस समय हुआ था जब कई राष्ट्र ब्रिटिश साम्राज्य से पृथक हो रहे थे।
- इसे पूर्ववर्ती ब्रिटिश उपनिवेशों में बढ़ती स्वतंत्रता तथा स्व-शासन के बावजूद साझी भाषा, इतिहास तथा संस्कृति के माध्यम से वैश्विक एकता को बनाए रखने के एक साधन के रूप में देखा गया था।

संबंधित जानकारी

कॉमनवेल्थ साइबर डेक्लेरेशन

- यह घोषणा साइबर सुरक्षा सहयोग पर विश्व की सर्वाधिक व्यापक तथा भौगोलिक दृष्टि से सर्वाधिक विविधतापूर्ण अंतर-सरकारी प्रतिबद्धता है।

कॉमनवेल्थ इनोवेशन इंडेक्स

- इसे चोगम बैठक से इतर, एक नए कॉमनवेल्थ इनोवेशन हब के एक भाग के रूप में लांच किया गया था।
- इसे यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आर्गेनाईजेशन (WIPO) तथा इसके वार्षिक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स (GII) की सहभागिता से तैयार किया गया है।
- इस नए इंडेक्स में भारत को 10वां स्थान प्राप्त हुआ तथा यूनाइटेड किंगडम, सिंगापुर एवं कनाडा शीर्ष स्थान पर हैं।

VISION IAS

कॉमनवेल्थ इनोवेशन फण्ड

- ग्लोबल इनोवेशन फण्ड (GIF), सदस्य देशों से वित्तीय प्रतिबद्धता के माध्यम से नए कॉमनवेल्थ इनोवेशन फण्ड की शुरुआत भी करेगा। इसका आकार 25 मिलियन पाउंड का होगा।
- यह सभी राष्ट्रमंडल देशों में साक्ष्य-आधारित तथा बाजार-परीक्षित नवाचारों के विकास, परीक्षण एवं प्रोत्साहन हेतु इनोवेटर्स की सहायता करने के लिए अनुदान, इक्विटी एवं ऋण निवेश प्रदान करेगा।

राष्ट्रमंडल से जुड़े मुद्दे

- इस समूह के पास कोई राजनीतिक या आर्थिक शक्ति नहीं है। साथ ही राष्ट्रमंडल देशों के मध्य अतीत में एक-दूसरे के लिए उपलब्ध आप्रवासन लाभ भी अब मौजूद नहीं हैं।
- इसकी प्रासंगिकता में निरंतर आती कमी को ध्यान में रखते हुए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने दो CHOGM बैठकों में भाग नहीं लिया, जबकि 2015 में माल्टा में आयोजित बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनुपस्थित रहे।
- राष्ट्रमण्डल के प्रमुख के पद को अधिक लोकतांत्रिक ढंग से भागीदारीपूर्ण अथवा चक्रीय रूप हस्तांतरणीय बनाये जाने की माँगों के मध्य प्रिंस चार्ल्स को इसका उत्तराधिकरी घोषित करना; इसकी लोकतांत्रिक विश्वसनीयता पर प्रश्न चिह्न लगाता है।

राष्ट्रमंडल का महत्व

- भारतीय परिप्रेक्ष्य में , राष्ट्रमंडल उसे छोटे राष्ट्रों तक पहुंच के अवसर प्रदान करता है। इन राष्ट्रों की राष्ट्रमंडल सदस्य संख्या में लगभग 60% की भागीदारी है। इनमें से कुछ राष्ट्रों में, भारत की कोई राजनयिक उपस्थिति नहीं है। इन देशों के साथ अच्छे संबंधों का निर्माण कर भारत, संयुक्त राष्ट्र या अन्य बहुपक्षीय निर्वाचनों में शामिल होने की स्थिति में महत्वपूर्ण मतों को सुरक्षित कर सकता है।
- संयुक्त राष्ट्र को छोड़कर, यह किसी भी अन्य समूह की तुलना में देशों का सबसे बड़ा नेटवर्क भी है। अतः यह छोटे राष्ट्रों को अवसर प्रदान करता है कि उनकी आवाज़ सुनी जाए एवं वे अपनी परियोजनाओं तथा चिंताओं को संपूर्ण विश्व के समक्ष रख सकें।
- भू-राजनीतिक पैमाने पर राष्ट्रमंडल शांतिपूर्ण गठबंधन की शक्ति का एक प्रभावशाली उदाहरण बना हुआ है। इसके अतिरिक्त, यह भारत को अंतरराष्ट्रीय सहयोग और भागीदारी के एक ऐसे मॉडल को आकार देने का उत्कृष्ट अवसर प्रदान करता है जो चीन के मॉडल से स्पष्टतः पृथक हो।
- यह विकास सम्बन्धी सहायता, लोकतान्त्रिक मूल्यों और शैक्षणिक अवसरों हेतु एक उत्कृष्ट मंच है; परन्तु इसकी प्रासंगिकता में तब तक वृद्धि की संभावना नहीं है, जब तक कि यह अगली पीढ़ी के राष्ट्रमंडल नागरिकों हेतु एक अधिक समतावादी और समावेशी दृष्टिकोण को नहीं अपनाता।

10.3 शंघाई सहयोग संगठन

(Shanghai Cooperation Organization)

सुर्ख़ियों में क्यों?

शंघाई सहयोग संगठन (SCO) सम्मेलन **किंगदाओ, चीन** में आयोजित किया गया।

सम्मेलन की महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ / किंगदाओ घोषणा

- इस सम्मेलन में **आतंकवाद, अलगाववाद और चरमपंथ** जैसी चुनौतियों से निपटने के संकल्प की पुष्टि की गई और **संयुक्त राष्ट्र (UN) के समन्वय के तहत यूनिफाइड ग्लोबल काउंटर-टेररिज्म फ्रंट** का भी आह्वान किया गया। इसने **यूनाइटेड नेशंस कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म** की मांग का भी समर्थन किया।
- SCO नेताओं ने चरमपंथी विचारधाराओं से उत्पन्न अतिवाद से निपटने के लिए एक '**जॉइंट अपील टू यूथ**' को स्वीकृति प्रदान की।
- इसने अंतरराष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए व्यापक उपायों के महत्व पर बल दिया।
- भारत ने **चीन के महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) का समर्थन करने से इंकार कर दिया।** संयुक्त घोषणा में इस परियोजना के विरुद्ध एकमात्र असहमत देश के रूप में भारत ने कहा कि वह ऐसी कनेक्टिविटी परियोजनाओं का स्वागत करता है, जो **राष्ट्रों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान** करती हों।
- भारत ने SCO क्षेत्र में व्यापक सुरक्षा के लिए **SECURE रणनीति** का विचार प्रस्तुत किया।

SECURE रणनीति

S- नागरिकों की सुरक्षा (Security of Citizens)

E- सभी के लिए आर्थिक विकास (Economic Development for all)

VISION IAS

C- क्षेत्र में कनेक्टिविटी (Connecting the region)

U- लोगों के मध्य एकता (Uniting our people)

R- संप्रभुता एवं क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान (Respect for Sovereignity and Territorial integrity)

E- पर्यावरणीय संरक्षण (Environmental Protection)

- इस घोषणा में **ईरान के परमाणु समझौते के प्रति समर्थन व्यक्त किया गया** और **ईरान के परमाणु समझौते पर जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ़ एक्शन** को निरंतर कार्यान्वित करते रहने पर बल दिया गया। वर्तमान में, ईरान SCO का एक पर्यवेक्षक सदस्य है।

शंघाई सहयोग संगठन (SCO)

- **SCO एक यूरेशियन राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संगठन है, जिसकी स्थापना वर्ष 2001 में की गई** तथा इसका मुख्यालय **बीजिंग** में स्थित है।
- इस संगठन का उद्भव इसके पूर्ववर्ती **शंघाई फाइव** से हुआ ।
- यह **"शंघाई स्पिरिट"** नामक दर्शन से संचालित होता है जो कि सद्भाव, सर्वसम्मति द्वारा कार्य करने, दूसरों की संस्कृतियों का सम्मान करने, दूसरों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने और गुटनिरपेक्षता पर बल देता है।
- **संस्कृति SCO का एक महत्वपूर्ण तत्व बन गया है। यह इस समूह की एक समावेशी यूरेशियन पहचान** की खोज के अनुकूल है।
- SCO में आठ सदस्य राष्ट्र- **भारत, कज़ाखस्तान, चीन, किर्गिज गणराज्य, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान तथा उजबेकिस्तान** सम्मिलित हैं।
- भारत ने इस वर्ष की बैठक में पहली बार एक पूर्णकालिक सदस्य के रूप में भाग लिया। जून 2017 में कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित SCO शिखर सम्मेलन के दौरान भारत और पाकिस्तान को पूर्णकालिक सदस्य का दर्जा प्रदान किया गया था।
- इसके अतिरिक्त इस संगठन में **4 पर्यवेक्षक राष्ट्र और 6 वार्ता भागीदार हैं**।

शंघाई फाइव

- इस बहुपक्षीय मंच की स्थापना पाँच देशों- **चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान द्वारा 1996 में शंघाई में की गई थी।**
- इसका उद्भव चार पूर्व सोवियत गणराज्यों और चीन के मध्य **सीमांकन और विसैन्यीकरण वार्ताओं की एक श्रृंखला के माध्यम से हुआ**।

भारत के लिए महत्व

- SCO का मुख्य उद्देश्य **"तीन दुष्प्रवृत्तियों"- आतंकवाद, अलगाववाद और चरमपंथ के विरुद्ध** भारतीय हितों के अनुरूप **सहयोगपूर्ण तरीके से कार्य करना है**।
- संगठन के सदस्य देशों में कुल **वैश्विक जनसंख्या के आधे भाग** के निवास के कारण देश के पर्यटन क्षेत्र को लाभ मिलने की संभावना है। वर्तमान में **भारत के कुल पर्यटकों का केवल 6% भाग** SCO देशों से आता है, **जिसे दोगुना कर 12% तक बढ़ाया जा सकता है**।
- **क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना (Regional Anti-Terrorist Structure: RATS)** की बैठकों तथा संयुक्त सैन्य अभ्यासों में नियमित भागीदारी से **प्रतिरोधक क्षमताओं एवं खुफिया जानकारी के साझाकरण में वृद्धि होगी**।
- यह भारत-चीन संबंधों (जो विशेष रूप से डोकलाम मुद्दे के पश्चात् गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं) को सुधारने में सहायता प्रदान करेगा। इसके साथ-साथ **चीन, भारत को बाढ़ के मौसम में ब्रह्मपुत्र नदी के हाइड्रोलॉजिकल डेटा प्रदान करने तथा भारत से गैर-बासमती चावल का आयात करने पर सहमत हो गया है**। जिससे कुछ हद तक बढ़ते व्यापार घाटे के कम होने की संभावना है।
- इसे **भारत एवं पाकिस्तान** के लिए द्विपक्षीय विवादों को बीच में लाए बिना **पारस्परिक हितों के मुद्दों पर सहयोग** करने का अवसर माना जा सकता है।
- यह भारत को मध्य एशिया के साथ जुड़ने का नया अवसर प्रदान करेगा। ईरान के चाबहार बंदरगाह के माध्यम से उज़्बेकिस्तान जैसे भू-आबद्ध देशों के साथ व्यापार करने के अतिरिक्त सांस्कृतिक जुड़ाव एवं लोगों के आपसी जुड़ाव में भी वृद्धि होगी।

क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना (Regional Anti-Terrorist Structure: RATS)

- इसकी स्थापना **2002 में SCO के तत्वावधान में की गई थी**।
- इसे SCO क्षेत्र में आतंकवादी गतिविधियों से निपटने, सैन्य खुफिया जानकारी एकत्रित करने और सुरक्षा प्रदान करने हेतु अधिदेशित किया गया है।
- **RATS की कार्यकारी समिति (The Executive Committee of the RATS)** SCO का एक स्थायी निकाय है। यह **ताशकंद** में स्थित है।

VISION IAS

भारत-अफगानिस्तान और SCO

- अफगानिस्तान में अपनी बढ़ती उपस्थिति के फलस्वरूप, पहली बार भारत को स्थलबद्ध देश की मौजूदा सुरक्षा स्थिति और आर्थिक क्षमता पर चर्चा करने के लिए **शंघाई सहयोग संगठन (SCO)- अफगानिस्तान संपर्क समूह की बैठक** में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है।
- इस विकासक्रम को युद्ध-ग्रसित देश (war-torn country) में भारत के हितों की स्वीकृति के रूप में देखा जाता है।
- अफगानिस्तान पर SCO संपर्क समूह, जो 2009 में निष्क्रिय हो गया था, को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के हस्तक्षेप के पश्चात् 2017 से पुनः आरंभ किया गया है।
- SCO की सदस्यता भारत को यूरेशियाई भू-राजनीति में केन्द्रीय भूमिका तथा अफगानिस्तान के मामले अधिक महत्त्व प्रदान करती है। भारत की इस भूमिका से अफगानिस्तान की सुरक्षा स्थित पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ेगा।

चुनौतियाँ

- **भारत ने BRI परियोजना का समर्थन करने से पुनः इंकार कर दिया है।** इसकी भागीदारी के बिना परियोजना की सफलता को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त **डोकलाम में सैन्य गतिरोध ने भारत और चीन के संबंधों को क्षति पहुंचाई है।**
- **कश्मीर मुद्दे** के कारण भारत और पाकिस्तान के संबंध सदैव ही तनावपूर्ण रहे हैं। इसका समाधान किए बिना दोनों देशों के मध्य पारस्परिक सहयोग की कोई अपेक्षा नहीं की जा सकती है।
- अमेरिका ने **काउंटरिंग अमेरिकाज़ एडवर्सरीज थ्रू सेंक्शन्स एक्ट (CAATSA)** के तहत रूस पर प्रतिबंध आरोपित किए हैं। इससे भारत की अपने सबसे मजबूत रक्षा भागीदार के साथ रक्षा खरीद प्रभावित हो सकती है।
- इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में चीन की आक्रमकता से निपटने के लिए हाल ही में **भारत-अमेरिका-जापान-ऑस्ट्रेलिया क्वाड्रीलेटरल** को भी एक बार पुनः गठित किया गया है।

10.4. अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन

(International Solar Alliance)

सुर्ख़ियों में क्यों?

अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, 6 दिसंबर 2017 को एक **संधि आधारित अंतरसरकारी संगठन** बन गया। इस दिन को **वैश्विक ऊर्जा पहुँच दिवस** के रूप में मनाया गया।

अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) के बारे में

- नवंबर 2015 में **भारत व फ्रांस द्वारा** संयुक्त रूप से इसका **उद्घाटन** संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन (COP-21) के दौरान पेरिस में किया गया था।
- इसका मुख्यालय भारत में है। इसका सचिवालय **गुरुग्राम (हरियाणा)** के **राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान** में अवस्थित है।
- यह कर्क रेखा व मकर रेखा के बीच पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से अवस्थित सौर प्रकाश समृद्ध देशों की माँग, प्रौद्योगिकी और नवाचार को एकीकृत कर बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देगा।
- इसके द्वारा 2030 तक 1,000 GW अतिरिक्त सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है।
- अब तक 46 देशों द्वारा ISA के फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं तथा 19 देशों द्वारा इसका अनुमोदन किया जा चुका है।
- ISA द्वारा **तीन कार्यक्रम** प्रारम्भ किए गए हैं- कृषिगत उपयोग हेतु सौर अनुप्रयोगों को बढ़ावा देना, पर्याप्त मात्रा में वहनीय वित्त उपलब्ध कराना तथा सोलर मिनी-ग्रिड्स का प्रवर्धन करना।

इसके अतिरिक्त, ISA अधिदेश में निम्न शामिल हैं:

- समृद्धि बढ़ाने के लिए सौर प्रौद्योगिकियों, नए व्यापार मॉडल और सौर क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहन।
- सौर अनुप्रयोगों को बढ़ावा देने के लिए परियोजनाएं और कार्यक्रम तैयार करना।
- पूंजी लागत को कम करने के लिए इनोवेटिव फाइनेंसियल मैकेनिज्म (innovative financial mechanisms) को विकसित करना।
- एक साझा नॉलेज ई-पोर्टल का निर्माण करना।
- सौर प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने एवं उनके अंगीकरण तथा अनुसंधान एवं विकास हेतु सदस्य देशों के क्षमता निर्माण में सहयोग करना।

VISION IAS

महत्त्व

ISA में भारत की सहभागिता के निम्नलिखित पहलुओं के कारण, यह भारत की नेतृत्वकारी भूमिका के लिए सकारात्मक है:

- यह प्रथम **अंतर्राष्ट्रीय संगठन** है, जिसका स्थायी मुख्यालय भारत में है। यह भारत को जलवायु परिवर्तन, नवीकरणीय ऊर्जा और संधारणीय विकास के क्षेत्र में एक प्रमुख वैश्विक नेतृत्वकारी भूमिका में स्थापित करने का अवसर प्रदान करती है।
- इसकी संस्थापना सम्मलेन के दौरान, भारत ने 15 देशों में 27 परियोजनाओं को प्रारंभ किया, जो इसे अपने वैश्विक संबंधों के स्तर और पहुंच को बढ़ाने में सक्षम बनाता है।
- तृतीय विश्व (Global South) को लो कार्बन डेवलपमेंट पाथ (low-carbon development path) पर अग्रसर करने हेतु सक्षम बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के रूप में भारत का संस्थागत योगदान है। यह विकासशील देशों को निम्न कार्बन उत्सर्जन अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करने में सक्षम बनाने हेतु भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

भारत और ISA को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता होगी कि सौर ऊर्जा संबंधी लाभ स्पष्ट, स्थायी और उपयोगकर्ताओं द्वारा वर्णित हैं। इसके लिए ऐसे व्यापार मॉडल प्रदर्शित करने की आवश्यकता है, जो उपयोगकर्ताओं, आपूर्तिकर्ताओं और वित्तपोषकों के लिए व्यवहार्य हों और इन व्यावसायिक मॉडल की स्वीकृति हेतु नीतियों को लागू करने में सदस्य देशों द्वारा सहायता प्रदान की जाए। साझेदारों को ढूढने, वित्त पोषण, पहुंच और क्षमता को सुदृढ़ बनाने के लिए ISA को और अधिक उदार बनाने की आवश्यकता है।

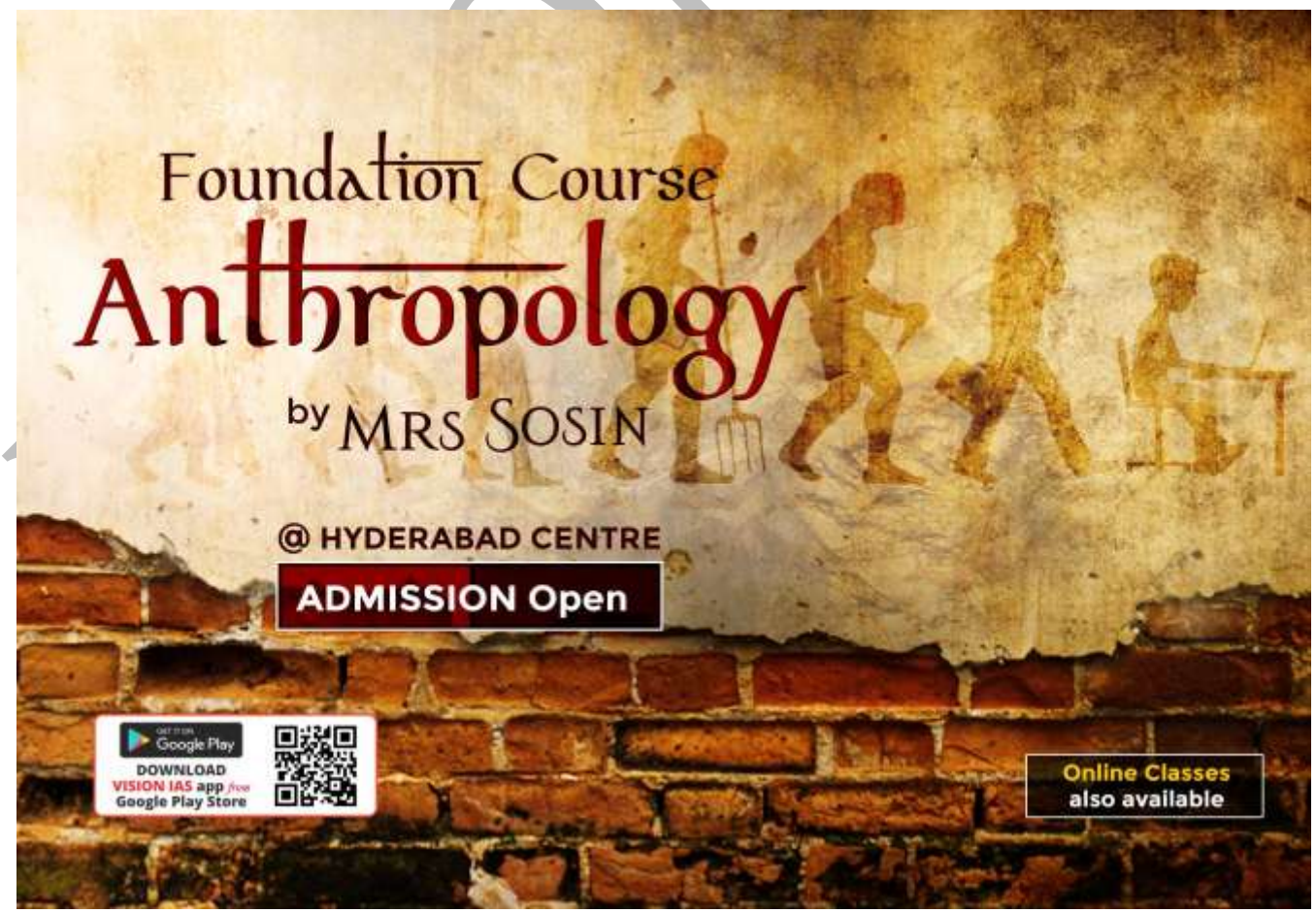

11. विविध (Miscellaneous)

11.1. चतुर्पक्षीय बैठक

(Quadrilateral Meeting)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत ने चतुर्पक्षीय ("क्वाड्रीलैटरल") गुट से जुड़ने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। यह भारत-प्रशांत (इंडो-पैसिफिक) क्षेत्र के देशों को वैकल्पिक ऋण वित्तपोषण उपलब्ध कराने के लिए जापान द्वारा प्रस्तावित तथा संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा समर्थित समूह है जिसमें ऑस्ट्रेलिया भी सम्मिलित है।

क्वाड्रीलैटरल क्या है?

- यह नाटो (NATO) की भाँति एक सैन्य गठबंधन न होकर एक अनौपचारिक रणनीतिक वार्ता मंच है।
- इसे एक सामरिक निवारक (strategic deterrence) एवं क्षेत्रीय शक्तियों को बेहतर विकल्प उपलब्ध कराने वाले तंत्र के रूप में देखा जा रहा है।

विवरण

- इसकी विषयवस्तु **"फ्री एंड ओपन इंडो-पैसिफिक"** पर केंद्रित थी।
- इसकी वार्ताएँ एक विस्तृत अंतः संबद्ध क्षेत्र (ऐसा क्षेत्र जिसे वे एक-दूसरे व अन्य भागीदारों के साथ साझा करते हैं) में **शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने हेतु साझा दृष्टिकोण व मूल्यों** पर आधारित सहयोग पर केन्द्रित रहीं।
- भारत ने अपनी **एक्ट ईस्ट पॉलिसी** को भारत-प्रशांत क्षेत्र में उसकी सक्रियता के मूल आधार के रूप में चिह्नित किया।

पृष्ठभूमि

- 2007 में जापानी प्रधानमंत्री शिंजो अबे ने एशियाई लोकतान्त्रिक देशों के एक साथ आने का विचार प्रस्तुत किया था। इनके अनुसार तटीय सीमा वाले लोकतांत्रिक देशों के हित **न्याय संगत वैश्विक व्यवस्था, उदार व्यापार प्रणाली तथा नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने** में निहित हैं।
- मई 2007 में चार देशों ने **आसियान क्षेत्रीय फोरम की बैठक** के इतर पहली बार एक नई क्वाड्रीलैटरल वार्ता बैठक का आयोजन किया।
- हाल ही में, अमेरिका ने स्पष्ट इच्छा व्यक्त की है कि भारत-अमेरिका-जापान सहयोग के इस मंच में ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल किया जाए। हालांकि, ऑस्ट्रेलिया ने पूर्व में स्वयं को इस पहल से अलग कर लिया था।
- इसके साथ-साथ, जापान ने एक कदम और आगे बढ़कर यह सुझाव दिया कि ब्रिटेन व फ्रांस को भी इस समूह में शामिल किया जा सकता है।

भारत की नीति में परिवर्तन क्यों?

- इस समूह को चीन के उद्भव और उससे जुड़ी जटिलताओं से निपटने के लिए की गई एक **सामरिक साझेदारी** के रूप में देखा जा रहा है। स्पष्टतः यह नीति भारत की 'नेबरहुड फर्स्ट' की नीति से विरोधाभास नहीं रखती।
- साथ ही, भारत ने मौन रूप से यह स्वीकार कर लिया है कि इस क्षेत्र में "अन्य पक्षों" की उपस्थिति से इसके पड़ोसी राष्ट्र अधिक सुरक्षित महसूस करते हैं। भारत के पड़ोसी राष्ट्रों द्वारा असुरक्षित महसूस करने के दो कारण निम्नलिखित हैं-
  - **आर्थिक हितों का टकराव**- एक उभरती अर्थव्यवस्था के तौर पर भारत की आवश्यकताओं का प्रायः उसके पड़ोसियों के साथ टकराव रहता है। उदाहरण के लिए, भूटान के बढ़ते ऋण (कर्ज) पर हालिया चिंताएं, जिसमें से 80% उसने भारत से लिया है।
  - **विलंब-** इस क्षेत्र में भारत द्वारा आरंभ की गई परियोजनाओं में हो रहे विलंब और बढ़ी लागत की भी और अधिक उपेक्षा नहीं की जा सकती।

ब्रिटेन और फ्रांस के प्रवेश के विरोध में तर्क

- भले ही इस क्षेत्र में दोनों देशों के द्वीप और सैन्य प्रतिष्ठान हैं, तथापि वे गैर-क्षेत्रीय शक्तियाँ हैं।
- साथ ही, अमेरिका के पीछे हटने की स्थिति में दोनों देशों की विश्वसनीयता संदिग्ध है।
- यूरोपीय शक्तियों के लिए अभी भी रूस (न कि चीन) ही पहली सुरक्षा चिंता है।

ऑस्ट्रेलिया को शामिल किए जाने के विरोध में तर्क

- ऑस्ट्रेलिया ने पूर्व में (2008 के आस-पास) चीन की चिंताओं के प्रति मतभेद के चलते इस क्वाड (Quad) से बाहर निकलने का निर्णय लिया था।
- ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था चीन को किए जाने वाले वस्तुओं के निर्यात पर अत्यधिक निर्भर है।

VISION IAS

- ऑस्ट्रेलिया में राजनीतिक दलों को प्राप्त होने वाली विदेशी वित्तीय सहायता से संबंधित ढीले नियमों के चलते चीन का बहुत सारा धन ऑस्ट्रेलियाई राजनीति में लगा हुआ है।
- जापान और भारत के विपरीत, ऑस्ट्रेलिया का चीन के साथ कोई प्रत्यक्ष विवाद नहीं है।

ऑस्ट्रेलिया के प्रवेश पर विचार करने के पक्ष में तर्क

- चीन के साथ अपने सभी आर्थिक और राजनीतिक संबंधों के बावजूद, केनबरा ने दक्षिण चीन सागर में चीन की गतिविधियों की कड़ी आलोचना की है।
- ऑस्ट्रेलिया राजनीतिक चंदे से संबंधित अपने कानूनों में सुधार पर विचार कर रहा है ताकि इसकी राजनीति में विदेशी प्रभाव को सीमित किया जा सके।
- यह इंडो-पैसिफिक क्षेत्र का एक प्रमुख समुद्री लोकतांत्रिक देश है। भारत, अमेरिका या जापान सभी अपने साझे राजनीतिक मूल्यों के चलते यह भागीदारी कर रहे हैं न कि चीन की शक्ति को संतुलित करने के लिए- यह एक ऐसी रणनीति है जिसके काफी मायने हैं।
- वर्तमान में यहाँ पहले से ही तीन त्रिपक्षीय गुट कार्य कर रहे हैं- भारत-अमेरिका-जापान; भारत-जापान-ऑस्ट्रेलिया तथा अमेरिका-जापान-ऑस्ट्रेलिया। इन्हें मिलाकर एक क्वाड्रीलैटरल बना देना एक तार्किक कदम होगा।
- पिछली बार जब इस क्वाड्रीलैटरल को सक्रिय करने की कोशिश हुई थी, तब यह चीन का ध्यान खींचने में सफल रहा था, क्योंकि चीन ने इसके सभी सदस्यों के समक्ष इसे लेकर विरोध जताया था।

चुनौतियाँ

- वैश्विक शक्तियों को अपने पड़ोस में सम्मिलित करना विभिन्न प्रकार की क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्विताएं बढ़ा सकता है। इससे भारत व चीन के मध्य अनावश्यक शत्रुता बढ़ने की संभावना है, जिससे इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को और बढ़ावा मिलेगा।
- यह इस क्षेत्र में भारत के प्रभाव और स्वतंत्र रूप से निर्णय ले पाने की कीमत पर होगा।
- जहाँ क्वाड्रीलैटरल के सभी सदस्य पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (EAS) के सदस्य हैं, भारत अभी भी एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) का सदस्य नहीं है। यदि भारत को इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में प्रभावी रूप से योगदान करना है, तो इस कमी को दूर करना होगा।
- भारत इस प्रस्तावित गठबंधन का अकेला ऐसा सदस्य है जो चीन और रूस की भागीदारी वाली एक अन्य सुरक्षा व्यवस्था, **शंघाई सहयोग संगठन** में भी शामिल है। इस क्वाड्रीलैटरल में, अपने हितों के मध्य संतुलन साधने की भारत की योग्यता की परीक्षा होगी।
- साथ ही, जिस प्रकार भारत ने हाल ही में हिंद महासागर में चीनी नौसेना की उपस्थिति पर आपत्ति जताई थी, वह उसी प्रकार अमेरिकी और जापानी नौसेना पोतों की इस क्षेत्र में बढ़ी हुई उपस्थिति पर आपत्ति नहीं जता पाएगा।

आगे की राह

- भारत को एशिया में और उससे भी आगे भू-राजनीतिक परिणामों को प्रभावित करने की इच्छाशक्ति का प्रदर्शन करना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं कि क्वाड्रीलैटरल के गठन के समक्ष कई चुनौतियाँ है क्योंकि चीन से कैसे बेहतर ढंग से निपटा जा सकता है, इसको लेकर सभी देशों में गहरा मतभेद है।
- भले ही कितने ही अच्छे इरादे से भारत ने यह कदम उठाया हो, उसे अन्य शक्तियों को अपने पड़ोस में आमंत्रित करने से पूर्व इस कदम के सभी लाभों व हानियों का आकलन कर लेना चाहिए।

11.2. दक्षिण-दक्षिण सहयोग पर इब्सा घोषणा

(IBSA Declaration for South-South Co-op)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया में आयोजित IBSA की मंत्रिस्तरीय बैठक में** भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका (IBSA) के विदेश मंत्रियों के द्वारा दक्षिण-दक्षिण सहयोग (SSC) एवं विकास की समझ को बेहतर बनाने में योगदान हेतु एक घोषणापत्र को स्वीकृत किया गया।

भारत-ब्राज़ील-दक्षिण अफ्रीका (IBSA) वार्ता मंच

- **IBSA डायलॉग फोरम** भारत, ब्राजील एवं दक्षिण अफ्रीका के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय त्रिपक्षीय गुट है।
- IBSA की औपचारिक रूप से स्थापना **6 जून 2003 को ब्राजीलिया घोषणा** के तहत भारत, ब्राजील तथा दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्रियों द्वारा की गई थी।

- यह **दक्षिण-दक्षिण सहयोग को सुदृढ़ बनाने के लिए तीन महत्वपूर्ण केंद्रों** और समान चुनौतियों का सामना कर रहे **विकासशील विश्व के तीन महत्वपूर्ण महाद्वीपों** अर्थात् अफ्रीका, एशिया एवं दक्षिण अमेरिका के मध्य के तालमेल का प्रतिनिधित्व करता है।

विकास सहयोग के लिए IBSA तंत्र

गरीबी एवं भूख के उन्मूलन हेतु IBSA कोष

- यह विकासशील देशों में गरीबी और भूख के उन्मूलन हेतु मानव विकास परियोजनाओं के निष्पादन को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था।
- प्रत्येक सदस्य देश इस कोष में **वार्षिक तौर पर 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर** का योगदान देता है।
- IBSA कोष का प्रबंधन दक्षिण-दक्षिण सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय **(United Nations Office for South-South Cooperation: UNOSSC)** द्वारा किया जाता है।
- IBSA कोष ने **35 मिलियन डॉलर के संचयी योगदान के साथ**, पिछले दशक में 26 परियोजनाओं को लागू करने के लिए वैश्विक दक्षिण के 19 देशों से भागीदारी की है। IBSA कोष का 62.4 प्रतिशत अल्प विकसित देशों (LDC) को समर्पित है।

दक्षिण- दक्षिण सहयोग (SSC) पर IBSA घोषणा के बारे में-

यह घोषणा दक्षिण-दक्षिण सहयोग के लिए निम्नलिखित सिद्धांतों एवं आधारों की मांग करती है:

- **SSC दक्षिण के लोगों एवं देशों का एक साझा प्रयास है।** यह वैश्विक दक्षिण के साझा इतिहास, समझ और मान्यताओं तथा विकास के अनुभवों पर ध्यान केंद्रित करता है।
- **विकासशील भागीदारों के रूप में विकासशील देश:** SSC से संबद्ध विकासशील देश दाता और प्राप्तकर्ता नहीं बल्कि विकासशील भागीदार हैं।
- **एकता और साझा करने की भावना** SSC की प्राथमिक प्रेरणा है।
- **स्वैच्छिक प्रकृति:** SSC प्रकृति में स्वैच्छिक है और आधिकारिक विकास सहायता (ODA) की तरह अनिवार्य नहीं है।
- **मांग संचालित प्रक्रिया:** मांग संचालित प्रक्रिया होने के कारण SSC परियोजनाओं में प्राथमिकताओं का निर्धारण साझेदार देश करते हैं।
- **राष्ट्रीय संप्रभुता का सम्मान** करना SSC का मूल तत्व है। यह राष्ट्रीय संप्रभुता का सम्मान करने; राष्ट्रीय स्वामित्व एवं स्वतंत्रता; समानता; शर्तहीनता; घरेलू मामलों में हस्तक्षेप न करने और पारस्परिक लाभ के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होता है। इसके अंतर्गत विकास की प्राथमिक जिम्मेदारी अपने स्वामित्व और नेतृत्व के अंतर्गत स्वयं राष्ट्रों की ही होती है।
- **उत्तर-दक्षिण सहयोग के पूरक के रूप में:** दक्षिण-दक्षिण सहयोग विकास एजेंडे को गति प्रदान करने के लिए उत्तर-दक्षिण सहयोग के विकल्प के तौर पर नहीं बल्कि पूरक के रूप में कार्य करता है। यह वैश्विक उत्तर से अपनी ODA प्रतिबद्धताओं का पूर्ण रूप से पालन करने, मौजूदा संसाधनों में वृद्धि करने और जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते के लक्ष्यों को प्राप्त करने का आग्रह करता है। साथ ही साथ यह वैश्विक उत्तर से SDG को कार्यान्वित करने हेतु आवश्यक साधन प्रदान करने के लिए अतिरिक्त संसाधनों की पूर्ति करने का आग्रह भी करता है।

दक्षिण-दक्षिण सहयोग (SSC) की पृष्ठभूमि

- दक्षिण-दक्षिण सहयोग (SSC) को **वैश्विक दक्षिण के देशों के मध्य विकासात्मक समाधानों के आदान-प्रदान तथा साझाकरण** के रूप में परिभाषित किया गया है।
- यह विकास की एक पद्धति है जो समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकारों, सिविल सोसायटी संगठनों जैसी विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से दक्षिणी देशों के मध्य ज्ञान,अनुभव, प्रौद्योगिकी, निवेश, सूचना एवं क्षमताओं के आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान करती है।
- SSC का गठन **1955 में इंडोनेशिया के बांडुंग में आयोजित एशियाई-अफ्रीकी सम्मेलन** (जिसे **बांडुंग सम्मेलन** भी कहा जाता है) में किया गया था।
- यह दक्षिण और उत्तर के मध्य विद्यमान अनिश्चितताओं के लिए सहायता की बढ़ती आवश्यकताओं सहित विश्व भर में जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के वैश्विक प्रयासों का समर्थन करने हेतु एक समानांतर तंत्र के रूप में विकसित हुआ है।
- हाल के समय में, उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में बढ़ते सतत आर्थिक विकास ने शक्ति के वैश्विक केंद्र के उत्तर से दक्षिण की ओर स्थानांतरण को बढ़ावा दिया है। इसके साथ ही दक्षिणी क्षेत्र उत्तर-दक्षिण सहयोग (NSC) तथा त्रिकोणीय विकास सहयोग (TDC) से परे अपने संबंधों को विकसित करने का प्रयास भी कर रहा है।

VISION IAS

SSC का महत्व

- विगत दशक में, उत्तर-दक्षिण व्यापार की तुलना में दक्षिण-दक्षिण व्यापार एवं निवेश अधिक तेज़ी से विकसित हुआ है।
- दक्षिण के निवेशकों के पास प्राय: महत्वपूर्ण क्षेत्रीय जानकारियां होती हैं, जो उचित प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हैं और कठिन राजनीतिक माहौल में भी व्यावसायिक जोखिम उठाने में तत्पर होते हैं।
- इसके अतिरिक्त, दक्षिण के देश आधिकारिक विकास सहायता (ODA) का एक अन्य स्रोत बन गए हैं, अर्थात् उन्होंने उत्तर के देशों पर अपनी निर्भरता को कम कर दिया है।

हालिया विकासक्रम

- **संयुक्त राष्ट्र भागीदारी कोष:** भारत ने विकास गतिविधियों के लिए वर्ष 2017 के 'यूनाइटेड नेशन प्लेजिंग कॉन्फ्रेंस फॉर डेवलपमेंट एक्टिविटीज' में संयुक्त राष्ट्र भागीदारी कोष के लिए 100 मिलियन अमरीकी डॉलर के अतिरिक्त योगदान का आश्वासन दिया है।
- इस कोष की सहायता से प्रथम परियोजना सात प्रशांत द्वीपीय देशों की साझेदारी के साथ क्रियान्वित की जा रही है। इस कोष के माध्यम से 15 अतिरिक्त परियोजनाओं की भी पहचान की गयी है।
- भारत संयुक्त राष्ट्र के अन्य कार्यक्रमों में भी 10.582 मिलियन अमरीकी डॉलर का सहयोग कर रहा है।
- भारत के इस योगदान ने भारत के विकासशील देशों में सतत विकास परियोजनाओं को समर्थन प्रदान किया है।

2017 में स्थापित **इंडिया-यूएन डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड (UNDPF), यूनाइटेड नेशन फण्ड फॉर साउथ-साउथ कोऑपरेशन** के तहत एक समर्पित सुविधा है।
यह सुविधा अल्प विकसित देशों एवं छोटे विकासशील द्वीपीय देशों पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए विकासशील विश्व में दक्षिणी देशों के स्वामित्व और नेतृत्व में, मांग-चालित एवं परिवर्तनकारी संधारणीय विकास परियोजनाओं को सहयोग प्रदान करती है।
यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर साउथ-साउथ कोऑपरेशन (UNOSSC) की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गयी। इसे **वर्ष 1974 से UNDP** द्वारा होस्ट किया जा रहा है। इसे वैश्विक और संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के आधार पर दक्षिण-दक्षिण तथा त्रिकोणीय सहयोग (दक्षिण-दक्षिण-उत्तरी देशों के मध्य सहयोग एवं साझेदारी) के लिए समर्थन और समन्वय का अधिदेश प्राप्त है।

BRICS की तुलना में IBSA की प्रासंगिकता

- हालांकि, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में IBSA का BRICS के वार्षिक शिखर सम्मेलनों के समक्ष महत्त्व कम है, किन्तु IBSA के तीनों सदस्यों ने स्वयं को एक साझेदार के रूप में स्वीकार किया है क्योंकि वे विश्व व्यवस्था के संबंध में समान मौलिक विचारों को साझा करते हैं।
- IBSA के तीनों सदस्य बहुदलीय लोकतंत्र वाले देश हैं और इस प्रकार वे परस्पर स्वतंत्र रूप से विचार-विमर्श कर सकते हैं कि एक अव्यवस्थित एवं जटिल राजनीतिक परिस्थिति में संवृद्धि को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक सशक्त सुधारों को किस प्रकार कार्यान्वित किया जा सकता है। वहीं ब्रिक्स शिखर सम्मेलनों में इन मुद्दों पर खुले रूप से विचार-विमर्श नहीं किया जा सकता है।
- इसी प्रकार, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में मानव अधिकारों एवं सिविल सोसाइटी से संबंधित मुद्दों को नहीं उठाया जाता है। ब्राजील के राष्ट्रपति वर्ष 2011 के IBSA शिखर सम्मेलन के दौरान इसके अंतिम घोषणा पत्र में "रेस्पोंसिबिलिटी व्हाइल प्रोटेक्टिंग" (एक अवधारणा जो "रेस्पोंसिबिलिटी टू प्रोटेक्ट" की अवधारणा में सुधार करने और उसे परिष्कृत बनाने का प्रयास करती है) की अवधारणा को शामिल करने में सफल रहे, जबकि वे कुछ महीने बाद आयोजित ब्रिक्स के चौथे शिखर सम्मेलन में चीन एवं रूस के विरोध के कारण ऐसा करने में असफल रहे।
- उभरते हुए देशों के रूप में जिन्हें अभी तक अंतरराष्ट्रीय संरचना में पूर्ण रूप से एकीकृत नहीं किया गया है, इनका मानना है कि वर्तमान संरचनाएं अन्यायपूर्ण हैं और उनमें सुधार की आवश्यकता है। हालांकि इन देशों द्वारा ऐसे संस्थानों को अस्वीकार करने का स्तर भिन्न-भिन्न है - उदाहरण के लिए, भारत परमाणु अप्रसार संधि (NPT) का ब्राजील की तुलना में कहीं अधिक मुखर विरोधी है। हालाँकि तीनों ही देश इस बात पर सहमत हैं कि उन्हें अधिक संस्थागत उत्तरदायित्व प्रदान किया जाना चाहिए, जिसमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता भी शामिल है।
- IBSA ने एक ऐसी सुदृढ़ व्यवस्था प्रदान की है जो द्विपक्षीय संबंधों में तनाव की स्थिति में भी अबाधित रही है। अंततः, भारत, ब्राजील एवं दक्षिण अफ्रीका के मध्य संबंध प्रारंभिक अवस्था में है अतः इन देशों के मध्य किसी गंभीर अवरोध या हितों के टकराव की संभावना नहीं है।

निष्कर्षतः, IBSA के निरंतर अस्तित्व में बने रहने के व्यापक लाभ हैं जिनको अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए तथा भारत, ब्राजील एवं दक्षिण अफ्रीका के नीति निर्माताओं को वैश्विक एजेंडे के निर्धारकों के रूप में इन लाभों को बनाए रखना चाहिए।

VISION IAS

11.3. निर्धनों के लिए विदेशी सहायता

(Foreign Aid to Poor)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, "डज़ फॉरेन एड टारगेट द पुअरेस्ट (Does foreign aid target the poorest)" नामक एक पेपर प्रकाशित किया गया।

ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस (ODA) से सम्बंधित प्रवृत्तियाँ

- वर्ष 1970 में, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इस बात पर सहमति व्यक्त की गयी कि, आर्थिक रूप से सम्पन्न देशों को अपनी सकल राष्ट्रीय आय (GNI) का 0.7% ODA के रूप में प्रदान करना चाहिए।
- इस प्रतिबद्धता को वर्ष 2000 में मिलेनियम डेवलपमेंट गोल तथा वर्ष 2015 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में दोहराया गया (SDG 1- सम्पूर्ण विश्व से निर्धनता के सभी रूपों का उन्मूलन) है।
- 1960 के दशक में वैश्विक स्तर पर ODA लगभग 40 बिलियन अमरीकी डॉलर था जो वर्ष 2012 में बढ़कर 128 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया। ODA का लगभग दो-तिहाई हिस्सा जी-8 के पांच देशों से आता है। मात्रात्मक दृष्टि से भी इनका अंशदान सर्वाधिक है। ये देश हैं: अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और जापान।
- अफ्रीका का उप-सहारा क्षेत्र ODA का सर्वाधिक प्रतिशत भाग (2011 में 35%) प्राप्त करता है जबकि द्वितीय सर्वाधिक भाग दक्षिण एशिया (17%) को प्राप्त होता है।
- यद्यपि, प्रश्न यह भी उठता है कि क्या यह सहायता वास्तव में विश्व के निर्धन व्यक्तियों तक पहुँचती है?

ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस (ODA) क्या है?

- यह किसी देश द्वारा अन्य देश को उसके सामाजिक एवं आर्थिक विकास या किसी आपदा के प्रबंधन हेतु प्रदान की जाने वाली आर्थिक एवं तकनीकी सहायता है।
- इसमें विभिन्न प्रकार के अनुदान, ऋण, तकनीकी सलाह, प्रशिक्षण, उपकरण एवं वस्तुएँ (जैसे- भोजन सामग्री), स्वास्थ्य, अवसंरचना और परिवहन आदि के लिए सहायता प्रदान करना शामिल हो सकता है।
- सैन्य उद्देश्य हेतु ऋण और साख को इसमें शामिल नहीं किया जाता है।

विदेशी सहायता की आवश्यकता क्यों है?

विकासशील देशों को मुख्यतः निम्नलिखित मदों के वित्तपोषण हेतु विदेशी सहायता की आवश्यकता होती है:

- **अवसंरचना-** सड़क, क्लासरूम, बुनियादी स्वच्छता आदि।
- **मानवता से सम्बंधित मुद्दे और प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न संकट -** आपातकालीन आश्रयस्थलों का निर्माण, परामर्श सम्बन्धी सेवाएँ प्रदान करना आदि।
- **राष्ट्रीय सुरक्षा-** विदेशी सहायता प्राप्त करने वाले देश प्राप्त धन का प्रयोग आतंकी गतिविधियों पर नियंत्रण स्थापित करने हेतु कर सकते हैं। इसके साथ ही वे इस धन का प्रयोग निर्धनता में कमी, कमज़ोर संस्थाओं के सशक्तिकरण, भ्रष्टाचार के उन्मूलन तथा एक पारदर्शी व्यवस्था एवं सुशासन की स्थापना हेतु भी कर सकते हैं।

विदेशी सहायता तक निर्धनों की पहुँच न होने के कारण

- **विदेशी सहायता, विभिन्न उद्देश्यों को लक्षित करती है।** इसे प्रभावी बनाने के लिए कुछ सहायता अपेक्षाकृत समृद्ध स्थानों को दी जाती है, भले ही वे वैश्विक मानक पर निर्धन न हों। उदाहरणस्वरुप, पत्तन सुविधा विकास हेतु प्रदत्त सहायता तटवर्ती नगर को ही दी जाती है, भले ही वह नगर आर्थिक रूप से समृद्ध हो।
- **आर्थिक कारण**: सुदूरवर्ती क्षेत्रों में आपूर्ति और उपकरणों को उपलब्ध कराने की लागत अधिक होती है। अतः इस निधि का उपयोग सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा विकसित क्षेत्रों के समीपवर्ती स्थानों पर किया जाता है।
- ऐसे अनेक उदाहरण हैं, जहाँ सहायता का प्रयोग **निरंकुश व्यवस्था** को समर्थन देने के लिए किया गया। उदाहरण के लिए- जायरे, रवांडा, इथियोपिया आदि जहां प्रदाता देश राजनैतिक समर्थन या अपने हितों की पूर्ति हेतु सहायता प्रदान करता है।
- कई मामलों में स्थानीय लोगों के हितों की पूर्ति के बजाय **सामरिक सहयोग**, वाणिज्यिक हित या राजनीतिक विचारधारा के समर्थन में सहायता प्रदान की जाती है।

VISION IAS

- अधिकांश प्राप्तकर्ता देशों के पास अपनी आर्थिक परिस्थितियों में सुधार लाने के लिए प्राप्त सहायता के प्रभावी एवं कुशल उपयोग हेतु उपयुक्त तंत्र का अभाव होता है।
- अपने बजट राजस्व का एक बड़ा हिस्सा विदेशी सहायता से प्राप्त करने वाली भ्रष्ट सरकारें इस सहायता का उपयोग राष्ट्र के आर्थिक विकास एवं जन कल्याण को बढ़ावा देने हेतु नहीं करती हैं।

निष्कर्ष

विदेशी सहायता स्वयं से संवृद्धि को प्रोत्साहित करने हेतु पर्याप्त नहीं है। इसे सफलतापूर्वक उपयोग करने हेतु निम्नलिखित विभिन्न उपायों द्वारा समर्थन प्रदान करने की आवश्यकता होती है-

- सहायता प्राप्तकर्ता देशों की सरकारों को सहायता के उपयोग हेतु **जवाबदेह** होना आवश्यक है। अपनी संस्थागत संरचनाओं और नीतियों को सुधारने के लिए प्राप्तकर्ता सरकार की राजनीतिक इच्छाशक्ति इस सहायता के प्रभावी होने के लिए एक आवश्यक शर्त है।
- प्रदाता देश **सशर्त सहायता नीति** अपना सकते हैं, जिसके अनुसार **प्राप्तकर्ता देशों को सहमति प्राप्त सहायता अनुबंधों के अनुपालन में असफल होने की स्थिति में दंडित किया जा सकता है**। दंडात्मक उपायों में अनेक नीतियां अपनाई जा सकती है, जैसे कि समग्र सहायता राशि को कम करना जिससे सरकार पर कार्य करने के लिए दबाव डाला जा सके।
- प्रदाता देश सीधे विकास परियोजनाओं के लिए अनुदान देकर प्राप्तकर्ता देश की **भ्रष्ट सरकारों की भूमिका को सीमित** कर सकते हैं।

11.4. भारत की सॉफ्ट पावर

(India's Soft Power)

सुर्ख़ियों में क्यों?

विदेश मंत्रालय ने भारत की सॉफ्ट पावर पहुँच की प्रभावशीलता को मापने और कूटनीति के क्षेत्र में भारत की सॉफ्ट पावर और उसके ठोस परिणामों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए "सॉफ्ट पावर मैट्रिक्स" विकसित करने का निर्णय लिया है।

महत्त्व

- सॉफ्ट पावर सार्वजनिक कूटनीति (पब्लिक डिप्लोमेसी) का एक महत्वपूर्ण साधन बन गयी है। यह आधिकारिक कूटनीतिक प्रयासों जैसे कि एक्ट ईस्ट नीति, कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी और अफ्रीका में सामरिक सहायता तथा व्यापार भागीदारी के विकास में सहायता करती है।
- सांस्कृतिक आदान-प्रदान के बढ़ने से विदेशों में भारत के संबंध में सार्वजनिक जानकारी और भारत की महत्ता में वृद्धि की संभावना है।
- हार्ड पावर का उपयोग सामान्यतः अपने साथ व्यापक वैश्विक सार्वजनिक अस्वीकृति लाता है, जबकि सॉफ्ट पावर को सूचना युग में सरलतापूर्वक स्वीकृत किया जाता है तथा यह किसी देश की मुख्य पूँजी का निर्माण करता है।
- यद्यपि भू-राजनीति के क्षेत्र में हार्ड पावर अभी भी प्रचलित है, परन्तु सॉफ्ट पावर के क्षेत्र में अधिकांश देशों द्वारा अपना प्रभाव, निवेश, देशी और विदेशी प्रतिभाओं के अवधारण और उन्हें आकर्षित करने के लिए इस पर बल दिया जा रहा है।
- सॉफ्ट पावर न केवल विश्व में किसी राष्ट्र की भूमिका के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि देश की वैश्विक स्तर पर मान्यता और अंततः उसकी समृद्धि के लिए भी महत्त्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, कोई देश यथोचित सॉफ्ट पावर के माध्यम से अपने प्रवासियों के लिए आकर्षक होगा, इस प्रकार यह प्रतिभा और धन दोनों के लिए महत्वपूर्ण संपर्कता को सुदृढ़ करेगा।

सॉफ्ट पावर

- यह किसी देश द्वारा अपने लक्ष्यों के अनुरूप अपने विचारों से अन्य राष्ट्रों को सहमत करने की क्षमता है।
- यह तीन प्रमुख संसाधनों यथा- किसी देश की संस्कृति, उसके राजनीतिक मूल्य और उसकी विदेश नीति से प्राप्त होती है।

हार्ड पावर

- यह किसी देश अथवा राजनीतिक संस्था द्वारा अन्य देशों के व्यवहार को आर्थिक प्रोत्साहन या सैन्य शक्ति के प्रयोग के माध्यम से प्रभावित करने की क्षमता है।
- इसमें आर्थिक प्रतिबंध, व्यापार समझौते, सैन्य हस्तक्षेप तथा सैन्य या आर्थिक दबाव सम्मिलित हैं।

भारत की सॉफ्ट पावर संबंधी अभिव्यक्तियां

भारत की सॉफ्ट पावर के संवर्धन हेतु **भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद** (ICCR) प्रमुख उत्तरदायी सरकारी नोडल एजेंसी है।

- **अतुल्य भारत अभियान:** इसे भारत के ब्रांड निर्माण और देश की एक विशिष्ट पहचान बनाने के लिए 2002 में पर्यटन मंत्रालय के सहयोग से प्रारंभ किया गया था।

- 2006 में, विदेश मंत्रालय ने विदेशों में भारत की पहुँच को बढ़ावा देने के लिए एक **सार्वजनिक कूटनीति प्रभाग** की स्थापना की।
- **प्राचीन औषधि प्रणाली और योग** विकसित देशों में भी तेजी से लोकप्रिय हो चुके हैं। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का वैश्विक आयोजन भी हमारी सॉफ्ट पावर आउटरीच की एक प्रभावशाली अभिव्यक्ति है।
- विदेशी व्यापार हितों तथा विदेशी सहायता एवं विकास कार्यक्रम के साथ भारतीय प्रवासियों तक पहुंचने और संपर्क स्थापित करने के प्रयास किये जा रहे हैं।
- न केवल युवाओं को जोड़ने बल्कि "नेशन-ब्रांड" के रूप में भारत के निर्माण हेतु भी **सोशल मीडिया और आईटी का उपयोग**। मेक इन इंडिया के लिए अभियान, विदेशों में व्यापार मेले तथा रायसीना वार्ता जैसे कार्यक्रमों का आयोजन भी विश्व में सॉफ्ट पावर के रूप में भारत की उपस्थिति को दर्शाता है।
- भारत ने पूर्वी अफ्रीका और दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ पारंपरिक संबंधों को पुनर्जीवित करने के लिए **प्रोजेक्ट मौसम और स्पाइस रूट परियोजनाएं** तथा सिल्क रोड जैसे प्राचीन व्यापारिक मार्ग (जिसमें प्राचीन एशियाई महाद्वीप और यूरोप के कई हिस्से सम्मिलित हैं) का शुभारंभ किया है।
- भारत ने अपनी सॉफ्ट पावर का प्रयोग बॉलीवुड के बढ़ते प्रभाव, विदेश मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाने वाली शैक्षिक छात्रवृत्ति, प्राकृतिक आपदाओं के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने में सहायता करने के लिए मानवीय सहायता और आपदा राहत प्रदान करने के माध्यम से भी किया है।

विदेश मामलों की स्थायी समिति की सिफारिशें

- यह कहा गया है कि भारत अपनी सांस्कृतिक कूटनीति के उपयोग में पीछे रहा है और संस्तुति की गयी है कि भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा सॉफ्ट पावर संबंधी संसाधनों और उनकी अभिव्यक्तियों को विदेशों में अभिव्यक्त किये जाने के लिए "व्यापक और बेहतर ढंग से संरचित नीति" तैयार की जानी चाहिए।
- विदेश मंत्रालय और ICCR को देश के प्राकृतिक ऐतिहासिक आकर्षण को बढ़ाने, अपनी कूटनीति और विदेश नीति को सशक्त बनाने के लिए संसाधनों का उचित आवंटन करना चाहिए।
- विकास भागीदारी (development partnerships) को सावधानीपूर्वक क्रियान्वित किया जाना चाहिए और इसके लिए समय पर वित्तीय आवंटन होना चाहिए।

चुनौतियां

- चूंकि 'सॉफ्ट पावर' को राज्य की शक्ति का अमूर्त अवयव माना जाता है, इसलिए इन उपायों के निश्चित प्रभाव का आकलन करना कठिन है।
- इसके अलावा, सॉफ्ट पॉलिसी अभी तक सरकारी नीतियों से स्वतंत्र, एक फ़ोकस्ड नीति अथवा वित्तीय संसाधनों के पर्याप्त समर्थन के बिना कार्य कर रही है।
- सॉफ्ट पावर के आलोचक साथ में यह भी कहते हैं कि सॉफ्ट पावर, हार्ड पावर का स्थान नहीं ले सकती। यह केवल तभी सहायता करती है जब किसी देश ने अपनी सैन्य और आर्थिक शक्तियों के पारंपरिक स्रोतों का विकास किया हो।

सम्बंधित जानकारी

स्मार्ट पावर - यह एक एकीकृत राष्ट्रीय रणनीति को संदर्भित करती है जो प्रत्येक स्थिति की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप उपयुक्त **हार्ड और सॉफ्ट पावर दोनों को कुशलतापूर्वक और दक्षतापूर्वक संयोजित** करती है तथा जो विशेष आसन्न खतरे के अनुसार समायोजित हो जाती है।

निष्कर्ष

- समग्रतः, सीमित साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि भारत की सॉफ्ट पावर अन्य देशों में आकर्षक बनी हुई है। यह विशेष रूप से विकासशील देशों के सन्दर्भ में सत्य है जहां भारत ने अपनी साझेदारी छवि को प्रदर्शित करने हेतु महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं।
- भारतीय सॉफ्ट पावर वर्तमान में बॉलीवुड या महात्मा गांधी जैसे वैश्विक प्रतीकों तक ही सीमित नहीं है। अब एक विकासशील देश के रूप इसकी स्वयं की पहचान है और साथ ही एक सुदृढ़ लोकतंत्र और बढ़ती आर्थिक संवृद्धि दर इसे अन्य विकासशील देशों के लिए बढ़ते हुए आकर्षक विकास प्रतिमान के रूप में स्थापित करते हैं।
- फिर भी, प्राय: इसके क्रियाकलापों में नीतिगत समन्वय एवं प्रभावकारिता की कमी दिखाई देती है। इसके अतिरिक्त, महत्वपूर्ण क्षमता संबंधी बाधाएं हैं जो विशेष रूप से विदेश मंत्रालय के भीतर निहित हैं। यह रणनीतिक और अग्रसक्रिय भूमिका का निर्वहन करने के बजाय प्रतिक्रियात्मक रूप में कार्य करता है।
- इसके अतिरिक्त, सुस्पष्ट आर्थिक और हार्ड पॉवर की अनुपस्थिति में अकेले सॉफ्ट पॉवर पर्याप्त नहीं होगी। उदाहरण के लिए, भारत का दक्षिण-पूर्व एशिया और अफ्रीका के साथ सुदृढ़ रणनीतिक जुड़ाव हो सकता है, किन्तु इस संबंध में चीन की आर्थिक शक्ति निर्णायक रूप से महत्त्वपूर्ण है।

11.5 भारत की परमाणु नीति

(India's Nuclear Policy)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में,1998 में किए गए परमाणु परीक्षण पोखरण-2 के 20 वर्ष पूरे हो गए।

भारत के परमाणु सिद्धांत की मुख्य विशेषताएं

- एक विश्वसनीय न्यूनतम निवारक क्षमता का निर्माण एवं रखरखाव;
- भारत का **"नो फर्स्ट यूज़ (NFU)"** का सिद्धांत; परमाणु हथियारों का उपयोग केवल "भारतीय क्षेत्र पर या सेनाओं पर परमाणु हमले के विरुद्ध जवाबी कार्रवाई में ही किया जाएगा";
- हमले की जवाबी कार्रवाई में "बड़े स्तर पर" तथा "अत्यधिक क्षति पहुँचाने वाली" होगी |
- जवाबी कार्रवाई के रूप में परमाणु हमले को न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के माध्यम से नागरिक राजनीतिक नेतृत्व द्वारा ही अधिकृत किया जाएगा।
- गैर परमाणु हथियार वाले देशों के विरुद्ध परमाणु हथियारों का उपयोग नहीं किया जायेगा।
- भारत पर बड़े जैविक या रासायनिक हमले की स्थिति में परमाणु हथियारों का प्रयोग किया जा सकता है।

NFU के पक्ष में तर्क

- "नो फर्स्ट यूज़ अर्थात् NFU एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र की प्रतिबद्धता या नीति को संदर्भित करता है। इसमें किसी विरोधी द्वारा हमला करने हेतु परमाणु हथियारों का उपयोग करने पर ही इन हथियारों का युद्ध के उपकरण के रूप में उपयोग करने की प्रतिबद्धता शामिल है।
- यह प्रथम उपयोग से संबंधित एक जटिल और अत्यंत महंगी अवसंरचना की आवश्यकता को समाप्त करता है। प्रथम उपयोग हेतु एक जटिल, खर्चीले कमांड तथा परिष्कृत इन्टेलीजेन्स, सर्विलांस एंड रीकॉनेसेन्स (ISR) सिस्टम की आवश्यकता होती है।
- इस नीति को अपनाने के परिणामस्वरूप अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अनेक लाभ प्राप्त हुए हैं जैसे-आर्थिक प्रतिबंधों का हटना,असैनिक परमाणु सहयोग समझौतों में भागीदारी एवं प्रौद्योगिकी स्थानान्तरण को प्रतिबंधित करने वाले नियमों तथा बहुपक्षीय परमाणु निर्यात नियंत्रण नियमों के अंतर्गत रियायत मिलना। यदि भारत परमाणु हथियारों के पहले उपयोग का विकल्प चुनता, तो इनमें से अधिकांश लाभो से वंचित हो जाता।
- यह भारत को स्वयं की सुरक्षा करने के साथ-साथ, शत्रु पर हमला न करने संबंधी दबाव बनाता है।
- पहले प्रयोग की स्थिति में भारत परमाणु हमले की स्थिति में पहुँचने से पहले विवाद समाधान के लिए पारंपरिक युद्ध का अवसर खो देगा। इसके परिणामस्वरूप सामरिक परमाणु हथियारों (TNW) के उपयोग की संभावना भी बढ़ जाएगी।

NFU के विपक्ष में तर्क

- NFU का अर्थ यह है कि हम शत्रु की ओर से किये जाने वाले पहले हमले में होने वाले व्यापक स्तर के विनाश को स्वीकार कर रहे हैं। वस्तुतः पहले हमले को स्वीकृति देना नैतिक रूप से गलत होगा। देश को 'संकट में' डालने का सरकार को कोई अधिकार नहीं है।
- NFU विरोधी परमाणु शक्ति को दंड से बचने की अनुमति देता है क्योंकि जवाबी परमाणु हमले की प्रकृति पहले हमले के समतुल्य होगी।
- पहले हमले के विरुद्ध बचाव के लिए एक विस्तृत और महंगी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस (BMD) प्रणाली की आवश्यकता होगी और एक बार परमाणु हथियारों द्वारा हमले आरम्भ होने के बाद इनकी वृद्धि को नियंत्रित करना कठिन होगा।

भारत का "विश्वसनीय न्यूनतम निवारण"

यह भारत के परमाणु सिद्धांत का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है, जो भारत के संभावित परमाणु प्रतिद्वंद्वियों को रोकने के लिए आवश्यक परमाणु बलों की संख्या को संदर्भित करता है। विश्वसनीयता यह प्रदर्शित करती है कि राजनीतिक स्तर से कार्यान्वयन स्तर तक कमांड और नियंत्रण संबंधी कार्यों का निष्पादन कितनी कुशलता से हो रहा है। यह निर्मम आक्रमण की सर्वाधिक भयावह स्थितियों के तहत देश की उत्तरजीविता को प्रदर्शित करता है। यह स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि भारत अपने परमाणु अस्त्रों का केवल रक्षात्मक उद्देश्यों के लिए एक निवारक के रूप में उपयोग करेगा न कि दूसरों के भयादोहन के साधन के रूप में।

हमारे परमाणु सिद्धांत के संदर्भ में हमारी निवारक क्षमता की विश्वसनीयता के लिए पूर्व शर्तें निम्नानुसार सूचीबद्ध की जा सकती हैं:

- युद्धास्त्रों और वितरण के साधनों, दोनों के ही संदर्भ में **पर्याप्त और अस्तित्व की रक्षा हेतु सक्षम परमाणु बल जो शत्रु को 'अवांछनीय' क्षति पहुंचा सकें।**
- परमाणु बलों को किसी भी समय किसी भी स्थिति से निपटने के लिए कार्यात्मक रूप से तैयार रहना चाहिए।

VISION IAS

- प्रभावी आसूचना और प्रारंभिक चेतावनी क्षमता।
- एक सुदृढ़ कमांड और नियंत्रण प्रणाली जिसके लिए भारत ने नाभिकीय कमान प्राधिकरण (न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी) की स्थापना की है। इसके तहत प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली राजनीतिक परिषद और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की अध्यक्षता में एक कार्यकारी परिषद शामिल है।
- परमाणु सुरक्षा बलों को नियोजित किया जाना चाहिए ।
- निवारक क्षमता का सम्प्रेषण।

भारत और परमाणु निःशस्त्रीकरण:

निःशस्त्रीकरण का तात्पर्य परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों (NWS) के शस्त्रों को क्रमिक रूप से कम करना एवं उन्हें नियंत्रित करना है।

वहीं दूसरी ओर अप्रसार (Non-Proliferation) यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि गैर-परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों (NNWS) को शस्त्रीकरण हेतु प्रौद्योगिकी और अन्य साधन उपलब्ध न हों। भारत की विदेश नीति को पंडित नेहरू द्वारा आकार प्रदान किया गया था और वैश्विक परमाणु निःशस्त्रीकरण इसका एक महत्वपूर्ण भाग था। भारत 1954 में परमाणु परीक्षण पर प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाला प्रथम देश था।

1988 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने परमाणु हथियार मुक्त विश्व के लिए निःशस्त्रीकरण पर आयोजित तीसरे विशेष सत्र में एक कार्य योजना का प्रस्ताव दिया। इसके अनिवार्य प्रावधान निम्नलिखित थे -

- वर्ष 2010 तक परमाणु हथियारों को खत्म करने के लिए सभी देशों द्वारा बाध्यकारी प्रतिबद्धता अपनाई जानी चाहिए।
- परमाणु निःशस्त्रीकरण की प्रक्रिया में सभी परमाणु संपन्न राष्ट्रों (NWS) को भाग लेना चाहिए। अन्य सभी देशों को भी इस प्रक्रिया का हिस्सा होना चाहिए।
- पारस्परिक विश्वास को प्रदर्शित करने और आवश्यक आत्मविश्वास का निर्माण करने के लिए प्रत्येक स्तर पर साझे उद्देश्य की दिशा में स्पष्ट प्रगति होनी चाहिए।
- परमाणु हथियार मुक्त विश्व बनाने के लिए सिद्धांतों, नीतियों और संस्थानों में परिवर्तनों की आवश्यकता है। संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में एक व्यापक वैश्विक सुरक्षा प्रणाली स्थापित करने के लिए वार्ता की व्यवस्था की जानी चाहिए।

परमाणु निःशस्त्रीकरण से निपटने में यह आज भी आधिकारिक सिद्धांत (कुछ संशोधनों सहित) बना हुआ है। भारत द्वारा परमाणु सिद्धांत को स्पष्ट रूप से जनवरी 2003 में लागू किया गया था जिसमें भारत ने वैश्विक रूप से सत्यापनीय और गैर-भेदभावपूर्ण परमाणु निःशस्त्रीकरण के माध्यम से परमाणु हथियार मुक्त विश्व के लक्ष्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की थी ।

परमाणु अप्रसार संधि (Non-Proliferation Treaty) क्या है?

- परमाणु हथियारों के अप्रसार पर संधि (NPT) एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका उद्देश्य परमाणु हथियारों एवं हथियार प्रौद्योगिकी के प्रसार को रोकना है। इस संधि में कुल 191 राज्य शामिल हो चुके हैं।
- इस संधि द्वारा पांच राष्ट्रों को परमाणु राष्ट्रों के रूप में मान्यता दी गयी है। ये है : संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और चीन।
- इसमें तीन प्रमुख प्रावधान हैं-
  - गैर-परमाणु शक्ति संपन्न देश परमाणु अस्त्र प्राप्त नहीं कर सकते हैं।
  - गैर-परमाणु शक्ति संपन्न राज्यों को निःशस्त्रीकरण को जारी रखना चाहिए।
  - राष्ट्र, उचित सुरक्षा उपायों के साथ परमाणु ऊर्जा जैसे शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु प्रौद्योगिकी तक पहुंच प्राप्त कर सकते हैं।

भारत ने NPT (अप्रसार संधि) पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किया?

- यदि भारत NPT पर हस्ताक्षर करता है तो भारत को अपना संपूर्ण परमाणु हथियारों का भण्डार नष्ट करना होगा और भविष्य में परमाणु परीक्षणों पर भी प्रतिबन्ध लगाना होगा। अपने अप्रत्याशित एवं अस्थिर पड़ोस को ध्यान में रखते हुए भारत, NPT पर हस्ताक्षर करने और अपने परमाणु हथियारों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है।

व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि (Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty: CTBT)

- इस संधि के अंतर्गत विभिन्न देशों ने सैन्य या नागरिक उद्देश्यों हेतु किये जाने वाले सभी परमाणु परीक्षणों पर प्रतिबंध लगाने के लिए सहमति व्यक्त की है। इसे 1996 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंगीकृत किया गया था।
- भारत, CTBT को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मानता है क्योंकि -
  - गैर-परमाणु शक्ति संपन्न राज्यों ने संधि पर हस्ताक्षर करने से पहले ही नाभिकीय अस्त्रों के क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त कर ली है जो भारत के विरुद्ध भेदभावपूर्ण है।

VISION IAS

- यह संधि पूर्ण परमाणु निःशस्त्रीकरण पर मौन है। भारत एक ऐसे "CTBT की दिशा में कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है जो पूर्ण परमाणु निःशस्त्रीकरण के लक्ष्य को बढ़ावा देता हो"।
- गैर-परमाणु शक्ति संपन्न राज्यों के लिए किसी भी प्रकार का समयबद्ध कार्यक्रम नहीं है।
- यह परमाणु निःशस्त्रीकरण में सहायक नहीं होगा, क्योंकि यह केवल परमाणु परीक्षण पर प्रतिबंध लगाता है। यह परमाणु हथियार से संबंधित कम हानिकारक (गैर परमाणु विस्फोटक) प्रयोगों, या कंप्यूटर सिमुलेशन (अर्थात कंप्यूटर पर परमाणु परीक्षणों की नक़ल) जैसी अन्य गतिविधियों को प्रतिबंधित नहीं करता है।

विखंडनीय सामग्री कटौती संधि (The Fissile Material Cutoff Treaty: FMCT):

यह परमाणु हथियार या अन्य विस्फोटक उपकरणों के लिए आण्विक सामग्री के उत्पादन को प्रतिबंधित करने के लिए प्रस्तावित एक अंतरराष्ट्रीय संधि है। इस संधि पर अभी कोई समझौता वार्ता नहीं की गई है। इसकी शर्तों को निर्धारित किया जाना अभी शेष है।

गैर-परमाणु शक्ति संपन्न राज्यों के रूप में परमाणु अप्रसार संधि (NPT) में शामिल होने वाले राष्ट्रों द्वारा पहले से ही परमाणु हथियार के निर्माण के उद्देश्य से आण्विक सामग्री का उत्पादन या अधिग्रहण प्रतिबंधित है।

FMCT पांच मान्यता प्राप्त परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों (NWS- संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और चीन) और साथ ही उन चार राष्ट्रों (इज़राइल, भारत, पाकिस्तान और उत्तरी कोरिया) के लिए नए प्रतिबंधो को लागू करेगा जो NPT के सदस्य नहीं हैं।

FMCT से संबंधित तीन विवादित मुद्दे हैं:

- आणविक सामग्री की परिभाषा के संदर्भ में।
- संधि का दायरा (इसके अंतर्गत किस सामग्री, सुविधाओं और देशों को शामिल किया जाएगा)।
- सत्यापन प्रक्रिया: कई देशों, विशेष रूप से गैर परमाणु-शक्ति संपन्न NPT देशों का मानना है कि सत्यापन के बिना संधि वास्तव में व्यर्थ है।

परमाणु हथियार निषेध संधि

- परमाणु हथियारों के निषेध पर संधि (The Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons) या परमाणु हथियार प्रतिबंध संधि (Nuclear Weapon Ban Treaty) कानूनी रूप से बाध्यकारी प्रथम अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। यह परमाणु हथियारों के पूर्णतः उन्मूलन के लक्ष्य की ओर अग्रसर होने के साथ परमाणु हथियारों को व्यापक रूप से प्रतिबंधित करता है।
- इस संधि का अनुच्छेद 1 राज्यों को हथियारों के विकास, भंडारण, उपयोग करने, उपयोग करने की धमकी, अधिग्रहण, स्थानांतरित करने से रोकता है। इस रोक का विस्तार इस प्रकार के सभी कृत्यों हेतु प्रदत्त सहायता तक है।

मुख्य विशेषताएं

- इसके अंतर्गत संधि में शामिल देशों से परमाणु हथियारों का विकास, परीक्षण, उत्पादन, अधिग्रहण, स्वामित्व, भंडारण, उपयोग न करने या उपयोग करने की धमकी न देने के सम्बन्ध में बाध्यकारी वचन-पत्र लिए जाएंगे।
- यह संधि किसी भी राष्ट्रीय क्षेत्र पर परमाणु हथियारों की तैनाती और निषिद्ध गतिविधियों के संचालन में किसी भी देश को सहायता प्रदान करने पर भी रोक लगाती है।
- यह संधि परमाणु हथियारों के उपयोग या परीक्षण से प्रभावित व्यक्तियों को पर्याप्त सहायता प्रदान करने के लिए देश की बाध्यता को निर्धारित करती है।
- इस संधि के सदस्य राज्यों को किसी सदस्य राज्य या संधि के क्षेत्राधिकार या नियंत्रण के अधीन क्षेत्र में व्यक्तियों द्वारा की जाने वाली किसी भी निषिद्ध गतिविधि को रोकने और नियंत्रित करने के लिए भी बाध्य किया जाएगा।

- **परमाणु हथियार प्रतिबंध संधि पर भारत का दृष्टिकोण:**
  - संयुक्त राष्ट्र के 120 से अधिक देशों ने परमाणु हथियार पर प्रतिबंध लगाने के लिए पहली बार वैश्विक संधि को अपनाने का निर्णय लिया है।
  - भारत और आठ अन्य परमाणु हथियारों से लैस राष्ट्रों- अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, पाकिस्तान, उत्तरी कोरिया और इज़राइल ने परमाणु हथियारों को प्रतिबंधित करने के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी वार्ता में भाग नहीं लिया।
  - भारत ने यह भी कहा है कि जिनेवा स्थित निःशस्त्रीकरण पर सम्मेलन (Conference on Disar mament:COD) एक बहुपक्षीय वार्ता मंच है।
  - इस बात पर बल देते हुए कि परमाणु हथियारों के वैश्विक उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय सत्यापन आवश्यक है, भारत ने कहा कि वर्तमान प्रक्रिया में यह सत्यापन संबंधी पहलू शामिल नहीं किया गया है।

VISION IAS

भारत के परमाणु सिद्धांत की समीक्षा:

भारत द्वारा परमाणु नीति जारी करने के बाद से इसकी समीक्षा के लिए समय-समय पर अनुरोध किये गए हैं। हालांकि, इस प्रकार की समीक्षा को युक्तिसंगत कारणों पर आधारित होना चाहिए, जैसे-

- कानूनी या प्रशासनिक रूप से अनिवार्य आवधिक समीक्षा।
- बाह्य वातावरण में होने वाले प्रमुख परिवर्तन।
- प्रतिद्वंदियों की क्षमताओं में बदलाव।
- व्यावहारिक परिस्थितियों के अंतर्गत सिद्धांत की विफलता।

हमारे परमाणु सिद्धांत की समीक्षा के विरुद्ध कारक:

- भारत द्वारा परमाणु कार्यक्रमों पर किये गए नियंत्रण के कारण देश को अंतरराष्ट्रीय समुदाय में प्राप्त होने वाले सभी लाभ समाप्त हो जाएंगे। इस संयम ने न केवल देश के लिए कुछ अमूर्त लाभ प्राप्त किये हैं बल्कि अनेक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को समाप्त करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। साथ ही बहुपक्षीय नाभिकीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्था एवं असैन्य परमाणु सहयोग समझौतों में भारत के प्रवेश में सहायता प्रदान की।
- यह हमारे द्वारा कमान एवं नियंत्रण तंत्र के संदर्भ में किए जाने वाले व्यय में अत्यधिक वृद्धि करने के साथ-साथ उसे और जटिल बना देगा क्योंकि इसे संभावित नाभिकीय युद्ध में शामिल होने की दृष्टि से पुनर्संरचित करने की आवश्यकता होगी।
- यह पारंपरिक युद्धास्त्रों में हमारी संलग्नता की संभावना को कमजोर कर देगा।
- यह किसी भी वृहद प्रतिक्रिया के भ्रम की स्थिति में हमारे विरुद्ध सामरिक परमाणु हथियारों के उपयोग को प्रोत्साहित करेगा।

11.6. स्थानिक कूटनीति (पैराडिप्लोमेसी: Paradiplomacy)

- पैराडिप्लोमेसी (स्थानिक कूटनीति, जिसे 'राज्य कूटनीति', 'महाद्वीप कूटनीति', 'क्षेत्रीय कूटनीति' और 'उपराष्ट्रीय कूटनीति' भी कहा जाता है) **उप-राष्ट्रीय स्तर की सरकारों की विदेश नीति क्षमता** से संबंधित है।
- पारंपरिक राजनयिक संबंधों (जो सार्वभौमिक राष्ट्र-राज्यों के विशिष्ट शासन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और जिनका संचालन केंद्र सरकारों द्वारा किया जाता हैं) के विपरीत पैराडिप्लोमेसी उप-राष्ट्रीय या संघीय इकाइयों को विदेशी संबंधों के लिए अवसर प्रदान करती है।
- पैराडिप्लोमेसी गतिविधियों में विभिन्न अभिकर्ता यथा- क्षेत्र, फर्म, सामाजिक आंदोलन, अलगाववादी/उप-राष्ट्रीय समूह शामिल होते हैं।
- **इकोनॉमिक पैराडिप्लोमेसी:** यह विशेषतः व्यापार तथा निवेश से संबंधित है जो संघीय (अमेरिका, कनाडा, बेल्जियम), अर्ध-संघीय (स्पेन), गैर-संघीय देशों (जापान) और यहां तक कि गैर-लोकतांत्रिक राज्यों (चीन) में भी संस्थागत परम्परा के रूप में स्थापित हो गयी है।
- **सिटी डिप्लोमेसी** पैराडिप्लोमेसी का एक प्रकार है। यह सिटी-टू-सिटी संबंध स्थापित करता है जहां ऐसे शहर सहयोगी समझौतों के आधार पर स्वयं के विदेशी संबंधों को विकसित करते हैं।

पैराडिप्लोमेसी के लाभ

- यह अंतर्राष्ट्रीय विमर्श को एक विकेन्द्रीकृत आयाम प्रदान कर सकता है।
- यह घरेलू मुद्दों को वैश्विक स्तर पर लाकर उनका अंतर्राष्ट्रीयकरण कर सकता है।
- यह व्यापार, पर्यटन, सांस्कृतिक संबंधों तथा यहां तक कि संघर्ष के पश्चात भी सुलह को बढ़ावा देने में सहायता कर सकता है।
- स्थानीय राजनीतिक सक्रियतावाद, अंतरराष्ट्रीय समर्थन प्राप्त कर सकता है।
- क्षेत्र-विशिष्ट आर्थिक विकास में निवेश को बढ़ावा देने तथा निवेश को आकर्षित करने के लिए उप-राष्ट्रीय संबंध भी स्थापित किए जा सकते हैं।

पैराडिप्लोमेसी में वृद्धि के कारण

- **वैश्वीकरण** ने पारंपरिक सीमाओं को समाप्त कर दिया है अतः यह संभव है कि **केंद्र सरकार** स्वयं के बल पर नई राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक शक्तियों द्वारा उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए **भली भांति सुसज्जित** न हो।
- व्यापार, वाणिज्य, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, शिक्षा, सांस्कृतिक आदान-प्रदानों एवं व्यवसायों की आउटसोर्सिंग जैसे क्षेत्रों में राजनयिक कदम उठाने के संबंध में राज्य प्रायः केंद्र सरकार की तुलना में अधिक समर्थ होते हैं।
- ऐसे मामले भी संभव हैं जहां केंद्र सरकार वैचारिक एवं राजनीतिक आधारों पर राज्य सरकारों से भिन्नता रख सकती है। ऐसी स्थिति में यह संभव है कि **केंद्र सरकार के कुछ निर्णयों को राज्यों के सर्वोत्तम हित में न समझा जाए** और **राज्यों के कुछ निर्णय केंद्र सरकार के सर्वोत्तम हित में न हो।**

VISION IAS

- भारत के आकार को देखते हुए, प्रांतीय सरकारें प्रायः भौगोलिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक तथा आर्थिक कारणों से अपने पड़ोस में अन्य सरकारों के साथ राजनयिक संबंधों को बढ़ाने के लिए बेहतर स्थिति में हैं। उदाहरणार्थ पश्चिम बंगाल सरकार देश की राजधानी में स्थित विदेश मंत्रालय के अधिकारी की तुलना में बांग्लादेश तथा भूटान के साथ अधिक सफल पैराडिप्लोमेसी संबंध स्थापित कर सकती है।
    - तमिलनाडु सरकार की स्थानीय भागीदारी निवासियों के मत्स्यन संबंधी अधिकारों, विस्थापितों के लिए आरक्षण और/या धन प्रेषण (रेमिटेंस) तथा मानव तस्करी से संबंधित मुद्दों से निपटने में अधिक दूरदर्शी सिद्ध होगी। श्रीलंका की तमिल जनसंख्या भी इस तमिल हित के प्रति सहानुभूति रखती है।
    - प्राचीन समुद्री व्यापार मार्ग पर केरल की बेहतर भौगोलिक तथा रणनीतिक अवस्थिति पैराडिप्लोमेसी को लाभ पहुंचा सकती है क्योंकि इस क्षेत्र में व्यापार तथा वाणिज्य की वृद्धि इस राज्य की प्राचीन प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित कर सकती है।
    - केरल की उच्च साक्षरता एवं उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाओं के कारण इस राज्य में चिकित्सा पर्यटन (मेडिकल टूरिज्म) को भी केरल की स्थानीय कूटनीति (राज्य के स्तर पर) के उपयोग के साथ बढ़ावा मिलने की आशा है।

भारत में पैराडिप्लोमेसी

- भारत में केंद्र एवं राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का विभाजन सुस्पष्ट है। भारतीय संविधान में दोनों के मध्य विधायी शक्तियों के त्रि-स्तरीय विभाजन (अनुच्छेद 246 तथा 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां) का उल्लेख किया गया है।
- विदेशी मामले, राजनयिक, वाणिज्य दूतावास एवं व्यापारिक प्रतिनिधित्व, अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में भागीदारी, अन्य देशों के साथ संधियां एवं समझौते करना तथा अन्य देशों के साथ करार, संधियों तथा समझौतों के कार्यान्वयन, अन्य देशों के साथ विदेशी क्षेत्राधिकार एवं व्यापार तथा वाणिज्य, आयात एवं निर्यात ऐसे क्षेत्र हैं जहां केवल संघ सरकार ही कानून बनाने में सक्षम है।
- इस परिप्रेक्ष्य में, विदेश नीति को संघीय रूप प्रदान करना महत्वपूर्ण है।

भारत द्वारा पैराडिप्लोमेसी के समर्थन के लिए क्या किया गया है?

- अक्टूबर, 2014 में विदेश मंत्रालय ने एक संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता में 'राज्य विभाग' (State Division) का गठन किया।
- राज्य विभाग का उद्देश्य राज्यों की आउटरीच के लिए मंत्रालय के एकल मार्ग के रूप में कार्य करना और राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) के साथ समन्वय स्थापित करना है "जिससे उनके निर्यात और पर्यटन को बढ़ावा तथा अधिक विदेशी निवेश और विशेषज्ञता को आकर्षित करने के उनके प्रयासों को और सुविधा मिल सके।"
- इस उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा विदेशों में मिशनों/पदों के साथ संपर्क बनाए रखने हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त करने की आवश्यकता है।
- विदेश मंत्रालय ने भारतीय राजदूतों को राज्यों की राजधानियों में स्थानीय सरकारों के साथ वार्ता करने और संचार चैनलों के अन्वेषण का निर्देश दिया है।

पैराडिप्लोमेसी के समर्थन हेतु और क्या किया जाना चाहिए ?

- केंद्र सरकार को देश में पैराडिप्लोमेसी आरंभ करने हेतु प्रभावी संस्थागत तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है।
- प्रत्येक राज्य में वाणिज्य दूतावास या वाणिज्य दूतावास कार्यालय स्थापित किए जा सकते हैं।
- विदेश मंत्रालय के पर्यवेक्षण में संघीय विदेश मामलों के कार्यालयों की स्थापना करना।
- इन क्षेत्रीय कार्यालयों में नियुक्त किए गए अधिकारियों को सुरक्षा मुद्दों को बेहतर तरीके से संचालित करने का प्रशिक्षण दिया जा सकता है और साथ ही उन्हें केंद्र के लक्ष्य को आगे बढ़ाने और राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध कोई भी कार्य न करने के लिए तैयार किया जा सकता है।
- नियमित वार्ताओं और नौकरशाहों के साथ परस्पर अंतःक्रिया के माध्यम से विदेश मंत्रालय एवं स्थानीय कार्यालयों के मध्य बेहतर कार्यान्वयन पैराडिप्लोमेसी को आगे बढ़ाने के लक्ष्य की प्राप्ति में प्रभावी सिद्ध होगा।
- आगे चलकर केंद्र सरकार पैराडिप्लोमेसी के मूलतत्व को स्वीकार करते हुए औपचारिक कानून बनाने तथा विभिन्न राज्यों में इसके कार्यान्वयन के लिए भी कदम उठा सकती है।

पैराडिप्लोमेसी की आलोचना

- सीमा प्रबंधन एक जटिल मुद्दा है, केंद्र सरकार द्वारा वैश्वीकरण तथा बाजार शक्तियों के परिपेक्ष्य में राज्यों को इस शक्ति का प्रत्यायोजन किया जाना जोखिमपूर्ण है ।

VISION IAS

- अधिकांश भारतीय राज्यों (केवल पांच को छोड़कर) की पड़ोसी देशों के साथ भूमि या समुद्री सीमाएं हैं।
- ऐतिहासिक रूप से पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ तनावपूर्ण संबंधों के परिणामस्वरूप सीमा-पार आतंकवाद का उदय हुआ है।
- कूटनीति का संचालन करने में भारतीय राज्यों की भूमिका आर्थिक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है बल्कि यह भूमिका सुरक्षा, पर्यावरण तथा संसाधन प्रबंधन तक भी विस्तारित है। इस विस्तृत भूमिका के कारण ही तीस्ता विवाद, भूमि सीमा समझौते, रत्नागिरी (महाराष्ट्र) में जैतपुर परमाणु ऊर्जा परियोजना, तमिलनाडु में कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना संबंधी विवादों के समाधान में विलंब हुआ।

निष्कर्ष

पैराडिप्लोमेसी, भारत में अभी भी अपने आरंभिक चरण में है। इसमें और विलम्ब हो सकता है। साओ पाउलो एवं मकाऊ की सफलता की कहानियों का अनुकरण करने के लिए अभी भी राज्य स्तर पर गतिशील नेतृत्व के उदय की आवश्यकता है। हालांकि, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और गुजरात जैसे कुछ राज्य पहले से ही इस दिशा में काफी प्रयास कर रहे हैं।

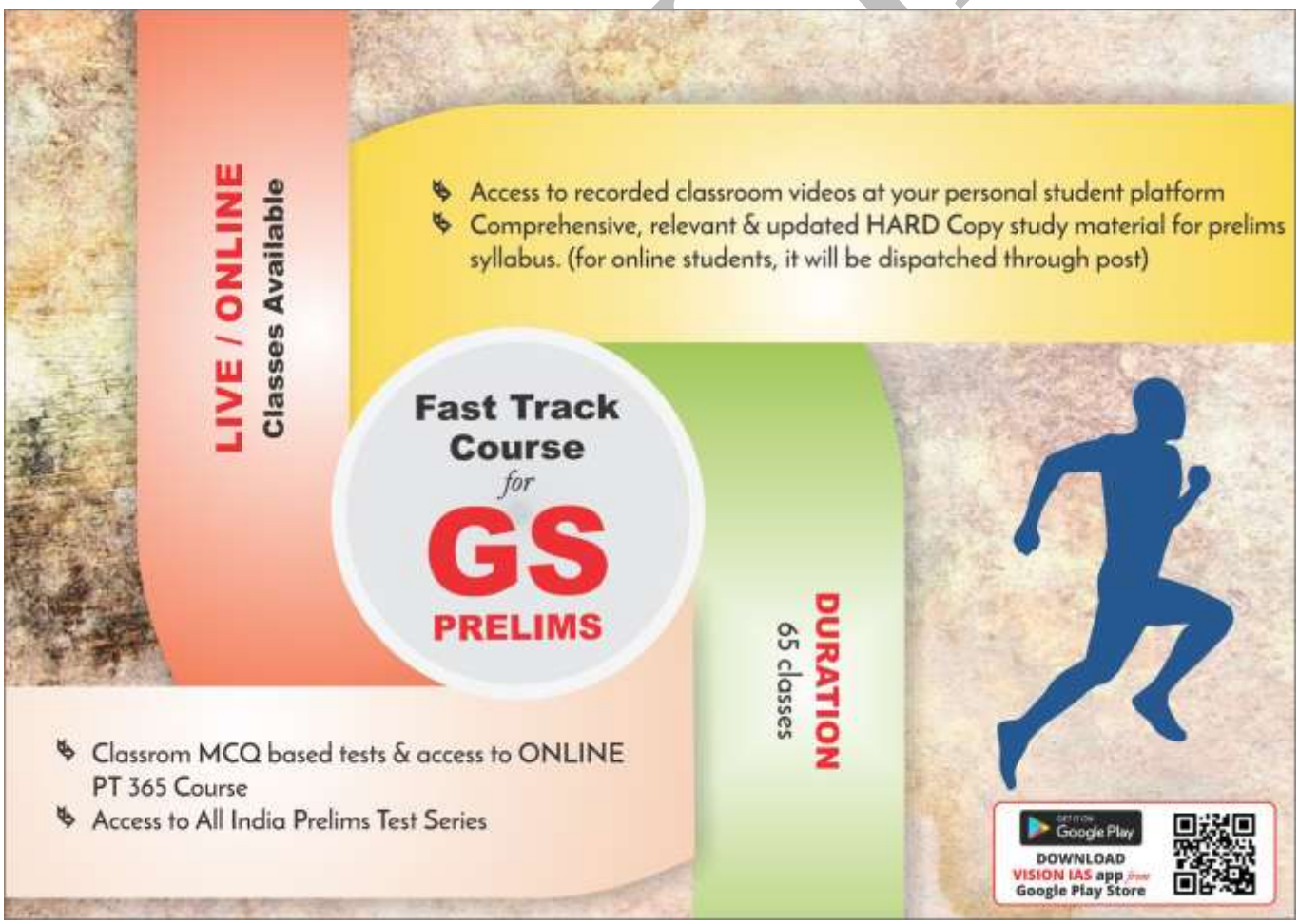

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS